

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 178280

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—552—7-7-66—10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H923.254 Accession No. H474

Author G.195
गान्धी, M.K.

Title संक्षिप्त आत्मकथा . 1919 .

This book should be returned on or before the date last marked below.

प्रकाशक

मार्तंड उपाध्याय, मंत्री,

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

सातवीं बार : १९४९

मूल्य

डेढ़ रुपया

मुद्रक

बालकृष्ण एम० ए०,

युगान्तर प्रकाशन लिमिटेड,

मोरी गेट, देहली ।

संपादकीय

अरसेसे यह महसूस किया जा रहा था कि 'आत्म-कथा'का एक संक्षिप्त संस्करण निकले, जिसमें गांधीजीके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएं आजावें और उसकी स्फूर्ति तथा शिक्षामें किसी प्रकार की कमी न हो ।

इस संस्करणके तैयार करनेमें मुख्य ध्यान इस बातपर रखा गया है कि यह स्कूलोपयोगी हो, इसलिए इसमें बहुत-से लंबे विवरण और चर्चा, जो स्कूल-जीवनमें विशेष उपयोगी नहीं हो सकते, 'आत्म-कथा'मेंसे कम कर दिये गए हैं । दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-संबंधी कुछ भाग जो मूल 'आत्म-कथा'में विस्तार-भयसे छोड़ दिया था, वह दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके आधार पर इस संस्करणमें जोड़ दिया है ।

अंग्रेजीमें 'My Early Life' के नामसे एक संक्षिप्त संस्करण ऑक्सफोर्ड प्रेससे प्रकाशित हुआ है । उसीको सामने रखकर विषयोंका चुनाव और काट-छांट मूल 'आत्म-कथा' में करके यह संस्करण तैयार किया गया है । भाषा, जहांतक संभव हुआ है, मूल हिंदी संस्करणकी ही रखी गई है । जहां नया अनुवाद करना पड़ा है वहां भी भाषा को सरल और सुबोध बनानेका प्रयत्न किया गया है । गांधीजीका जीवन इतना महान्, इतना खुला और ऐसा व्यापक है कि उसको जाने और उससे स्फूर्ति पाये बिना

हिंदुस्तानका मनुष्य कैसे रह सकता है ? जिस महापुरुषके कार्योंने भारतीय राष्ट्रके प्रत्येक अंगको छुआ है—छुआ ही नहीं, उसको प्रभावित भी किया है, उसके ज्ञानसे भला हिंदुस्तानी विद्यार्थी कैसे अच्छा रखा जा सकता है ? क्योंकि गांधीजीकी बालकोचित सरलता, पारदर्शी निष्कपटता, दुर्दमनीय उत्साह, असीम कार्य-शक्ति और सबसे बढ़कर हरेकपर अपनी छाप डालनेवाला उनका प्रेम-भाव, ये ऐसे गुण हैं जिनकी छाप 'आत्म-कथा'के पाठकपर पड़े बिना नहीं रह सकती । और इन गुणोंका उदाहरण एक विद्यार्थीके जीवनको बनानेके लिए बहुत ही आवश्यक है । इस दृष्टिसे भी यह 'आत्म-कथा' विद्याथर्यों या नवयुवकोंके बड़े कामकी चीज है । हमें आशा है कि भारतके विद्यार्थीगण और नवयुवक, जिनके कंधोंपर कलके हिंदुस्तानका बोझ पड़नेवाला है, अपने लिए इस संस्करणको बहुत उपयोगी पायेंगे ।

दिल्ली, }
 ६-७-३६ }

महादेव देसाई
 हरिभाऊ उपाध्याय

विषय-सूची

१. वचपन	१	२१. बोअर-युद्ध	७७
२. स्कूलमें	३	२२. देश-गमन	८१
३. हाईस्कूलमें	६	२३. फिर दक्षिण अफ्रीका	९२
४. विवाह और मांस-भक्षण	११	२४. एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव	९६
५. आंखें खुलीं	१७	२५. फिनिक्सकी स्थापना	९८
६. चोरी और प्रायश्चित्त	२०	२६. जुलू-विद्रोह	१०७
७. धर्मकी भलक	२४	२७. जीवन-भरका निश्चय	११०
८. तीन प्रतिज्ञाएं	२६	२८. घरमें सत्याग्रह	११३
९. पहला अनुभव	२९	२९. संयमकी ओर	११७
१०. प्रतिज्ञाने रक्षा की	३३	३०. वकील-जीवनकी कुछ स्मृतियां	१२१
११. सभ्य बननेके प्रयत्नमें	३६	३१. सत्याग्रहका जन्म	१२४
१२. सादगीकी ओर	३९	३२. जेलमें	१२७
१३. प्रलोभनसे बचा	४३	३३. जेलके प्रथम अनुभव	१३०
१४. बैरिस्टर हुआ	४७	३४. स्मरणीय प्रसंग—१	१३३
१५. दक्षिण अफ्रीकामें	४९	३५. ,, ,, —२	१३७
१६. सेवाका श्रीगणेश	५५	३६. फिर सत्याग्रह	१३९
१७. तूफानके चिह्न	५९	३७. टॉलस्टॉय-आश्रम	१४२
१८. कसौटी	६१	३८. अच्छे-बुरेका मेल	१४७
१९. सेवाभाव और सादगी	७१	३९. बहिनोंका हिस्सा—१	१५१
२०. एक पुण्य-स्मरण और प्रायश्चित्त	७५		

४०. बहिनोंका हिस्सा—२	१५६	५७. नीलका दाग	२१८
४१. मजदूर भी	१५६	५८. बिहारकी सरलता	२२१
४२. हमारा कूच—१	१६४	५९. अहिंसादेवीका	
४३. " " —२	१६८	साक्षात्कार	२२५
४४. सत्याग्रहकी विजय	१७५	६०. कार्य-पद्धति	२३०
४५. गोखलेसे मिलने	१७६	६१. मजदूरोंसे संबंध	२३५
४६. लड़ाईमें भाग	१८२	६२. रौलट-एक्ट और मेरा	
४७. गोखलेकी उदारता	१८६	धर्म-संकट	२४०
४८. विदा	१९०	६३. एक अद्भुत दृश्य	२४६
४९. गोखलेके साथ पूनामें	१९२	६४. वह सप्ताह !—१	२४६
५०. धमकी ?	१९५	६५. " " —२	२५६
५१. शांति-निकेतनमें	१९६	६६. 'हिमालय-जैसी भूल'	२५६
५२. तीसरे दर्जेकी मुसीबत	२०१	६७. पंजाबमें	२६२
५३. मेरा प्रयत्न	२०४	६८. कांग्रेसमें प्रवेश	२६७
५४. आश्रमकी स्थापना	२०६	६९. एक संवाद	२७५
५५. कसौटीपर	२०६	७०. पूर्णाहुति	२७६
५६. गिरमिट-प्रथा	२१२		

संक्षिप्त आत्म-कथा

१

बचपन

मेरे पिता—कबा गांधीको धन जोड़नेका लोभ न था। इससे हम भाइयोंके लिए वह बहुत थोड़ी सम्पत्ति छोड़ गये थे।

पिताजीने शिक्षा केवल अनुभव से प्राप्त की थी। स्कूली शिक्षा वह उतनी ही पाये होंगे, जिसे आज हम अपर प्राइमरी कहते हैं। इतिहास-भूगोलका ज्ञान उन्हें बिलकुल न था; मगर व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दरजेका था कि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्रश्नोंको सुलभानेमें या हज़ारों आदमियोंसे काम लेनेमें उन्हें कठिनाई न होती थी। धार्मिक शिक्षा नहींके बराबर थी; परन्तु मंदिरोंमें जानेसे, कथा-पुराण सुननेसे, जो धर्म-ज्ञान असंख्य हिंदुओंको सहजमें मिल जाता है, वह उन्हें मिला था। अपने अंतिम दिनोंमें एक विद्वान् ब्राह्मणकी सलाहसे, जो कि हमारे कुटुंबके मित्र थे, उन्होंने गीता-पाठ शुरू किया था, और नित्य पूजाके समय कुछ श्लोक ऊंचे स्वरसे पाठ किया करते थे।

वह कुटुंब-प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर और उदार परंतु क्रोधी थे। रिश्वतसे सदा दूर भागते थे, और इसी कारण अच्छा न्याय करते थे; ऐसी प्रसिद्धि उनकी, हमारे कुटुंबमें तथा बाहर भी, थी। वह

राजकोटमें कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे थे और राज्यके बड़े वफादार थे। एकबार असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंटने राजकोटके ठाकुरसाहबकी शानके खिलाफ कुछ शब्द कहे, तो उन्होंने उसका विरोध किया। साहब बिगड़ पड़े और कवा गांधीको माफी मांगने का हुक्म दिया। माफी मांगनेसे इनकार कर देनेपर कुछ वंटों हवालातमें भी रहे पर वह डिगे नहीं; इससे अंतमें साहबने उन्हें छोड़ देनेकी आज्ञा दी।

मेरे मनपर ऐसे संस्कार हैं कि मेरी माताजी साध्वी स्त्री थीं, वह बहुत भावुक थीं। पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन न करतीं, वैष्णव-मंदिर रोज जातीं। मैंने जबसे होश सम्भाला, याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चातुर्मासका व्रत कभी छोड़ा हो। कठिन-से-कठिन व्रत वह लेतीं और उन्हें पूरा करती। बीमार पड़ जानेपर भी वह लिये हुए व्रतोंको न छोड़तीं। ऐसा एक समय मुझे याद है, जब उन्होंने चांद्रायणव्रत किया था। उसमें बीमार पड़ गईं, पर व्रत न छोड़ा। चातुर्मासमें एक समयके भोजनका व्रत तो उनके लिए मामूली बात थी। इतनेसे संतोष न पाकर एक बार, चातुर्मासमें उन्होंने हर तीसरे दिन उपवासका नियम लिया। लगातार दो-तीन उपवास उनके लिए मामूली बात थी। एक चातुर्मासमें उन्होंने सूर्य-नारायणके दर्शन करनेके बाद ही भोजन करनेका नियम लिया। इस चौमासेमें हम बच्चे बड़ी उत्सुकतासे बादलोंकी ओर देखा करते कि कब सूर्य निकलनेकी खबर मांको दें और वह कब भोजन करें, चौमासेमें बहुत बार सूर्य-दर्शन दुर्लभ होते हैं। मुझे ऐसे दिन

याद हैं, जबकि हम सूर्यको देखते और चिल्लाते, “मां, मां, सूरज निकला।” और मां जल्दी-जल्दी आतीं, तबतक सूर्य छिप जाता। वह यह कहती हुई लौट जातीं, “कोई बात नहीं; भगवान्की मरजी नहीं कि आज भोजन मिले।” और जाकर अपने कामोंमें लग जातीं।

वह व्यवहार-कुशल भी थीं। राज-दरबारकी सब बातें जानती थीं। रनवासमें वह बुद्धिमती समझी जाती थीं। बचपनमें मैं मांके साथ दरबारगढ़ जाया करता था, और मांजी साहबसे (ठाकुर साहबकी विधवा माता) उनकी जो बातचीत होती वह कुछ-कुछ मुझे अबतक याद है।

इन माता-पिताके यहां आश्विन बदी १२ संवत् १६२५ (अर्थात् २ अक्टूबर १८६६ ईसवीको) पोरबंदर अथवा सुदामापुरीमें मेरा जन्म हुआ।

बचपन पोरबंदरमें ही बीता। ऐसा याद पड़ता है कि किसी पाठशालामें मैं पढ़ने बैठाया गया था। मुश्किलसे कुछ पहाड़े सीखे होंगे, बाकी तो और लड़कोंके साथ गुरुजीको गाली देना सीखनेके अलावा और कुछ सीखा, याद नहीं है। इससे यह अनुमान करता हूं कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण-शक्ति कच्ची।

२

स्कूलमें

पोरबंदरसे पिताजी ‘राजस्थानिक कोर्ट’ के सदस्य होकर जब राजकोट गये तब मेरी उम्र कोई सात सालकी होगी। राजकोटकी देहाती पाठशालामें मैं भरती कराया गया। उन दिनोंका मुझे भली-

भांति स्मरण है। मास्टरोके नाम-धाम भी याद हैं। पोरबंदरकी तरह वहांकी पढ़ाईके संबंधमें कोई खास बात जानने लायक नहीं। मेरी गिनती साधारण श्रेणीके विद्यार्थियोंमें रही होगी। पाठशालासे ऊपरके स्कूलमें और वहांसे हाईस्कूल तक पहुंचनेमें मेरा बारहवां वर्ष बीत गया तबतक मैंने कभी शिक्षक आदिसे झूठ बोला हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। न किसीको दोस्त बनानेका स्मरण है। मैं बहुत संकोची लड़का था, मदरसेमें अपने कामसे काम रखता। घंटी बजते-बजते पहुंच जाता, और स्कूल बंद होते ही घर भाग आता। 'भाग आता' शब्दका प्रयोग जान-बूझकर किया है; क्योंकि मुझे किसीके साथ बातें करना नहीं रुचता था—मुझे यह डर भी बना रहता था कि 'कोई मेरा मजाक न उड़ावे।'

हाईस्कूलके पहले ही वर्षकी परीक्षाके समयकी एक घटना चल्लेखनीय है। शिक्षा-विभागके इंस्पेक्टर, जाइल्स साहब, मुझ-इनेके लिए आये। उन्होंने पहले दरजेके विद्यार्थियोंको पांच शब्द लिखवाये। उनमें एक शब्द था 'कैटल' (Kettle)। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टरने मुझे अपने बूटसे ठोकर देकर चेताया; पर मैं कहां समझने वाला था? मेरे दिमागमें यह बात न आई कि मास्टर साहब मुझे सामनेके लड़केकी स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करनेका इशारा कर रहे हैं। मैंने यह मान रखा था कि मास्टर तो इसके लिए तैनात है कि कोई लड़का दूसरेकी नकल न कर सके। सब लड़कोंके पांचों शब्द सही निकले, अकेला मैं ही बेवकूफ बच गया। मेरी बेवकूफी बादको मास्टरने बतलाई। पर

मेरे मनपर उसका कोई असर न हुआ । मुझे दूसरे लड़कोंसे नकल करना कभी न आया ।

ऐसा होते हुए भी मास्टर साहबके प्रति मेरा आदर कभी न घटा । बूढ़ोंके दोष न देखनेका गुण मुझमें स्वाभाविक था। बाद-को तो इन मास्टर साहबके दूसरे दोष भी मेरी नज़रमें आये । फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों-का-त्यों कायम रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े-बूढ़ोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिए, जो वे कहें करना चाहिए; वे जो कुछ करें, उसका काजी हमें न बनना चाहिए ।

इसी बीच दूसरी दो घटनाएं हुईं, जो मुझे सदा याद रहीं हैं । मामूलीतौर पर मुझे कोर्सकी पुस्तकोंके अलावा कुछ भी पढ़नेका शौक न था । सबक पूरा करना चाहिए, डाट सही नहीं जाती थी, मास्टरसे छल-कपट करना नहीं था, इन कारणोंसे मैं सबक पढ़ता; पर मन न लगा करता । इससे सबक बहुत बार कच्चा रह जाता । ऐसी हालतमें दूसरी पुस्तक पढ़नेको जी कैसे चाहता ? परन्तु पिताजीकी खरीदी एक पुस्तक 'श्रवण-पितृ-भक्ति' नाटकपर मेरी नज़र पड़ी । इसे पढ़नेको दिल चाहा । बड़े अनुराग और चावसे मैंने उसे पढ़ा । इन्हीं दिनों काठके बक्समें शीशोंसे तस्वीर दिखाने वाले भी फिरा करते । उनमें मैंने श्रवणका अपने माता-पिताको कांवरमें बैठाकर यात्राके लिए ले जाने वाला चित्र देखा । दोनों चीजोंका मुझपर गहरा असर पड़ा । मनमें श्रवणके समान होने के विचार उठते । श्रवणकी मृत्युपर उसके माता-पिताका विलाप

मुझे अब भी याद है। उस ललित छंदको मैंने बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखनेका शौक था और पिताजीने एक बाजा ला भी दिया था।

इसी समय कोई नाटक-कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखनेकी छुट्टी मिली। इसमें हरिश्चन्द्रकी कथा थी। यह नाटक देखनेसे मेरी तृप्ति नहीं होती थी। बार-बार उसे देखनेको मन हुआ करता, पर बार-बार जाने कौन देता ? पर अपने मनमें मैंने हरिश्चन्द्रका नाटक सैकड़ों बार खेला होगा। हरिश्चन्द्रके सपने आया करते। यही धुन लगी कि 'हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों न हों ?' यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्रके जैसी विपत्तियां भोगना और सत्यका पालन करना ही सच्चा सत्य है। मैंने तो यही मान रखा था कि नाटकमें जैसी विपत्तियां हरिश्चन्द्रपर पड़ी हैं, वैसी ही वास्तवमें उसपर पड़ी होंगी ! हरिश्चन्द्रके दुःखोंको देखकर, और उन्हें याद करके मैं खूब रोया हूं। आज मेरी बुद्धि कहती है कि सम्भव है, हरिश्चन्द्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हों, पर मेरे हृदयमें तो हरिश्चन्द्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूं कि आज भी यदि मैं उन नाटकोंको पढ़ूं तो आंसू आये बिना न रहें।

३

हाई स्कूलमें

जब मेरा विवाह हुआ तब मैं हाईस्कूल में पढ़ता था। हाई-स्कूलमें मैं मन्द-बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिक्षकोंका

प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था। हर साल माता-पिताको विद्यार्थी-की पढ़ाई तथा चाल-चलन के सम्बन्धमें प्रमाण-पत्र भेजे जाते। इनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल-चलनकी शिकायत नहीं की गई। दूसरे दरजेके बाद इनाम भी पाये और पांचवें तथा छठे दरजेमें तो क्रमशः ४) और १०) मासिककी छात्र-वृत्तियां भी मिली थीं। इस सफलतामें मेरी योग्यताकी अपेक्षा भाग्यका ज्यादा जोर था। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कोंके लिए नहीं सौराष्ट्र प्रान्तके विद्यार्थियोंके ही लिए थीं और उस समय चालीस-पचास विद्यार्थियोंके दरजेमें सौराष्ट्र काठियावाड़के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे ?

मेरी यादके अनुसार अपनी होशियारी पर मुझे नाज न था। इनाम अथवा छात्र-वृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता; परन्तु हां, अपने चरित्रका मुझे बड़ा खयाल रहता था। सदाचारमें यदि चूक होती तो मुझे रुलाई आ जाती। यह मेरे लिए बर्दाश्तसे बाहर था कि मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो कि शिक्षकको शिकायतका मौका मिले या वह मनमें भी ऐसा सोचें। मुझे याद है कि एक बार मार खानी पड़ी थी; उसमें मार खानेका तो दुःख न था, पर इस बातका बड़ा पछतावा था कि मैं दण्डका पात्र समझा गया। मैं खूब रोया। यह घटना पहले या दूसरे दरजेकी है। दूसरा प्रसंग सातवें दरजेका है। उस समय दोराबाजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। वह कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्यार्थियोंमें प्रिय थे। वह बाकायदा काम करते और काम लेते और पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊँचे दर्जेके विद्यार्थियों के लिए

कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। अनिवार्य होनेके पहले तो मैं कसरत क्रिकेट या फुटबालमें कभी जाता ही न था। न जानेमें मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरतकी यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरतका शिक्षाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। बादमें समझमें आया कि विद्याभ्यासमें व्यायाम का अर्थात् शारीरिक शिक्षाका मानसिक शिक्षाके समान ही स्थान होना चाहिए।

फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कसरतमें न जानेसे हानि न हुई। कारण, मैंने पुस्तकोंमें खुली हवामें घूमनेकी सिकांरिश पढ़ी थी। यह मुझे पसन्द आई और तभीसे घूमने जानेकी आदत मुझे पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी व्यायाम तो है ही; और, इससे मेरा शरीर ठीक-ठीक गठीला होगया।

व्यायामकी जगह घूमना जारी रखनेकी वजहसे शरीरसे कसरत न करनेकी भूलके लिए तो मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूलकी सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। पता नहीं कहाँसे यह गलत खयाल मुझे मिल गया था कि पढ़ाईमें सुलेखकी जरूरत नहीं है। यह विलायत जानेतक बना रहा। बादमें तो मैं पछताया और शरमाया। मैंने समझा कि अच्छरोंका खराब होना अधूरी शिक्षाकी निशानी है। अतः हरेक नवयुवक और युवती मेरे इस उदाहरणसे सबक ले और समझे कि सुन्दर अच्छर शिक्षाका आवश्यक अङ्ग हैं।

इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवनकी दो बातें लिखने-जैसी हैं। चौथे दरजेसे कुछ विषयोंकी शिक्षा अंग्रेजीमें दी जाती थी; पर मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था। रेखागणितमें मैं यों भी पीछे था, और फिर अंग्रेजीमें पढ़ाये जानेके कारण और भी समझमें न आता था। शिक्षक समझाते तो अच्छा थे; पर मेरी समझमें ही कुछ न आता था। मैं बहुत बार निराश हो जाता। परिश्रम करते-करते जब रेखागणितकी तेरहवीं शकल पढ़ुंची तब मुझे एकाएक लगा कि रेखागणित तो सबसे आसान विषय है। जिस बातमें केवल बुद्धिका सीधा और सरल प्रयोग ही करना है उसमें मुश्किल क्या है? उसके बादसे रेखागणित मेरे लिए सहज और मजेदार विषय हो गया।

संस्कृत मुझे रेखागणितसे भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणितमें तो रटनेकी कोई बात न थी; परन्तु संस्कृतमें, मेरी दृष्टिसे, अधिक काम रटनेका ही था। यह विषय भी चौथी कक्षासे शुरू होता था। छठी कक्षामें जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत-शिक्षक बड़े सख्त थे। विद्यार्थियोंको बहुतेरा पढ़ा देनेका उन्हें लोभ था। संस्कृत और फ़ारसीके दर्जेमें एक प्रकारकी होड़-सी लगी रहती थी। फ़ारसीके मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपसमें बातें करते कि फ़ारसी तो बहुत सरल है, फ़ारसीके अध्यापक भी बड़े मुलायम हैं। विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं, उतनेसे ही वे निभा लेते हैं। सहज होने की बातसे मैं भी ललचाया और एक दिन फ़ारसीके दरजेमें जाकर बैठा।

संस्कृत-शिक्षकको इससे दुःख हुआ और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा—“तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो ? अपनी धार्मिक भाषा न सीखोगे ? अपनी कठिनाई मुझे बताओ । मेरी तो इच्छा रहती है कि सब विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीखें । आगे चलकर उसमें रस-ही-रस मिलेगा । तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए । तुम फिर मेरे दरजेमें आजाओ ।”

मैं शरमाया । शिक्षकके प्रेमकी अवहेलना न कर सका । आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर पंड्याकी कृतज्ञ है; क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो आज मैं संस्कृत-शास्त्रोंका जो रसास्वादन कर पाता हूँ वह न कर पाता । बल्कि अधिक संस्कृत न पढ़ सका, इसका पछतावा होता है । क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिन्दू-बालकको संस्कृतके अध्ययनसे वंचित नहीं रहना चाहिए ।

अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्षके उच्च शिक्षण-क्रममें अपनी भाषाके अलावा राष्ट्र-भाषा हिन्दी^१, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ीको स्थान मिलना चाहिए । इतनी भाषाओंकी गिनतीसे किसीको घबरानेकी जरूरत नहीं; यदि भाषाएं ढंगसे सिखाई जायं और सब विषय अंग्रेज़ी के द्वारा ही पढ़ने, समझनेका बोझ हमपर न हो तो उपर्युक्त भाषाओंकी शिक्षा भार-रूप न होगी; बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगेगा । फिर जो एक भाषा शास्त्रीय-पद्धतिसे सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुलभ हो जाता है ।

१. आजकल इसे ‘हिन्दुस्तानी’ कहते हैं ।

वास्तवमें तो हिन्दी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही बात फ़ारसी और अरबीके लिए भी कह सकते हैं। फ़ारसी यद्यपि संस्कृतके जैसी है, और अरबी हिब्रू के जैसी, तथापि दोनों भाषाएं इस्लामके जन्मके पश्चात् फली-फूली हैं, इसलिए दोनोंमें निकट सम्बन्ध है। उर्दूको मैंने अलग भाषा नहीं माना; क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिन्दी में होता है। उसके शब्द फ़ारसी और अरबी ही हैं! ऊँचे दरजेकी उर्दू जाननेवालेके लिए अरबी और फ़ारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्चकोटिके गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जानने वालेके लिए संस्कृत जानना जरूरी है।

४

विवाह और मांस-भक्षण

यह लिखते हुए मेरे हृदयको बड़ी व्यथा होती है कि १३ वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ। आज मैं अपनी आंखोंके सामने १२-१३ वर्ष के बच्चों को देखता हूँ, और जब मुझे अपने विवाहका स्मरण हो आता है तब मुझे अपने ऊपर तरस आता है; और उन बच्चोंको इस बातके लिये बधाई देनेकी इच्छा होती है कि वे मेरी-सी हालतसे बच गये। तेरह सालकी उम्रमें हुए मेरे विवाहके समर्थनमें एक भी नैतिक दलील मुझे नहीं सूझती। यह मैं पहले कह आया हूँ, कि जब मेरी शादी हुई तब मैं हाई स्कूलमें ही पढ़ता था। हमारे वर्तमान हिन्दू-समाजमें ही, एक ओर पढ़ाई और दूसरी ओर शादी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

एक और दुःखद प्रसंग यहां लिखना है और वह है मेरा एक बुरे आदमी की सोहबतमें पड़ जाना । यह मेरे जीवनका एक दुःखद प्रकरण है । उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे मंभले भाईके साथ थी । वह उनका सहपाठी था । मैं उनके कई दोषोंको जानता था; परन्तु मैंने उसे अपना वफ़ादार साथी मान लिया था । मेरी माता-जी, बड़े भाई और पत्नी तीनोंको यह संगत बुरी लगती थी । पत्नीकी चेतावनीकी तो मुझ-जैसा अभिमानी पति परवाह ही क्या करता ? हां, माताकी आज्ञाका उल्लंघन करना मेरे लिए कठिन था । बड़े भाईकी बात भी टाल नहीं सकता था; परन्तु मैं उन्हें यों समझा देता कि आप जो उसकी बुराइयां बताते हैं, उन्हें तो मैं जानता हूं; पर उसके गुणोंको आप नहीं जानते । मुझे वह गलत रास्ते नहीं ले जा सकता । क्योंकि मैंने उसका साथ उसे सुधारने की नियतसे किया है । मेरा विश्वास है कि यदि वह सुधर जाय तो वह अच्छा आदमी साबित होगा ! यह तो मैं नहीं मानता कि इन बातोंसे उन्हें संतोष हो गया; पर उन्होंने मुझपर विश्वास रखा और मुझे अपनी राह चलने दिया ।

आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा यह अनुमान सही नहीं था । सुधार करनेके लिए भी मनुष्यको गहरे पानीमें नहीं उतर जाना चाहिए । जिनका सुधार हमें करना हो उनके साथ मित्रता मुमकिन नहीं है । मित्रतामें अद्वैत-भावना होती है । ऐसी मित्रता संसारमें बहुत कम ही पाई जाती है । समानगुण और शीलवालोंमें ही मित्रता शोभती और निभती है । मित्रका एक-दूसरेपर

असर पड़े बिना नहीं रह सकता, इस कारण मित्रतामें सुधारकी गुंजायश बहुत कम होती है। मेरा मत यह है कि अंतरंग मित्रता अनिष्ट है; क्योंकि मनुष्य दोष को बड़ी जल्दी अपनाता है। गुण ग्रहण करनेमें प्रयासकी जरूरत है। अत्मा और ईश्वरकी मित्रता चाहनेवालेको एकाकी रहना चाहिए, या फिर सारे जगत्के साथ मैत्री करनी उचित है। ये विचार सही हों या गलत; परन्तु इसमें शक नहीं कि मेरा अंतरंगमित्रताका प्रयास निष्फल रहा।

जिन दिनों इस मित्रसे मेरा संबन्ध हुआ था, राजकोटमें 'सुधार' की लहर ऊंची उठ रही थी। इस मित्रने खबर दी कि बहुतेरे हिंदू शिक्षक छिपे-छिपे मद्य-मांसका सेवन करते हैं। राजकोटके दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम भी उसने बताये। हाई स्कूलके कितने ही विद्यार्थियोंके नाम भी मेरे पास आये। यह देखकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और दुःख भी। जब मैंने इसका कारण दर्याफ्त किया तो यह बताया गया कि हम मांस नहीं खाते, इसीलिए हमारा राष्ट्र कमजोर है। अंग्रेज जो हमपर हुकूमत कर रहे हैं इसका कारण उनका मांसाहार है। मैं कितना हट्टा-कट्टा और मजबूत हूँ, और कितना दौड़ सकता हूँ यह तो तुम्हें मालूम है ही। इसका कारण भी मेरा मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े-फुंसी नहीं होते, और हुए तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। हमारे अध्यापक मांस खाते हैं, इतने-इतने मशहूर आदमी खाते हैं, सो क्या सब बिना सोचे-समझे ही? तुम्हें भी जरूर खाना चाहिए। खाकर तो देखो कि तुम्हारे बदन में कितनी नाक़त आ जाती है।

ये सब दलीलें कोई एक दिनमें ही सामने नहीं आईं। अनेक उदाहरणोंसे सजाकर, ये कई बार पेश की गईं। मंभले भाई तो फिसल चुके थे। उन्होंने भी इन बातोंका समर्थन किया, अपने भाई और इन मित्रके मुकाबलेमें मैं दुर्बल था। उनका बदन अधिक गठीला और शरीर-बल मुझसे बहुत अधिक था। वे साहसी थे। इन मित्रके पराक्रमके काम मुझे मोह लेते थे। वह जितना चाहे दौड़ सकता था। चाल भी बहुत तेज थी। लंबी और ऊंची कुदानमें उसे कमाल हासिल था। मार सहनेकी शक्ति भी वैसी ही थी। इस शक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समय पर करते थे। अपने अन्दर जिस शक्तिका अभाव होता है उसे दूसरेमें देखकर मनुष्यका आश्चर्यान्वित होना स्वाभाविक है। यही मेरे विषयमें हुआ। आश्चर्यसे मोह पैदा हुआ। मुझमें दौड़नेकी शक्ति नहीं के बराबर थी। मेरे मनने कहा, “मैं भी इस मित्रके समान बलवान हो जाऊं तो क्या अच्छा हो ?”

दूसरे, मैं बड़ा डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदिके भयसे भयभीत बना रहता था, रातको अकेले कहीं जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती। अंधेरेमें कहीं न जा सकता था। रोशनीके बिना सोना भी प्रायः असम्भव-सा था। इधरसे भूत आजाय, उधरसे चोर आजाय और कहींसे सांप निकल आवे तो ? यह डर बना रहता। इसलिए रोशनीका होना तो आवश्यक था। इधर अपनी पत्नीके सामने भी, जो कि पास ही सोती और अब कुछ-कुछ युवती हो चली थी, ये भयकी बातें करते हुए संकोच होता; क्योंकि मैं इतन जाना

गया था कि वह मुझसे अधिक साहसी है, इस कारण मैं उससे कुछ शरमाता भी था। उसने सांप वगैराका डर तो कभी जाना ही नहीं था। अंधेरेमें अकेली चली जाती। मेरी इन कमजोरियोंका उस मित्रको पता था। वह तो मुझसे कहता कि मैं तो जीते सांपोंको भी हाथसे पकड़ लेता हूं। चोरसे नहीं डरता, भूत-प्रेतको तो मानता ही नहीं, और इन सबका कारण मांसाहार ही है, यह उसने मेरे मनमें जमा दिया।

इन्हीं दिनों कवि नर्मदका यह कवित्त, पाठशालाओंमें गाया जाता—

अंग्रेजी राज करे, देशी रहे दबाई,
देशी रहे दबाई, जोने बेना शरीर भाई,
पेलो पांच हाथ पूरो, पूरो पांचसेने ॥

इन सबका मेरे मनपर पूरा असर हुआ। मैं मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है। उससे मुझमें बल और साहस आयेगा। यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो अंग्रेजोंको हटाया जा सकता है।

मेरे माता-पिता वैष्णव थे और मैं उनका परम-भक्त था। मैं जानता था कि उन्हें मेरे मांसाहारका पता चल जाय तो वे बिना मौतके तुरंत ही प्राण छोड़ देंगे। सत्यका जाने-अनजाने सेवक तो मैं था ही। यह नहीं कह सकता कि मांसाहार करनेपर माता-पितासे झूठ बोलना पड़ेगा, यह ज्ञान मुझे उस समय नहीं था। लेकिन मेरा मन तो 'सुधार' के रंगमें रंगा हुआ था। मांसाहार-

का शौक नहीं था। स्वादके खयालसे मुझे मांसाहार नहीं आरम्भ करना था। मुझे तो बलवान् और साहसी बनना था और दूसरोंको वैसा ही बननेको समझाना था और फिर अंग्रेजोंको हराकर भारतको आजाद कराना था। 'स्वराज्य' शब्द तो उस समय कानमें भी नहीं पड़ा था। इस सुधारकी धुनमें मैं अपना होश खो बैठा। और जब गुप्त रूपसे उसे करने का प्रबन्ध हो गया तब झूठ-मूठ ही मैंने अपने मनको समझा लिया कि अपनी बातको माता-पितासे छिपाना सत्यसे भटकना नहीं है।

नियत दिन आया। उस दिनकी अपनी हालतका वर्णन करना कठिन है। एक तरफ था 'सुधार' का उत्साह और जीवनमें एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करनेकी नवीनता; और दूसरी ओर था चोरकी भांति छिपकर काम करनेकी शर्म। मैं नहीं कह सकता कि इसमें किसकी प्रधानता थी। हम लोग नदी किनारे एकांतकी खोजमें चले। दूर जाकर ऐसा कोना तलाश किया जहां कोई सहसा देख न सके, और वहां मैंने पहले-पहल मांस देखा। साथ भटियारेके यहां की डबलरोटी थी। दोमेंसे एक भी चीज न भाई। मांस चमड़े-सा लग रहा था। खाना असंभव हो गया, मुझे कै आने लगी। खाना बीचमें ही छोड़ देना पड़ा।

मेरी वह रात बड़ी कठिनाईसे कटी। नींद किसी तरह न आती थी। सपनेमें ऐसा मालूम होता था मानो बकरा मेरे शरीरके भीतर ज़िंदा है और मैं...मैं...करता है। मैं चौंक-चौंक उठता, पछताता, पर फिर सोचता कि मांसाहारके बिना तो गति ही नहीं;

यों हिम्मत नहीं हारनी है । मांसाहार एक कर्तव्य है और मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए ।

५

आंखें खुलीं

मेरे मित्र हार मानने वाले न थे । उन्होंने अब मांसको भांति-भांतिसे पकाकर रुचिकर बनाना तथा सजाकर रखना शुरू किया । नदी किनारेके बजाय किसी बावरचीसे सांठ-गांठ करके गुप्त रूपसे राज्यके एक भवनमें लेजानेका प्रबन्ध किया । वहांके भोजन-भवन तथा मेज-कुर्सीके ठाठ-बाटने मुझे लुभा लिया ।

इसका ठीक असर पड़ा । रोटीसे जो नफरत थी, ढीली पड़ गई । बकरेपरकी दया गायब हो गई और मांसका तो नहीं, पर मांसवाले पदार्थोंका जीभको चस्का लग गया यों एक साल बीता होगा, और इतने समयमें पांच-छः बार मांसाहारका मौका मिला होगा; क्योंकि बार-बार दरबार-भवनका प्रबन्ध होना कठिन था और न सदा मांसके स्वादिष्ट उत्तम पदार्थ तैयार हो सकते थे । इसके सिवा ऐसे भोजनोंपर खर्च खासा बैठता था । मेरे पास तो कानी कौड़ी भी न थी । मैं देता क्या ? इस खर्चका इंतजाम तो उस मित्रके ही जिम्मे होता था । मुझे आज तक पता नहीं कि उसने क्या इंतजाम किया था । उसका इरादा तो था मुझे मांसकी चाट लगा देना, मुझे फंसा देना । इसलिए खर्च का भार भी वह खुद उठाता था; पर उसके पास कोई कारूंका खजाना तो था ही नहीं । इस कारण ऐसे खाने तो कभी-कभी ही संभव थे ।

जब-जब ऐसे खानोंमें मैं शरीक होता तब-तब घर खाना न खाया जाता। जब मां खाने का बुलाती तो बहाना बनाना पड़ता— आज भूख नहीं है। खाना पचा नहीं। हर बहानेके वक्त मेरे दिलको चोट लगती। यह झूठ और सां भी मांके सामने। फिर यदि मां-बाप जान जायं कि लड़का मांसाहारी हो गया है, तब तो उनपर वज्रपात हो जायगा। ये विचार मेरे हृदयको कुतर रहे थे। इस कारण मैंने निश्चय किया कि यद्यपि मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार हिंदुस्तानमें करके भोजन-सुधार करना है; पर माता-पिता से झूठ-कपट, मांसाहारसे भी बदतर है। अतः माता-पिताके जीते-जी मांस न खाऊंगा, और तब तकके लिए मांसाहार मुलतवी। यह निश्चय मैंने अपने मित्रको सुना दिया, और तबसे मांसाहार छूटा-सो-छूटा ही। माता-पिताने कभी न जाना कि उनके दो पुत्र मांसाहार कर चुके हैं।

माता-पितासे झूठ-कपट न करके शुभ विचार से मैंने मांसाहार तो छोड़ा; परन्तु उन मित्रकी मित्रता न छोड़ी। मैं दूसरोंको सुधारने चला था और स्वयं ही गडढे में गिर गया और इस पतनका मुझे भास तक न रहा।

उसीकी साहचर्यके कारण मैं व्यभिचारमें फंस गया होता। एक बार यह मित्र मुझे चकलेमें ले गये। मैं मकान में घुसा तो बहुर; पर जिसे भगवान् बचाता है वह गिरना चाहते हुए भी पवित्र बना रह सकता है। मगर मेरी आंखें इतनेसे भी न खुलीं। मुझे अबतक इस बातका भान ही न हुआ कि इस मित्र-

की मित्रता अनिष्ट है। अभी और कटु अनुभव होना बाकी थे। यह तो मुझे तभी मालूम हुआ, जब मैंने उसमें वह प्रत्यक्ष दोष देखे, जिनसे मैं उसे अलिप्त मानता था।

इसी समयकी एक बात कह देना जरूरी जान पड़ता है। हम दंपतिके बीच होनेवाले भेद और कलहका कारण यह मित्रता भी थी। मैं जितना प्रेमी पति था उतना ही वहमी भी। मेरा वहम बढ़ानेवाली यह मित्रता थी; क्योंकि मित्र की सचाई पर मुझे खरा भी अविश्वास न था। इस मित्र की बातें मानकर मैंने अपनी धर्मपत्नीको कितने ही कष्ट दिये। उस हिंसाके लिए मैंने कभी अपने को क्षमा नहीं किया। हिन्दू स्त्री ही ऐसे दुःखोंको सहन कर सकती है, और इसीलिये मैंने स्त्रीको सदा सहन-शीलता की मूर्ति माना है। नौकरपर यदि भूठा शक किया जाय तो वह नौकरी छोड़ जाता है, पुत्र पर किया जाय तो वह बापका घर छोड़कर चला जाता है, मित्रों में परस्पर संदेह उत्पन्न होनेपर मित्रता टूट जाती है, पत्नीको यदि पतिपर शक हो तो उसे मन मसोसकर बैठ रहना पड़ता है; पर यदि पतिका पत्नीपर संदेह हो जाय तो बेचारी के भाग्य ही फूटे समझने चाहिए। वह कहाँ जाय ? उच्च माने जानेवाले वर्णकी हिन्दू स्त्री अदालत में जाकर तलाक नहीं दे सकती। उसके लिए एक-तरफा न्याय रखा गया है। मेरा यह सलूक ऐसा था कि इसका दुःख मैं कभी नहीं भूल सकता।

इस संदेहका सर्वथा नाश तो तभी हुआ, जब मुझे अहिंसा-

का सूक्ष्म ज्ञान हुआ या कहिये तब, जब मैंने ब्रह्मचर्यकी महिमा समझी और समझा कि पत्नी पतिकी दासी नहीं बल्कि सहधर्मिणी है; दोनों एक-दूसरेके सुख-दुःखके समान भागीदार हैं और जितनी स्वतंत्रता पतिको बुरा-भला करनेकी है, उतनी ही पत्नीको भी है। इस संदेह-कालकी जब मुझे याद आती है तब मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध-निर्दयतापर क्रोध और मित्र-विषयक अपनी अंधतापर दया उपजती है।

६

चोरी और प्रायश्चित्त

मांसाहारके समयके और उसके पहलेके अपने कुछ दूषणोंका वर्णन करना अभी बाकी है। वे या तो विवाहके पहले के हैं या कुछ ही बाद के हैं।

अपने एक रिश्तेदारकी सोहबतमें मुझे सिगरेट पीनेका शौक हुआ। जैसे तो हमारे पास थे नहीं। सिगरेट पीनेके किसी फायदे या उसकी गंधके मजेसे तो हम दोनोंमेंसे कोई भी परिचित नहीं था, पर धुआं उड़ानेमें ही कुछ मजा आता था। मेरे चाचाजीको सिगरेट की आदत थी, और उन्हें तथा औरोंको धुआं उड़ते हुए देखकर हमें भी 'फूंक लेने' का शौक हुआ। जैसे पास न होनेके कारण हमने चाचाजीकी सिगरेटोंके बचे, फेंके हिस्सोंको चुराना शुरू किया।

परन्तु ये छुकाड़े कुछ हमेशा नहीं मिल पाते थे, और उसमेंसे ज्यादा धुआं भी नहीं निकल सकता था। इसलिये नौकरोंकी जेबों

में पड़े दो-चार पैसोंमेंसे हम बीच-बीचमें एकाध चुराने लगे और उससे सिगरेट पीने लगे, पर छिपाकर रखनेकी समस्या सामने आई। इतना ख्याल था कि बूढ़ों के सामने सिगरेट पीना संभव नहीं है। ज्यों-त्यों दो-चार पाई-पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक पौधा (उसका नाम भूल गया) होता है जिसका डंठल सिगरेटकी तरह जलता है, और वह पिया जा सकता है। हमने वह लाकर धुआँ उड़ाना शुरू किया।

पर हमें संतोष न हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। यह बड़ा कष्टदायक जान पड़ा कि बड़ोंकी आज्ञाके बिना कुछभी न होसके। हम बहुत परेशान होगए और अंतको आत्म-हत्या करनेका निश्चय किया।

परन्तु आत्म-हत्या कैसे करें ? जहर कहाँसे लावें। हमने सुना कि घतूरे के बीज से मृत्यु होती है। जंगलमें घूम-फिरकर बीज लाये। खाने का समय शामको रखा। केदारजीके मन्दिरकी दीपमालामें घी चढ़ाया, दर्शन किये और फिर एकांत में चले गये; पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। 'तत्काल मृत्यु न हो तो ? मरनेसे लाभ क्या होगा ? पराधीनता में ही क्यों न पड़े रहें ?' ये विचार मनमें आने लगे। फिर भी दो-चार बीज खा ही डाले; पर ज्यादा खाने की हिम्मत न हुई, दोनों मौतसे डर गये। निश्चय किया कि चलकर रामजी के मंदिरमें दर्शन करें और शांति से बैठें एवं आत्म-हत्या की बात मनसे भुला दें।

तब मैंने समझ लिया कि आत्म-हत्याका विचार करना सरल

है; पर आत्म-हत्या करना नहीं। इससे जब कोई आत्म-हत्या करने की धमकी देता है, तब मुझपर उसका बहुत कम असर होता है, या यह भी कह सकता हूँ कि बिलकुल नहीं होता।

आत्म-हत्या के निश्चयका एक परिणाम यह हुआ कि हमारी जूठी सिगरेट पीनेकी, नौकरोंके पैसे चुरानेकी और उससे सिगरेट खरीदकर पीनेकी आदत ही जाती रही। बड़ा होनेपर मुझे कभी सिगरेट पीनेकी इच्छा तक नहीं हुई, और मैं सदा इस आदतको जंगली, हानिकारक और गंदी मानता आया हूँ। अब तक मैं यह समझ ही न पाया कि सिगरेट-बीड़ीका इतना जबरदस्त शौक दुनियामें क्यों है? रेलके जिस डिब्बेमें बीड़ी-सिगरेटका धुआं उड़ता है वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता है और उसके धुएंसे मेरा दम घुटने लगता है।

सिगरेटके टुकड़े और उसके लिए नौकरोंके पैसे चुरानेके अपराधके सिवा अन्य एक चोरीका जो अपराध मुझसे बन पड़ा, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। सिगरेटके अपराधके दिनों तो मेरी उम्र १२-१३ वर्ष की होगी, शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरीके समय १५ सालकी रही होगी। यह चोरी थी मेरे मांसाहारी भाईके सोनेके कड़ेके टुकड़े चुरानेकी। उन्होंने २५) रु० के लगभग कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकानेके चक्करमें थे। मेरे भाईके हाथमें सोनेका एक ठोस कड़ा था। उसमेंसे तोला-भर काट लेना कठिन न था।

कड़ा कटा और कर्ज निपट गया; पर मेरे लिए यह बात

असह्य हो गई। आगेसे चोरी न करनेका मैंने निश्चय किया। यह भी सोचा कि पिताजीके सामने इसे कबूलना चाहिए, पर जवान खुलनी कठिन थी। यह डर तो नहीं था कि पिताजी मुझे पीटेंगे। क्योंकि नहीं याद पड़ता कि उन्होंने हम भाइयोंमेंसे किसीको कभी पीटा हो; पर यह डर जरूर था कि वह खुद बड़े दुःखी होंगे और शायद अपना सिर भी धुन डालेंगे! पर सोचा कि यह खतरा उठाकर भी अपना दोष स्वीकार करना ही उचित है। ऐसा लगा कि इसके बिना शुद्धि नहीं होगी।

अन्तमें मैंने पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगनेका निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथसे उन्हें दिया। पत्रमें सब दोष स्वीकार किया था और दंड मांगा था। विनयकी कि मेरे अपराधके लिए अपनेको कष्टमें न डालें और प्रतिज्ञा की थी कि भविष्यमें ऐसा अपराध फिर न करूंगा।

मैंने कांपते-हाथों यह पत्र पिताजीके हाथमें दिया। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। इन दिनों उन्हें भगंदर रोग उभरा हुआ था, इसलिए वह बिस्तरे पर ही पड़े रहते थे। खाटके बदले तख्त काममें लाते थे।

उन्होंने पत्र पढ़ा। आंखोंसे मोतीकी बूंदें टपकीं, पत्र भीग गया। तनिक देरके लिए उन्होंने आंखें मूंदी और पत्र फाड़ डाला; और पत्र पढ़नेको बैठे हुए थे सो फिर लेट गये।

मैं भी रोया। पिताजीकी पीड़ाका मैंने अनुभव किया। यदि मैं चितेरा होता तो आज भी वह चित्र हूबहू खींचकर रख देता।

मेरी आंखों के सामने आज भी वह दृश्य नाच रहा है ।

इस मुक्ता-बिन्दुओंके प्रेम-बाणने मुझे बंध दिया । मैं शुद्ध हो गया । इस प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका अनुभव हुआ है ।

राम-बाण वाग्यां रे होय ते जाणे

मेरे लिए यह अहिंसाका पदार्थ-पाठ था । उस समय तो मुझे इसमें पितृ-प्रेमका ही अनुभव हुआ था; पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसाका नाम दे सकता हूं । ऐसी अहिंसाके व्यापक रूप धारण करने पर उससे कौन अछूता रह सकता है । ऐसी व्यापक अहिंसाकी शक्तिका अनुमान करना शक्तिसे परे है ।

ऐसी शांतिमय क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी । मैंने सोचा था कि वह गुस्सा होंगे, फटकारेंगे, शायद अपना सिर भी धुन लें; पर उन्होंने तो असीम शांतिका परिचय दिया । मैं समझता हूं कि वह दोषकी शुद्ध हृदयसे की गई स्वीकृतिका परिणाम था । जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदयसे कह देता है और फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानों शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है । मैं जानता हूं कि मेरे इस इकरारसे पिताजी मेरे संबंध में निर्भय हो गये और उनका प्रेम मेरे प्रति और भी बढ़ गया ।

७

“ धर्मकी भूलक

राजकोटमें मुझे सब सम्प्रदायोंके प्रति समानभाव रखनेकी

शिक्षा अनायास मिली । मैंने हिन्दू-धर्मके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति आदर-भाव रखनेकी तालीम पाई । क्योंकि माता-पिता वैष्णव-मंदिर जाते, शिवालय जाते तथा राम-मंदिर भी जाते और हम भाइयोंको भी ले जाते अथवा भेज देते थे ।

इसके सिवा पिताजीके पास जैन-धर्माचार्योंमेंसे कोई-न-कोई सदैव आते रहते । पिताजी भिक्षा देकर उनका आदर-सत्कार भी करते । वे पिताजीके साथ धर्म तथा व्यवहार-चर्चा किया करते । इसके सिवा पिताजीके मुसलमान तथा पारसी मित्र भी थे । बहुत बार ये अपने-अपने धर्मकी बात सुनाया करते और पिताजी आदर व प्रेमके साथ उनकी बातें सुनते । ऐसी चर्चाके समय मैं उनका शुश्रूषक होनेके कारण प्रायः ही उपस्थित रहता था । इस सारे वातावरणके प्रभावसे मेरे मनमें सब धर्मोंके प्रति समभाव पैदा हुआ ।

इस प्रकार मेरे मनमें अन्य धर्मोंके प्रति समभाव आया पर यह नहीं कह सकते कि उस समय ईश्वरके प्रति मेरे मनमें कुछ आस्था थी; पर एक बातने मेरे मनमें जड़ जमा ली । वह यह कि संसार नीति पर स्थिर है, नीति-मात्रका समावेश सत्यमें है । पर सत्यकी खोज अभी बाकी है । दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिके सामने बढ़ती गई, सत्यकी व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है ।

उस समय नीति-विषयक एक छापयने मेरे हृदयमें घर कर कर लिया । अपकारका बदला अपकार नहीं, वरन् उपकार ही होना

चाहिए, यह वस्तु जीवन-सूत्र बन गई। उसने मेरे मन पर अपनी सत्ता चलानी शुरू कर दी। अपकारीका भला चाहना और करना इसका मैं अनुरागी बन गया। उसके अगणित प्रयोग किये। वह चमत्कारी छप्पय यह है—

पाणी आपने पाय, भल्लुं भोजन तो दीजे;
 आवी नमावे शीश, दंडवत कोडे कीजे।
 आपण घासे दाम, काम महोरेनुं करीए;
 आप उगारे प्राण, ते तणा दुःखमां मरीए।
 गुण केडे तो गुण दशगणो, मन वाचा कर्म करी;
 अवगुण केडे जे गुण करे, ते जगमां जीत्यो सही।
 (जो हमको जलपान करावे, उसको भोजन दीजे;
 अपनेको जो शीश नवावे, उसे दंडवत कीजे।
 पैसे जो दे हमें उसे मोहर दे देना;
 और बचावे प्राण दुःख में उसके मरना।
 गुणके बदले दस गुना, जो मन वाचा कर्मसे;
 अवगुण करते गुण करे, जग जीता इस धर्मसे।)

८

तीन प्रतिज्ञाएं

मैंने १८८७ ईसवीमें मैट्रिककी परीक्षा पास की। उस समय बम्बई और अहमदाबाद दो परीक्षा-केन्द्र थे। जैसी देशकी, वैसे ही हमारे कुटुम्बकी गरीबीका यह हाल था कि मेरी स्थितिके काठियावाड़ीको नजदीकी और सस्ते अहमदाबादको पसन्द करना स्वाभा-

विक था। राजकोटसे अहमदाबाद मैंने यह पहली बार यात्रा की।

बड़ोंकी यह इच्छा थी कि पास होनेपर कालेजमें आगे पढ़ूं। कालेज बम्बईमें भी था और भावनगर में भी; लेकिन कमखर्ची के ख्यालसे भावनगरके शामलदास कालेजमें पढ़नेका निश्चय हुआ। वहां सब कुछ मुझे मुश्किल लगने लगा। अध्यापकोंके व्याख्यानोंमें मुझे रस न आता, न वे समझमें ही आते। उसमें अध्यापकोंका दोष न था बल्कि मेरी पढ़ाई ही कच्ची थी। उस समयके शामलदास कालेजके अध्यापक तो प्रथम श्रेणीके समझे जाते थे। पहला टर्म (सूत्र) पूरा करके घर आया।

हमारे कुटुम्बके पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान् व्यवहार-कुशल ब्राह्मण—मावजी दवे थे। उन्होंने हमें सलाह दी—“अब समय बदल गया है। तुम भाइयोंमें से यदि कोई कबा गांधीकी गद्दी लेना चाहे तो वह बिना पढ़ाईके सम्भव नहीं है। मेरी राय है कि ‘मोहनदासको आप इसी साल विलायत भेज दें। वहां तीन साल रहकर बैरिस्टर बन जायगा।” और फिर मेरी ओर देखकर पूछा—

‘क्या तुम्हें विलायत जाना पसंद है या यहीं पढ़ते रहना?’

‘जो भावे वही बैद बतावे।’ मैं कालेजकी कठिनाइयोंसे यों ही तंग आगया था। मैंने कहा—“विलायत भेजें तो बहुत ही अच्छा।” पर बड़े भाई उलझनमें पड़े। पैसोंका क्या प्रबन्ध हो? फिर इस उम्रमें इतनी दूर कैसे भेज दें?

माताजीको कुछ सूझ न पड़ा। दूर भेजनेकी बात ही उन्हें

नहीं रुची। उन्होंने विलायत-जीवनके संबंधमें पूछ-ताछ शुरू की। कोई कहता था, नवयुवक विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं। कोई कहता था, मांस खाते हैं। कोई कहता, वहाँ शराबके बिना काम ही नहीं चलता। माताने यह सब मुझे सुनाया। मैंने समझाया कि “तुम मुझपर विश्वास रखो, मैं विश्वास-घात नहीं करूँगा। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि ‘मैं इन तीनोंसे बचूँगा। और अगर ऐसी जोखिम होती तो जोशीजी क्यों जानेकी सलाह देते ?”

मां बोली—“मुझे तो विश्वास है, पर दूर देशमें तेरा कैसे क्या होगा ? मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचरजी स्वामी से पूछूँगी।

बेचरजी स्वामी मोढ़ बनिये थे, जो जैन साधु होगये थे। जोशीजीकी तरह वह हमारे सलाहकार भी थे। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा—“मैं इससे तीन चीजोंके बारेमें प्रतिज्ञा कर लूँगा। फिर उसे जाने देनेमें कोई हर्ज नहीं।” तदनुसार मैंने मांस, मदिरा और स्त्रीसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा की। तब माताने जानेकी आज्ञा दे दी।

मेरे विलायत जानेके उपलक्षमें हाईस्कूलमें विद्यार्थियोंकी सभा हुई। राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको आश्चर्य होरहा था। जवाबमें कुछ लिखकर ले गया था। पर मैं उसे मुश्किलसे पढ़ सका। इतना मुझे याद है कि मिर चकरा रहा था. बदन कांप रहा था।

पहला अनुभव

१४ सितम्बर सन् १८८८ को बम्बई बंदर छोड़ा। जहाजमें मुझे सामुद्रिक कष्ट तो कुछ भी न उठाना पड़ा। पर ज्यों-ज्यों दिन जाते, मैं परेशान हो रहा था। स्टुअर्ट (जहाजके भोजन परिचारक) के साथ बोलते हुए भ्रंपता, क्योंकि अंग्रेजी में बातचीत करने की आदत न थी। मेरे एक साथी मजूमदारको छोड़कर, जो राजकोटके वकील थे और बैरिस्टर होने विलायत जा रहे थे, बाकी सब यात्री अंग्रेज थे। उनके सामने बोलते न बनता था। वे मुझसे बोलनेकी चेष्टा करते तो उनकी बात मेरी समझ में न आती और यदि समझ भी लेता तो जवाब देना नहीं सूझता। हर वाक्य बोलनेके पहले मनमें जमाना पड़ता था। छुरी-कांटेसे खाना न आता था और यह पूछनेका साहसभी न होता कि इसमें बिना मांसकी चीजें क्या-क्या हैं? इस कारण मैं भोजनकी मेज पर तो कभी गया ही नहीं। कैबिन—कोठरी—में ही खा लेता था। अपने साथ जो मिठाइयां वगैरह ले गया था, उन्हींपर गुजर किया। मजूमदारको तो कोई भिन्नक न थी। वह सबके साथ हिल-मिल गये। डेकपर भी जहां जी चाहे घूमते-फिरते। मैं तो दिन-भर कैबिनमें पड़ा रहता। डेकपर जब लोगोंकी भीड़ कम देखता, तब थोड़ी देरके लिए जाकर वहां बैठ जाता। मजूमदार मुझे समझाते कि सबके साथ मिला-जुला करो; और कहते कि वकीलको तो बातूनी होना चाहिए। वकीलकी हैसियतसे वह अपना अनुभव भी सुनाते।

कहते कि “अंग्रेजी हमारी मातृ-भाषा नहीं है। इसलिये बोलने में भूलें होंगी ही, इसलिए बोलनेमें सकुचाना नहीं चाहिए।” परन्तु मैं अपनी भीरुता नहीं छोड़ पाता था।

मुझपर तरस खाकर एक भले अंग्रेजने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहां जा रहा हूँ, क्यों किसी-के साथ बातचीत नहीं करता, इत्यादि सवाल पूछे। मुझे खानेमें साथ आनेको कहा। मांस न खानेके मेरे आग्रहकी बात सुनकर वह हंसे और मुझपर रहम खाकर बोले—“यहां तो (पोर्ट्सईद पहुंचनेके पहले) सब ठीक ठाक हैं; परन्तु बिस्केकी खाड़ीमें पहुंचनेपर तुम्हें अपने विचार बदलने पड़ेंगे। इंग्लैंडमें तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांसके बिना काम चल ही नहीं सकता।”

मैंने कहा -“मैंने तो सुना है कि वहां लोग बिना मांसाहारके रह सकते हैं।”

वह बोले “यह भ्रूठ है। जान-पहचानवालोंमें कोई निरामिषभोजी नहीं है। मैं शराब पीनेके लिये तुमसे नहीं कहता, पर मैं समझता हूँ मांस तो तुम्हें अवश्य खाना चाहिये।”

मैंने कहा -आपकी सलाहके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मांसाहार न करनेकी अपनी मातासे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यदि उसके बिना निर्वाह हो ही न सका तो मैं वापिस हिन्दुस्तान लौट जाऊंगा, पर मांस तो हरगिज नहीं खाऊंगा।”

बिस्केकी खाड़ी आई। वहाँ भी मुझे न तो मांसकी आवश्यकता मालूम हुई, न मदिराकी ही।

दुःख-सुख सहते यात्रा पूरी करके साउदेम्पटन बंदरपर आ पहुँचे। मुझे याद पड़ता है उस दिन शनिवार था। मैं जहाजपर काले कपड़े पहनता था। मित्रोंने मेरे लिए सफेद फलालैनका सूट भी बनवा दिया था। विलायतमें उतरने पर उसे पहननेका निश्चय किया—यह समझकर कि सफेद कपड़े ज्यादा अच्छे लगेंगे, यह सूट पहनकर मैं जहाजसे उतरा। सितम्बरके अन्तिम दिन थे। ऐसे कपड़ोंमें मैंने अकेले अपनेको ही वहाँ पाया। मेरे सन्दूक और चनकी कुंजियां फ्रिडले कम्पनीका एजेंट ले गया था। जैसा और लोग करते हैं वैसा मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने अपनी तालियां भी उन्हें दे दी थीं—!

मेरे पास चार परिचय-पत्र थे—एक डाक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दूसरा दलपतराम शुक्लके नाम, तीसरा प्रिंस रणजीतसिंह-जीके नाम और चौथा दादाभाई नौरोजीके नाम। किसीने सलाह दी थी कि ब्रिक्टोरिया होटलमें ठहरना ठीक होगा। इसलिए मजूमदार और मैं वहाँ गये। मैं तो अपनी सफेद कपड़ोंकी शर्मसे ही दबा जा रहा था। फिर होटलमें जाकर खबर लगी कि कल रविवार होनेके कारण सोमवार तक फ्रिडलेके यहांसे सामान नहीं आवेगा। इससे मैं बड़ी परेशानीमें पड़ गया।

मैंने साउदेम्पटनसे ही डाक्टर मेहताको तार दे दिया था। वह सात-आठ बजे आये। उन्होंने प्रेम-पूर्ण विनोद किया। बातों-बातोंमें मैंने अनजाने उनकी रेशमी रोयेंदार टोपी देखने के लिए उठा ली और उसपर उल्टा हाथ फेरने लगा। टोपी के रोयें साधे

होगये। डाक्टर मेहताने देखा। तुरन्त ही मुझे रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकनेका इतना ही नतीजा हुआ कि भविष्यमें ऐसा अपराध न हो।

यहींसे यूरोपियन रीति-रिवाजकी शिक्षाका श्रीगणेश हुआ। डाक्टर मेहता हंस-हंसकर बहुतेरी बातें समझाते जाते थे। “किसी की चीज नहीं छूनी चाहिए, किसीसे जान-पहचान होते ही जो बातें हिंदुस्तानमें सहज ही पूछी जा सकती हैं, वे यहाँ नहीं पूछनी चाहिए। बातें करते हुए जोरसे नहीं बोला जाता। हिन्दुस्तानमें साहबोंके साथ बातें करते हुए ‘सर’ कहनेका जो रिवाज है, वह अनावश्यक है। यहाँ ‘सर’ तो नौकर अपने मालिकको अथवा अपने अफसरको कहता है।” फिर उन्होंने होटलमें रहनेके खर्च पर भी बातें की और बताया कि किसी कुटुम्बके साथ रहना ठीक होगा। इस सम्बन्धमें अधिक विचार सोमवार तकके लिये स्थगित रहा।

होटल तो हम दोनोंको ‘सांसत-घर’-सा लगा। यह होटल था भी महंगा। माल्टासे एक सिंधी सज्जन सवार हुए थे। उनसे मजूमदारकी अच्छी पट गई थी। यह सिंधी यात्री लंदनके अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए किरायेपर दो कमरे ले लेने का भार उठाया। हमने स्वीकृति दी और सोमवारको सामान मिलते ही होटलका बिल चुकाकर उन कमरोंमें चले गये। मुझे याद है कि होटलका बिल लगभग ३ पौंड मेरे हिस्सेमें आया था। मैं तो भौंचक्का रह गया। तीन पौंड देकर भी भूखा ही रहा। वहाँका

कोई खाना न रुचा । एक चीज ली , नहीं रुची, दूसरी ली । पर पैसे तो दोनोंके ही चुकाने पड़े । मैं अभी तक प्रायः बम्बईसे लाये अपने खानेके सामानपर ही दिन काट रहा था ।

उस कमरेमें भी मैं बड़ा परेशानहाल रहा । देश बहुत याद आता था । माताका प्रेम आंखोंके सामने नाचता था । रात होते ही रोना शुरू होता । घरकी अनेक प्रकारकी बातें याद आतीं । उनमें नींद भला कहाँ आ पाती ? अपनी यह दुःख-गाथा किसीसे कह भी तो नहीं सकता था । कहनेसे लाभ भी क्या था ? मैं खुद न जानता था कि मुझे काहेसे संतोष मिलेगा । लोग निराले, रहन-सहन निराली, मकान भी निराले, और घरोंमें रहनेका तौर-तरीका भी निराला । फिर यह भी अच्छी तरह नहीं मालूम कि क्या बोलनेसे अथवा क्या करनेसे यहांके शिष्टाचारका भंग होता है । इसके अलावा खान-पानके परहेज अलग और जिन चीजोंको मैं खा सकता था, वे रूखी-सूखी मालूम होती थीं । इस कारण मेरी हालत सांप-छछूंदर-जैसी हो गई । इधर विलायतमें अच्छा नहीं लगता था, उधर देश भी वापस नहीं लौट सकता था । विलायत आया तो था तीन साल बितानेका इरादा रखकर ही ।

१०

प्रतिज्ञाने रक्षा की

डाक्टर मेहता सोमवारको विक्टोरिया होटलमें मुझसे मिलने गये । वहां उन्हें हमारे नये मकानका पता लगा । वह वहां आये ।

हमारा कमरा आदि देखा और गर्दन हिलाई—“यह जगह कामकी नहीं। इस देशमें आकर महज पुस्तकें पढ़नेकी अपेक्षा यहांका अनुभव प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए किसी कुटुम्बमें रहनेकी जरूरत है, पर फिलहाल कुछ बातें सीखनेके लिए बतौर उम्मीदवारके... यहाँ रहनेकी बात मैंने ठीक की है। मैं तुम्हें उनके यहां ले चलूंगा।”

मैंने सधन्यवाद उनकी बात मान ली और डाक्टर मेहताके साथ उन मित्रके यहां गया। उन्होंने मेरी खातिर-तवाक़्तमें किसी बातकी कसर न रखी। मुझे भाईकी तरह रखा, अंग्रेजी रीति-रिवाज सिखाये। अंग्रेजीमें बातचीत करनेकी आदत भी उन्होंने ही डलवाई।

परन्तु मेरे भोजनका सवाल बड़ा विकट हो गया। बिना नमक, मिर्च और मसालेके साग भाता नहीं था। मालाकिन बेचारी मेरे लिये पकाती भी क्या? सवेरे जईका दलिया बनाती, उससे तो मेरा पेट भर जाता; पर दोपहरको और शामको हमेशा भूखा रहता। मित्र मांसाहार करनेको रोज समझाते। मैं प्रतिज्ञाकी बाधा बताकर चुप हो रहता। वह रोज दलीलें दिया करते। सौ दुःखोंको हरने वाली एक दवा ‘नाहीं’ मेरे पास थी। मित्र ज्यों-ज्यों मुझे समझाते त्यों-त्यों मेरी दृढ़ता बढ़ती जाती। रोज मैं ईश्वरसे रक्षाकी प्रार्थना करता और रोज वह पूरी होती। मैं यह तो नहीं जानता था कि ईश्वर क्या चीज है, पर श्रद्धा अपना काम कर रही थी।

एक दिन उन मित्रोंने मेरे सामने बेंथमकी पुस्तक पढ़नी शुरू की। उपयोगितावादका विषय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी। मैं बड़ी कठिनतासे समझता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया—“क्षमा चाहता हूँ। मैं इतनी बातें नहीं समझ सकता। मैं मांस खानेकी उपयोगिता स्वीकार करता हूँ। परन्तु प्रतिज्ञाके बंधनको मैं नहीं तोड़ सकता। इसके संबंधमें वाद-विवाद भी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि तर्कमें मैं आपसे नहीं जीत सकता। पर मुझे मूर्ख समझकर, या हठी समझकर ही इस बारेमें क्षमा कीजिये। आपके प्रेमका मैं कायल हूँ। आपका उद्देश्य समझता हूँ और आपको मैं अपना परम हितेच्छु मानता हूँ। यह भी देखता हूँ कि आपको मेरी हालतपर दुःख होता है, पर मैं विवश हूँ। प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती।”

मित्र देखते रह गये। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। “बस, अब मैं दलील नहीं करूंगा”—कहकर चुप रहे। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया।

पर मेरे विषयमें उनकी चिंता दूर न हुई। वह सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, पर इनमेंसे एकके लिए भी मुझे नहीं कहा। बलते उसे न करनेकी हिदायत दी। पर उनकी सारी चिंता यह थी कि मांसाहारके बिना मैं कमजोर हो जाऊंगा और इंगलैंडमें आज्ञादीसे न रह सकूंगा।

यों महीना-भर मैं नौसिखिया बनकर रहा। •

सभ्य बननेके प्रयत्नमें

अबतक मेरे विषयमें मित्रकी चिंता दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेमवश यह मान लिया था कि मांसाहार न करनेसे मैं कमजोर हो जाऊंगा, इतना ही नहीं बल्कि 'भोंदू' रह जाऊंगा। क्योंकि मांसाहार न करनेसे अंग्रेज-समाजमें मिल-जुल न सकूंगा। मेरे अन्नाहार-संबंधी पुस्तकें पढ़नेका उनको पता था। उन्हें शंका हुई कि इन विषयोंको पढ़कर मैं सन्नक जाऊंगा और प्रयोगोंमें मेरा जन्म व्यर्थ जायगा। कर्तव्य-च्युत हो जाऊंगा और एक पढ़ा-लिखा मूर्ख ही रहूंगा।

पर अब मेरे मनमें यह आया कि मुझे उनकी परेशानी दूर कर देनी चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं अपनेको जंगली न कहलाने दूंगा, सभ्योंके लक्षण सीखूंगा और दूसरी तरहसे समाजमें सम्मिलित होनेके योग्य बनकर अपनी अन्नाहारकी विचित्रता-पर पर्दा डालूंगा। इसलिए अब मैंने अंग्रेजी 'सभ्यता' सीखनेका मार्ग पकड़ा।

मेरे कपड़े थे तो विलायती; परंतु बम्बई-काटके थे। वे उच्च अंग्रेजसमाजमें न फव्वेंगे, इस विचारसे 'आर्मी और नेवी' स्टोरमें दूसरे कपड़े बनवाये। उन्नीस शिलिंग की 'चिम' की हैट (टोपी) इसमें भी संतोष न हुआ तो बांड स्ट्रटमें, जहां शौकीन लोगोंके कपड़े सिलते थे, दस पौंडको दियासलाई दिखाकर शामको पहनने-

के कपड़े बनवाये । सीधे और शाहदिल बड़े भाईसे खासतौरपर दोनों जेबोंमें लटकाई जानेवाली असली सोनेकी चैन मंगवाई और वह आई भी । तैयार बंधी टाई पहननेका रिवाज न था । इसलिए टाई बांधनेकी कला सीखी । देशमें तो आइना सिर्फ हजामतके दिन ही देखनेका काम पड़ता था; पर यहां तो बड़े आइनेके सामने खड़े रह कर टाई ठीक-ठीक बांधनेमें और बालकी ठीक पटिया पारने और मांग काढ़नेमें दसैक मिनट बरबाद होते । फिर मेरे बाल मुलायम न थे । उन्हें ठीक-ठीक संवारे रखनेके लिए ब्रुशके साथ नित्य लड़ाई होती, और टोपी पहनते और उतारते समय हाथ तो मानो मांग संवारनेके लिए सिरपर पहुंचते ही रहते । इसके सिवा जब कभी सभ्य समाजमें बैठता तो मांगपर हाथ फेरकर बालोंको दुरुस्त रखनेकी सभ्य क्रिया होती रहती थी ।

परंतु इतनी टीप-टाप ही बस न थी । अकेली सभ्य पोशाकसे थोड़े ही कोई सभ्य हो जाता है ? इसलिए सभ्यताकी और भी कितनी ही ऊपरी बातें मालूम कर ली थीं । अब उनमें कुछ प्रवीणता प्राप्त करनी थी, सभ्य पुरुषको नाचना जानना चाहिए, फ्रेंच भाषा अच्छी आनी चाहिए; क्योंकि फ्रेंच एक तो इंग्लैंडके पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी; दूसरे सारे यूरोपकी राष्ट्रभाषा भी थी । फिर मुझे यूरोप भ्रमण करनेकी भी इच्छा थी । इसके सिवा सभ्य पुरुषको लच्छेदार व्याख्यान देना भी आना चाहिए । मैंने नाचना सीख लेनेका निश्चय किया और क्लासमें भरती हुआ । एक तिमाहीके तीनेक पौंड फीसके दिये । कोई तीन सप्ताहमें पांच-छः

पाठ पढ़े होंगे; ठीक तालपर पांच नहीं पड़ते थे। पियानो बजता था, पर यह न जान पड़ता था कि यह क्या कह रहा है। 'एक, दो, तीन' का क्रम चलता, पर इनके बीचका अंतर तो उस बाजेसे ही मालूम होता था, जो मेरे लिए अगम्य था। तो फिर ? फिर तो बाबाजीकी बिल्लीवाली बात चूहोंको भगानेके लिए बिल्ली, और बिल्लीके लिए गाय, होते-होते बाबाजीका परिवार बढ़ा। सोचा, वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और तालका ज्ञान हो जायगा। तीन पौंड वायोलिन खरीदनेमें बिगाड़े और उसे सीखनेके लिए भी कुछ दक्षिणा दी। भाषण-कला सीखनेके लिए तीसरे उस्तादका घर खोजा। उसे भी पक गिन्नीकी भेंट तो चढ़ानी ही पड़ी। उसकी प्रेरणासे 'बेलका स्टैंडर्ड एलोक्युशनिस्ट' खरीदा। पिटके भाषणसे श्रीगणेश हुआ।

पर इन बेल साहवने मेरे कानमें 'बेल' (घंटी) बजाई। मैं जागा।

“मुझे कहां इंग्लैंडमें जिदगी बितानी है ? लच्छेदार भाषण देना सीखकर भी क्या करूंगा ? नाच-नाचकर मैं सभ्य कैसे बनूंगा ? वायोलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूं। मुझे तो विद्या-धनके संग्रहमें लगना चाहिए; मुझे अपने धंधे-से संबंध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिए। अपने सदाचारसे मैं सभ्य समझा जा सकूं तो अलवत्ता ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ देना चाहिए।”

इस धुनमें उपर्युक्त आशय का पत्र मैंने भाषण-शिक्षकको लिख भेजा। उससे मैंने दो या तीन पाठ ही लिये थे। नृत्य-शिक्षिकाको भी

वैसा ही पत्र लिख भेजा। वायोलिन-शिक्षकाके यहां वायोलिन लेकर पहुँचा और उसे कह आया कि जो दाम मिले लेकर बेचदो। उससे कुछ मित्रता-सी हो गई थी, इसलिए उससे मैंने मोहका भी जिक्र कर दिया—नाच इत्यादि जंजालसे छूट जानेकी बात उसे पसंद आई।

सभ्य बननेकी मेरी यह सनक तो कोई तीन महीने चली होगी; किंतु कपड़ोंकी तड़क-भड़क बरसों तक चलती रही। पर अब मैं विद्यार्थी बन गया था।

१२

सादगीकी ओर

कोई यह न समझे कि नाच आदिके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छंदता-के युगको सूचित करते हैं। पाठकों को ध्यानसे देखने पर उसमें कुछ विचारांश भी मिलेगा। परंतु इस मोह-काल में भी कुछ अंश तक मैं सावधान था। पाई-पाईका हिसाब रखता। खर्च-का अन्दाज निश्चित था कि महीनेमें १५ पौंडसे अधिक खर्च न हों। बसका किराया और डाक-खर्च भी हमेशा लिखता और सोनेसे पहले हमेशा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अंत तक कायम रही; और मैं समझता हूँ कि इस कारण सार्वजनिक जीवनमें मेरे हाथोंसे लाखों रुपयोंका उलट-फेर होने में किरायत-शारीसे काम ले पाया और जितने आंदोलन मेरी देख-रेखमें चले हैं; उनमें मुझे कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हरेकमें कुछ-न-कुछ बचत ही रही है।

मैंने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। हिसाबको गौरसे

देखा तो गाड़ी-भाड़ेका खर्च काफी बैठता था। फिर एक कुटुंबके साथ रहनेके कारण कुछ-न-कुछ खर्च प्रति सप्ताह लग ही जाता। इसलिए कुटुंबके साथ रहना छोड़कर अलग कमरा लेकर रहनेका निश्चय किया और यह भी तय किया कि कामके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करनेके लिए अलग-अलग मुहल्लोंमें घर लेना चाहिए। घर ऐसी जगह पसंद किया कि जहांसे कामके स्थानपर आधे घंटेमें पैदल चलकर पहुंच सकें और गाड़ी-भाड़ा बच जाय। इससे पहले जानेके लिए एक तो गाड़ी-भाड़ा खर्चना पड़ता और दूसरे घूमने जानेके लिए अलग वक्त निकालना पड़ता। अब कामपर जानेमें ही घुमाईका काम भी पूरा होने लगा। इस तजवीजकी बदौलत आठ-दस मील तो मैं सहज ही में घूम-फिर डालता। विशेषतः इसी एक आदतके कारण मैं विलायतमें शायद ही बीमार पड़ा होऊंगा, और शरीर ठीक कस गया था। कुटुंबके साथ रहना छोड़कर दो कमरे किराये पर लिये, एक सोनेके लिए और एक बैठकका। यह परिवर्तनका दूसरा दौर था। तीसरा परिवर्तन अभी आगे आनेवाला है।

इस तरह आधा खर्च बचा। पर समय? मैं जानता था कि बैरि-स्टरीकी परीक्षाके लिए बहुत पढ़नेकी जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं बेफिकर था। पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे खला करती थी। इसलिए मैंने सोचा, बैरिस्टर होनेके अतिरिक्त मुझे और अध्ययन भी करना चाहिए। आक्सफोर्ड और केम्ब्रिजके कोर्सका पता लगाया। कितने ही मित्रोंसे मिला। देखा कि वहां जानेसे खर्च बहुत पड़ेगा और पाठ्य-क्रम भी बहुत लंबा था। मैं तीन वर्षसे

ब्यादा वहां रह नहीं सकता था। एक मित्रने कहा, “यदि तुम्हें कोई कठिन ही परीक्षा देनी हो तो लंदनका मैट्रिक्युलेशन पास कर लो। उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा और सामान्य ज्ञान बढ़ जायगा, स्वर्चा बिलकुल न बढ़ेगा” यह राय मुझे पसंद आई; पर परीक्षाकी विषय-सूची देखकर मैं घबराया। उसमें लैटिन और एक दूसरी भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे होगी ? पर उस मित्रने कहा— “वकीलके लिए लैटिनका बड़ा उपयोग होता है। लैटिन जानने-वालेको कानूनी पुस्तकें समझनेमें सहूलियत होती है। फिर रोमन लॉकी परीक्षामें एक प्रश्न-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका ही होता है और लैटिन जान लेनेसे अंग्रेजी भाषापर अधिकार बढ़ता है।” मुझपर इन दलीलोंका असर हुआ। मैंने निश्चय किया और एक मैट्रिक्युलेशन क्लाससे भर्ती हुआ। परीक्षा हर छठे महीने होती। मुझे मुश्किलसे पांच महीनेका समय था। यह मेरे बूतेके बाहरका काम था; नतीजा यह हुआ कि कहां तो मैं सभ्य बनने चला था और कहां अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। टाइम-टेबुल बनाया। एक-एक मिनट बचाया। परन्तु मेरी बुद्धि और शक्ति ऐसी न थी कि दूसरे विषयोंके उपरांत लैटिन और फ्रेंचको भी संभाल सकता। इन्तहानमें बैठकर लैटिनमें फेल होगया। इससे दुःख तो हुआ, पर हिम्मत न हारा। लैटिनमें मज्जा आने लगा था। सोचा, फ्रेंच ब्यादा मजबूत हो जायगी और विज्ञानमें नया विषय ले लूंगा। रसायन-शास्त्र, जिसमें मैं देखता हूं कि खूब मन लगाना चाहिए, प्रयोगोंके अभावमें, मुझे अच्छा ही न लगा। देशमें यह विषय मेरे

पाठ्य-क्रममें रहा ही था। इसलिए लंदन-मैट्रिकके लिए भी पहली बार इसीको पसंद किया। इस बार 'प्रकाश और उष्णता' (Light and Heat) को लिया। यह विषय आसान समझा जाता था और मुझे भी आसान ही मालूम हुआ।

फिर परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें और भी सादगी लानेकी कोशिश शुरू की। मुझे लगा कि अभी मेरे जीवनमें इतनी सादगी नहीं आई है, जो कुटुंबकी गरीबीके अनुकूल हो। भाई साहबकी तंगदस्ती और उदारताका खयाल आते ही मुझे बड़ा कष्ट होता। दस-पंद्रह पौंड मासिक खर्च करनेवालोंको तो छात्र-वृत्तियां मिलती थीं। अपनेसे अधिक सादगीसे रहनेवालोंको मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे संपर्कमें आते थे। एक विद्यार्थी लंदनके गरीब मुहल्लेमें प्रति सप्ताह दो शिलिंग देकर एक कोठरीमें रहता था और लोकार्टकी सस्ती कोकोकी दूकानमें दो पेनीका कोको और रोटी खाकर गुजारा करता था। उसकी बराबरी करनेकी तो मेरी हिम्मत न हुई; पर इतना जरूर समझा कि मैं दो के बजाय एक कमरेमें ही गुजर कर सकता हूं और आधी रसोई हाथसे भी पका सकता हूं। ऐसा करनेसे ४ या ५ पौंड मासिकमें रह सकता था। सादी रहन-सहन संबंधी पुस्तकें भी पढ़ी थीं। दो कमरे छोड़कर आठ शिलिंग प्रति सप्ताहपर एक कमरा लिया। एक स्टोव खरीदा, और सबेरेका खाना हाथसे पकाने लगा। बीस मिनटसे अधिक पकानेमें नहीं लगता था। जौका दलिया और कोकोके लिए पानी उबालनेमें कितना समय लगता? दोपहरको

बाहर कहीं खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीक साथ लेता । यों एक या सवा शिलिंगमें रोज खाना-पीना सीख गया । यह मेरा समय अधिक-से-अधिक पढ़ाईका था । जीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचने लगा । दूसरी बार इम्तहानमें बैठनेपर पास हो गया ।

पाठक यह न समझें कि सादगीसे जीवनमें नीरसता आगई हो । उलटा इन परिवर्तनोंसे मेरी आंतरिक और बाहरी स्थितिमें एकता आई । कौटुंबिक स्थितिके साथ मेरे रहन-सहनका मेल सध गया । जीवन अधिक सारयुक्त होगया; आत्मिक आनंदकी सीमा न रही ।

१३

प्रलोभनसे बचा

जैसे-जैसे मैं जीवनके विषयमें गहरा विचार करता गया वैसे-वैसे बाहरी और भीतरी आचारमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता मालूम होती गई । जिस गतिसे रहन-सहनमें तथा खर्चमें परिवर्तन किया, उसी गतिसे अथवा और भी वेगसे भोजनमें फेर-फार करना आरंभ किया । अन्नाहार-विषयक अंग्रेजी पुस्तकें मैंने देखीं । विलायतमें ऐसे विचार रखनेवालोंकी एक संस्था थी । उसकी ओरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था । मैं उसका ग्राहक बना और संस्थाका सदस्य भी । थोड़े ही समयमें मैं उसकी कार्यकारिणी-कमेटी में ले लिया गया । यहां मेरा उन लोगोंसे परिचय हुआ, जो अन्नाहारियोंके स्तंभ माने जाते हैं । अब मैं अपने भोजन-संबंधी प्रयोगोंमें पड़ा ।

घरसे मंगाई हुई मिठाई, मसालेका व्यवहार बंद कर दिया ।

मनका झुकाव दूसरी ओर हो गया। मसालोंका शौक जाता रहा, चाय और काफी छोड़दी और ज्यादातर मैं रोटी, कोको और उबली हुई सब्जीपर ही गुजर करने लगा। मेरे इन प्रयोगोंसे मुझे यह अनुभव हुआ कि स्वादका असली स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है।

मैंने भिन्न-भिन्न धर्मोंका परिचय प्राप्त करनेकी कोशिश की। इस बीच दो थियासफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे गीता पढ़नेकी प्रेरणा की। उन दिनों वे एड्विन एर्नाल्ड-कृत गीताके अंग्रेजी-अनुवादको पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ संस्कृतमें गीता पढ़नेके लिए कहा। मैं शरमाया, क्योंकि मैंने तो गीता संस्कृतमें तो क्या, गुजरातीमें भी नहीं पढ़ी थी। यह बात भेंपते हुए मुझे उनसे कहनी पड़ी; पर साथ ही यह भी कहा कि 'मैं आपके साथ पढ़नेके लिए तैयार हूँ। यों तो मेरा संस्कृत-ज्ञान नहीं के बराबर है। फिर भी मैं इतना समझ लेता हूँ कि अनुवादमें कहीं गड़बड़ हो तो वह बता सकूँ।' इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-पाठ आरंभ हुआ। दूसरे अध्यायके अंतिम श्लोकोंमें इन श्लोकोंका

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संगहसंजायते कामः कामत्क्रोधोभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥^१

१ विषयका चिंतन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पैदा होता है, और संगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछे-पीछे क्रोध आता है। फिर क्रोधसे संमोह, संमोहसे स्मृति-भ्रम, स्मृति-भ्रमसे बुद्धिका नाश होता है और अंतमें पुरुष खुद ही नष्ट हो जाता है।

गहरा असर मेरे मन पर हुआ। कानोंमें उनकी ध्वनि दिन-रात गूँजा करती। तब मुझे मालूम हुआ कि भगवद्गीता तो अमूल्य ग्रंथ है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ ही होती गई—और अब तो तत्त्वज्ञानके लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। निराशाके समय इस ग्रन्थने मेरी अपार सहायता की है।

इसी अर्समें एक अन्नाहारी-छात्रालयमें मैंचेस्टरके एक ईसाई सज्जनसे भेंट हुई। उनकी प्रेरणासे मैंने बाइबिल पढ़ी; परन्तु 'ओल्ड टेस्टामेंट' तो पढ़ ही न सका। वह मुझे कुछ जंचा नहीं। पर जब 'न्यू टेस्टामेंट' शुरू किया तब ईसाके गिर-प्रवचनका मनपर बहुत जबर्दस्त असर हुआ, उसने दिलमें घर कर लिया। बुद्धिने गीताजीके साथ उसकी तुलना की। "जो तेरा कुरता मांगे उसे तू अंगरखा दे डाल। जो तेरे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे उसके आगे बायां गाल कर दे।" यह पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। शामिल भट्टका वह छप्पय भी याद आया जो पीछे भी दिया है।

यद्यपि मैंने हिन्दू-धर्मका भी मामूली परिचय प्राप्त किया, फिर भी खतरों और संकटोंसे बचानेके लिए यह काफी न था।

विलायतके मेरे आखिरी वर्ष, अर्थात् १८६० में पोर्टस्मिथमें अन्नाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ। उसमें मुझे तथा एक और भारतीय मित्रको निमंत्रण मिला था। हम दोनों एक बहनके यहां, जिसके बारेमें स्वागतसमितिको कुछ पता नहीं था, ठहराये गये। वह एक बदनाम घर था। रातको सभासे हम घर लौटे। भोजनके बाद ताश खेलने बैठे। विलायतमें भले घरोंमें गृहिणी भी मेहमानोंके

साथ इस प्रकार ताश खेला करती हूँ। ताश खेलते समय आमतौर पर लोग निर्दोष मजाक करते हैं; पर यहां अश्लील विनोद शुरू हुआ।

मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी उसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोदमें रस आने लगा। धीरे-धीरे मैं भी उसमें शामिल हुआ। विनोदके वाणीसे क्रियामें परिणत होनेकी नौबत आगई। ताश एक ओर रखनेका अवसर आगया; पर मेरे साथीके हृदयमें भगवान् पैठे। वह बोले, “तुम और यह पाप? यह तुम्हारा काम नहीं। भागो यहांसे।”

मैं जागा; लज्जित हुआ। हृदयमें इस मित्रका उपकार माना, माताकी प्रतिज्ञा याद आई। वहांसे भागा। कांपता हुआ अपने कमरेमें पहुंचा।

उस समय मैं ‘धर्म क्या है? ईश्वर क्या चीज है? वह हमारे अंदर किस तरह काम करता है?’ ये बातें नहीं जानता था। पर लौकिक अर्थमें मैं यही समझा कि ईश्वरने मुझे बचाया; और जीवनके विविध क्षेत्रोंमें मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। सच पूछिये तो मुझे यह कहते हुए बड़ा आनंद आता है कि मुझे अनेक संकटोंके अवसर पर ईश्वरने बरबस बचा लिया है। जब चारों ओरसे आशायें छोड़ देनेका अवसर आजाता है, हाथ-पैर ढीले पड़ने लगते हैं, तब कहीं-नकहींसे अचानक सहायता आपहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना, ये अंधविश्वास नहीं; बल्कि उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं;

पीते हैं; बैठते हैं; आदि सच हैं। बल्कि यों कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं कि यह एक-मात्र सत्य है; दूसरी सब बातें असत्य हैं, मिथ्या हैं।

१४

बैरिस्टर हुआ

इस बीच मेरा अध्ययन जारी रहा। नौ महीनेके अथक परिश्रमके बाद १० जून, १८६१ को मैं बैरिस्टर हुआ, और बारह जूनको हिंदुस्तान लौट आनेके लिए रवाना हुआ; परंतु मेरी निराशा और भीतिका कोई ठिकाना न था। कानून मैंने पढ़ तो लिया; परंतु मेरा मन कहता था कि अभी तक मुझे कानून का वह ज्ञान नहीं हुआ है कि वकालत कर सकूं।

जून-जुलाईमें हिंद-महासागर तूफानी रहता है। अदनसे ही समुद्रका ऐसा हाल था। सब लोग बीमार थे, अकेला मैं ही मजेमें था। तूफान देखनेके लिए डेकपर जाया करता और भीग भी जाता। सुबह नाश्तेके समय यात्रियोंमें हम एक ही दो आदमी टेबल पर नज़र आते। हमें जईके दलियेकी रकाबीको गोदमें रखकर खाना पड़ता था; तूफानके कारण जहाज इतना हिलता था कि दलिया गोदमें ही दुलक पड़ता।

यह बाहरी तूफान मेरे अंदरके तूफानका चिह्न-मात्र था, परंतु बाहरी तूफानमें मैं जिस प्रकार अपनेको शांत रख सका था, वही बात आंतरिक तूफानके संबंधमें भी थी।

जब हम बंबई बंदर पर पहुंचे तो मेरे बड़े भाई वहां मौजूद थे। माताजीके स्वर्गवासके वारेमें मैं दिलकुल बेखबर था। घर

पहुंचनेपर मुझे यह समाचार सुनाया और स्नान कराया गया। यह खबर मुझे विलायतमें दी जा सकती थी; पर मेरे बड़े भाईने बंबई पहुंचने तक खबर न पहुंचानेका ही निश्चय किया—इस विचारसे कि मुझे कम-से-कम आघात पहुंचे। पिताजीकी मृत्युसे अधिक आघात मुझे इस समाचारसे पहुंचा। मेरे कितने ही मनसूबे मिट्टीमें मिल गये; पर मुझे याद है कि इस समाचारको सुनकर मैं रोया नहीं। आंसू भी नहीं गिराये और इस तरह काम-काज जारी रखा, मानो माताजीकी मृत्यु हुई ही न हो।

कुछ समय तक मैं राजकोट रहा, लेकिन मित्रोंने मुझे यह सलाह दी कि मैं कुछ दिन बंबई जाकर हाईकोर्ट का विशेष अनुभव प्राप्त करूं और हिंदुस्तानी कानूनका अध्ययन करूं, साथ ही हो सके तो वकालत करने का भी प्रयत्न करूं। मैं बंबई गया। पर वहां चार-पांच महीनेसे अधिक न रह सका; क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था और आमदनी कुछ थी नहीं। इसलिए बंबईसे निराश होकर वापस राजकोट आया। अलग दफ्तर खोला। कुछ सिल-सिला चला। अर्जियां लिखनेका काम मिलने लगा और प्रतिमास लगभग तीनसौ रुपयेकी आमदनी होने लगी। इन अर्जियोंके मिलनेका कारण मेरी योग्यता नहीं बल्कि जरिया था। बड़े भाई-साहबके साथी वकीलकी वकालत अच्छी चलती थी। जो बहुत जरूरी और महत्त्वपूर्ण अर्जियां आतीं अथवा जिन्हें हम महत्त्वपूर्ण समझते थे तो बैरिस्टर के पास जातीं, मुझे तो सिर्फ उनके गरीब मवक्लोंकी अर्जियां मिलतीं।

दक्षिण अफ्रिकामें

इस बीच काठियावाड़के अंदरूनी भग्नोंका भी मुझे कुछ अनुभव होगया। उससे मेरा जी ऊब उठा।

इसी समय भाईसाहबके पास पोरबंदरकी दादा अब्दुल्ला एंड कं० नामकी एक मेमन दुकानका संदेश आया कि “दक्षिण अफ्रिकामें हमारा बड़ा कारोबार है। तैयब हाजी खान मुहम्मद पर हमारा चालीस हजार पौंडका बड़ा मुकदमा बहुत दिनोंसे चल रहा है। यदि आप अपने भाईको वहां भेज दें तो हमें भी मदद मिलेगी और उसकी भी कुछ मदद हो जायगी।”

इस दुकानके एक हिस्सेदारने—यदि मैं एक साल काम कर दूं तो—आने-जानेका पहले दरजेका किराया और भोजन-खर्चके अलावा १०५ पौंड देनेका वायदा किया। मैं राजी हो गया और अप्रैल १८६३ में हिंदुस्तानसे अफ्रिकाके लिए रवाना हो गया।

नेटालका बंदर यों तो डरबन कहलाता है, पर नेटालको भी बंदर कहते हैं। मुझे बंदर पर लिवाने स्वयं अब्दुल्ला सेठ आये थे। नेटालके जो लोग जहाज पर अपने मित्रोंको लिवाने आये थे, उनके रंग-ढंगसे मैं समझ गया कि यहां हिंदुस्तानियोंका आदर नहीं है। अब्दुल्ला सेठकी जान-पहिचानके लोग उनके साथ जैसा बर्ताव करते थे उसमें एक प्रकार का हलकापन दिखाई पड़ता था और उससे मेरे दिलको चोट पहुंची थी, पर अब्दुल्ला सेठ तो इस अपमानके

आदी हो गये थे। मुझपर जिसकी नज़र पड़ती वह आश्चर्यसे देखने लगता, क्योंकि मेरा पहनावा ऐसा था कि मैं दूसरे भारत-वासियोंसे कुछ जुदा मालूम होता था। उस समय मैं फ्राककोट और बंगाली पगड़ी पहने था।

घर पहुँचा। अब्दुल्ला सेठके कमरेके पासका कमरा मुझे दिया गया। अभी हमारी पूरी जान-पहचान नहीं हुई थी। अपने भाईकी लिखी चिट्ठी उन्होंने पढ़ी। वह कुछ असमंजसमें पड़ गये। उन्होंने समझ लिया कि भाईने तो यह सफेद हाथी घर बंधवा दिया। मेरा साहबी ठाट-बाट उन्हें बड़ा खर्चीला मालूम हुआ; क्योंकि मेरे लिए उनके पास उस समय कोई काम तो था नहीं, मुकदमा चल रहा था ट्रांसवाल में। सो तुरंत ही मुझे वहां भेजकर क्या करते? फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी योग्यता और ईमानदारीका विश्वास भी कहां तक किया जाय? और प्रिटोरियामें वह खुद मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी प्रिटोरिया में रहते थे। कहीं उनका असर मुझपर होने लगे तो? और दूसरे काम भी उनके कर्मचारी मुझसे अच्छा कर सकते थे। फिर कर्मचारीसे यदि भूल-चूक हो जाय तो उसे कुछ कहा-सुना भी जा सकता है; मुझे कुछ कहनेसे भी रहे। काम या तो क्लर्कका था या मुकदमेका—तीसरा कोई था ही नहीं। ऐसी हालतमें यदि मुकदमेका काम मुझे नहीं सौंपते हैं तो घर बैठे मेरा खर्च उठाना पड़ता था।

अब्दुल्ला सेठ यों पढ़े-लिखे कम थे। पर अनुभव-ज्ञान बहुत

बढ़ा-चढ़ा था। उनकी बुद्धि तेज थी, और वह खुद भी इस बात को जानते थे। अंग्रेजीका इतना मुहावरा था कि बोल-चालका काम चला लेते थे। बैंकमें मैनेजरोसे बातें कर लेते, यूरोपियन व्यापारियोंसे सौदा कर लेते, वकीलोंको अपना मामला समझा देते। हिन्दुस्तानियोंमें उनका काफी मान था। उनकी दुकान उस समय हिन्दुस्तानियोंमें सबसे बड़ी नहीं तो बड़ी दुकानोंमें अवश्य थी।

दूसरे या तीसरे दिन वे मुझे डरबनकी अदालत दिखाने ले गये। वहां कई लोगोंसे परिचय कराया। अदालतमें अपने वकील के पास मुझे बिठाया। मजिस्ट्रेट मेरी ओर देखता रहा। बोला— 'अपनी पगड़ी उतार लो।' मैंने इन्कार किया और अदालतसे बाहर चला आया।

मेरे भाग्य तो यहां भी लड़ाई लिखी थी।

पगड़ी उतरवानेका रहस्य मुझे अब्दुल्ला सेठने समझाया। मुसलमानी पोशाक पहनने वाला अपनी मुसलमानी पगड़ी यहां पहन सकता है। दूसरे भारतवासियोंको अदालतमें जाते हुए अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए।

ऐसी हालतमें पगड़ी पहननेका प्रश्न विकट होगया। पगड़ी उतार देनेका अर्थ था अपमान सहन करना। सो मैंने यह तरकीब निकाली कि हिन्दुस्तानी पगड़ीके बजाय अंग्रेजी टोप पहना जाय जिससे उसे उतारनेमें अपमानका भी सवाल न रहे, और मैं इस झगड़ेसे भी बच जाऊँ।

पर अब्दुल्ला सेठको यह बात पसंद न आई । उन्होंने कहा—
‘यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उलटा अर्थ होगा । जो लोग
देशी पगड़ी पहने रहना चाहते होंगे, उनकी स्थिति विपम हो
जायगी । फिर आपके सिर पर अपने ही देशकी पगड़ी शोभा
देती है । आप यदि अंग्रेजी टोपी लगावेंगे तो लोग ‘वेटर’ सम-
झेंगे ।’

इन वचनोंमें व्यावहारिकता थी, देशाभिमान था और कुछ
संकुचितता भी थी । पर सब मिलाकर अब्दुल्ला सेठकी बात मुझे
अच्छी लगी । मैंने पगड़ीवाली घटनापर अखबारोंमें लिखा और
पगड़ीका तथा अपने पत्रका समर्थन किया । अखबारोंमें उसपर
खूब चर्चा चली । ‘अनवेल्कम विजिटर’—अनिमंत्रित अतिथि—
के नामसे मेरा नाम अखबारोंमें आया । तीन चार दिनके अन्दर
अनायास ही दक्षिण अफ्रीकामें मेरी प्रसिद्धि होगई । किसीने
मेरे पत्रका समर्थन किया, किसीने मेरी उहड़ताकी निंदा ।

अब्दुल्ला सेठको मेरे लिए काम तलाशनेमें ज्यादा वक्त न
लगा । उनके मुकदमेके लिए मेरा प्रिटोरियामें रहना जरूरी था ।

सातवें या आठवें दिन मैं डरबनसे रवाना हुआ । मेरे लिए
पहले दरजेका टिकट लिया गया । सोनेके लिए वहां ५ शिलिङ्ग
का एक अलहदा टिकट लेना पड़ता था । अब्दुल्ला सेठने आग्रहके
साथ कहा कि सोनेका टिकट ले लो, पर मैंने कुछ तो हठमें, कुछ
मदमें और कुछ पैसे वचानेके लोभसे इन्कार कर दिया ।

अब्दुल्ला सेठने मुझे सावधान किया—“देखो यह मुल्क और

है, हिन्दुस्तान नहीं। खुदाकी मेहरवानी है, आप पैसेका खयाल न करें। अपने आरामका सब इन्तजाम कर लेना।”

मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप मेरी चिंता न कीजिए। नेटालकी राजधानी मेरिप्सबर्ग में ट्रेन रातके कोई नौ बजे पहुंची। यहां सोनेवालों को बिछौने दिये जाते थे। रेलवेके नौकरने आकर पूछा—“आप बिछौना चाहते हैं?”

मैंने कहा—“मेरे पास बिछौना है।”

वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया। उसने मेरी ओर देखा। मुझे हिन्दुस्तानी देखकर वह चकराया। बाहर गया और एक-दो कर्मचारियोंको लेकर आया। किसीने मुझसे कुछ न कहा। अन्तमें एक अफसर आया; उसने कहा—“उतरो, तुमको दूसरे डब्बेमें जाना होगा।”

मैंने कहा—“पर मेरे पास पहले दर्जेका टिकट है।”

उसने उत्तर दिया—“कोई बात नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डब्बेमें बैठना होगा।”

“मैं कहता हूँ कि डरबनसे इसी डिब्बेमें बिठाया गया हूँ और इसीमें जाना चाहता हूँ।”

अफसर बोला—“यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना होगा, नहीं तो सिपाही आकर उतार देगा।”

मैंने कहा—“तो ठीक है। सिपाही आकर भले ही मुझे उतारे, मैं अपने-आप न उतरूंगा।”

सिपाही आया। उसने हाथ पकड़ा और धक्का मारकर मुझे

नीचे गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया गया। मैंने दूसरे डिब्बेमें जानेसे इन्कार किया। गाड़ी चल दी। मैं वेटिंगरूममें जा बैठा। हैडवेग अपने साथ रखा। दूसरे सामानको मैंने हाथ न लगाया। रेलवालोंने सामान कहीं रखवा दिया।

जाड़ेका मौसम था। दक्षिण अफ्रीकामें ऊंची जगहोंपर बड़े जोरका जाड़ा पड़ता है। मेरिट्सबर्ग ऊंचाईपर था—इससे खूब जाड़ा लगा। मेरा ओवरकोट मेरे सामानमें रह गया था। सामान मांगनेकी हिम्मत न पड़ी। कहीं फिर बेइज्जती न हो। जाड़ेमें सिकुड़ता और ठिठुरता रहा। कमरेमें रोशनी न थी। आधी रातके समय एक मुसाफिर आया। ऐसा जान पड़ा मानो वह कुछ बात करना चाहता हो; पर मेरे मनकी हालत ऐसी न थी कि मैं बातें करता।

मैं सोचने लगा, “मेरा कर्त्तव्य क्या है? मुझे अपने हकोंके लिए लड़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? या जो अपमान होरहा है, उसे सहन करके प्रिटोरिया पहुँचूं और मुकदमे का काम खतम करके देश चला जाऊं। मुकदमेको अधूरा छोड़कर भाग जाना तो कायरता होगी। मुझपर जो कुछ बीत रही है वह तो रागद्वेषरूपी महारोगके ऊपरी लक्षण हैं। यदि इस महारोगको उखाड़ फेंकनेका सामर्थ्य अपने अन्दर हो तो उसका उपयोग करना चाहिये। उसके लिए जो कुछ कष्ट और दुःख आ पड़े सहना चाहिए। इन अन्यायोंका विरोध उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक उसका संबंध रागद्वेष दूर करनेसे हो।

ऐसा संकल्प करके जिस तरह भी हो दूसरी गाड़ीसे आगे जानेका निश्चय किया ।

सुबह मैंने जनरल मैनेजरको तार द्वारा एक लंबी शिकायत लिख भेजी । दादा अब्दुल्लाको भी समाचार भेजे । अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजरसे मिले । जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों का पत्र तो लिया, पर कहा कि स्टेशन-मास्टरको लिख दिया है कि गांधीको सकुशल अपने मुकामपर पहुँचा दो । अब्दुल्ला सेठने मेरिट्सबर्ग के हिंदी व्यापारियोंको भी मुझसे मिलने तथा मेरा प्रबंध करनेके लिए तार दिया तथा दूसरे स्टेशनोंपर भी ऐसे ही तार दे दिये । इससे व्यापारी लोग स्टेशनपर मुझसे मिलने आये । उन्होंने अपनेपर होनेवाले अन्यायोंका मुझसे जिक्र किया और कहा कि आपपर जो कुछ बीता है वह कोई नई बात नहीं । पहले-दूसरे दरजेमें जो हिन्दुस्तानी सफर करते हैं उन्हें क्या रेल-कर्मचारी और क्या मुसाफिर दोनों सताते हैं । सारा दिन इन्हीं बातोंके सुननेमें गया । रात हुई, गाड़ी आई । मेरे लिए जगह तैयार थी । डरबनमें सोनेके लिए जिस टिकटको लेनेसे इन्कार किया था, वही मेरिट्सबर्गमें लिया । ट्रेन मुझे चार्ल्सटाउन ले चली । आगे मुझे घोड़ागाड़ीमें तो और भी कष्टोंका सामना करना पड़ा और अन्तको मैं जोहांसबर्ग पहुँचा और वहांसे फिर रेलसे प्रिटोरिया गया ।

१६

सेवाका श्रीगणेश .

१८६३ में दक्षिण अफ्रीका-निवासी हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका

पूरा-पूरा ज्ञान मुझे हो गया था; लेकिन प्रिटोरियामें हिन्दुस्तानियोंसे इस विषयमें कभी-कभी बात-चीत कर लेनेके अलावा मैंने कोई प्रत्यक्ष कार्य अबतक नहीं किया था। मैंने देखा कि एक ओर मुकदमे की कार्रवाई और दूसरी ओर दक्षिणी अफ्रीकाके भारत-वासियोंके कष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न, दोनों बात एक साथ नहीं की जा सकतीं। मैं समझ गया था कि दोनों काम एक साथ करनेके मानी दोनोंको नुकसान पहुंचाना होगा। यह १८६४ की बात है। जिस मुकदमेके लिए मैं दक्षिण अफ्रीका आया, वह अच्छी तरह तय हो गया। इसलिए मैं डरबन लौट आया और वहांसे हिन्दुस्तान जानेकी तैयारी करने लगा। जब मुझे दादा अब्दुल्लाके यहां विदाई दी जा रही थी, उसी समय किसीने 'नेटाल मर्करी' अखबारकी एक प्रति मुझे लाकर दी। उसमें नेटाल धारा-सभाकी कार्रवाईकी संक्षिप्त रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ सतरें भारतीय मताधिकारके सिल-सिलेमें थीं। नेटाल-सरकार एक ऐसा बिल पेश करना चाहती थी, जिससे हिन्दुस्तानियोंके मताधिकार छिनते थे। योंही उन्हें अधिकार बहुत कम थे, फिर भी जो कुछ थे उन्हें छीन लेनेकी यह शुरू-आत थी। यह देखकर मैंने अपना हिन्दुस्तान जाना स्थगित कर दिया। उसी रातको बैठकर मैंने धारासभामें पेश करनेके लिए एक दरखास्त तैयार की। सरकारसे भी तार द्वारा प्रार्थना की कि वह धारा-सभाकी कार्रवाई जल्द शुरू न करे। तुरन्त सेठ अब्दुल्लाके सभापतित्वमें एक कमेटी बनाई गई और उन्हींके नामसे यह तार भेजा गया। इसका फल यह हुआ कि दो दिनके लिए बिलकी

कार्रवाई रोक दी गई। दक्षिण अफ्रिकाकी धारा-सभाको हिन्दुस्तानियोंकी तरफ से इस प्रकार अर्जी भेजनेका यह पहला ही मौका था। इसका कुछ असर तो जरूर हुआ, मगर बिलका पास होना उससे नहीं रुक सका। ऐसे आंदोलन करनेका दक्षिण-अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंका यह पहला ही अवसर था। इससे सारे समाज में उत्साहकी एक नई लहर फैल गई। हर रोज सभाएं होतीं और लोग अधिक संख्यामें आते। जरूरतसे ज्यादा पैसा भी इकट्ठा हो-गया। कितने ही लोग स्वेच्छासे बिना किसी मिहनतानेके काम करनेको तैयार होगये। वे लिखनेका काम करते, घूम-घूमकर लोगोंसे दस्तखत कराते; और भी अन्य कई काम करते। ऐसे लोग भी थे जो खुद काम भी करते थे और पैसा भी देते थे। पुराने गिर-मिटिया कुलियोंकी जो संतान वहां थी, उन्होंने बड़ी तत्परतासे इस आंदोलनमें योग दिया। वे अंग्रेजी जानते थे, वे सुन्दर अक्षर लिखते थे। दिन-रात इन्होंने नकलें करनेका तथा दूसरा काम बड़े उत्साहसे किया। एक महीनेके अन्दर ही लार्ड रिपिनके नाम, जो उस समय उपनिवेश-मन्त्री थे, दस हजार दस्तखतोंके साथ दर-खास्त भेज दी गई। इस प्रकार मेरे सामनेका तात्कालिक काम तो पूरा हो गया।

तब मैंने फिर हिन्दुस्तान जानेकी इजाजत चाही, लेकिन आंदोलनमें हिन्दुस्तानियोंकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी होगई थी कि उन्होंने मुझसे न जानेका आग्रह किया। उन्होंने कहा—खुद आप हीने तो हमें यह बताया कि यह तो सरकारका पहला कदम है,

इसको न रोका गया तो अन्तमें हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा । कौन जाने उपनिवेश-मन्त्री हमारे मेमोरियल (प्रार्थना-पत्र) का क्या जवाब देंगे ? हमारे उत्साहको तो आपने देख ही लिया है । हम काम करने और रुपया खर्च करनेके लिए तैयार हैं, मगर बिना किसी राह बतानेवालेके यह सब किया-कराया चौपट हो जायगा । इसलिए हमारा तो यही खयाल है कि इस समय आपका फर्ज यही है कि आप यहां ठहरें ।” उनकी यह दलील मुझे जंची और मुझे लगा कि हिंदुस्तानियोंके हितोंकी रक्षाके लिए कोई एक स्थायी संगठन बना लिया जाय तो अच्छा हो । इस कारण मैं फिर रुक गया और इस प्रकार मई १८६४ के लगभग ‘नेटाल इंडियन कांग्रेस’ का जन्म हुआ । ईश्वरने मेरे दक्षिण-अफ्रिकाके जीवनकी बुनियाद डाली तथा भारतीयोंके आत्म-सम्मानकी लड़ाईका बीज बोया ।

यहांके कामका इतिहास जाननेके लिए पाठकोंको ‘दक्षिण-अफ्रिकाका सत्याग्रह’ पढ़नेकी सिफारिश करता हूँ । उससे पता चलेगा कि हमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, सरकारी अधिकारियोंने कैसे-कैसे हमले कांग्रेसपर किये, और वह उनसे कैसे बाल-बाल बच गई । लेकिन एक बातका उल्लेख यहां जरूर करना चाहता हूँ; वह यह कि अतिशयोक्ति करनेकी आदतसे भारतीय समाजको बचानेकी पूरी-पूरी कोशिश की गई । उन्हें खुद अपने दोषोंकी तरफ भी ध्यान दिलानेका पूरा यत्न किया गया । यूरोपियन लोगोंकी दलीलोंमें जो बात अच्छी और उचित मालूम पड़ती, उसकी कद्र की जाती थी । कई ऐसे अवसर आते जिनमें यूरोपियन

लोगोंके साथ बराबरीके नाते और इज्जतके साथ सहयोग करनेका मौका आता, तो सच्चे दिलसे ऐसा किया जाता। हमारे आंदोलनकी पूरी खबरें अखबारोंको भेजी जातीं और जब कभी अखबारोंमें हिंदुस्तानियोंपर हमला किया जाता तो उन अखबारोंको उनके जवाब भी भेजे जाते।

१७

तूफानके चिन्ह

दक्षिण अफ्रिकामें रहते मुझे अब तान साल हो चुके थे। मैं लोगोंके परिचयमें आगया था। मेरी वकालत मामूलीतौरपर अच्छी जम गई थी और मैं समझने लगा था कि लोगोंको वहां मेरी जरूरत है। इसलिए मैंने इरादा किया कि घर जाकर अपने परिवारको ले आऊं और यहां जमकर बैठूं। इसलिए १८६६में मैं वहांसे छुट्टी लेकर छः महीनेके लिए भारत आया। मैं देशमें छः महीने बिता भी न पाया था कि नेटालसे मुझे केवल मिला कि फौरन लौट आओ। इसलिए मैं फिर जल्दी ही लौट गया। दादा अब्दुल्लाने उसी समय 'कुरलैंड' नामका एक स्टीमर खरीदा था। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसी जहाजसे अपने कुटुंबके साथ बिना किराया दिये ही यात्रा करूं। मैंने कृतज्ञतापूर्वक उनकी इच्छाका स्वागत किया, और दिसंबर महीनेके शुरूमें बंबईसे दुबारा नेटालके लिए जहाजमें बैठा। इस बार मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे दो पुत्र भी थे। दूसरा स्टीमर 'नादरी' भी उन्हीं दिनों डरबनके लिए

छूटा । दोनों जहाजोंमें कुल मिलाकर आठ सौ मुसाफिर होंगे, जिनमें से आधे ट्रांसवाल जानेवाले थे ।

जहाज दूसरे बंदरों पर ठहरे बिना ही नेटाल पहुंचनेवाला था । इसीलिए सिर्फ अठारह दिनकी यात्रा थी । मानो नेटालमें हमारे पहुंचते ही होनेवाले किसी भावी तूफानकी चेतावनी देनेके लिए तीन-चार दिन पहले, समुद्रमें भारी तूफान आया । इस दक्षिण प्रदेशमें दिसंबरका महीना गरमी और बरसातका मौसम होता है । इस कारण दक्षिण समुद्रमें इन दिनों छोटे-बड़े तूफान अक्सर आया करते हैं । तूफान इतने जोरका था और इतने दिनों रहा कि मुसाफिर घबरा गये ।

यह एक भव्य दृश्य था । दुःखमें सब एक हो गये । सारा भेद-भाव भूल गये । ईश्वरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे । हिंदू-मुसलमान सब साथ मिलकर ईश्वरको याद करने लगे । कितनोंने मिन्नतें मानीं । कप्तान भी यात्रियोंको आश्वासन देने लगा कि “यद्यपि तूफान जोरका है, फिर भी इससे बड़े-बड़े तूफानोंका अनुभव मुझे है । जहाज यदि मजबूत हो तो एकाएक डूबता नहीं, आदि ।” इस तरह उसने मुसाफिरोंको बहुत समझाया; पर उन्हें किसी तरह तसल्ली न होती थी । जहाजमें ऐसी आवाजें होतीं, मानो जहाजके अभी कहीं-न-कहींसे टुकड़े होते हैं, अभी कहीं छेद होता है । इधर-उधर इतना हिलता कि ऐसा जान पड़ता, मानो अभी उलट जायगा । डेक पर खड़ा रहना ही मुश्किल था । ‘ईश्वर जो करे सो सही’ इसके सिवा दूसरी बात किसीके मुंह पर न थी ।

मुझे जहां तक याद है, ऐसी चिंतामें चौबीस घंटे बीते होंगे। अंतमें बादल बिखरे, सूर्यने दर्शन दिये। कप्तानने कहा—“अब तफान जाता रहा।”

लोगोंके चेहरेसे चिंता दूर हुई, और उसके साथ ही ईश्वर भी। मौतका डर दूर होते ही फिर गान-तान, खान-पान शुरू होगया; फिर वही मायाका राज्य छागया। अब भी नमाज पढ़ी जाती, भजन होते; परंतु तूफानके अवसर पर उसमें जो हार्दिकता दिखाई देती थी, वह न थी।

परंतु इस तूफानकी बदौलत मैं यात्रियोंमें हिल-मिल गया था। यह कह सकते हैं कि मुझे तूफानका भय न था अथवा कम-से-कम था। प्रायः इसी तरहके तूफान मैं पहले देख चुका था। जहाजमें मेरा जी नहीं मचलता, चक्कर भी नहीं आते, इसलिए लोगोंमें मैं निर्भय होकर घूम-फिर सकता था। उन्हें आश्वासन दे सकता था और कप्तानके संदेश उन तक पहुंचाता था। यह स्नेह-गांठ मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। हमारे जहाजने १८ या १९ दिसंबरको डरबनके बंदरपर लंगर डाला और ‘नादरी’ भी उस दिन पहुंचा।

पर सच्चे तूफानका अनुभव तो अभी होना बाकी ही था।

१८

कसौटी

दक्षिण अफ्रिकाके बंदरोंपर यात्रियोंकी पूरी-पूरी डाक्टरी जांच होनी है। यदि रास्तेमें किसीको कोई संक्रामक रोग होगया हो तो

जहाज सूतकमें—क्वारंटीनमें—रखा जाता है। हमने जब बंबई छोड़ा तब वहां प्लेग फैल रहा था। इसलिए हमें सूतक-बाधा होनेका कुछ तो भय था ही। बंदरमें लंगर डालनेके बाद सबसे पहले जहाज पीला भंडा फहराता है। डाक्टरी जांचके बाद जब डाक्टर छुट्टी देता है तब पीला भंडा उतार दिया जाता है; फिर मुसाफिरोंके रिश्तेदारोंको जहाजपर आनेकी छुट्टी मिलती है।

इसके मुताबिक हमारे जहाजपर भी पीला भंडा लगा दिया गया था। डाक्टर आये। जांच करके पांच दिनके सूतकका हुक्म दिया गया। क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेगके जंतु २३ दिन तक कायम रहते हैं। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि बंबई छोड़नेके बाद २३ दिन तक यात्रियोंको सूतकमें रखना चाहिए।

परंतु इस सूतकके हुक्मका हेतु केवल आरोग्य न था। डरबनके गोरे हमें वापस भारत लौटा देनेका आंदोलन कर रहे थे। इस हुक्ममें यह बात भी मद्देनजर थी।

दादा अब्दुल्लाकी ओरसे हमें शहरकी इस हलचलकी खबरें मिला करती थीं। गोरोंकी बड़ी-बड़ी सभाएं होती थीं। दादा अब्दुल्लाको धमकियां भेजी जाती थीं और उन्हें लालच भी दिये जाते थे। यदि दादा अब्दुल्ला दोनों जहाजोंको वापस लौटा दें तो उन्हें सारा हरजाना देनेको तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसीकी धमकियोंसे डरनेवाले न थे। इस समय वहां सेठ अब्दुलकरीम हाजी आदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि चाहे जितना नुकसान हो, मैं जहाजको बंदरपर लाकर मुसाफिरोंको उतरवाकर

छोड़ूंगा। मुझे वह हमेशा सविस्तर पत्र लिखा करते। सद्भाग्यसे इस बार स्वर्गीय मनसुखलाल हीरालाल नाजर मुझसे मिलने डरवनसे आ पहुँचे थे। वह बड़े चतुर और जवांमर्द आदमी थे। उन्होंने लोगोंको उतरनेका सलाह दी। उनके वकील मि० लाटन थे। वह भी वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरोंके कामकी खूब निंदाकी, और लोगोंको जो सलाह दी वह केवल वकीलकी हैसियतसे फीस लेनेके लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्रके तौर पर दी थी।

गोरोंके इस आंदोलनका मध्यबिंदु मैं ही था। मुझपर दो इलजाम थे—

(१) हिंदुस्तानमें मैंने नेटालके गोरोंकी अनुचित निंदाकी है; और—

(२) मैं नेटालको हिंदुस्तानियोंसे भर देना चाहता हूँ। इसलिए 'कुरलैंड' और 'नादरी' में खासतौरपर नेटालमें बसाने के लिए हिंदुस्तानियोंको भर लाया हूँ।

मुझे अपनी जिम्मेदारीका खयाल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्लाने बड़ी जोखिम अपने सिर ले ली थी। मुसाफिरोंकी भी जान जोखिममें थी; मैंने अपने बाल-बच्चोंको साथ लाकर उन्हें भी दुःखमें डालदिया था। फिर भी मैं था सब तरह निर्दोष। मैंने किसीको नेटाल जाने के लिए ललचाया न था।

अन्तमें तेईसवें दिन अर्थात् १३ जनवरी को जहाजको इजाजत मिली और मुसाफिरोंको उतरने देनेकी आज्ञा प्रकाशित होगई। जहाज धक्के पर आया। मुसाफिर उतरे; परन्तु मेरे लिए दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारके एक सदस्य मि० एस्कंब ने कप्तानसे कहला

दिया था कि गांधीको तथा उनके बाल-बच्चोंको शामको उतारियेगा । गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए हैं और उनकी जान खतरेमें है । धक्केके सुपरिंटेंडेंट मि० टैटम उन्हें शामको लिवा ले जायेंगे ।

कप्तानने मुझे यह संदेश सुनाया । मैंने उसके अनुसार शामको उतरना स्वीकार किया; परंतु इस संदेशको मिले अभी आधा घंटा भी न हुआ होगा मि० लाटन आये और कप्तानसे मिलकर कहा— “यदि मि० गांधी मेरे साथ आना चाहें तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं । जहाजके एजेंटके वकीलकी हैसियतसे मैं आपसे कहता हूँ कि मि० गांधीके सम्बन्धमें जो आदेश आपको मिला है उससे आप अपनेको बरी समझें ।” इस तरह कप्तानसे बातचीत करके वह मेरे पास आये और कुछ इस प्रकार कहा— “यदि आपको जिदगीका डर न हो तो मैं चाहता हूँ कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाड़ी में रुस्तमजी सेठके यहां चले जायें और मैं और आप आम रास्तेसे होकर पैदल चलें, रातमें अंधेरा पड़ जाने-पर चुपके-चुपके शहरमें जाना मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता, अब तो चारों ओर शांति है । गोरे सब इधर-उधर बिखर गये हैं, और मेरा तो यही मत है कि आपका इस तरह छिपकर जाना ठीक नहीं ।”

मैं सहमत हुआ । पत्नी और बच्चे रुस्तमजी सेठके यहां गाड़ीमें गये और सही-सलामत जा पहुँचे । मैं कप्तानसे विदा मांगकर मि०लाटनके साथ जहाजसे उतरा । रुस्तमजी सेठका घर कोई दो मील था ।

जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ गोरे लड़कों ने मुझे पहचान लिया और वे 'गांधी-गांधी' चिल्लाये। तत्काल दो-चार आदमी इकट्ठे होगये और मेरा नाम लेकर जोरसे चिल्लाने लगे। मि० लाटनने देखा कि भीड़ बढ़ जायगी, इससे उन्होंने रिकशा मंगाई। मुझे रिकशा में बैठना कभी अच्छा न मालूम होता था। मुझे उसका यह पहला ही अनुभव होनेवाला था। पर छोक़रे क्यों बैठने देने लगे ? उन्होंने रिकशावाले को धमकाकर भगा दिया।

हम आगे बढ़े। भीड़ भी बढ़ती जाती थी। काफी मजमा होगया। सबसे पहले तो भीड़ने मुझे मि० लाटनसे अलग कर दिया। फिर मुझपर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। किसीने मेरी पगड़ी भी उड़ा दी और मुझपर लातें जमानी शुरू हुईं।

मुझे गश आगया। नजदीकके घरकी जाली पकड़कर मैंने सहारा लिया। खड़ा रहना तो असंभव ही था। अब थप्पड़-धूसे भी पड़ने लगे।

इतने ही में पुलिस-सुपरिंटेंडेंटकी पत्नी, जो मुझे जानती थीं, उधरसे होकर निकलीं। मुझे देखते ही वह मेरे पास आ खड़ी हुईं और धूपके न रहते हुए भी अपना छाता मुझपर तान दिया। इससे भीड़ कुछ दबी। अब वे अगर चोट करते भी तो भिसेज-अलेक्जेंडरको बचा कर ही कर सकते थे।

इसी बीच कोई हिन्दुस्तानी, मुझपर हमला होता हुआ देख, पुलिस-थानेमें दौड़ गया। सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडरने पुलिसकी एक टुकड़ी मुझे बचाने के लिए भेजी। वह समय पर आ पहुंची। मेरा

रास्ता पुलिस-चौकीसे ही गुजरता था। सुपरिंटेंडेंटने मुझे थानेमें ठहर जानेको कहा। मैंने इन्कार कर दिया, कहा—“जब लोग अपनी भूल समझ लेंगे तब शांत हो जायेंगे। मुझे उनकी न्याय-बुद्धिपर विश्वास है।”

पुलिसकी रक्षामें मैं सही-सलामत पारसी रुस्तमजीके घर पहुंचा। पीठपर मुझे भीतरी चोट आई थी। जख्म सिर्फ एक ही जगह हुआ था। जहाजके डाक्टर दादी परजोरजी वहीं मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा की।

इस तरह जहां अंदर शान्ति थी, वहां बाहरसे गोरोंने घरको घेर लिया। शाम होगई थी। अंधेरा पड़ गया था। हजारों लोग बाहर शोर मचा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि “गांधीको हमारे हवाले कर दो।” मौका नाजुक देखकर सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडर स्वयं वहां पहुंच गये थे और भीड़को डरा-धमकाकर नहीं; बल्कि हंसी-मजाक करते हुए काबूमें रख रहे थे।

फिर भी वह चिंतामुक्त न थे। उन्होंने मुझे इस आशयका संदेशा भेजा—“यदि आप अपने मित्रके जान-मालको, मकानको तथा अपने बाल-बच्चोंको बचाना चाहते हैं तो मैं जिस तरह बताऊं, आपको छिपकर इस घरसे निकल जाना चाहिए।” सुपरिंटेंडेंटकी तजवीजके मुताबिक मैंने हिंदुस्तानी सिपाहीकी वर्दी पहनी। कहीं सिरपर चोट न लगे, इस अंदेशेसे सिरपर एक पीतलकी तश्तरी रख ली और उसपर मदरासियोंका-सा लंबा साफा लपेटा। साथमें दो जासूस थे, जिनमें एकने हिंदुस्तानी व्यापारीका रूप बनाया था;

अपना मुंह हिंदुस्तानीके रंगका रंग लिया था। दूसरेने क्या स्वांग बनाया था, यह मैं भूल गया हूं। हम नजदीककी गलीसे होकर पड़ौसकी एक दूकानमें पहुंचे, और गोदाममें रखे बोरोके ढेरके अंधेरेमें बचते हुए दूकानके दरवाजेसे निकल भीड़में होकर बाहर चले गये। गलीके मुंहपर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर हम उसी थानेपर पहुंचे, जहां ठहरनेके लिए सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडरने पहले कहा था। मैंने सुपरिंटेंडेंटका तथा खुफिया पुलिसके अफसरका एहसान माना।

इस तरह एक ओर जब मैं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तब दूसरी ओर सुपरिंटेंडेंट भीड़को गीत सुना रहा था कि—

‘चलो इस गांधीको हम उस इमलीके पेड़पर फांसी लटका दें।’

जब सुपरिंटेंडेंटको खबर मिलगई कि मैं सही सलामत मुकामपर पहुंच गया, तब उन्होंने भीड़से कहा—“लो तुम्हारा शिकार तो इस दूकानसे होकर सही-सलामत बाहर सटक गया।” यह सुनकर भीड़मेंसे कुछ लोग बिगड़े, हंसे; और बहुतेरोंने तो उनकी बात ही न मानी।

“तो तुममेंसे कोई जाकर अंदर देख ले। अगर गांधी वहां मिल जाय, तो उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। न मिले तो तुमको अपने घर चले जाना चाहिए। मुझे इतना तो विश्वास है कि तुम रुस्तमजीके मकानको न जलाओगे और गांधीके बाल बच्चोंको नुकसान न पहुंचाओगे।” सुपरिंटेंडेंटने कहा।

भीड़ने प्रतिनिधि चुने। उन्होंने भीड़को निराशा-जनक समाचार

सुनाये। सब सुपरिंटेंडेंट अलेक्जेंडरकी समय-सूचकता और चतुराई-की स्तुति करते हुए, और कुछ लोग मन-ही-मन कुढ़ते हुए, अपने-अपने घर चले गये।

बादमें स्वर्गीय मि० चेम्बरलेनने दक्षिण अफ्रिकाके अधिकारियों-को तार दिया कि गांधीपर हमला करनेवालोंपर मुकदमा चलाया जाय और ऐसा किया जाय कि जिससे गांधीको इन्साफ मिले। मि० एस्कंबने मुझे बुलाया। मुझपर जो हमला हुआ, उसके लिए दुःख प्रदर्शित किया, और कहा—“आप यह तो अवश्य मानेंगे कि आपको जरा-भी कष्ट पहुंचनेसे मुझे ख़ुशी नहीं हो सकती। मि० लाटनकी सलाह मानकर आपने तुरंत उतर जानेका जो साहस किया, उसका आपको हक था। पर यदि मेरे संदेशके अनुसार आपने किया होता, तो यह दुःखद घटना न हुई होती। अब यदि आप आक्रमणकारियोंको पहचान सकें, तो मैं उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलानेके लिए तैयार हूं। मि० चेम्बरलेन भी ऐसा ही चाहते हैं।”

“मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। आक्रमणकारियोंमें-से एक-दोको मैं पहचान भी लूं तो उन्हें सजा करानेसे क्या लाभ? फिर मैं तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता; क्योंकि उन बेचारोंको तो यह कहा गया कि मैंने हिंदुस्तानमें नेटालके गोरोंकी भरपेट और बढ़ा-चढ़ाकर निंदा की है। इस बातपर यदि वे विश्वास कर लें और मुझपर विगड़ पड़े तो इसमें आश्चर्यकी कौन बात है? कुसूर तो ऊपरके लोगोंका, और मुझे कहने दें तो, आपका, माना जा सकता है। आप लोगोंको ठीक सलाह दे सकते थे; पर आपने रूटरके तार

पर विश्वास किया और कल्पना कर ली कि मैंने सचमुच ही अत्युक्ति-से काम लिया था। मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। जब असली और सच्ची बात लोगोंपर प्रकट होजायगी और लोग जान जायंगे, तब अपने-आप पछतायंगे।”

“तो आप मुझे यह बात लिखकर दे देंगे ? मुझे मि० चेंबरलेन-को इस आशयका तार देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी-में कोई बात लिख दें। मि० लाटनसे तथा अपने दूसरे मित्रोंसे सलाह करके जो उचित लगे वही करें। हां, यह बात मैं जानता हूं कि यदि आप आक्रमणकारियोंपर मामला न चालायंगे तो सब बातों-को शांत करनेमें मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जायगी।”

मैंने उत्तर दिया—“इस संबंधमें मेरे विचार निश्चित हो चुके हैं। यह तय है कि मैं किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको लिखे देता हूं।”

यह कहकर मैंने वह आवश्यक पत्र लिख दिया।

हमलेके दो-एक दिन बाद जब मैं मि० एस्कंबसे मिला तब मैं पुलिस थानेमें ही था। मेरे साथ मेरी रक्षाके लिए एक-दो सिपाही रहते थे। पर जब मैं मि० एस्कंबके पास ले जाया गया था, तब इस तरह रक्षाकी जरूरत ही नहीं रह गई थी ?

जिस दिन मैं जहाजसे उतरा उसी दिन अर्थात् पीला भंडा उतरते ही तुरंत, नेटाल ‘एडवरटाइजर’ का प्रतिनिधि मुझसे आकर मिला था। उसने कितनी ही बातें पूछी थीं और उसके प्रश्नोंके

उत्तरमें मैंने एक-एक बातका पूरा-पूरा जवाब दिया था। सर फिरोज-शाहकी नेक सलाहके अनुसार उस समय मैंने भारतमें एक भी भाषण बगैर लिखा नहीं दिया था। अपने इन तमाम लेखों और भाषणोंका संग्रह मेरे पास था ही। वे सब मैंने उसे दे दिये और यह साबित करा दिया कि भारतमें मैंने ऐसी एक भी बात नहीं कही थी, जो उससे कड़े शब्दोंमें दक्षिण अफ्रिकामें न कही हो। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 'कुरलैंड' तथा 'नादरी' के मुसाफिरोको लानेमें मेरा हाथ बिलकुल नहीं है। उनमेंसे बहुतेरे तो नेटालके ही पुराने वाशिदे थे, और शेष नेटाल जानेवाले नहीं, बल्कि ट्रांसवाल जानेवाले थे। उस समय नेटालमें रोजगार मंदा था। ट्रांसवालमें काम-धंधा खूब चल रहा था और आमदनी भी अच्छी होती थी। इसलिए अधिकांश हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे।

इसी स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोंपर मुकद्दमा न चलानेका प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि गोरोंको शर्मिदा होना पड़ा। अखबारोंने मुझे निर्दोष बताया और हुल्लड़ करनेवालोंको बुरा-भला कहा। इस प्रकार अंतमें मुझे इस घटनासे लाभ ही हुआ। और जो मेरा लाभ था वह कौमका ही लाभ था। इससे हिंदुस्तानी लोगोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और मेरा 'सत्याग्रह' का रास्ता अधिक सुगम हो गया।

तीन या चार दिनमें मैं घर गया और थोड़े ही दिनोंमें मैं अपना काम-काज देखने-भालने लगा।

सेवा-भाव और सादगी

मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुझे उससे संतोष न था। मनमें यह मंथन चलता ही रहता था कि जीवनमें अधिक सादगी आनी चाहिए, और कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए।

संयोगसे एक दिन एक अपंग कोढ़ी घर आ पहुंचा। पहले तो कुछ खानेको देकर हटा देनेको जी चाहा; पर बादको मैंने उसे एक कमरेमें रखा, उसके जख्मोंको धोया और शुश्रूषा की। किन्तु यह कितने दिनों तक चल सकता था? सदाके लिए उसे घरमें रखने योग्य न सुविधा थी, न हिम्मत। अतः मैंने उसे गिरमिटियोंके सरकारी अस्पताल में भेज दिया।

पर इससे मुझे तृप्ति न हुई। मनमें यह हुआ करता कि यदि ऐसा कोई शुश्रूषाका काम सदा मिलता रहे तो क्या ही अच्छा हो। डा० ब्रूथ सेंट एडम्स मिशनके अधिकारी थे। जो कोई आता उसे वह हमेशा मुफ्त दवा देते थे। बड़े भले आदमी थे; हृदय स्नेहपूर्ण था। उनकी देख-रेखमें पारसी रुस्तमजीके दानसे एक छोटा-सा अस्पताल खोला गया था। इसमें शुश्रूषकके तौरपर काम करने की मुझे बड़ी इच्छा हुई। एक-दो घंटेतक उसमें दवा देनेका काम रहता था। दवा बनानेवाले किसी अवैतनिक या स्वयंसेवककी वहां जरूरत थी। मैंने इतना समय अपने काममेंसे

निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया। वकालत संबंधी मेरा काम तो इतना ही था—दफ्तरमें बैठे-बैठे सलाह देना, दस्ता-वेजके मसविदे बनाना और भगड़े सुलभाना। मजिस्ट्रेटके इज-लासमें थोड़े-बहुत ही मुकदमे रहते। उनमेंसे अधिकांश तो अविवादास्पद होते थे। जब ऐसे मुकदमे होते तब मेरे साथी श्रीखान उनकी पैरवी कर देते। वह मेरे बाद आये थे और मेरे साथ ही रहते थे। उनके इस सहयोगके कारण मैं इस छोटसे अस्पतालमें काम करने लगा।

रोज गुवह वहां जाता। आने-जाने और काम करनेमें कोई दो घंटे लगते। इस कामसे मेरे मनको शांति मिली। रोगीसे हाल-चाल पूछकर डाक्टरको समझाना और डाक्टर जो दवा बतावे वह तैयार करके दे देना वह मेरा काम था। इस कार्यसे मैं दुःखी हिंदुस्तानियोंके निकट संबंधमें आने लगा। उसमें ज्यादातर लोग तो तामिल और तेलगू या उत्तर भारतीय गिरमिटिया थे।

यह अनुभव मुझे आगे जाकर बड़ा उपयोगी साबित हुआ। बोअर-युद्धके समय घायलोंकी शुश्रूषामें तथा दूसरे रोगियोंकी सेवा टहलमें मुझे उससे बड़ी सहायता मिली।

इस प्रकार सेवा द्वारा लोगोंके निकट परिचयमें आना शुरू हुआ। उसके साथ ही सादगीकी ओर भी झुकाव बढ़ा।

यद्यपि मेरा रहन-सहन शुरूमें कुछ ठाट-बाटका था परंतु उसका मोह मुझे नहीं हुआ। इसलिए घर-गृहस्थी जमाते ही मैंने खर्च कम करनेकी शुरुआत की। धुलाईका खर्च कुछ ज्यादा

मालूम हुआ। धोबी नियमित रूपसे कपड़े भी न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जन कमीज और इतने ही कालरसे कममें काम न चलता। कालर रोज बदलता था; कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन जरूर बदलता। इस तरह दोहरा खर्च लगता। यह मुझे व्यर्थ मालूम हुआ। इसलिए घरपर ही कपड़े धोनेकी शुरुआत की। धुलाई-विद्याकी पुस्तक पढ़कर धोना सीख लिया और पत्नीको भी सिखा दिया। इससे कामका कुछ भार बढ़ा तो; पर एक नई चीज थी; इसलिए मनोरंजन भी होता।

पहले-पहल जो कालर मैंने धोया उसे मैं कभी न भूल सकूंगा। इसमें कलफ ज्यादा था, और इस्त्री पूरी गरम न थी। फिर कालरके जल जानेके भयसे इस्त्री ठीक-ठीक दबाई नहीं गई थी। इस कारण कालर कड़ा तो होगया; पर उसमेंसे कलफ भिरता रहता था।

इसी कालरको लगाकर मैं अदालतमें गया और बैरिस्टरोंके मजाक-का साधन बन गया; परन्तु ऐसी हंसी-दिल्लीगीको सहन करने की क्षमता मुझमें उस समय भी कम न थी।

“कालर हाथसे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमें से कलफ भिर रहा है। पर मेरा इसमें कुछ हर्ज नहीं होता। फिर आप सब लोगोंके इतने विनोदका कारण हुआ, यह विशेष बात है।” मैंने स्पष्टीकरण किया।

“पर धोबी क्या नहीं मिलते ?” एक मित्रने पूछा।

“यहां धोबीका खर्च मुझे नगावार मालूम हो रहा है। कालर-

की कीमतके बराबर धुलाईका खर्च—और फिर भी धोबीकी गुलामी बरदाश्त करनी पड़ती है, सो अलग। इसकी बनिस्बत तो मैं घरपर हाथसे धो लेना ही ज्यादा पसंद करता हूँ।”

पर स्वावलंबनकी यह खूबी मैं अपने मित्रोंको न समझा सका।

मुझे कहना चाहिए कि अंतको मैंने अपने कामके लायक कपड़े धोनेकी कुशलता प्राप्त कर ली थी, और कहना होगा कि धोबीकी धुलाईसे घरकी धुलाई किसी तरह घटिया न रहती थी। कालर-का कड़ापन और चमक धोबीके धोये कालरसे किसी तरह कम न थी।

गोखलेके पास स्व० महादेवगोविंद रानडेका प्रसाद-स्वरूप एक दुपट्टा था। गोखले उसे बड़े जतनसे रखते और प्रसंग-विशेष-पर ही उसका इस्तेमाल करते। जोहांसबर्गमें उनके स्वागतके उपलक्ष्य में जो भोज हुआ था, वह अवसर बड़े महत्त्वका था। दक्षिण अफ्रिकामें यह उनका सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण था। इसलिए इस अवसरपर अपना वह दुपट्टा डालना चाहते थे। उसमें सलवटें पड़ गई थीं और इस्त्री करनेकी जरूरत थी। धोबीके यहां भेजकर तुरन्त इस्त्री करा लेना सम्भव न था। मैंने कहा—“जरा मेरी विद्याको भी आजमा लीजिए।”

“तुम्हारी वकालतपर मैं विश्वास कर सकता हूँ, पर इस दुपट्टे पर तुम्हारी धुलाई-कलाका प्रयोग न होने दूंगा। तुम इसे जला डालो तो? जानते हो यह कितना अमूल्य है?” यह कहकर उन्होंने अति उल्लाससे उस प्रसादीकी कथा कह सुनाई।

मैंने नम्रताके साथ दाग न पड़ने देनेकी जिम्मेदारी ली और मुझे इस्त्री करनेकी इजाजत मिल गई। बादमें अपनी कुशलताका प्रमाण-पत्र भी मुझे मिला। अब यदि दुनिया मुझे प्रमाण-पत्र न दे तो इससे क्या ?

२०

एक पुण्य-स्मरण और प्रायश्चित्त

डरबन और जोहांसबर्गमें मेरे साथ कई मित्र और बहुत बार मेरे कारकुन भी रहते थे। वे आमतौरपर हिंदू और ईसाई होते थे, अथवा प्रांतोंके हिसाबसे कहें तो गुजराती और मद्रासी। मुझे याद नहीं आता कि कभी उनके विषयमें मेरे मनमें कोई भेद-भाव पैदा हुआ हो। मैं उन्हें बिल्कुल घरके जैसा समझता। यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं बल्कि स्वभाव ही है। मेरा एक क्लर्क ईसाई था। उसके मां-बाप पञ्चम जातिके थे। कमरोंमें पेशाबके लिए एक अलग बर्तन होता था। उसे साफ करनेका काम हम दोनों—दम्पति—का था, नौकरों का नहीं। हां, जो कारकुन लोग अपने-को हमारा कुटम्बी-सा मानने लगते थे वे तो खुद ही उसे साफ कर डालते थे। लेकिन ये पञ्चम जातिमें जन्मे कारकुन नये थे। उनका बर्तन हमें ही उठाकर साफ करना चाहिए था, और बर्तन तो कस्तूरबाई उठाकर साफ कर देतीं; लेकिन इन भाईका बर्तन उठाना उसे असह्य मालूम हुआ। इसलिए हम दोनोंमें काफी विवाद हुआ। यदि मैं उठाता हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता था और खुद उठाना उसके लिए कठिन था। फिर भी आंखोंसे मोती-

की बून्दें टपक रही हैं एक हाथमें बर्तन है और अपनी लाल-लाल आंखोंसे उलहना देती हुई कस्तूरबाई सीढ़ियोंसे उतर रही हैं ! वह चित्र मैं आज भी ज्यों-का त्यों खींच सकता हूं ।

परन्तु मैं जैसा सहृदय और प्रेमी पति था वैसा ही निठुर और कठोर भी था । मैं अपनेको उसका शिक्षक मानता था । इससे, अपने अन्ध-प्रेमके अधीन हो, मैं उसे खूब सताता था । इस कारण महज उसके बर्तन उठा ले जाने-भरसे मुझे सन्तोष न हुआ । मैंने यह भी चाहा वह प्रसन्नता-पूर्वक यह काम करे । इसके लिए मैंने उसे डांटा-डपटा भी । मैं उत्तेजित होकर यह कह गया—“देखो, यह बखेड़ा मेरे घरमें न चल सकेगा ।”

मेरा यह बोल कस्तूरबाईको तीरकी तरह लगा । उसने भरे हुए दिलसे कहा—“तो संभालो अपना घर ! यह मैं चली ।”

उस समय मैं ईश्वरको भूल गया था । लेश-मात्र दया मेरे हृदयमें न रह गई थी । मैंने उसका हाथ पड़ा । सीढ़ीके सामने ही बाहर निकलनेका दरवाजा था । मैं उस दीन अबलाका हाथ पकड़कर दरवाजे तक खींचकर ले आया । दरवाजा आधा खोला था कि आंखोंमें गंगा-जमनाकी धार बहाती हुई कस्तूरबाई बोली—

“तुम्हें तो कुछ शरम है नहीं; पर मुझे है । जरा तो लजाओ । मैं बाहर निकलकर जाऊं कहाँ ? मां-बाप भी यहां नहीं कि उनके पास चली जाऊं । मैं ठहरी स्त्री । इसलिए मुझे तुम्हारी धौंस सुननी ही पड़ेगी । अब शरम करो और दरवाजा बन्द करलो । कोई देख लेगा तो दोनोंकी फजीहत होगी ।”

मैंने अपना चेहरा सुर्ख तो बनाये रखा; पर मनमें शरमा जरूर गया। दरवाजा बन्द कर दिया। जब पत्नी मुझे नहीं छोड़ सकती थी, तब मैं भी उसे छोड़कर कहां जा सकता था? इस तरह हमारे आपसमें कई बार लड़ाई-भगड़े हुए हैं; परन्तु उनका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उसमें पत्नीने अपनी अद्भुत सहनशीलता-के द्वारा हमेशा विजय प्राप्त की है।

आज मैं तबकी तरह मोहांध पति नहीं हूँ, न उसका शिष्य ही हूँ। हम आज एक-दूसरेके भुक्त-भोगी मित्र हैं, एक दूसरेके प्रति निर्विकार रहकर जीवन बिता रहे हैं। कस्तूरबाई आज ऐसी सेविका बन गई है, जो मेरी बीमारियोंमें बिना प्रतिफलकी इच्छा किये सेवा-शुश्रूषा करती है।

मेरा अनुगमन करनेमें उसने अपने जीवनकी सार्थकता मानी है और स्वच्छ जीवन बितानेके मेरे प्रयत्नोंमें उसने कभी बाधा नहीं डाली। इस कारण यद्यपि हम दोनोंकी बुद्धि और शक्तिमें बहुत अन्तर है, फिर भी मेरा खयाल है कि हमारा जीवन सन्तोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी है।

२१

बोअर-युद्ध

१८६७ से ६६ ई० तकके जीवनके दूसरे कई अनुभवोंको छोड़कर अब बोअर-युद्धपर आता हूँ। जब यह युद्ध छिड़ा तब मेरी सहानुभूति बिलकुल बोअरोंके पक्षमें थी; पर मैं यह मानता था कि ऐसी बातोंमें अपने व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार काम करनेका

अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्धमें जो मंथन मेरे हृदय में हुआ, उसका सूक्ष्म निरीक्षण मैंने 'दक्षिण अफ्रिकाके साहित्यका इतिहास'^१ में किया है; जिनको जाननेकी इच्छा हो वे उस पुस्तकको पढ़ लें। यहां तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रिटिश राज्यके प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में योग देनेके लिए जबर्दस्ती घसीट ले गई। मैंने सोचा कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे हकोंका मतालवा कर रहा हूं तो ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे ब्रिटिश राज्यकी रक्षामें सहायक होना मेरा धर्म है। ब्रिटिश-साम्राज्यमें हिन्दुस्तानकी सब तरफ उन्नति हो सकती है, यह उस समय मेरा मत था।

इसलिए जितने साथी मिले उनको लेकर, अनेक मुसीबतोंका सामना करके हमने घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाली एक टुकड़ी तैयार की। अबतक अंग्रेजोंकी यह आम धारणा थी कि यहांके हिन्दुस्तानी जोखमके कामोंमें नहीं पड़ते, स्वार्थके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता। इसलिए कितने ही अंग्रेज मित्रोंने मुझे निराशाजनक उत्तर दिये। अलबत्ता डा० बूथने खूब प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हमें घायल सिपाहियोंकी शुश्रूषा करनेकी शिक्षा दी। अपनी योग्यताके सम्बन्धमें मैंने डाक्टरके प्रमाण-पत्र प्राप्त किये।

सरकारने इस सिलसिलेमें हमारी प्रार्थना स्वीकार की और इस टुकड़ीमें लगभग ग्यारहसौ लोग होगये। उनमें लगभग चालीस मुखिया थे। कोई तीन सौ स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी भरती हुए थे, और

शेष गिरमिटिया थे । डा० बूथ भी हमारे साथ थे । टुकड़ीने अपना काम अच्छी तरह किया । यद्यपि उसका कार्य-क्षेत्र लड़ाईके मैदानके बाहर था और रेडक्रास^१ चिह्न उनकी रक्षाके लिए लगा हुआ था, फिर भी आवश्यकताके समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्रकी हृदके अन्दर भी काम करनेका अवसर हमें मिला । ऐसी जोखिममें न पड़ने देनेका इकरार सरकारने अपनी इच्छासे हमारे साथ किया था; परन्तु स्पियांकोपकी हारके बाद स्थिति बदली । इस कारण जनरल बुलरने संदेश भेजा कि यद्यपि आप जोखिमकी जगह काम करनेके लिए बंधे हुए नहीं हैं, फिर भी यदि आप खतरेका सामना करके घायल सिपाहियों अथवा अफसरोंको रण-क्षेत्रसे उठाकर डोलियोंमें ले जानेके लिए तैयार हो जायेंगे तो सरकार आपका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम उठानेके लिये तैयार ही थे । अतएव स्पियांकोपके युद्धके बाद हम गोला-बारूदकी हृदके अंदर भी काम करने लगे ।

इन दिनों हम सबको कई बार बीस-पच्चीस मीलकी मंजिल तय करनी पड़ती थी । एक बार तो घायलोंको डोलीमें रखकर इतनी दूर चलना भी पड़ा था । जिन घायल योद्धाओंको हम उठाकर ले जाते थे उनमें जनरल उडगेड इत्यादि भी थे ।

छः सप्ताहके बाद हमारी टुकड़ीको छुट्टी मिल गई । हमारी इस

^१ रेडक्रास अर्थ है लाल स्वस्तिक । युद्धमें इस चिह्नसे अङ्कित पट्टे शुश्रूषा करनेवालोंके बायें हाथमें बन्धे रहते हैं, और ऐसे नियम हैं कि शत्रु भी उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते ।

छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत प्रशंसा हुई। उससे हिंदुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी। 'आखिर हिंदुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही! ऐसे गीत गाये गए।

मनुष्य-स्वभाव दुःखके समय कैसा नम्र हो जाता है, इसकी एक मधुर-स्मृति यहां दिये बिना नहीं रह सकता। हम लोग चीवली छावनीकी ओर जा रहे थे। यह वही क्षेत्र था जहां लार्ड राबर्ट्सके पुत्र लेफ्टिनेंट राबर्ट्सको मर्मांतक गोली लगी थी। लेफ्टिनेंट राबर्ट्सके शवको लेजानेका गौरव हमारी टुकड़ी को प्राप्त हुआ था। लौटते समय दिनमें धूप कड़ी थी। हम कूच कर रहे थे। सब प्यासे थे। पानी पीनेके लिए रास्तेमें एक छोटा-सा झरना पड़ा। सवाल उठा, पहले कौन पानी पिये ? मैंने सोचा था कि 'टामियोंके पी लेने के बाद हम पियेंगे। टामियोंने हमें देखकर तुरंत कहा— "पहले आप लोग पीलें।" हमने कहा— "नहीं पहले आप पीलें।" इस तरह बहुत देर तक हमारे और उनके बीच मधुर आग्रहकी खींचा-तानी होती रही।

इस अध्यायको खत्म करनेसे पहले मुझे एक महत्त्वपूर्ण घटनाका जिक्र करना चाहिए। जब लेडी स्मिथपर बोअरोंने घेरा डाल रखा था तब वहां जो लोग थे, उनमें अंग्रेजोंके अलावा कुछ वहींके निवासी हिंदुस्तानी भी थे। उनमेंसे कुछएक तो व्यापार करते थे और कुछ रेलवेमें मजदूरी या यूरोपियन लोगोंके यहां नौकरी करते थे। इनमेंसे एक प्रभुसिंह था। लेडी स्मिथके कमांडिंग आफिसरने उस जगहके हर आदमीको कुछ-न-कुछ काम सौंप रखा था। शायद सबसे ज्यादा खतरनाक और भारी-से-भारी जिम्मेदारी-

का काम इस प्रभुसिंह कुलीको सौंपा गया था। लेडी स्मिथके पासकी एक पहाड़ीपर बोअरोंने अपनी योमपोम नामक तोप लगा रखी थी; जिनके गोलोंसे बहुत-सी इमारतें नष्ट हो चुकी थीं और कितने ही मनुष्य तथा पशु भी मारे गये थे। तोपसे गोला छूटनेके कम-से-कम एक या दो मिनट बाद वह अपने दूरके लक्ष्यपर पहुंचता था। अगर घेरेमें पड़े लोगोंको पहलेसे सूचना मिल जाय तो गोला उनके बीचमें गिरनेके पहले वे अपने-आपको आड़में कर सकते थे। प्रभुसिंह एक पेड़पर छिपकर बैठा रहा करता था और जबतक तोपें चलती रहतीं उसकी आंखें पहाड़ीकी ओर ही लगी रहती थीं और ज्यों ही वह तोप छूटनेकी चमक देखता, घंटी बजा देता था। घंटी बजते ही लेडी स्मिथके निवासी सजग हो जाते थे और एकदम अपने-आपको आड़में छिपाकर अपनी जान बचा लेते थे।

उसकी बहादुरी की चर्चा आखिरकार लार्ड कर्जन तक पहुँची, जो उस समय भारतके वाइसराय थे। उन्होंने प्रभुसिंहको भेंटस्वरूप एक कश्मीरी पोशाक भिजवाई थी।

२२

देश-गमन

लड़ाईके कामसे मुक्त होनेके बाद मैंने सोचा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रिकामें नहीं, बल्कि देशमें है। दक्षिण अफ्रिकामें बैठे-बैठे मैं कुछ-न-कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था; परंतु मैंने देखा कि यहां कहीं मेरा मुख्य काम धन कमाना ही न हो जाय।

देशसे मित्र लोग भी देश लौट आनेको आकर्षित कर रहे थे।

मुझे भी जंचा कि देश जाने से मेरा अधिक उपयोग हो सकेगा । नेटालमें मि० खान और मनुसुखलाल नाज़र थे ही ।

मैंने साथियोंसे छुट्टी देनेका अनुरोध किया । बड़ी मुश्किलसे उन्होंने एक शर्तपर छुट्टी स्वीकार की । वह यह कि एक सालके अंदर यहांके लोगों को मेरी जरूरत मालूम हो तो मैं फिर दक्षिण अफ्रिका आजाऊं । मुझे यह शर्त कठिन मालूम हुई; परंतु मैं तो प्रेम-पाशमें बंधा हुआ था ।

काचे रे तांतणे मने हरजीए बांधी

जेम ताणे तेम तेमनी रे

मने लगी कटारी प्रेमनी ।

मीराबाईकी यह उपमा न्यूनाधिक अंशमें मुझपर घटित होती थी । पंच भी परमेश्वर ही हैं । मित्रोंकी बातको मैं टाल नहीं सकता था । मैंने वचन देकर इजाज़त ली ।

इस समय मेरा निकट संबंध प्रायः नेटालके ही साथ ही था । नेटालके हिंदुस्तानियोंने मुझे प्रेमामृत से नहला डाला । स्थान-स्थान-पर अभिनंदन पत्र दिये गये और हर जगहसे कीमती चीजें भेंटकी गईं ।

१८६६में जब मैं आया था तब भी भेंटें मिली थीं; पर इस बारकी भेंटों और सभाओंके दृश्योंसे मैं घबराया । भेंटमें सोने-चांदीकी चीजें तो थी हीं; पर हीरेकी भी थीं ।

इन सब चीजोंको स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता है ? यदि मैं मंजूर कर लूं तो फिर अपने मनको यह कहकर

कैसे मना सकता हूँ कि मैं पैसा लेकर लोगोंकी सेवा नहीं करता था। मेरे मवक्किलोंकी कुछ रकमोंको छोड़कर बाकी सब चीजें मेरी लोक-सेवाके उपलब्धमें दी गई थीं। पर मेरे मनमें तो मवक्किल और दूसरे साथियोंमें कुछ भेद न था। मुख्य-मुख्य मवक्किल सब सार्व-जनिक काममें भी सहायता देते थे।

फिर उन भेंटोंमें एक पचास गिन्नीका हार कस्तूरवाईके लिए था। मगर उसे जो चीज मिली थी वह भी तो मेरी ही सेवाके फलस्वरूप न ! अतएव उसे अलग नहीं मान सकते थे।

जिस शामको इनमेंसे मुख्य-मुख्य भेंटें मिलीं, वह रात मैंने एक पागल की तरह जागकर काटी। कमरेमें इधर-से-उधर टहलता रहा; परन्तु गुत्थी किसी तरह रुलभती न थी। त्रैकड़ों रुपयोंकी भेंट न लेना भारी पड़ रहा था; पर ले लेना उससे भी भारी मालूम होता था।

मैं चाहे इन भेंटोंको पचा भी सकता, पर मेरे बच्चे और पत्नी ? उन्हें तालीम तो सेवाकी मिल रही थी। सेवाका दाम नहीं लिया जा सकता, यह हमेशा समझाया जाता था। घरमें कीमती जेवर आदि मैं नहीं रखता था। सादगी बढ़ती जाती थी। ऐसी अवस्थामें सोनेकी घड़ियां कौन रखेगा ? सोनेकी कंठी और हीरेकी अंगूठियां कौन पहनेगा ? गहनोंका मोह छोड़नेके लिए मैं उस समय भी औरोंसे कहता रहता था। अब इन गहनों और जवाहरातको लेकर मैं क्या करूंगा।

मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वे चीजें मैं हरगिज नहीं रख

सकता। पारसी रुस्तमजी इत्यादिको इन गहनोंका ट्रस्टी बनाकर उनके नाम एक चिट्ठी तैयार की और सुबह स्त्री-पुत्रादिसे सलाह करके अपना बोझ हलका करनेका निश्चय किया।

मैं जानता था कि पत्नीको समझाना मुश्किल पड़ेगा। मुझे विश्वास था कि इन बालकोंको समझानेमें जरा भी दिक्कत न होगी। अतएव उन्हें अपना वकील बनानेका निश्चय किया।

बच्चे तो तुरन्त समझ गये। वे बोले, “हमें गहनोंसे कुछ मतलब नहीं; ये सब चीजें हमें लौटा देनी चाहिए। और यदि जरूरत होगी तो क्या हम खुद न बना सकेंगे?”

मैं प्रसन्न हुआ। “तो तुम—बा मांको समझाओगे न?” मैंने पूछा। “जरूर-जरूर! वह कहां इन गहनोंको पहनने चली हैं। वह रखना चाहेंगी भी तो हमारे लिए न? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है, तब फिर वे क्यों जिद करने लगीं?”

परन्तु काम अन्दाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ।

“तुम्हें चाहे जरूरत न हो और लड़कोंको भी न हो। बच्चोंका क्या; जैसा समझा दें, समझ जाते हैं। मुझे न पहनने दो; पर मेरी बहुओंको जरूरत न होगी? और कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? जो चीज लोगोंने इतने प्रेमसे दी है उसे वापस लौटाना ठीक नहीं।” इस प्रकार वाग्धारा शुरू हुई और उसके साथ अश्रुधारा भी आ मिली। लड़के दृढ़ रहे, और मैं क्यों डिगने लगा।

मैंने धीरेसे कहा—पहले लड़कोंकी शादी तो हो लेने दो।

हम बचपनमें तो इनके विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। बड़े होने-पर जो इनका जी चाहे सो करें। फिर हमें क्या गहनों-कपड़ोंकी शौकीन बहुएं खोजनी हैं? फिर भी अगर कुछ बनवाना होना तो मैं कहां चला गया हूं।”

“हां, जानती हूं तुमको। वही न हो, जिन्होंने मेरे गहने उतरवा लिये हैं! जब मुझे ही नहीं पहनने देते हो तो मेरी बहुओंको जरूर ला दोगे! लड़कोंको तो अभीसे बैरागी बना रहे हो। इन गहनोंको मैं वापस नहीं देने दूंगी; और फिर मेरे हारपर तुम्हारा क्या हक?”

“पर यह हार तुम्हारी सेवाके खातिर मिला है या मेरी?”
मैंने पूछा।

“जैसे भी हो, तुम्हारी सेवामें क्या मेरी सेवा नहीं है? मुझसे जो रात-दिन मजूरी कराते हो, क्या वह सेवा नहीं है? मुझे रुला-रुलाकर जो एरों-गैरोंके घरमें रखा और मुझसे सेवा-टहल कराई, वह कुछ भी नहीं।”

यह सब तीखे बाण थे। कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे; पर गहने वापस लौटानेका तो मैं निश्चय ही कर चुका था। अन्तको बहुतेरी बातोंमें मैं जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। १८६६ और १६०१ में मिली सब भेंटें वापस लौटाईं। उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोंकी इच्छाके अनुसार होनेकी शर्तपर वह रकम बैंकमें रखी गई। इन चीजोंको बेचनेके निमित्तसे मैं बहुत बारं रुपया एकत्र कर

सका हूं। आज भी आपत्ति-कोषके रूपमें वह रकम मौजूद है और उसमें वृद्धि होती जाती है।

इस बातके लिए मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। आगे चलकर कस्तूरबाईको भी उसका औचित्य जंचने लगा। इस तरह हम अपने जीवनमें बहुतेरे लालचोंसे बच गये हैं।

मेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवीको जो भेंटें मिलती हैं, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकती।

जब मैं स्वदेश पहुंचा तो उस साल कलकत्तेमें होनेवाली कांग्रेसके अवसरपर मुझे लोगोंकी सेवा करनेका काफी अवसर मिला। मैंने स्वयंसेवकोंको भाड़ू लगाने और कूड़ा-करकट साफ करनेका पदार्थ-पाठ दिया, साथ ही कांग्रेसके एक प्रधानमंत्री श्रीयुत घोषालके कारकुन और 'बेरा' (नौकर) का काम करनेका सौभाग्य भी मिला। स्व० गोखलेका मैं चिरकृतज्ञ रहूंगा, जिन्होंने मेरे स्वदेश लौट आनेके बादसे मुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना और उन्हींकी कृपासे मुझे कांग्रेसमें दक्षिण अफ्रिकाके बारेमें एक प्रस्ताव पेश करनेका अवसर मिला। उन्होंने मेरे तमाम कामोंमें गहरी दिलचस्पी ली और मुझे उन सब खास-खास व्यक्तियोंसे परिचित कराया, जिनसे मेरा परिचित होना वह ठीक समझते थे। उन्हें काम करते देखकर खुशी तो होती थी, एक शिक्षा भी मिलती थी। जो कुछ भी वह करते उसका देश-हितसे घनिष्ठ सम्बन्ध होता। उनको इस बातकी बड़ी चिन्ता थी कि मैं बम्बईमें जम जाऊ और वकालत करते हुए उन्हें सार्वजनिक यानी

कांग्रेस-कार्यमें मदद पहुंचाऊं। मैंने उनकी सलाहकी कद्र की; लेकिन मुझे बैरिस्टरके रूपमें अपनी कामयाबीका विश्वास नहीं होता था। मैंने राजकोटमें काम चालू किया और काम ठीक चल निकला था कि हमारे परिवारके उन्हीं शुभचिंतक मित्र श्री केवलराम मावजी दवेने, जिन्होंने मुझे इंग्लैंड भिजवाया था, इस बातपर आग्रह किया कि मैं बम्बईमें जाकर वकालत करूं।

उन्होंने कहा—“आप तो लोक-सेवा करनेके लिए पैदा हुए हो। इसलिए आपको हम यहां काठियावाड़में दफन नहीं होने देंगे। बोलो, कब जा रहे हो ?”

“नेटालसे मेरे कुछ रुपये आने बाकी हैं, उनके आनेपर चला जाऊंगा।”

दो-एक सप्ताहमें रुपये आगये और मैं बम्बई चला गया। वहां मैंने पेन, राल्वर्ट और सयानीके आफिसमें “चेंबर्स” किराये लिये और वहीं जम गया।

आफिसके साथ ही मैंने गिरगांवमें घर लिया; परन्तु ईश्वरने मुझे स्थिर नहीं रहने दिया। घर लिये बहुत दिन नहीं हुए थे कि मेरा दूसरा लड़का मणिलाल बीमार हो गया। काल-ज्वरने उसे घेर लिया था। बुखार उतरता ही नहीं था। उसे घबराहट तो थी ही; पर रातको सन्निपातके लक्षण भी दिखाई देने लगे। इससे पहले, बचपनमें, उसे चेचक भी जोरोंकी निकल चुकी थी।

डाक्टरकी सलाह ली तो उन्होंने कहा—“इसके लिए दवाई काम नहीं दे सकती, अब तो इसे अण्डे और मुर्गीका शोरबा

देनेकी जरूरत है।”

मणिलालकी उम्र दस सालकी थी, उससे तो मुझे इस विषयमें क्या पूछना था ? उसका संरक्षक तो मैं ही था, और मुझे ही निर्णय करना था। डाक्टर एक पारसी सज्जन थे। मैंने कहा—
“डाक्टर, हम तो सब अन्नाहारी हैं, मेरा विचार तो इसे इनमेंसे एक भी वस्तु देनेका नहीं है। दूसरी कोई वस्तु बतलाइए न ?”

डाक्टर बोले—“तुम्हारे लड़केकी जान खतरेमें है। दूध और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा संतोष नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि मैं तो बहुतसे हिन्दू-परिवारोंमें जाया करता हूँ; पर दवाके लिए तो हम जो चाहते हैं वही उन्हें देते हैं, और वे उसे लेते भी हैं। मैं समझता हूँ कि तुम भी अपने लड़केके साथ ऐसी सख्ती न करो तो अच्छा होगा।”

“आप जो कहते हैं वह तो ठीक है, और आपको ऐसा कहना ही चाहिए; पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि लड़का बड़ा होता तो जरूर उसकी इच्छा जाननेका प्रयत्न भी करता और जो वह चाहता वही उसे करने देता; पर यहां तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूँ कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समय होती है। चाहे ठीक हो चाहे गलत, मैंने तो इमको धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादिक न खाना चाहिए। जीवनके साधनोंकी भी सीमा होती है। जीनेके लिए भी अमुक वस्तुओंको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे और मेरे परिवारके लोगोंको भी ऐसे समयपर मांस इत्यादि लेनेसे

रोकती है। इसलिए आप जिस खतरेको देखते हैं मुझे उसे उठाना ही चाहिए; पर आपसे मैं एक बात चाहता हूँ। आपका इलाज तो मैं नहीं करूँगा; पर मुझे नाड़ी और हृदयको देखना नहीं आता है। जल-चिकित्साकी मुझे थोड़ी जानकारी है। उन उपचारोंको मैं करना चाहता हूँ; परन्तु जो आप नियमसे मणिलालको देखने आते रहें, और उसके शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंसे मुझे वाकिफ करते रहेंगे, तो मैं आपका उपकार मानूँगा।”

सज्जन डाक्टर मेरी कठिनाइयोंको समझ गये और इच्छा-नुसार उन्होंने मणिलालको देखनेके लिए आना मंजूर कर लिया।

यद्यपि मणिलाल अपनी राय कायम करने लायक नहीं था, तो भी डाक्टरके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, वह उसे मैंने सुनाई और अपने विचार प्रकट करनेको कहा।

“आप बे-खटके जल-चिकित्सा कीजिए। मैं शोरबा नहीं पीऊँगा और न अण्डे खाऊँगा।” उसके इन वाक्योंसे मैं प्रसन्न हो गया; यद्यपि मैं जानता था कि अगर मैं उसे दोनों चीजें खानेको कहता तो वह खा भी लेता।

मैं कूनेकी जल-चिकित्साको जानता था, उसका उपयोग भी किया था। बीमारीमें उपवासका स्थान बड़ा है, यह मैं जानता था। कूनेकी पद्धतिके अनुसार मैंने मणिलालको कटि-स्नान कराना शुरू किया। तीन मिनटसे ज्यादा उसे मैं टबमें नहीं रखता। तीन दिन तो सिर्फ संतरेके रसमें पानी मिलाकर देता रहा और उसीपर रखा।

बुखार दूर नहीं होता था और रातको वह कुछ कुछ बड़बड़ाता भी था। बुखार १०४ डिग्री तक हो जाता था। मैं घबराया। यदि बच्चेको खो बैठा तो दुनिया में लोग मुझे क्या कहेंगे? बड़े भाई क्या कहेंगे? दूसरे डाक्टरोंको क्यों न बुलाया जाय? किसी वैद्यको क्यों न बुलाऊं? मां-बापको अपनी अधूरी अकल आजमानेका क्या हक है?

ऐसे विचार उठते। पर ये विचार भी उठते—“जीव ! जो तू अपने लिए करता है, वह लड़केके लिए भी करेगा तो परमेश्वर संतोष मानेंगे। तुझे जल-चिकित्सा पर श्रद्धा है, दवापर नहीं। डाक्टर जीवनदान तो देते नहीं। उनके भी तो आखिर प्रयोग ही होते हैं न। जीवनकी डोरी तो एक-मात्र ईश्वरके ही हाथमें है। ईश्वरका नाम ले और उसपर श्रद्धा रख। अपने मार्गको न छोड़।”

मनमें इस तरह उथल-पुथल मचती रही। रात हुई। मैं मणिलालको अपने पास लेकर सोया हुआ था। मैंने निश्चय किया कि उसे भीगी चादरकी पट्टीमें रखा जाय। मैं उठा, कपड़ा लिया, ठंडे पानीमें उसे डुबोया और निचोड़कर उसमें पैरसे लेकर सिर तक उसे लपेट दिया, और ऊपरसे दो कम्बल ओढ़ा दिये। सिरपर भीगा हुआ तौलिया भी रख दिया। शरीर तबेकी तरह तप रहा था, पसीना तो आता ही न था।

मैं खूब थक गया था। मणिलालको उसकी मांको सौंपकर मैं आध घंटेके लिए चौपाटीकी तरफ गया कि खुली हवामें ताज़गी और शांति प्राप्त करूं। रातके दस बजे होंगे। मनुष्योंकी आमद-

रफ्त कम होगई थी; पर मुझे इसका खयाल न था। मैं अपने विचार-सागरमें गोते लगा रहा था। “हे ईश्वर! इस धर्म-संकटमें तू मेरी लाज रखना।” मुंहसे ‘राम-राम’ की रटन तो चल ही रही थी। कुछ देर बाद वापस लौटा। मेरा कलेजा धड़क रहा था। घरमें घुसते ही मणिलालने आवाज दी—“बापू आ गये?”

“हां भाई!”

“मुझे इसमेंसे निकालिए न? मैं तो मारे आगके मरा जा रहा हूँ।”

“क्यों, क्या पसीना आ रहा है?”

“अजी, मैं तो पसीनेसे तर होगया। अब तो मुझे निकालिए?”

मैंने मणिलालका सिर देखा। उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी बूंदें चमक रही थीं। बुखार कम हो रहा था। ईश्वरको धन्यवाद दिया।

“मणिलाल घबरा मत, अब तेरा बुखार चला जायगा; पर कुछ और पसीना आ जावे तो कैसा?” मैंने उससे कहा।

उसने कहा—“नहीं बापू! अब तो मुझे छुड़ाइए। फिर देखा जायगा!”

मुझे धैर्य आ गया था। इसलिए बातों-ही-बातोंमें कुछ मिनट लगा दिये। सिरसे पसीनेकी धारा बह चली। मैंने चदरको अलग किया, और शरीरको पोंछकर सुखा दिया। बाप-बेटे दोनों सो गये और खूब सोये।

सुबह देखा तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया था।

दूध, पानी तथा फलोंपर चालीस दिन तक रखा। मैं बेधड़क हो गया था। बुखार हठीला था; पर वह काबूमें आगया था। आज मेरे लड़कोंमें मणिलाल ही सबसे अधिक स्वस्थ और मजबूत है।

इसका निर्णय कौन कर सकता है कि यह रामजीकी कृपा है या जल-चिकित्सा, अल्पाहार अथवा और किसी उपाय की? भले ही सब अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार बरतें; पर उस वक्त मेरी तो ईश्वरने ही लाज रखी। यही मैंने माना, और आज भी मानता हूँ।

२३

फिर दक्षिण अफ्रिका

पर जैसे ही मैंने बम्बईमें स्थिर होनेका निश्चय किया और कुछ स्वस्थताका अनुभव करने लगा कि एकाएक दक्षिण अफ्रिकासे तार आ पहुंचा—“चेंबरलेन यहां आ रहे हैं, तुम्हें शीघ्र आना चाहिए।” मुझे अपने बचन याद थे, अतः मैं अपना आफिस समेट-समाटकर रवाना हो गया।

दक्षिण अफ्रिका पहुंचते ही मुझे जैसी वहांकी दुःखदायी राजनीतिक हालत मिली; पाठकोंको उसके विस्तारमें डालनेकी जरूरत नहीं। बोअर-युद्धके समय की गई प्रवासी भारतियोंकी सेवाओंको भुलाया जा चुका था। भारतीयोंकी हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही थी और उनपर नई-नई मुसीबतें लादी जा रही थीं। वहां जाते ही मैंने समझ लिया कि अगर मुझे सचमुच ही वहां रहने वाले स्वदेशवासियोंकी सेवा करनी है तो मुझे अब दक्षिण अफ्रिका-में काफी अर्से तक रहना होगा। मैंने जोहांसबर्गमें दफ्तर खोलने-

का निश्चय किया। कुछ परिश्रम करनेपर नगरके अच्छे मुहल्लेमें मुझे कमरे रहनेको मिल गये।

इधर तो कामकी सेवामें अपनको लगा देनेका निश्चय किया और उधर गीताको नये सिरेसे पढ़ने लगा; जिससे अन्तर्दृष्टि बढ़ने लगी।

इस बार भी कुछ थियासफिस्ट मित्रोंके साथ ही मैंने गीताका अध्ययन किया; लेकिन पहलेसे कहीं ज्यादा गहराई और मनोयोग के साथ। मैंने गीताके श्लोक याद करनेका प्रयत्न भी किया और मुझे याद है कि मैंने कम-से-कम तेरह अध्याय कंठस्थ कर लिये थे।

इस गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोंपर तो जो कुछ पड़ा हो वह वही बता सकते हैं, किन्तु मेरे लिए तो गीता आचारकी एक अचूक मार्ग-दर्शिका बन गई है। उसे मेरा धार्मिक कोष ही कहना चाहिए। अपरिचित अंग्रेजी शब्दोंके हिज्जे या अर्थ देखनेके लिए जिस तरह मैं अंग्रेजी कोष खोलता उसी तरह आचार-सम्बन्धी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियोंको गीताके द्वारा सुलभता। उसके 'अपरिग्रह', 'समभाव' इत्यादि शब्दोंने तो मुझे जैसे पकड़ ही लिया। यही धुन रहती थी कि समभाव कैसे प्राप्त करूं। कैसे उसका पालन करूं। हमारा अपमान करनेवाला अधि-कारी, रिश्वतखोर, चलते रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका साथ था ऐसे साथी, उनमें और उन सज्जनोंमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कोई भेद नहीं है? अपरिग्रहका पालन किस तरह संभव है? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह

है ? स्त्री-पुरुष आदि यदि परिग्रह नहीं है तो फिर क्या है ? क्या पुस्तकोंसे भरी इन अलमारियोंमें आग लगा दूं ! पर यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ ! अन्दरसे तुरन्त उत्तर मिला—“हां घर-बारको खाक किये बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता ।” इसमें अंग्रेजी कानूनके अध्ययनने मेरी सहायता की । स्नेल-रचित कानूनके सिद्धांतोंकी चर्चा याद आई । ‘ट्रस्टी’ शब्दका अर्थ गीताके अध्ययनकी बदौलत अच्छी तरह समझमें आया । कानून-शास्त्रके प्रति मनमें आदर बढ़ा । उसके अन्दर भी मुझे धर्मका तत्त्व दिखाई पड़ा । ‘ट्रस्टी’ यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं फिर भी उसकी एक पाईपर उनका अधिकार नहीं होता । इसी तरह मुमुक्षुको अपना आचरण रखना चाहिए—यह पाठ मैंने गीतासे सीखा । अपरिग्रही होनेके लिए, समभाव रखनेके लिए, हेतुका और हृदयका परिवर्तन आवश्यक है, यह बात मुझे दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । मैंने बम्बईमें एक बीमा-एजेंटके समझानेमें आकर अपना दस हजारका बीमा करा लिया था । जब ये विचार मेरे मनमें उठे तो तुरन्त रेवाशंकरभाईको बम्बई लिखा कि बीमेकी पालिसी रद्द कर दीजिए । कुछ रुपया वापस मिल जाय तो ठीक; नहीं तो खैर; बाल-बच्चों और गृहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा, जिसने उनको और हमको पैदा किया है । यह मेरे उस पत्रका आशय था । पिताके समान अपने बड़े भाईको लिखा—“आज तक मैं जो बचाता रहा आपके अर्पण करता रहा, अब मेरी आशा छोड़ दीजिए । अब जो कुछ बच रहेगा वह यहींके सार्वजनिक

कामोंमें लगेगा ।”

इसी समय (१९०४) मैंने ‘इंडियन ओपीनियन’ नामके एक साप्ताहिक पत्रके सम्पादनका भार अपने ऊपर ले लिया । उसमें दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंके हितोंसे सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओंकी चर्चा होती थी । थोड़े ही दिनोंमें मैंने यह जान लिया कि बिना आर्थिक मददके पत्र चलना असम्भव है । मैं अपनी बचत उसमें लगाता रहा । यहांतक कि ऐसा करते-करते मैं अपना सब-कुछ इसीमें खपाने लगा । जिस प्रकार आज ‘यंग इंडिया’ और ‘नवजीवन’ मेरे जीवनके प्रतिबिंब हैं, उसी प्रकार ‘इंडियन ओपीनियन’ भी था । उसमें मैं प्रतिसप्ताह अपनी आत्माको उड़ेलता और उस चीजको समझनेका प्रयत्न करता जिसे मैं ‘सत्याग्रह’ के नामसे पहचानता था । जेलके दिनोंको छोड़कर दस वर्ष तक अर्थात् १९१४ तकके ‘इंडियन ओपीनियन’ का शायद ही कोई अंक ऐसा हो गया हो जिसमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तोले लिखा हो । यह अखबार मेरे लिये संयमकी तालीमका काम देता था । मैं जानता हूँ कि उसके लेखोंकी बदौलत टीकाकारोंको भी अपनी कलमपर अंकुश रखना पड़ता था । यदि यह अखबार न होता तो सत्याग्रह-संग्राम न चल सकता । पाठक इसे अपना पत्र समझते थे और इसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्राम तथा दक्षिण अफ्रिका-स्थित हिंदुस्तानियोंकी दशाका चित्र दिखाई पड़ता था ।

इसी पत्रके स्तंभोंमें मैंने आहार-शास्त्र पर एक लेख-माला लिखी थी, जो बादमें संकलित होकर पुस्तकाकार छपी थी और जिसके

अंग्रेजी अनुवाद 'गाइड टू हेल्थ' ने पूरब और पच्छिमके बहुतेरे पाठकोंकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल डाला है ।

२४

एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव

कुछ खास-खास किताबोंका असर मेरे जीवनपर बहुत गहरा पड़ा है; लेकिन जिस पुस्तकने मेरे जीवनमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है वह रस्किनकी 'अनटू दिस लास्ट' पुस्तक है ।

१९०४ में 'इंडियन ओपीनियन'का कारोबार व्यवस्थित करने के लिए मेरा डरबन जाना हुआ । मि० एलबर्ट वेस्ट मेरे एक अंग्रेज मित्र थे । वह छापेखानेका काम करते थे । मेरे कहनेसे वह अपना काम छोड़कर 'इंडियन ओपीनियन'के हिसाब-किताब को ठीक-ठीक करनेके लिए डरबन गये और वहां जाकर मुझे सूचित किया कि पत्रकी आर्थिक दशा बहुत चिंताजनक है ।

वेस्टका ऐसा पत्र पाकर मैं नेटालके लिए रवाना हुआ । मिस्टर पोलक, जो मेरे साथी हो चुके थे, स्टेशनपर मुझे पहुंचाने आये और रस्किनकी उपरोक्त पुस्तक मेरे हाथमें रखकर बोले—“यह पुस्तक पढ़ने लायक है, आपको जरूर पसंद आयगी ।”

पुस्तकको मैंने जो एक बार पढ़ना शुरू किया तो खतम किये बिना न छोड़ सका । उसने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया । जोहांसबर्गसे नेटाल २४ घण्टेका रास्ता है । ट्रेन शामको डरबन पहुंचती थी । पहुंचनेके बाद रात-भर नींद नहीं आई । इस पुस्तक

के विचारोंके अनुसार जीवन बनानेकी धुन लग रही थी ।

मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक है । बादको मैंने इसका गुजरातीमें अनुवाद किया था और वह 'सर्वोदय'के नामसे प्रकाशित हुआ है ।

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अंतरतरमें बसी हुई थी उसका स्पष्ट प्रतिबिंब मैंने रस्किनके इस ग्रन्थमें देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्राज्य जमा लिया एवं अपने विचारोंके अनुसार मुझसे आचरण करवाया । हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओंको जाग्रत करनेकी सामर्थ्य जिसमें होती है वह कवि है । सब कवियोंका प्रभाव सबपर एक-सा नहीं होता; क्योंकि सब लोगोंमें सभी अच्छी भावनाएं एक मात्रामें नहीं होतीं ।

'सर्वोदय'के सिद्धांतको मैं इस प्रकार समझा—

१—सबके भलेमें अपना भला है ।

२—वकील और नाई दोनोंके कामकी कीमत एक-सी होनी चाहिए क्योंकि आजीविकाका हक दोनोंका एक-सा है ।

३—मजदूरका और किसानका, अर्थात् परिश्रमका जीवन ही सच्चा जीवन है ।

पहली बात तो जानता था । दूसरीका मुझे आभास हुआ करता था; पर तीसरी तो मेरे विचार-क्षेत्रमें आई तक न थी । पहली बातमें पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैं, यह बात 'सर्वोदय'

१ हिंदीमें 'मंडल'से प्रकाशित हुई है । (दाम १)

से मुझे सूर्य-प्रकाश-की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं उसके अनुसार अपने जीवनको बनानेके लिए तैयार हो गया।

२५

फिनिक्सकी स्थापना

मैंने सबसे पहले वेस्टसे इस सम्बन्धमें बातें कीं। 'सर्वोदय' का जो प्रभाव मेरे मनपर पड़ा वह मैंने उन्हें कह सुनाया और सुझाया कि 'इंडियन ओपीनियन'को एक खेतपर ले जायं तो कैसा? वहां सब एक साथ रहें, एक-सा भोजन खर्च लें, अपने लिए सब खेती कर लिया करें और वचतके समयमें 'इंडियन ओपीनियन' का काम करें। वेस्टको यह बात पसंद आई। भोजन-खर्चका हिसाब लगाया गया तो कम-से-कम तीन पौंड प्रति मनुष्य आया। तुरन्त ही मैंने अखबारमें विज्ञापन दिया कि डरबनके नजदीक किसी भी स्टेशनके पास जमीनकी आवश्यकता है। उत्तरमें फिनिक्सकी जमीनका संदेशा आया। वेस्ट और मैं जमीन देखने गये और सात दिनके अन्दर बीस एकड़ जमीन ले ली। उसमें एक छोटा-सा पानीका झरना भी था। कुछ आमके और संतरेके पेड़ थे। पास ही ८० एकड़का एक और टुकड़ा था। उसमें फलोंके पेड़ ज्यादा थे और एक भौंपड़ा भी था। कुछ समयके बाद उसे भी खरीद लिया। दोनोंके मिलकर एक हजार पौंड लगे। सेठ पारसी रुस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहसके कामोंमें साथी होते थे। उन्हें मेरी यह तजवीज पसंद आई। इसलिए उन्होंने अपने एक

गोदामके टीन वगैरा, जो उनके पास पड़े थे, मुफ्तमें हमें दे दिये। कितने ही हिंदुस्तानी बढ़ई और राज, जो मेरे साथ लड़ाईमें थे, इसमें मदद देने लगे और कारखाना बनने लगा। एक महीनेमें मकान तैयार हो गया जो ७५ फीट लम्बा और ५० फीट चौड़ा था। वेस्ट वगैरा अपने शरीरको खतरेमें डालकर भी बढ़ई आदि के साथ रहने लगे। फिनिक्समें घास खूब थी और आबादी बिलकुल नहीं थी। इससे सांप आदिका उपद्रव रहता था और खतरा भी था। धीरे-धीरे हमने वहांकी सफाई की और उसे रहने लायक बना लिया। हम कोई एक सप्ताह ही में बहुतेरा सामान गाड़ियों पर लादकर फिनिक्स चले गये। डरबन और फिनिक्समें तेरह मीलका फासला था। मेरे साथ जो-जो रिश्तेदार वगैरा वहां गये थे और व्यापार आदिमें लग गये थे उन्हें फिनिक्समें दाखिल करनेका प्रयत्न मैंने किया। कितने ही लोगोंको मेरी बात जंच गई। इन सबमें से आज तो (अब स्वर्गस्थ) मगनलाल गांधीका ही नाम मैं चुनकर पाठकोंके सामने रखता हूँ; क्योंकि दूसरे लोग जो राजी हुए थे, वे थोड़े बहुत समय फिनिक्समें रहकर फिर धन-संचयके फेरमें पड़ गए। मगनलाल गांधी तो अपना काम छोड़कर जो मेरे साथ आये सो अबतकर रह रहे हैं, और अपने बुद्धि-बल, त्याग, शक्ति एवं अनन्य भक्ति-भावसे मेरे आंतरिक प्रयोगमें मेरा साथ देते हैं एवं मेरे मूल साथियोंमें आज उनका स्थान सबमें प्रधान है। फिर एक स्वयं-शिक्षित कारीगरके रूपमें तो उनका स्थान मेरी दृष्टिमें अद्वितीय है।

इस तरह सन् १९०४में फिनिक्सकी स्थापना हुई; और विघनों और कठिनाइयोंके रहते हुए भी फिनिक्स-संस्था एवं 'इंडियन ओपीनियन' दोनों आज तक चल रहे हैं; परन्तु इस संस्थाके आरंभकालकी मुसीबतें और उस समयकी आशा-निराशाएं जानने लायक हैं।

फिनिक्समें 'इंडियन ओपीनियन' का पहला अंक प्रकाशित करना आसान साबित न हुआ। यदि दो बातोंमें मैंने पहले हीसे सावधानी न रखी होती तो अंक एक सप्ताह बंद रहता या देरसे निकलता। इस संस्थामें एंजिनसे चलानेवाले यंत्रोंको मंगानेकी मेरी इच्छा कम ही रही थी। मेरी भावना यह थी कि जब हम खेती भी खुद हाथोंसे ही करना चाहते हैं, छापेकी कल भी ऐसी ही क्यों न लाई जाय जो हाथसे चल सके; पर उस समय यह अनुभव हुआ कि यह बात सध न सकेगी। इसलिए आयल एंजिन मंगवाया गया था; परन्तु मुझे यह खटका रहा कि कहीं वहांपर यह तैल-यंत्र बंद न हो जाय, सो मैंने वेस्टको सुझाया कि ऐसे समयके लिए कोई और कामचलाऊ साधन भी हम अभीसे जुटा रखें तो अच्छा। इसलिए उन्होंने हाथसे चलानेका भी एक चक्कर मंगा रखा था, और ऐसी तजवीज कर रखी थी कि मौका पड़नेपर उससे छापेकी कल चलाई जासके। 'इंडियन ओपीनियन' का आकार दैनिक पत्रके बराबर लंबा-चौड़ा था। अगर बड़ी कल कहीं अड़ जाय तो ऐसी सुविधा वहां नहीं थी कि इतने बड़े आकारका पत्र छपा जा सके। इससे पत्रके उस अंकके बंद रहनेका ही अंदेशा रहता। इस दिक्कतको दूर करनेके लिए अखबारका आकार छोटा

कर दिया कि कठिनाईके समयपर छोटी कलको भी पांवसे चलाकर अखबार, थोड़े ही पन्नेका क्यों न हो, प्रकाशित हो सके ।

आरंभ-कालमें 'इंडियन ओपीनियन' की प्रकाशन-तिथिकी अगली रातको सबको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही पड़ा था । पत्रोंको भांजनेमें छोटे-बड़े सब लोग लग जाते और रातको दस-बारह बजे यह काम खतम होता । परंतु पहली रात तो इस प्रकार बीती, जिसे कभी भूल ही नहीं सकते । पत्रों का चौखटा तो मशीन पर कस गया; पर एंजिन अड़ गया; उसने चलनेसे इन्कार कर दिया । एंजिनको जमाने और चलानेके लिए एक एंजिनियर बुलाया गया था । उसने और वेस्टने खूब सिर खपाया; पर एंजिन टस-से-मस न हुआ । सब अपना-सा मुंह लेकर बैठ गये । अंतमें वेस्ट निराश होकर मेरे पास आये । उनकी आंखें आंसुओंसे छलछला रही थीं । उन्होंने कहा—“अब आज तो एंजिनके चलनेकी आशा नहीं, और इस सप्ताहका अखबार हम समयपर न निकाल सकेंगे ।”

“अगर यही बात है तब तो अपना कुछ बस नहीं; पर इस तरह आंसू बहानेकी कोई आवश्यकता नहीं । और कुछ कोशिश कर सकते हैं तो कर देखें । हां, वह हाथसे चलानेका चक्का तो हमारे पास रखा है, वह किस दिन काम आयेगा ?” यह कहकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया ।

वेस्टने कहा—“पर उस चक्केको चलानेवाले आदमी हमारे पास कहां हैं ? हम लोग जितने हैं उनसे वह नहीं चल सकता; उसे चलानेके लिए बारी-बारीसे चार-चार आदमियोंकी जरूरत है ।

और इधर हम लोग थक भी चुके हैं ।”

बढ़ई लोगोंका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे लोग अभी छापेखानेमें ही सो रहे थे । उनकी तरफ इशारा करके मैंने कहा—“ये मिस्त्री लोग मौजूद हैं, इनकी मदद क्यों न लें ? और आजकी रात-भर हम सब जागकर छापनेकी कोशिश करेंगे । बस, इतना ही कर्तव्य हमारा और बाकी रह जाता है ।”

“मिस्त्रियोंको जगानेकी और उनसे मदद मांगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती । हमारे जो लोग थक गये हैं उन्हें भी कैसे कहूं ?”

“यह काम मेरे जिम्मे रहा”, मैंने कहा ।

“तब तो मुमकिन है कि सफलता मिल जाय ।”

मैंने मिस्त्रियोंको जगाया और उनकी मदद मांगी; मुझे उनकी खुशामद नहीं करनी पड़ी । उन्होंने कहा—“वाह ! ऐसे वक़्त हम यदि काम न आये तो हम आदमी क्या ? आप आराम कीजिए, हम लोग चक्का चलायेंगे । हमें इसमें कोई मेहनत नहीं है ।” और इधर छापेखाने के लोग तैयार थे ही ।

जब तो वेस्टके हर्षका पार न रहा । वह काम करते-करते भजन गाने लगे । चक्का चलानेमें मैंने भी मिस्त्रियोंका साथ दिया और दूसरे लोग भी बारी-बारीसे चलाने लगे । साथ ही पन्ने भी छपने लगे ।

सुबहके सात बजे होंगे । मैंने देखा कि अभी बहुत काम बाकी पड़ा है । मैंने वेस्टसे कहा—“अब हम एंजिनियरको क्यों न जगा लें ? अब दिनकी रोशनीमें वह और सिर खपा देखें । अगर एंजिन

चल जाय तो अपना काम समयपर पूरा हो सकता है ।”

वेस्टने इंजिनियरको जगाया । वह उठ खड़ा हुआ और इंजिनके कमरेमें गया । शुरू कराते ही इंजिन चल निकला । प्रेस हर्ष-नादसे गूँज उठा । सब कहने लगे, “यह कैसे होगया ? रातको इतनी मेहनत करनेपर भी नहीं चला और अब हाथ लगते ही इस तरह चल पड़ा, मानो इसमें कुछ विगड़ा ही न था ।”

वेस्टने या इंजिनियर ने जवाब दिया—“इसका उत्तर देना कठिन है । ऐसा जान पड़ता है, मानो यंत्र भी हमारी तरह आराम चाहते हैं । कभी-कभी तो उनकी भी हालत ऐसी ही देखी जाती है ।”

मैंने तो यह माना कि इंजिनका न चलना हमारी परीक्षा थी और ऐन मौकेपर चल जाना हमारी शुद्ध मेहनतका शुभ फल था ।

इसका परिणाम यह हुआ कि ‘इण्डियन ओपीनियन’ नियत समयपर स्टेशन पहुंच गया, और हम सबकी चिंता मिटी ।

हमारे इस आग्रहका फल यह हुआ कि ‘इंडियन ओपीनियन’ की नियमितताकी छाप लोगोंके दिलपर पड़ी और फिनिक्समें मेहनतका वातावरण फैला । इस संस्थाके जीवनमें ऐसा भी एक युग आगया था जब जान-बूझकर इंजिन बन्द रखा गया था । और दृढ़तापूर्वक हाथके चक्केसे ही काम चलाया गया था । मैं कह सकता हूँ कि फिनिक्सके जीवनमें यह ऊंचे-से-ऊंचा नैतिक काल था ।

यह काम अभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी अभी तैयार न हुए थे कि इतनेमें ही इस नये रचे कुटुम्बको छोड़कर मुझे जोहांस-बर्ग भागना पड़ा । जोहांसबर्ग आकर मैंने पोलकको इस महत्त्वपूर्ण

परिवर्तनकी सूचना दी। अपनी दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनन्दकी सीमा न रही।

उन्होंने 'क्रिटिक' (पत्र) के मालिकको एक महीनेका नोटिस देकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया। मियाद खतम होनेपर फिनिक्स आ पहुंचे और हमारे कुटुम्बी बनकर वहां बस गये।

पर खुद मैं ही उन्हें वहां अधिक समय तक न रख सका। जोहांसबर्गके दफ्तरके कामका बोझा मुझ अकेलेके बसका न था। इसलिए मैंने पोलकसे दफ्तरमें रहने और वकालत करनेके लिए कहा। इसमें मैंने यह सोचा था कि उनके वकील हो जानेके बाद अंत को हम दोनों फिनिक्समें जा पहुंचेंगे; परन्तु हमारी ये सब कल्पनाएं अन्तमें भूठी साबित हुईं। काम इतना बढ़ गया कि मैं फिनिक्स न जा सका और मुझे इसी बातसे संतोष करना पड़ा कि मैं अपने जीवनको और गृहस्थीको 'सर्वोदय' के आदर्शोंके अनुसार ढाल सका।

एक बैरिस्टरके घर में जितनी सादगी रखी जासकती थी, उतनी रखी गई; हर काम हाथसे करनेका शौक बढ़ा और उसमें बालकोंको भी शामिल करनेका उद्योग किया गया।

बाजारसे रोटी (डबल रोटी) खरीदनेके बदले घरमें हाथसे बिना खमीरकी रोटी बनाना शुरू किया। ऐसी रोटीमें मिलका आटा काम नहीं दे सकता था। फिर मिलमें आटेके बजाय हाथका आटा इस्तेमाल करनेमें सादगी, तन्दुरुस्ती और धन सबकी रक्षा होती थी। इसलिए सात पौंड खर्च करके हाथसे आटा पीसनेकी एक

चक्की खरीदी । इसका पहिया भारी था, इसलिए चलानेमें एक्को जरा दिक्कत होती थी और दो आदमी आसानीसे चला सकते थे । चक्की चलानेका काम खासकर पोलक, मैं और बच्चे करते थे । यह कसरत बालकोंके लिए बहुत अच्छी साबित हुई । घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था; पाखाना उठा ले जानेके लिए म्युनिसि-पैलिटीका नौकर आता था; परंतु पाखानेका कमरा साफ रखना, बैठक धोना वगैरा काम नौकरसे नहीं लिया जाता था और न इसकी आशा ही रखी जाती थी । यह काम हम लोग खुद करते थे; क्योंकि उससे भी बच्चोंको तालीम मिलती थी । इसका फल यह हुआ कि मेरे किसी भी लड़केको शुरूसे ही पाखाना साफ करने की भिन्नक न रही और आरोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सीख गये । जोहांसबर्गमें कोई बीमार तो शायद ही पड़ते; परंतु यदि कोई बीमार होता तो उसकी सेवा आदिमें बालक अवश्य शामिल होते और वे इस कामको बड़ी खुशीसे करते । यह तो नहीं कह सकते कि उनके अक्षर अर्थात् पुस्तकी शिक्षाकी मैंने परवाह न की; परंतु हां, मैंने उसका त्याग करनेमें कुछ संकोच नहीं किया । इस कमीके लिए मेरे लड़के मेरी शिकायत कर सकते हैं । और कई बार उन्होंने अपना असंतोष प्रदर्शित भी किया है । मैं मानता हूं कि उसमें कुछ अंश तक मेरा दोष है । उन्हें पुस्तकी शिक्षा देनेकी इच्छा मुझे बहुत हुआ करती, कोशिश भी करता; परंतु इस काममें हमेशा कुछ-न-कुछ विघ्न आ खड़ा होता । उसके लिये घरपर दूसरी शिक्षाका प्रबंध नहीं किया था । इसलिए मैं उन्हें अपने साथ दफ्तर ले जाता । दफ्तर ढाई मील

था। इसलिए सुबह-शाम मिलकर पांच मीलकी कसरत उनको और मुझे हो जाया करती। रास्ते चलते हुए उन्हें कुछ सिखानेकी कोशिश करता; पर वह भी तभी जब दूसरे कोई साथ चलनेवाले न होते। दफ्तरमें मक्किलों और मुंशियोंके सम्पर्कमें वे आते, मैं बता देता था तो कुछ पढ़ते, इधर-उधर घूमते, बाजारसे कोई सामान-सौदा लाना होता तो लाते। सबसे बड़े लड़के हीरालालको छोड़कर सब वच्चे इसी तरह परवरिश पागये। हीरालाल देशमें रह गया था। यदि मैं अक्षर-ज्ञानके लिए एक घंटा भी नियमित रूपसे दे पाता तो मैं मानता कि उन्हें आदर्श शिक्षण मिला है; किंतु मैं यह नियम न रख सका, इसका दुःख उनको और मुझको रह गया है। सबसे बड़े बेटेने तो अपने जीकी जलन मेरे तथा सर्वसाधारणके सामने प्रकट की है। दूसरोंने अपने हृदयकी उदारतासे काम लेकर, इस दोषको अनिवार्य समझकर, सहन कर लिया है; पर कमीके लिए मुझे पछतावा नहीं होता और कुछ है भी तो इतना ही कि मैं एक आदर्श पिता साबित न हुआ; परंतु यह मेरा मत है कि उसके मूलमें अज्ञान हो; पर मैं इतना कह सकता हूं कि वह सद्भावनापूर्ण थी। उनके चरित्र और जीवनके निर्माण करनेके लिए जो कुछ उचित और आवश्यक था, उसमें मैंने कोई कसर नहीं रहने दी है और मैं मानता हूं कि प्रत्येक माता-पिताका यह अनिवार्य कर्तव्य है। मेरी इतनी कोशिशके बाद भी मेरे बालकोंके जीवनमें जो खामियां दिखाई दी हैं, मेरा यह दृढ़ मत है कि वे हम दम्पतिकी खामियोंकी प्रतिबिंब हैं।

बालकोंको जिस तरह मां बापकी आकृति विरासतमें मिलती है उसी तरह उनके गुण-दोष भी विरासतमें मिलते हैं। हां, आस-पासके वातावरणके कारण तरह-तरहकी घटा-बढ़ी जरूर हो जाती है; परंतु मूल पूंजी तो वही रहती है, जो उन्हें बाप-दादोंसे मिली होती है। यह भी मैंने देखा कि कितने ही बालक दोषोंकी इस विरासतसे अपनेको बचा लेते हैं; पर यह तो आत्माका मूल स्वभाव है। उसकी बलिहारी है।

जब कि मैं इस तरह अनुशासनमें रहता था और बच्चों को रख रहा था, एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे जोहांसबर्ग का अपना घर छोड़ना पड़ा और अपने बाल-बच्चोंको फिनिक्स रहनेके लिए भेज देना पड़ा। मि० पोलकने अपने लिए अलग एक छोटा घर ले लिया। यह घटना 'जुलू विद्रोह' थी।

२६

जुलू विद्रोह

बोअर-युद्धकी तरह जुलू-बलवा भी एक ऐसा अवसर था जिसमें मैंने ब्रिटिश-साम्राज्यके प्रति वफादारीकी भावनासे प्रेरित होकर काम किया। मुझे जुलू लोगोंसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने एक भी हिन्दुस्तानीको नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं तो उसको विद्रोह भी नहीं कह सकता था; परन्तु मैं उस समय अंग्रेजी सल्तनतको संसारके लिए कल्याणकारी मानता था। मैं हृदयसे उसका वफादार था। उसका नाश मैं नहीं चाहता था।

मैं अपनेको नेटाल-निवासी मानता था और नेटालके साथ मेरा निकट संबंध तो था ही। इसलिए मैंने वहांके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो तो मैं घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए हिंदुस्तानियोंकी एक टुकड़ी लेकर जानेको तैयार हूँ। गवर्नरने तुरंत ही इसको स्वीकार कर लिया और डरबन पहुंचकर मैंने आदमी मांगे। हम चौबीस आदमी तैयार हुए। मुझे सारजेंट मेजरका अस्थायी पद दिया और मेरे पसंद किये दूसरे दो सज्जनोंको सारजेंटकी और एकको 'कारपोरल' की पदवियां दीं।

इस टुकड़ीने छः सप्ताह तक सतत सेवा की। 'विद्रोह'के स्थल-पर जाकर मैंने देखा कि वहां विद्रोह-जैसा कुछ नहीं था। वह तो एक प्रकारका करबंदी आंदोलन-मात्र था। जो हो मेरा हृदय तो इन जुलूमोंकी तरफ था और अपनी छावनीमें पहुँचनेपर जब हमें खासतौरसे जुलूम-घायलोंकी शुश्रूषाका काम दिया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस डाक्टर अधिकारीने हमारी इस सेवाका स्वागत करते हुए कहा—“गोरे लोग इन घायलोंकी सेवा करनेके लिए तैयार नहीं होते। मैं अकेला क्या करता ? इनके घाव सड़ रहे हैं। आप आगये, यह अच्छा हुआ। इसे मैं इन निरपराध लोगोंपर ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ।” यह कहकर मुझे पट्टियां और जंतु-नाशक पानी दिया और उन घायलोंके पास ले गये। घायल यह देखकर बड़े आनंदित हुए।

जिन रोगियोंकी शुश्रूषाका काम हमें सौंपा गया था, वे लड़ाईके घायल लोग न थे। उनमें एक हिस्सा तो उन कैदियोंका था जो शक

में पकड़े गये थे । जनरलने उन्हें कोड़ेकी सजा दी थी । इससे उन्हें घाव हो गये थे और उनका इलाज न होनेके कारण पक गये थे । दूसरा हिस्सा उन लोगोंका था जो जुलू-मित्र कहलाते थे । ये मित्रता-दर्शक चिह्न पहने हुए थे । फिर भी इन्हें सिपाहियोंने भूलसे जख्मी कर दिया था । हमें एक जल्दी चलनेवाली सेनाके साथ काम दिया गया था, जो खतरेकी जगह दौड़ जाया करती थी । दो-तीन बार एक दिनमें चालीस मील तक चलनेका प्रसंग आगया था । वहां भी हमें तो बस यही सेवाका काम मिला । जो जुलू-मित्र भूलसे घायल हो गये थे उन्हें डोलियोंमें उठाकर पड़ावपर ले जाते थे और वहां उनकी शुश्रूषा करते थे ।

‘जुलू-विद्रोह’ लड़ाई नहीं, बल्कि मनुष्योंका शिकार मालूम होता था । अकेले मेरा ही नहीं, बल्कि दूसरे अंग्रेजोंका भी यही खयाल था । सुबह होते ही हमें सैनिकोंकी गोला-बारीकी आवाज सुनाई पड़ती, जो गांवोंमें जाकर गोलियां चलाते थे ।

इन शब्दोंको सुनना और ऐसी स्थितिमें रहना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ; परंतु मैं इस कड़वे घूंटको पीकर रह गया और ईश्वर-कृपासे काम भी जो मुझे मिला वह भी जुलू लोगोंकी सेवाका ही । मेरा यह तो विश्वास हो गया था कि यदि हमने इस कामके लिए कदम न बढ़ाया होता तो दूसरे कोई इसके लिए तैयार न होते । इस बातको ध्यानमें लाकर मैंने अपनी आत्माको शांत किया ।

जीवन-भरका निश्चय

इस तरह यद्यपि मेरी अंतरात्माको शांति मिली तथापि दूसरी ऐसी बातें भी थीं जिनसे मनमें विचार जाग्रत होते थे । मीलों तक जब हम बिना बस्तीवाले प्रदेशोंमें लगातार किसी वायलको लेकर अथवा खाली हाथ मंजिल तय करते तब मेरा मन तरह-तरहके विचारोंमें डूब जाता ।

यहां ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए । अपने साथियों के साथ भी मैंने उसकी चर्चाकी । हां, यह बात अभी मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी कि ईश्वर-दर्शनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है; परंतु यह बात मैं अच्छी तरह जान गया कि सेवाके लिए उसकी बहुत आवश्यकता है । मैं जानता था कि इस प्रकारकी सेवाएं मुझे दिन-दिन अधिकाधिक करनी पड़ेंगी और यदि मैं भोग-विलासमें, प्रजोत्पत्तिमें और संतति-पालनमें लगा रहा तो मैं पूरी तरह सेवा न कर सकूंगा ।

मैं दो घोड़ोंपर सवारी नहीं कर सकता । यदि पत्नी इस समय गर्भवती होती तो मैं निश्चित होकर आज इस सेवा-कार्यमें नहीं कूद सकता था । यदि ब्रह्मचर्यका पालन न किया जाय तो कुटुंब-वृद्धि मनुष्यके उस प्रयत्नका विरोधक हो जाय; जो उसे समाजके अभ्युदयके लिए करना चाहिए; पर यदि विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्यका

पालन हो सके तो कुटुंब-सेवा समाज-सेवाकी विरोधी नहीं हो सकती ।

ये विचार अभी मैं अपने मनमें गढ़ ही रहा था और शरीरको कस ही रहा था कि इतनेमें कोई यह अफवाह लाया कि 'विद्रोह' शांत हो गया है और अब हमें छुट्टी मिल जायगी । दूसरे ही दिन हमें घर जानेका हुक्म हुआ और थोड़े ही दिन बाद हम सब अपने-अपने घर पहुंच गये । इसके थोड़े ही दिनों बाद गवर्नरने इस सेवाके निमित्त मेरे नाम धन्यवादका एक खास पत्र भेजा ।

मैंने तो उसी समय व्रत ले लिया कि जीवन-पर्यंत ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा । इस व्रतका महत्त्व और उसकी कठिनता मैं उस समय पूरी तरह न समझ सका था । कठिनाइयोंका अनुभव तो मैं आज तक भी करता रहता हूं । साथ ही उस व्रतका महत्त्व भी दिन-दिन अधिकाधिक समझता जाता हूं । ब्रह्मचर्य-हीन जीवन मुझे शुष्क और पशुवत् मालूम होता है ।

मैंने संयम-भंग करने वाले विषयोंसे बचनेकी अटल प्रतिज्ञा ली । व्रत लेनेके विरुद्ध जितनी भी लुभावनी दलीलें हो सकती हैं उनमेंसे किसीके वशीभूत मैं न हुआ । अटल व्रत एक किलेकी तरह है जो भयंकर मोहों और प्रलोभनोंसे मनुष्यकी रक्षा कर सकता है, यह हमारी दुर्बलताओं और चंचलताओंका अचूक इलाज है । निष्कुलानंदने ठीक ही कहा है—

त्याग न टके रे वैराग विना,

साधकावस्थामें जब कि मनुष्यपर मोह और विकारोंका हमला

होता है तब व्रत उसकी रक्षाके लिए अनिवार्य ही है ।

मैंने जब तक (१९०६ में) यह व्रत ले नहीं लिया तबतक अपनी पत्नीसे कभी इस बारेमें सलाह-मशविरा नहीं किया । मुझे खुशी हुई कि उसने इसपर कोई एतराज नहीं किया और उसको इसका बड़ा श्रेय है । १९०६ के पहले उस स्वतंत्रता और आनंदका अनुभव मैंने कभी नहीं किया, जो मुझे व्रत लेनेके बाद मिला । और इधर एक महीनेके अंदर-ही-अंदर 'सत्याग्रह' का सूत्रपात हुआ । मानो ब्रह्मचर्य व्रत ही मुझे अज्ञातरूपसे सत्याग्रहके लिए तैयार कर रहा था । सत्याग्रहकी योजना पहले कभी दिमागमें आई ही नहीं थी । यह तो मेरी बिना इच्छाके ही अपने आप सामने आ गया; लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिछले सब निश्चय मुझे उसी ध्येयकी ओर ले चल रहे थे । मैंने जोहांसवर्गमें रहकर अपने घरके भारी खर्चको कम कर डाला था ।

इसमें यद्यपि मुझे इस व्रतमें उत्तरोत्तर प्रसन्नता होती जाती थी; पर लोग इससे यह न समझ लें कि मेरे लिए यह कोई आसान चीज थी । इस वुढ़ापेमें भी मैं जानता हूँ कि यह कितनी कठिन चीज है । दिन-प्रति-दिन मुझे यह महसूस होता जाता है कि इस व्रतका पालन करना तलवारकी धारपर चलना है । मुझे पल-पल पर जाग्रत और सावधान रहनेकी आवश्यकता दिखाई देती है ।

'ब्रह्मचर्य' का अर्थ है मन, वजन और कर्मसे इंद्रियोंका संयम । 'ब्रह्मचारी' और भोगीके जीवनमें क्या अंतर है, यह समझ लेना ठीक होगा । दोनों अपनी आखोंसे देखते हैं; लेकिन ब्रह्मचारी देव-

दर्शन करता है, और भोगी नाटक, सिनेमा देखनेमें लीन रहता है। दोनों कर्णोद्भ्रियका उपयोग करते हैं; लेकिन जहां ब्रह्मचारी ईश्वर-भजन सुनता है वहां भोगी-विलासी गीतोंकी सुननेमें मगन रहता है। दोनों जागरण करते हैं; मगर एक अपने हृदयस्थ ईश्वरकी आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमें सुध भूला रहता है। दोनों आहार करते हैं; मगर एक शरीरको ईश्वरका निवास समझकर उसकी रक्षा-भरके लिए कुछ खा लेता है और दूसरा स्वादके लिए पेटमें अनेक पदार्थ भरकर उसे और दुर्गन्धित बनाता है।

ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहनेकी जरूरत है; लेकिन जो ईश्वर-साक्षात्कारके लिए ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वरपर श्रद्धा रखेंगे तो उन्हें निराश होनेका कारण नहीं है। गीता में भी कहा है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

(अ० २ श्लो० ५६)

इसलिए आत्मार्थीका अंतिम साधन तो रामनाम और रामकृपा ही है। इस बातका अनुभव मैंने हिंदुस्तान आनेपर ही किया।

२८

घरमें सत्याग्रह

१९०८में मुझे पहली बार जेलका अनुभव हुआ। उस समय मुझे यह बात मालूम हुई कि जेलमें जो कितने ही नियम कैदियोंसे पालन कराये जाते हैं, वे संयमीको अथवा ब्रह्मचारीको स्वेच्छापूर्वक

पालन करने चाहिए। जैसे कि कैदियोंको सूर्यास्तके पहले पांच बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। उन्हें—फिर वे हब्शी हों या हिंदुस्तानी—चाय या काफी न दी जाय, नमक खाना हो तो अलहदा लें, स्वादके लिए कोई चीज न खिलाई जाय। जब मैंने जेलके डाक्टरसे कैदियोंके लिए 'करी पाउडर' मांगा और नमक रसोई पकाते वक्त ही डालनेके लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया—“आप लोग यहां स्वादिष्ट चीजें खानेके लिए नहीं आये हैं। आरोग्यके लिए नमक चाहे ऊपरसे लिया जाय, चाहे पकाते वक्त डाल दिया जाय, एक ही बात है।”

खैर, वहां तो बड़ी मुश्किलसे हम लोग भोजनमें आवश्यक परिवर्तन करा पाये थे; परंतु संयमकी दृष्टिसे जब उनपर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि ये प्रतिबंध अच्छे ही थे। बलात् नियमोंका पालन करनेसे उसका फल नहीं मिलता; परंतु स्वेच्छासे ऐसे प्रतिबंधोंका पालन किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है। अतएव जेलसे निकलनेके बाद मैंने तुरंत इन बातोंका पालन शुरू कर दिया। जहांतक हो सके चाय पीना बंद कर दिया और संध्यासे पहले भोजन करनेकी आदत डाली जो आज तो स्वाभाविक हो बैठी है।

परंतु ऐसी भी घटना घटी, जिसकी बदौलत मैंने नमक भी छोड़ दिया था। यह सिलसिला लगभग १० बरस तक नियमित रूपसे जारी रहा। अन्नाहार-संबंधी कुछ पुस्तकोंमें मैंने पढ़ा था कि मनुष्यके लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है। जो नमक नहीं

खाता है, आरोग्यकी दृष्टिसे उसे लाभ ही होता है और मेरी तो यह भी कल्पना दौड़ गई कि ब्रह्मचारीको भी उससे लाभ होगा। जिसका शरीर निर्बल हो, उसे दाल न खानी चाहिए, यह मैंने पढ़ा था और अनुभव भी किया था; परंतु मैं उसी समय यह छोड़ न सका; क्योंकि दोनों चीजें मुझे प्रिय थीं।

कस्तूरबाईको रक्त-स्रावकी बीमारी थी। जिसके लिए उसका आपरेशन हुआ था। उसके बाद यद्यपि उसका रक्त-स्राव कुछ समयके लिए बंद हो गया था, तथापि बादको वह फिर जारी होगया। अबकी वह किसी तरह दूर न हुआ। पानीके इलाज बेकार साबित हुए। मेरे इन उपचारोंपर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी; पर साथ ही तिरस्कार भी न था। दूसरा इलाज करनेका भी मुझे आग्रह न था; इसलिए जब मेरे दूसरे उपचारोंमें सफलता न मिली, तब मैंने उसको समझाया कि दाल और नमक छोड़ दो। मैंने उसे समझाने की हद कर दी, अपनी बातके समर्थनमें कुछ साहित्य भी पढ़ सुनाया; पर वह नहीं मानती थी। अंतमें उसने झुंभलाकर कहा—“दाल और नमक छोड़नेके लिए तो आपसे भी कोई कहे तो आप भी न छोड़ेंगे।”

इस जवाबको सुनकर, जहां मुझे दुःख हुआ वहां हर्ष भी हुआ; क्योंकि इससे मुझे अपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला। उस हर्षमें मैंने तुरंत कहा—“तुम्हारा खयाल गलत है, मैं यदि बीमार होऊं और मुझे यदि वैद्य इन चीजोंको छोड़नेके लिए कहें तो जरूर छोड़ दूं। पर ऐसा क्यों? लो, तुम्हारे लिए आजसे ही दाल और

नमक एक सालतक छोड़े देता हूं। तुम छोड़ो या न छोड़ो, मैंने तो छोड़ दिया।”

यह सुनकर पत्नीको बहुत दुःख हुआ। वह कह उठी—“माफ करो, आपका स्वभाव जानते हुए भी यह बात मेरे मुंहसे निकल गई। अब मैं तो दाल और नमक न खाऊंगी; पर आप अपना वचन वापस ले लीजिए। यह तो मुझे भारी सजा दे दी।”

मैंने कहा—“तुम दाल और नमक छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ ही होगा। परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूं वह नहीं टूट सकती। मुझे भी उससे लाभ ही होगा। हर किसी निमित्तसे मनुष्य यदि संयमका पालन करता है तो इससे उसे लाभ ही होता है। इसलिए तुम इस बात पर जोर न दो; क्योंकि इससे मुझे भी अपनी आजमाइश कर लेनेका मौका मिलेगा और तुमने जो इनको छोड़नेका निश्चय किया है, उसपर दृढ़ रहनेमें तुम्हें भी मदद मिलेगी।” इतना कहनेके बाद तो मुझे मनानेकी आवश्यकता रह नहीं गई थी। “आप तो बड़े हठी हैं, किसीका कहा मानना आपने सीखा ही नहीं।”—यह कहकर वह आंसू बहाती हुई चुप हो रही।

इसको मैं पाठकोंके सामने सत्याग्रहके तौरपर पेश करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं इसे अपने जीवनकी मीठी स्मृतियोंमें गिनता हूं।

इसके बाद तो कस्तूरबाईका स्वास्थ्य खूब संभलने लगा। अब यह नमक और दालके त्यागका फल है, या उस त्यागसे हुए भोजन-

के छोटे-बड़े परिवर्तनोंका फल है, या उसके बाद दूसरे नियमोंका पालन करानेकी मेरी जागरूकताका फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास हुआ उसका फल था, यह मैं नहीं कह सकता; परंतु यह बात जरूर हुई कि कस्तूरबाईका सूखा शरीर फिर पनपने लगा। रक्त-स्राव बंद होगया और 'वैद्यराज'के रूपमें मेरी साख कुछ बढ़ गई।

२६

संयमकी ओर

ऊपर कह चुका हूं कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन कस्तूरबाईकी बीमारीकी बढ़ौलत हुए; पर अब तो दिन-दिन उसमें ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे परिवर्तन करता गया।

पहला परिवर्तन हुआ दूधका त्याग। दूधसे विकार पैदा होते हैं, यह बात पहले-पहल रायचंदभाईसे मालूम हुई थी। अन्नाहार-संबंधी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़नेसे इस विचारमें वृद्धि हुई; परंतु जब तक ब्रह्मचर्यका व्रत नहीं लिया था तबतक दूध छोड़नेका इरादा खासतौर पर नहीं कर सका था। यह बात तो मैं कभीसे समझ गया था कि शरीरकी रक्षाके लिए दूधकी आवश्यकता नहीं; पर उसका सहसा छूट जाना कठिन था। इधर मैं यह बात अधिकाधिक समझता ही जा रहा था कि संयमके लिए दूध छोड़ देना चाहिए कि कलकत्तेसे कुछ ऐसा साहित्य मेरे पास आया जिसमें ग्वालों द्वारा गाय-भैंसोंपर होनेवाले अत्याचारोंका वर्णन था।

इस साहित्यका मुझपर बड़ा बुरा असर हुआ और उसके संबंध

में मैंने मि० केलनबेकसे भी चर्चा की ।

हालांकि मि० केलनबेकका परिचय मैं 'द० अ० के सत्याग्रहका इतिहास' में कर चुका हूँ, परन्तु यहां उनके संबंधमें दो शब्द अधिक कहनेकी आवश्यकता है । उनकी मेरी मुलाकात अनायास होगई थी । मि० खानके वह मित्र थे । मि० खानने देखा कि उनके अन्दर गहरा वैराग्य भाव था । इसलिए मेरा खयाल है कि उन्होंने उनसे मेरी भेंट कराई । जिन दिनों उनसे मेरा परिचय हुआ उन दिनोंके उनके शौक और शाह-खर्चीको देखकर मैं चौंक उठा था; परंतु पहली ही मुलाकातमें मुझसे उन्होंने धर्मके विषयमें प्रश्न किया । उसमें भगवान् बुद्धकी बात सहज ही निकल पड़ी । तबसे हमारा संपर्क बढ़ता गया और वह इस हद तक कि उनके मनमें यह निश्चय हो-गया कि जो कार्य मैं करूं वह उन्हें भी अवश्य करना चाहिए । वह अकेले थे । अकेलेके लिए मकान-खर्चके अलावा लगभग १२००) रुपये मासिक खर्च करते थे । ठेठ यहांसे अंतको इतनी सादगीपर आगये कि उनका मासिक खर्च १२०) रुपये हो गया । मेरे घर-बार विखेर देने और जेलसे आनेके बाद तो हम दोनों एक साथ रहने लगे थे । उस समय हम दोनों अपना जीवन अपेक्षाकृत बहुत कड़ाईसे बिता रहे थे ।

दूधके संबंधमें जब मेरी उनसे बातचीत हुई तब हम साथ ही रहते थे । एक बार मि० केलनबेकने कहा—“जब हम दूधमें इतने दोष बताते हैं तो फिर उसे छोड़ क्यों न दें ? वह अनिवार्य तो है ही नहीं ।” उनकी इस रायको सुनकर मुझे बड़ा आनंद और आश्चर्य

हुआ। मैंने तुरंत उनकी बातका स्वागत किया और हम दोनोंने टॉलस्टॉय फार्ममें उसी क्षण दूध छोड़ दिया। यह बात १९१२ की है।

पर हमें इतनेसे शांति न हुई। दूध छोड़ देनेके थोड़े ही समय बाद केवल फल पर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। फलाहारमें भी धारणा यह रखी गई कि सस्ते-से-सस्ते फलसे काम चलाया जाय। हम दोनोंकी आकांक्षा यह थी कि गरीब लोगोंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाय। फलाहारमें बहुतांशमें चूल्हा सुलगानेकी जरूरत नहीं होती, इसलिए कच्ची मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतूनका तैल, यह हमारा खाना हो गया था।

जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखते हैं उनके लिए यहां एक चेतावनी देनेकी आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्यके साथ भोजन और उपवासका निकट संबंध बताया है, फिर भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार है हमारा मन। मलिन मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता। भोजनका उसपर असर नहीं होता। मनकी मलिनता विचारसे, ईश्वर-ध्यानसे और अंतको ईश्वर-प्रसादसे मिटती है; परंतु मनका शरीरके साथ निकट संबंध है और विकार-युक्त मन अपने अनुकूल भोजनकी तलाशमें रहता है और फिर उस भोजन और भोगोंका असर मनपर होता है। इस अंश तक भोजन पर अंकुश रखनेकी और निराहारकी आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती है।

मैंने संयमके हेतुसे उपवासके प्रयोग आरंभ किये। वे श्रावण महीनेके दिन थे और उस साल रमजान और श्रावण मास एक-

साथ आये थे । गांधी-कुटुंबमें वैष्णव व्रतोंके साथ शैव व्रतोंका पालन किया जाता था । हमारे परिवारके लोग जिस प्रकार वैष्णव देवालियोंमें जाते उसी प्रकार शिवालियोंमें भी जाते । श्रावण-मासमें प्रदोष-व्रत तो हर साल कुटुंबमें कोई-न-कोई रखता ही था । इसलिए मैंने इस बार श्रावण-मासके व्रत रखनेका इरादा किया ।

इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका आरंभ टॉल्स्टॉय-आश्रममें हुआ । वहां सत्याग्रही कैदियोंके कुटुंबोंको एकत्र कर मैं और केलनबेक रहते थे । उनमें बालक और नवयुवक भी थे । उनके लिए एक पाठशाला खोली थी । इन नवयुवकोंमें चार-पांच मुसलमान भी थे । उन्हें मैं इस्लामके नियम पालनमें मदद करता और उत्तेजन देता । नमाज वगैरहकी सहूलियत कर देता । आश्रममें पारसी और ईसाई भी थे । नियम यह था कि सबको अपने-अपने धर्मोंके अनुसार आचरण करनेके लिए प्रोत्साहन दिया जाय । इसलिए मुसलमान नवयुवकोंको मैंने रोजा रखनेमें उत्तेजन दिया, और मुझे तो प्रदोष रखने ही थे; परंतु हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयोंको भी मैंने मुसलमान नवयुवकोंका साथ देनेकी सलाह दी । मैंने उन्हें समझाया कि संयम-पालनमें सबका साथ देना अच्छा है । बहुतेरे आश्रम-वासियोंने बात पसंद की । हिंदू और पारसी लोग मुसलमान साथियोंका पूरा-पूरा अनुकरण नहीं करते थे । करनेकी आवश्यकता भी नहीं थी । मुसलमान इधर सूरज डूबनेकी राह देखते तबतक दूसरे लोग उनसे पहले भोजन कर लेते कि जिससे वे मुसलमानोंको परोस सकें और उनके लिए खास चीजें तैयार कर सकें । इसके

अलावा मुसलमान सरगही करते—अर्थात् व्रतके दिनोंमें सवेरे सूर्योदयके पहले भोजन करते थे; पर दूसरे लोग उसमें शरीक नहीं होते थे। इधर मुसलमान तो दिनमें भी पानी नहीं पीते थे; पर दूसरे लोग जब चाहते, पी लिया करते।

इन प्रयोगोंसे मेरा यह अनुभव हुआ है कि जिसका मन संयमकी ओर झुक रहा है उसके लिए भोजनकी मर्यादा और निराहार बहुत सहायक होते हैं।

३०

वकील-जीवनकी कुछ स्मृतियां

दक्षिण अफ्रिकामें वकालत करते हुए मुझे जो-कुछ अनुभव हुए हैं; उनकी कुछ स्मृतियां यहां लिख देना चाहता हूं। जब मैं पढ़ता था तब सुना था कि वकीलका काम बिना भूठ बोले नहीं चल सकता; परंतु इसका मुझपर कोई असर न हुआ था; क्योंकि मैं भूठ बोलकर न तो धन ही कमाना चाहता था, न पद-प्रतिष्ठा ही पाना चाहता था।

जहां तक मुझे याद है; वकालत करते हुए मैंने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया और वकालतका एक बड़ा हिस्सा केवल लोक-सेवाके लिए ही अर्पित कर दिया था एवं उसके लिए मैं जेब-खर्चसे अधिक कुछ नहीं लेता था और कभी-कभी तो वह भी छोड़ देता था। मवक्लिलको भी पहले ही कह देता कि यदि मामला भूठा हो तो मेरे पास न आना। गवाहोंको बनानेका काम करनेकी आशा मुझसे न रखना। आगे जाकर तो मेरी ऐसी साख बढ़ गई थी कि

कोई भूठा मामला मेरे पास आता ही नहीं था। ऐसे मवक्किल भी मेरे थे जो अपने सच्चे मामले ही मेरे पास लाते और जिनमें जरा भी गंदगी होती तो वे दूसरे वकीलके पास ले जाते।

जोहांसबर्गकी एक घटना मुझे याद आती है। मैं एक मुकदमेकी पैरवी कर रहा था। मुकदमेके दौरानमें मुझे मालूम हुआ कि मेरे मवक्किलने मुझे धोखा दिया है। कठघरेमें वह बिलकुल घबरा गया था। मैंने बिना बहस किये ही मजिस्ट्रेटसे कहा कि मुकदमा खारिज कर दीजिए। विरोधी वकीलको इसपर ताज्जुब हुआ। लेकिन मजिस्ट्रेट इससे खुश हुआ। इस घटनाके कारण मेरी वकालतपर कोई बुरा असर नहीं हुआ, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उल्टा मेरा काम आसान होगया। मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरे सत्य-पालनका प्रभाव मेरे साथी वकीलों पर भी अच्छा ही पड़ा और मेरी ख्याति भी बढ़ी। वहांके रंग-द्वेषके वातावरणमें भी मैं कुछ मामलोंमें उनका प्रीत-पात्र भी बन जाता था।

पारसी रुस्तमजीका नाम दक्षिण अफ्रिकाके हिंदुस्तानियोंमें घर-घर फैला हुआ था। सार्वजनिक कार्योंमें अरसेसे वह मेरे साथी थे। इनपर एक बार बड़ी आपत्ति आगई थी। हालांकि वह अपनी व्यापार-संबंधी बहुत-सी बातें भी मुझसे किया करते थे फिर भी एक बात मुझसे छिपा रखी थी। बंबई, कलकत्तेसे जो माल मंगाते उनकी चुंगीमें चोरी कर लिया करते। तमाम अधिका-रियोंसे उनका मेल-जोल अच्छा था। इसलिए किसीको उनपर शक नहीं होता था।

मगर एक बार उनकी यह चोरी पकड़ी गई। तब वह मेरे पास दौड़े आये, उनकी आंखोंसे आंसू निकल रहे थे। मुझसे कहा—“भाई मैंने आपको धोखा दिया है। मेरा पाप आज प्रकट होगया है। मैं चुंगीकी चोरी करता हूं। यह बात मैंने आपसे छिपाई थी, अब इसके लिए पछताता हूं।”

मैंने उन्हें धीरज और दिलासा देकर कहा—“मेरा तरीका तो आप जानते ही हैं। छुड़ाना न छुड़ाना ईश्वरके हाथ है। मैं तो आपको उसी हालतमें छुड़ा सकता हूं, जब आप अपना गुनाह कबूल कर लें।”

परन्तु मैंने आपके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्या काफी नहीं है ?” रुस्तमजी सेठने कहा।

“आपने कसूर तो सरकारका किया है, तो मेरे सामने कबूल करने से क्या होगा ?” मैंने धीरेसे उत्तर दिया।

हमने उनके वकीलसे भी सलाह ली। उन्होंने मेरी तजवीज पसन्द नहीं की; लेकिन पारसी रुस्तमजीने मेरी सलाहपर चलना ही बेहतर समझा। मैंने कहा—“मैं चुंगीके अफसर और अटर्नी जनरल दोनोंसे मिलूंगा; क्योंकि उन्हींपर इस मुकदमेके चलानेकी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें सुझाऊंगा कि पारसी रुस्तमजीपर जुरमाना कर दिया जाय। अगर वे राजी न हुए तो आपको जेल जाना होगा।” मैंने उन्हें समझाया कि जेल जानेमें शर्मकी बात नहीं है, शर्मकी बात तो चोरी करनेमें है। मैं यह नहीं कह सकता कि रुस्तमजी सेठ इन सब बातोंको ठीक-ठीक समझ गये हों। पर वह

बहादुर आदमी थे ।

उन्होंने कहा—“मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि मेरी गरदन आपके हाथमें है । जैसा आप मुनासिब समझें करें ।”

मैंने इस मामलेमें सारी कला और सौजन्य खर्च कर डाला । मैं दोनों अफसरोंसे मिला, चोरीकी सारी बातें मैंने निःशंक होकर उनसे कह दीं ।

मुझे कहना चाहिए कि मेरी सत्य-प्रियताको उन्होंने देख लिया और उनके सामने मैं यह सिद्ध कर सका कि मैं कोई बात उनसे छिपाता नहीं था ।

रुस्तमजी पर मुक़दमा नहीं चलाया गया । हुक्म हुआ कि जितनी चोरी पारसी रुस्तमजीने कबूल की है उसके दूने रुपये ले लिये जायं और मुक़दमा न चलाया जाय ।

रुस्तमजीने अपनी इन चुंगी चोरीका किस्सा लिखकर शीशेमें जड़ाकर अपने दफ्तरमें टांग दिया और अपने वारिसों तथा व्यापारियों को ऐसा करने के लिए खबरदार कर दिया ।

३१

सत्याग्रह का जन्म

जुलू-विद्रोहमें सौंपे गये अपने कामको खत्म करके जब मैं अपने फिनिक्सके सहयोगियोंसे अपनी योजनाओं और जीवनके आदर्शोंकी चर्चा कर रहा था, मुझे खबर मिली कि २२ अगस्त १९०६के ट्रांसवाल सरकारके ‘असाधारण गजट’ में एक आर्डिनैस-का मसविदा छपा है, जिसका उद्देश्य एक प्रकारसे दक्षिण अफ्रिका-

भ्रवासी भारतीयोंकी बरबादी करना था। उसके मुताबिक आठ साल या उससे ज्यादा उम्रके हर एक हिन्दुस्तानीको चाहे वह मर्द हो या औरत—ट्रांसवालमें रहनेके लिए एशियाटिक-रजिस्टरमें अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता और रजिस्ट्रीका परवाना अपने लिए प्राप्त करना पड़ता। ये परवाने लेते वक्त अपने पुराने परवाने अधिकारियोंको सौंप देने पड़ते। नाम लिखनेकी अर्जीमें अपना नाम, स्थान, जाति उम्र वगैरा लिखे जाते। नाम लिखनेवाले अधिकारी अर्जीदारका हुलिया नोट करते और अंगलियों तथा अंगूठेके निशान ले लेते। जो स्त्री-पुरुष नियत समयमें रजिस्ट्री न करवा लेते उनका ट्रांसवालमें रहनेका हक छिन जाता। अर्जी न देना भी कानूनी अपराध माना जाता, और उसके लिए अपराधी जेलमें भेज दिया जा सकता या जुर्माना भी कर दिया जा सकता था; और अगर अदालत चाहे तो देश-निकालेकी भी सजा दे सकती थी।

दूसरे दिन कुछ गण्य-मान्य भारतीयोंको इकट्ठा करके मैंने उन्हें यह अक्षरशः समझाया। उसका असर, उनपर भी वही हुआ जो मुझपर हुआ था। सभी स्थितिकी गंभीरता समझ गये थे और यह निश्चय हुआ कि एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाय।

मीटिंग ११ सितम्बर, १९०६ को बुलाई गई। उसमें जो सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ वह चौथा प्रस्ताव है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। मैंने यह प्रस्ताव सभाको अच्छी तरह समझा दिया। उसका आशय यह था कि इस विलका विरोध करनेके लिए तमाम उपायोंका अवलम्बन किया जाय; पर यदि इतनेपर भी वह

पास हो ही जाय तो भारतीयोंको उसके आगे अपना सिर न झुकाना चाहिए और इस अवज्ञाके फलस्वरूप जो कुछ दुःख सहना पड़े वह सब सह लेना चाहिए। आंदोलनका उस समय निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) कहते थे। बाद में इसे 'सत्याग्रह' कहने लगे।

हमारे आंदोलन के बावजूद वह बिल पास हो ही गया और हालांकि हमने पिकेटिंग भी किया और लोकमत भी उसके विरुद्ध था; फिर भी कुछ हिंदुस्तानियोंने अपने नामकी रजिस्ट्री करवा ही ली। लेकिन जब एशियाटिक विभागने देखा कि उनके तमाम आकाश-पाताल एक करनेपर भी उन्हें ५०० से अधिक लोग रजिस्ट्री करानेवाले न मिले तब उन्होंने पकड़ा-धकड़ी शुरू की। जर्मिस्टनमें बहुतसे भारतीय रहते थे। उनमें रामसुन्दर नामक एक व्यक्ति भी था। वह बड़ा वाचाल और बहादुर दिखता था। उसके गिरफ्तार होते ही, जहां केवल जर्मिस्टनके ही भले लोग उसे जानते थे वहां अब सारे दक्षिण अफ्रिकाके लोग जानने लग गये। अदालतमें भी रामसुन्दरका वैसा ही आदर-सत्कार किया गया जैसा कि कौमके प्रतिनिधि और एक असाधारण अपराधीका होना चाहिए था। अदालत उत्सुक भारतीयोंसे खचाखच भर गई थी। रामसुन्दरको एक मास सादी कैदकी सजा हुई और वह जोहांस-बर्गकी जेलके युरोपियन वार्डमें अलग कमरेमें रखा गया। उसका गिरफ्तारीका दिन बड़ी धूम-धामसे मनाया गया।

पर रामसुन्दर अयोग्य साबित हुआ। कौम और जेल-अधि-

कारियोंसे खासी-अच्छी सेवा लेनेके बाद भी उसे जेल दुःखदायी मालूम हुई और उसने ट्रांसवाल और आंदोलन दोनोंको अन्तिम नमस्कार करके अपनी राह ली ।

रामसुन्दरका यह किस्सा मैंने उसके दोष दर्शनके लिए नहीं लिखा है; बल्कि उससे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए लिखा है । प्रत्येक पवित्र आंदोलन या युद्धके संचालकोंको चाहिए कि वे उसमें शुद्ध मनुष्योंको ही शरीक करें ।

३२

जेलमें

मगर रामसुन्दरकी गिरफ्तारीसे सरकारको जरा भी लाभ न हुआ; बल्कि उलटा कौमका उत्साह दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने लगा । एशियाटिक विभागके अधिकारी 'इंडियन ओपीनियन'के लेख ध्यानपूर्वक पढ़ा करते थे । युद्ध-सम्बन्धी कोई भी बात छिपाकर नहीं रखी जाती थी । कौम और आंदोलनकी सारी गतिविधि सब इस अखबारसे जानी जा सकती थी । इसपरसे उन्होंने यह तय किया कि जबतक वे कुछ खास-खास अगुआओंको गिरफ्तार, नहीं कर लेते तबतक लड़ाईकी कम्मर नहीं तोड़ी जा सकती । इस-लिए दिसंबर १९०७ में कितने ही अगुआओंको अदालत में हाजिर होनेका समन मिला । वे सब २८ दिसम्बर, शनिवारको अदालतमें हाजिर हुए । इस बातका जवाब देना था कि एशियाटिक कानूनके मुताबिक रजिस्ट्री न करनेके कारण क्यों न उनपर, मुकदमा चलाया जाय ? मजिस्ट्रेटने हरएकका मुकदमा अलग-अलग किया और

तमाम मुल्जिमोंको हुक्म दिया कि कुछ तो ४८ घण्टेके अन्दर और कुछ ७ या १४ दिनके भीतर ट्रांसवाल छोड़कर चले जायं। मियाद १० जनवरी १९०८ को खत्म होती थी और उसी दिन हमें अदालतमें सजा सुननेके लिए बुलाया गया। हमें किसीको सफाई देनी ही नहीं थी। सब अपना गुनाह कबूल करनेवाले थे कि हमने मियादके अन्दर ट्रांसवाल न छोड़ कर आज्ञा-भंग की है।

अदालत में जो बयान मैंने दिया उसमें मैंने मजिस्ट्रेटसे अपने लिए अधिक-से-अधिक सजा मांगी। फिर भी मजिस्ट्रेटने मुझे सिर्फ दो ही महीनेकी सादी सजा दी। जिस अदालतमें मैं सैकड़ों बार वकीलकी हैसियतसे खड़ा रहता था, वकीलोंके साथ बैठता था, वहीपर आज मैं अपराधीके कठघरेमें खड़ा हूँ—यह विचार कुछ विचित्र जरूर मालूम हुआ; पर यह तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वकीलोंके साथ बैठनेमें अपना जो सम्मान समझता था उसकी बनिस्बत कहीं अधिक सम्मान आज मैंने इस कठघरेमें खड़े रहकर माना।

अदालतमें तो सैकड़ों हिन्दुस्तानी भाई, वकील, मित्र वगैराके सामने मैं खड़ा था; लेकिन सजा सुनाते ही मुझे फौरन हवालातमें ले गये और वहां अकेला रखा गया। एक पुलिस सिपाहीने मुझे यहां एक बेंच पर बैठनेके लिए कहा और दरवाजा बन्द करके चला गया। यहां मेरे दिलमें जरूर क्षोभ पैदा हुआ। मैं गहरे विचार-सागरमें गोते खाने लगा। वकालत कहां गई? घर बार कहां हैं? वे सभाएं कहां हैं? क्या यह सब सपना था? और

आज मैं कैदी हो गया हूँ । इन दो महीनोंमें क्या होगा ?

क्या पूरी सजा काटनी होगी ? यदि लोग बराबर एकके बाद एक आते रहे, तब तो यहां दो महीने न रहना पड़ेगा; पर यदि न आवें तो यह दो महीने कैसे कटेंगे ? यह लिखते हुए जितना समय लग रहा है उसके सौवें हिस्सेसे भी कम समयमें मेरे मनमें ये तथा ऐसे कितने ही विचार आये । और फिर मेरा सिर शर्मके मारे झुक गया । “अरे, यह कैसा मिथ्याभिमान ! मैं तो जेलको महल बता रहा था, उस खूनी कानूनका सामना करते हुए जो-कुछ मुसीबतें आवें उन्हें दुःख नहीं सुख समझना चाहिए । उसका सामना करते हुए जान-माल भी अर्पण कर देना ही तो सत्याग्रहकी पूर्णता है । यह सब ज्ञान अब कहां चला गया ?” बस, ये विचार आते ही मैं फिर होशमें आया और अपनी मूर्खतापर आप ही हँसने लगा । अब दूसरे भाइयोंको कैसी सजा दी जायगी, उन्हें मेरे साथ ही रखेंगे या अलग, आदि व्यावहारिक विचारोंमें मैं पड़ा । इस प्रकार विचार-सागरमें गोते लगा ही रहा था कि दरवाजा खुला । पुलिस-अधिकारीने आकर मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो । मैं रवाना हुआ । मुझे आगे करके वह पीछे हो लिया और जेलकी बन्द गाड़ीके पास मुझे ले जाकर उसमें बैठनेके लिये कहा । मेरे बैठते ही गाड़ी जोहांसबर्ग जेलकी तरफ चली ।

जेलमें आनेपर मेरे कपड़े उतरवाये गये । मेरा नाम-ठाम लिखनेके बाद मुझे एक बड़े कमरेमें ले गये । कुछ देर वहां रखा होगा कि इतने ही में मेरे और साथी भी हंसते-हंसते और बात-

चीत करते हुए आ पहुँचे और मेरे बाद उनका मुकदमा कैसे चला, आदि सब हाल उन्होंने कह सुनाया। हम सबको एक ही जेल और एक ही बड़े कमरेमें रखा गया। इससे हम बड़े प्रसन्न हुए।

३३

जेलके प्रथम अनुभव

छः बजे हमारे कमरेका दरवाजा बन्द कर दिया गया। वहाँके जेलकी कोठरियोंके दरवाजेमें लोहेकी छड़ें नहीं होतीं। वे विलकुल मुँदे रहते हैं और ठेठ ऊपर दीवारमें एक भरोखा हवाके लिए रखा जाता है। इसलिए हमें तो यही मालूम हुआ कि हम मानो सन्दूक में बन्द हैं।

दूसरे-तीसरे दिनसे सत्याग्रही कैदियोंके भुण्ड आने लगे। वे सब जान-बूझकर गिरफ्तार होते थे। उनमें अधिकांश तो फेरी-वाले थे। दक्षिण अफ्रीकामें हर एक फेरीवालेको, फिर वह गोरा हो या काला, फेरीका परवाना लेना पड़ता है जो उसे हमेशा पास रखना पड़ता है और पुलिसके मांगने पर बताना पड़ता है। अक्सर कोई-न-कोई पुलिसका आदमी तो परवाना मांग ही बैठता था और अगर उनके पास परवाना नहीं हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लेते। फेरीवाले इस काममें बड़े। उनके लिए गिरफ्तार हीना भी आसान था। फेरीका परवाना नहीं बताया कि हुए गिरफ्तार। इस प्रकार गिरफ्तारियां होते-होते एक सप्ताहके अन्दर कोई १०० सत्याग्रही कैदी होगये। और भी आ ही रहे थे। इसलिए हमें तो बिना ही अखबारके खबरें मिल जाया करतीं। ये भाई नित नई खबरें लाते

थे । जब सत्याग्रही बड़ी तादादमें गिरफ्तार होने लगे तब उन्हें सख्त कैदकी सजा दी जाने लगी ।

जोहांसबर्ग जेलमें सादी कैदके कैदियोंको सुबह मक्कीका दलिया मिलता था । दलियेमें नमक नहीं रहता था । वह अलगसे दिया जाता था । दोपहरको बारह बजे एक पाव भात, थोड़ा नमक और आधी छटांक घीके साथ एक पाव डबल रोटी भी मिलती थी । शामको मक्कीके आटेकी राब और थोड़ी आलूकी तरकारी मिलती । आलू अगर छोटे होते तो दो और बड़े होते तो एक मिलता था । इसलिए उससे किसीका पेट नहीं भरता था । चावल पतले पकाये जाते । जेलके डाक्टरसे कुछ मसाले मांगे गये और कहा गया कि मसाला भारतकी जेलोंमें भी दिया जाता है तो डाक्टरने कड़ककर जवाब दिया—“यह हिन्दुस्तान नहीं है । कैदीको स्वाद कैसा ? मसाला नहीं मिल सकता ।” तब हमने दाल मांगी; क्योंकि जो खाना हमें दिया जाता था उसमें पेटोंके लिए पोषक द्रव्य एक भी नहीं था । इसपर डाक्टरने उत्तर दिया कि कैदियोंको डाक्टरकी दलीलें नहीं देनी चाहिएं । तुम लोगोंको स्नायु-पोषक खुराक भी दी जाती है; क्योंकि सप्ताहमें दो बार मक्कीके बदले शामको मटर दी जाती है । सप्ताह अथवा पखवाड़ेमें जुदा-जुदा गुणवाली खुराक जुदा-जुदा समयपर एक साथ लेकर यदि मनुष्य उसके सत्वको आकर्षित कर सकता हो तब तो डाक्टरकी दलील ठीक थी । पर बात यह थी कि डाक्टर किसी प्रकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता था; परन्तु सुपरिंटेंडेंटेने हमारी इस सूचनाको मंजूर किया

कि हम अपना भोजन खुद ही पका लिया करें। थंबी नायडूको हमने अपना पाक-शास्त्री बनाया। चौकमें उन्हें कितने ही भगाड़े करने पड़ते थे। साग अगर कम मिलता तो और मांगते। यही हाल दूसरी चीजोंका भी था; पर हमारे जिम्मे केवल दोपहरका भोजन पकाना किया गया था। यह स्वतन्त्रता मिलनेपर भोजन कुछ सन्तोषजनक मिलने लगा।

पर ये सुविधाएं मिलें या न मिलें हम सबने तो यही निश्चय किया था कि इस जेलकी सजाको सुखपूर्वक ही काटें। सत्याग्रही कैदियोंकी संख्या बढ़ते-बढ़ते १५० तक चली गई।

इस प्रकार कोई १५ दिन बीते होंगे कि नये कैदी खबर लाने लगे कि सरकारके साथ सुलहकी कोई बातचीत चल रही है। जनरल स्मट्ससे मिलने मुझे बुलाया गया और यह तजवीज पेश की गई कि “भारतीय स्वेच्छासे अपने परवाने बदलवा लें। उनपर कानूनकी कोई पाबंदी न रहेगी। नवीन परवाना भारतीयोंकी सलाहसे बनाया जाय और यदि भारतीय इसे स्वेच्छासे मंजूर कर लें तो यह काला कानून रह हो जायगा और सब कैदी छोड़ दिये जायंगे।” सत्याग्राहीके नाते मैं ऐसे समझौतेको नामंजूर नहीं कर सकता था। फलतः कैदी छोड़ दिये गये और मैं अपने देश-बन्धुओंको समझानेमें लग गया कि समझौतेकी शर्तें क्या-क्या हैं ?

स्मरणीय प्रसंग—१

मैं सीधा जोहांसबर्ग पहुंचा। उसी रात ११-१२ बजे सभा हुई। सूचनाके लिए समय बहुत कम मिला था, रात भी ज्यादा चली गई थी, पर तो भी लगभग १००० आदमी जुट गये थे। सभामें दो पठानोंको छोड़ किसीने समझौतेका विरोध नहीं किया; क्योंकि पठानोंको यह बात जंच नहीं रही थी कि स्वेच्छासे भी अंगुलियोंकी छाप देना मुनासिब है।

१० फरवरी १९०८ को हम कितने ही लोग परवाना लेने जानेको तैयार हुए, लोगोंको खूब समझा दिया गया था कि वे अपने-आप परवाने ले लें। यह भी तय हो चुका था कि पहले दिन खास-खास लोग ही परवाने लें। उसके तीन कारण थे। एक तो यह कि लोगोंके दिलसे भयको भगा दें। दूसरे यह देखना था कि एशियाटिक आफिसके लोग कामको सचाई और सभ्यता से करते हैं या नहीं, और तीसरा कौम की देख-भाल करना।

मेरा दफ्तर ही सत्याग्रह-आफिस था। मैं वहां पहुंचा कि मैंने आफिसके मकानके बाहर मीर आलम और उसके मित्रोंको देखा। मीर आलम मेरा पुराना भवकिल था। अपने तमाम कामोंमें वह मेरी सलाह लेता था। वह छः फुटसे अधिक ऊंचा जवान था। शरीर भी दुहरा था। आज मैंने मीर आलमको पहले-पहल ही

इस प्रकार आफिसके बाहर खड़ा हुआ देखा । यह अक्सर अंदर आकर बैठ जाया करता था । हमारी आंख मिलीं; पर यह पहला ही मौका था जब उसने सलाम नहीं किया । जब मैंने सलाम किया तो उसने भी किया । अपने रिवाजके मुताबिक मैंने पूछा—“कैसे हो ?” मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद है कि उसने उत्तरमें कहा, “अच्छा हूँ !” पर आज उसका चेहरा हमेशाकी तरह प्रसन्न नहीं था । मैंने यह देखा और अपने दिलमें नोट करलिया । उसी समय यह भी सोच लिया कि आज कुछ गड़बड़ होगी । मैं आफिसके अंदर घुसा । शीघ्र ही ईसप मियां, जो कि अध्यक्ष थे, अन्य मित्रोंके साथ आ पहुंचे । और हम एशियाटिक आफिसकी ओर रवाना हुए । मीर आलम और उसके साथी पीछे-पीछे हो लिये ।

एशियाटिक आफिसवाला मकान मेरे आफिससे एक मीलसे भी कम फासले पर था । वह एक बड़े मैदानमें था । वहां हमें एक बड़ी सड़कपर होकर जाना पड़ता था । आफिस कोई पांच कदम रहा होगा कि मीर-आलम मेरी बगलमें आ पहुँचा और उसने पूछा, “कहां जा रहे हो ?” मैंने जवाब दिया—“दसों अंगुलियोंकी छाप देकर परवाना निकलवाना चाहता हूँ । अगर तुम भा चलोगे तो तुम्हें दसों अंगुलियों की छाप नहीं देनी होगी । तुम्हारा परवाना पहले निकलवाकर बादमें अपनी अंगुलियोंकी छाप देकर अपना परवाना निकलवाऊंगा ।” यह मैं कह ही रहा था कि इतने में मेरे सिरपर पीछेसे एक लाठी आकर लगी । मैं बेहोश होकर औंधे मुँह गिर पड़ा और मुँहसे निकला—“हे राम !” इसके

बाद क्या हुआ सो मैं नहीं जानता; पर मीरआलम और उसके साथियोंने और भी लाठियाँ और लातें मुझे लगाई ! चारों ओर शोर मच गया । राहगीर गोरे इकट्ठे होगये । मीरआलम और उसके साथी भागे, मगर गोरोंने पकड़ लिया, तबतक पुलिस भी आ पहुँची । पुलिसने उन्हें हिरासत में ले लिया । पास ही एक गोरेका आफिस था । वहाँ मुझे उठाकर ले गये । थोड़ी देरमें मुझे होश आया, तब मैंने रेवरेंड डोकको अपने ऊपर झुके हुए देखा । उन्होंने पूछा—“अब कैसे हो ?” मैंने हंसकर कहा—“मैं तो ठीक हूँ; पर मेरे दांत और पसलियोंमें दर्द है । मीर-आलम कहां है ?” उत्तर मिला—“वह और उसके साथी तो गिरफ्तार कर लिये गये ।” मैंने कहा, “तो वे छूटने चाहिएं ।” डोकने उत्तर दिया—“यह सब होता रहेगा । यहां तो आप एक अपरिचित गृहस्थके आफिसमें पड़े हुए हैं । आपके होंठ और गाल बुरी तरह फट गये हैं । पुलिस अस्पताल ले जाना चाहती है; पर अगर आप मेरे यहां चलें तो मिसेज डोक और मैं अपनी शक्ति भर आपकी सुश्रूषा करेंगे ।” मैंने कहा, “हां मुझे अपने यहां ले चलिये । पुलिसकी मिहरबानीके लिए मेरी ओरसे उसका एहसान मान लीजिए । उन लोगों से कहिएगा कि मैं आपके यहां जाना चाहता हूँ ।”

इतनेमें एशियाटिक आफिसके अधिकारी मि० चमनी भी आ पहुंचे । एक गाड़ीमें डालकर मुझे इत्त पादरी सज्जनके मकानपर लेगये । डाक्टर बुलाया गया; पर इस बीचमें ही मैंने मि० चमनी से कहा—“मैं तो यह उम्मीद करता था कि आपके दफ्तरमें जाकर

दसों अंगुलियोंकी छाप देकर सबसे पहले अपना परवाना लूं, पर ईश्वर को यह मंजूर न था। अब कृपया यहींपर अपने कागज मंगवाकर मुझे रजिस्टर कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरेसे पहले किसीकी रजिस्ट्री न करेंगे। उन्होंने कहा—“ऐसी कौन जल्दी पड़ी है। अभी डाक्टर साहब आते हैं। आपको जरा तसल्ली होजाने दीजिए, फिर सब होता रहेगा। दूसरोंको परवाने अगर दूंगा तो भी आपका नाम सबसे पहले रखूंगा।

मैंने कहा, “यह नहीं हो सकता। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि अगर जिंदा रहा और परमात्माने चाहा तो मैं ही सबसे पहले परवाना लूंगा। इसीलिए तो मैं इतना आग्रह कर रहा हूँ। आप कागज ले आइये।” मि० चमनी जाकर कागज ले आये।

मेरा दूसरा काम यह था कि अटर्नी-जनरल अर्थात् सरकारी वकीलको यह तार करदूं कि मीर आलम और उसके साथियों ने मुझपर जो हमला किया है, उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं समझता। जो भी हो, मैं यह चाहता हूँ कि आप उन्हें मेरी खातिर मुक्त कर दें। इस तारके फलस्वरूप मीर आलम और उसके साथी छोड़ दिये गये।

पर जोहांसबर्गके गोरोंने अटर्नी जनरलको नीचे लिखे अनुसार एक लंबा पत्र लिखा—

मुलज्जिमोंको सजा देने न देनेके विषयमें गांधीके जो विचार हों, वे दक्षिण अफ्रिकामें नहीं चल सकते। खुद उन्हींको मारा है इसलिए वह भले ही उनका कुछ न करें; पर मुलज्जिमोंने उन्हें उनके घरमें जाकर नहीं मारा है। जुर्म आमरास्तेपर हुआ है। यह एक

सार्वजनिक अपराध है। कितने ही अंग्रेज इस बातका सबूत दे सकते हैं, इसलिए अपराधियोंका चालान करना जरूरी है।” इसपर सरकारी वकीलने भीर आलम और उसके एक साथीको गिरफ्तार करवाया। उन्हें छः छः महीनेकी सख्त सजा हुई। हां, मुझे गवाह बनाकर नहीं बुलाया गया।

३५

स्मरणीय प्रसंग—२

मि० चमनी कागज बगैरा लेने गये तबतक डाक्टर आ पहुँचे। उन्होंने मेरे शरीरकी जांच की। मेरा होंठ फट गया था, उसे जोड़ा, पसलियोंकी जांच करके मालिश करनेकी दवा दी और होंठके टांके टूटने न पावें इसलिए धीरे-धीरे बोलनेकी इजाजत दी। इसमें मेरा बोलना तो बंद-सा होगया, केवल हाथ हिला सकता था।

मैंने कौमके नाम एक छोटा-सा पत्र गुजरातीमें लिखकर अध्यक्षके द्वारा प्रकाशित करनेको भेज दिया। वह इस प्रकार है—

“मेरी हालत अच्छी है, मि० और मिसेज डोक मुझपर जान दे रहे हैं। मैं बहुत जल्दी अपना काम संभालने लायक हो जाऊंगा। हमला करने वालोंपर मुझे कोई रोष नहीं है। उन्होंने अज्ञानके कारण ऐसा किया है। उनपर कोई मामला न चलाया जाय। अगर हम सब भाई शांत रहेंगे तो यह घटना भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

“हिंदू लोग अपने दिलमें जरा भी नाराज न हों। मैं चाहता

हूँ कि इस घटनाके कारण हिंदू-मुसलमानों के बीच वैमनस्य नहीं; पर प्रेम बढ़े। परमात्मासे मेरी यही प्रार्थना है।

“मुझे मार खानी पड़ी। शायद आगे और खानी पड़े; तो भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि सब मिलकर यही प्रयत्न करें कि हममें से अधिकांश व्यक्ति अपनी दसों अंगुलियों की छाप दें। कौमका और गरीबोंका भला इसीमें है। उसकी रक्षा इसीमें होगी।

“अगर हम सच्चे सत्याग्रही होंगे तो मारकी या भविष्यमें विश्वासघात होनेकी आशंकासे जरा भी नहीं डरेंगे। जो दस अंगुलियों की छाप न देने वाली बात पर ही अड़े हुए हैं वे गलती कर रहे हैं।

“मैं परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि वह कौमका भला करे। उसे सत्यमार्गपर ले चले और मेरे खून से हिंदू तथा मुसलमानों को एक करे।”

मि० चमनी कागजात लेकर लौटे। बड़ी मुश्किलसे मैंने अपनी अंगुलियों की छाप दी। उस समय मैंने उनकी आंखोंमें आंसू देखे। उनके खिलाफ तो मुझे बड़े सख्त लेख लिखने पड़े थे; पर उस समय मेरी आंखोंके सामने इस बातका चित्र खड़ा होगया कि मौका पड़नेपर मनुष्यका हृदय कितना कौमल हो सकता है। इस कार्रवाईमें बहुत समय नहीं लगा! फिर भी मि० डोक और उनकी धर्मपत्नी बड़े अधीर हो रहे थे कि मैं शीघ्र शांत और स्वस्थ हो-जाऊँ। चोटके बाद मेरी मानसिक प्रवृत्तिके कारण उन्हें दुःख हो रहा था। उन्हें यह भी भय था कि कहीं मेरे स्वास्थ्यपर इसका

विपरीत असर न हो। इसलिए संकेत द्वारा तथा और तरकीबसे वे पलंगके पाससे सबको दूर ले गये और मुझे लिखने वगैराकी मनाही करदी। मैंने चाहा (और उसे सिलकर प्रगट किया) कि सोनेसे पहले और चित्त-शांतिके लिए उनकी लड़की ओलिव, जो उस समय बालिका थी, मुझे मेरा प्रिय अंग्रेजी भजन Lead kindly light सुना दे। मेरी इस इच्छाको डोकने खूब पसन्द किया। यह लिखते समय वह सारा दृश्य मेरी आँखोंके सामने खड़ा हो रहा है और ओलिवकी वे दिव्य तानें अब भी मेरे कानोंमें गूँज रही हैं।

३६

फिर सत्याग्रह

पिछले प्रकरणमें हमने देखा कि किस तरह भारतीयोंने खुद-ब-खुद अपनी रजिस्ट्री करा ली। उससे ट्रांसवाल-सरकारको भी संतोष हुआ। अब सरकारकी बारी थी। उसे 'काला कानून' रद्द कर देना था और अगर उसने ऐसा किया होता तो सत्याग्रह-संग्राम खत्म होगया होता। मगर उस काले कानूनको रद्द करनेकी बजाय जनरल स्मट्सने एक नई ही कार्रवाई की। उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसके द्वारा एक ओर तो काला कानून बहाल रखा और दूसरी ओर उन ऐच्छिक परवानोंको कानूनी करार दिया; पर उस वक्तव्यमें उन्होंने एक वाक्य यह भी डाल दिया था कि जो भारतीय अबतक परवाना ले चुके हैं उनपर काले कानूनका अमल नहीं होगा।

इसको पढ़कर मैं तो बिलकुल किं-कर्तव्य-विमूढ़ हो गया ।

मैंने जनरल स्मट्सको एक चिट्ठी लिखी; लेकिन राजनीतिज्ञोंका यह कायदा होता है कि वे प्रायः ऐसी बातोंका जवाब नहीं देते, जो उन्हें उलझनमें डालती हैं । अगर देते भी हैं तो गोल-मोल ।

तब हमने ट्रांसवाल सरकारको एक जोरदार पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि यदि समझौतेके मुताबिक 'एशियाटिक कानून' रह नहीं किया गया, और अगर ऐसा करनेके सम्बन्धमें सरकारके निश्चयकी खबर नियत समयसे पहले कौंसिलको न मिली तो वह उन तमाम परवानोंको जला देगी जिनको उसने एकत्र कर रखा है और यह करनेके लिए उसपर जो मुसीबतें आवेंगी, उन सबको वह विनय और दृढ़तापूर्वक सहेगी ।

इस अल्टीमेटम अथवा निश्चय-पत्रकी आखिरी मियादका दिन वही रखा गया था, जिस दिन कि वह दूसरा एशियाटिक कानून मंजूर होनेको था । मियाद बीतनेके दो घण्टे बाद परवाने जलानेका सार्वजनिक समारोह करनेके हेतु एक सभा बुलाई गई थी । सत्याग्रह-कमेटीने सोचा था कि अगर कहीं सरकार अनुकूल उत्तर भेज दे (यद्यपि यह एक अकल्पित बात ही होती) तो भी वह सभा निरर्थक न सिद्ध होती; क्योंकि यदि ऐसा ही हुआ तो उस सभा द्वारा सरकारका अनुकूल निश्चय ही जाहिर किया जा सकता था ।

सभाका काम शुरू होनेवाला ही था कि इतनेमें एक स्वयं-सेवक बाईसिकल पर चढ़ा आ पहुंचा । उसके हाथमें एक तार था । वह

सरकारका उत्तर था। उसमें कौमके निश्चयपर दुःख प्रकट करते हुए यह जाहिर किया गया था कि सरकार अपने निश्चय को नहीं बदल सकती। तार सभामें पढ़कर सुना दिया गया। सभाने उसका बड़ा स्वागत किया। मानो सरकार यदि निश्चय-पत्रकी मांगोंको मंजूर कर लेती तो परवानोंकी होली जलानेका शुभ अवसर हाथसे चला जाता।

सभाका कार्य शुरू हुआ। अध्यक्षने सभाको सावधान किया, गरी परिस्थिति समझाई और प्रसंगोचित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। अबतक कमेटीके पास २००० से भी अधिक परवाने जलाने के लिए आ पहुंचे थे। उनके बंडलको मैंने एक कड़ाहीमें फैलाया। ऊपरसे मिट्टीका तेल छिड़का और आग लगा दी। एकदम सारी सभा खड़ी हो गई और जबतक वे परवाने जलते रहे, तालियोंसे उसने सारे मैदानको गुंजा दिया। कितने ही लोगोंने अब भी अपने परवाने रख छोड़े थे। अब उनकी वर्षा मंचपर होने लगी। ये भी कड़ाहीमें भोंक दिये गये।

अंग्रेजी अखबारोंके संवाददाता भी इस सभामें आये थे। उनपर भी उस दृश्यका बड़ा अच्छा असर पड़ा। उन्होंने अपने समाचार-पत्रोंको सभाका पूरा वर्णन भेजा।

धारा-सभाकी जिस बैठकमें (दूसरा) एशियाटिक कानून मंजूर किया गया, उसीमें जनरल स्मट्सने एक और बिल पेश किया। उसका नाम था—'इमिग्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन बिल' अर्थात् नवीन बस्तीका नियमन करनेवाला कानून। यह इस तरकीबसे

बनाया गया था कि अप्रत्यक्ष रूपसे वहां एक भी नवीन भारतीय प्रवेश नहीं पा सकता था ।

उसका विरोध करना तो कौमके लिए बड़ा ही आवश्यक था, क्योंकि वह उनके अधिकारोंपर एक नया कुठाराघात था । अगले दो सालमें पड़ोसके नेटालसे बहुतसे सत्याग्रही स्वेच्छासे ट्रांसवाल में प्रविष्ट हुए थे और वे वोकसरस्टकी जेलमें रखे गये थे । नेटालके इन मित्रोंके साथ देनेकी इच्छासे दूसरे बहुतसे उत्साही लोगों ने, जिन्होंने अपने परवाने जला दिये थे, बाजारमें साग-सब्जीकी टोकरी लगाना शुरू कर दिया । इसके लिए परवानेकी जरूरत थी और चूंकि वे बिना परवानेके थे अतः गिरफ्तार कर लिये गये । एक समय वोकसरस्ट जेलमें भारतीयोंकी संख्या ७५ तक पहुँच गई थी । सरकार इन सत्याग्रहियोंके जमावसे परेशान हो रही थी, जेलमें डालनेके बदले देश-निकाला देना शुरू किया । इससे जरूर कुछ भारतीय कमजोर पड़े, मगर बहुतेरे बिलकुल दृढ़ और प्रसन्न रहे और लड़ाई चलाते रहे ।

३७

टॉल्स्टॉय-आश्रम

अबतक (१९१० ई०) तो जेल जानेवाले कुटुम्बोंका पोषण उनको प्रतिभास द्रव्य देकर किया जाता था । यह बहुत असंतोषजनक और सार्वजनिक धनका दुर्व्यय सिद्ध हुआ; लेकिन जो लोग बराबर जेल जाते थे, वे बीचके दिनोंके लिए रहें भी कहां, यह प्रश्न था; क्योंकि उन्हें तो कोई नौकरीपर रखता नहीं था । इन

दोनों कठिनाइयोंका एक ही हल था। वह यह कि तमाम सत्याग्रही और उनके कुटुम्बी सब एक साथ रहें और एक बड़े कुटुम्बके लोगोंकी तरह हिल-मिलकर काम करें। इसके लिये मि० कैलनबैक ने अपनी ग्यारह सौ एकड़ जमीन मुफ्तमें हमें प्रदान कर दी। इस खेतमें कोई एक हजार पेड़ थे। उसके सिरेपर एक छोटी-सी टेकड़ी थी जिसपर एक छोटा-सा मकान भी था। दो कुएं थे, एक छोटा-सा झरना भी था, जहांसे स्वच्छ पानी मिलता था। लॉली रेलवे स्टेशन वहांसे कोई एक मील पड़ता था और जोहांसबर्ग २१ मील। बस, इसी जमीनपर मकान बांधकर सत्याग्रही कुटुम्बको बसानेका निश्चय किया। इस खेतमें संतरा, खुमानी और बेर खूब पैदा होते थे। इतनी तादादमें कि मौसममें सत्याग्रहियोंके भर पेट खानेपर भी बच रहते। झरना निवाससे कोई पांच सौ गजके फासले पर था। हमने यह नियम रखा कि नौकरोंके द्वारा किसी प्रकारका घरू, खेती या मकान बांधनेका काम भी न लिया जाय। इसलिए पाखाना साफ करनेसे लेकर खाना पकाने तकका सभी काम प्रत्येक कुटुम्बको करना पड़ता था। कुटुंबोंको रखनेमें यह नियम पहले हीसे बना लिया था कि स्त्रियों और पुरुषोंको अलग-अलग ही रखा जाय। इसलिए मकान भी अलग-अलग और दूर-दूर ही बनाये गये। शुरूमें १० स्त्रियों और ६० पुरुषोंके रहने योग्य मकान बनाने का निश्चय किया गया। मि० कैलनबैकके रहनेके लिए भी मकान बनाना था। साथ ही एक पाठशालाके लिए भी मकान बनाना था। इसके अलावा बढ़ई-खाना; मोचीखाना आदिके लिए भी एक

मकान बना लेना जरूरी था ।

यहां पर रहनेके लिए जो लोग आने वाले थे, वे गुजरात, मद्रास, आंध्र तथा उत्तरी भारतके थे । धर्मके अनुसार वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई थे । लगभग ४० युवक, २-३ बूढ़े, ५ स्त्रियां और २५-३० बच्चे थे, जिनमें ४-५ कुमारियां थीं । इस आश्रममें आकर कमजोर आदमी भी सशक्त होगये और सभी परिश्रमके आदी होगये । सभीको किसी-न-किसी कामसे जोहांस-वर्ग जाना पड़ता । बच्चोंको वहांकी सैर करनेकी इच्छा होती । मुझे भी काम-काजके लिए वहां जाना पड़ता । इसलिए यह तय किया कि सार्वजनिक कामके लिए जानेवालोंको ही रेलसे जानेकी छुट्टी दी जाय । जिसे केवल सैर करनेके लिए जाना हो, वह पैदल जावे । हां, रास्तेमें नाश्तेके लिए जरूर कुछ ले जा सकते हैं । शहरमें अपने खानेपर कोई खर्च न करे । यदि इतने कड़े नियम नहीं बनाये जाते, तो जिन पैसोंकी बचत करनेके लिए बनवासके कष्ट उठाये थे, वे रेल-किराये और शहरके नाश्ते-खर्चमें ही उठ जाते । घरसे हम लोग जो नाश्ता ले जाते, वह भी सादा ही होता था । हाथके पिसे मोटे और बिना छने आटेकी रोटी, मूंगफलीसे घरपर बनाया हुआ मक्खन और संतरेके छिलकोंका मुरब्बा । आटा पीसनेके लिए हाथसे चलानेकी लोहेकी चक्की खरीद ली गई थी । मूंगफलीको भूनकर पीस डालनेसे मक्खन बन जाता है । दूधसे बनाये मक्खनसे इसकी कीमत एक चौथाई होती थी । सन्तरे तो आश्रममें ही पैदा होते थे । आश्रममें गायका दूध शायद ही कभी

खरीदते । अक्सर डिब्बेके दूधसे ही काम चला ले जाते ।

जिनको सैर करनेके लिए जोड़ासवर्ग जानेकी इच्छा होता थी, वे सप्ताहमें १-२ बार जाते; पर उसी दिन लौट आते । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फासला २१ मीलका था, पैदल जानेके इस नियमसे सैकड़ों रुपये बच गये और पैदल जानेवालोंको भी बड़ा लाभ हुआ—कितनों ही को तो चलनेका नवीन अभ्यास होगया । नियम यह था कि इस तरह जानेवालेको रातको दो बजे उठकर २॥ बजे निकल पड़ना चाहिए । कम-से-कम समयमें पहुंचनेवालेको ४ घंटे और १८ मिनट लगते । हमारा उद्देश्य यह था कि सत्याग्रही कुटुम्बोंको उद्यमी रखें । जैसे बचावें और अन्ततः हम कुछ स्वार्थी बन जावें । हमने सोचा कि अगर हम इतना कर सके तो चाहे जितने समय तक लड़ सकेंगे । हमने जूताका एक कारखाना भी खोल लिया था । पास ही जर्मन कैथलिक पादरियोंका एक मठ था । वहांपर चप्पलें बनाना सिखाया जाता । उस मठमें जाकर मि० केलनबैकने चप्पलें बनाना सीख लिया और मुझे तथा दूसरे साथियोंको भी सिखा दिया । मैंने खुद दर्जनों चप्पलें बनाये हैं । मेरे कई चेले इस कलामें मुझसे बहुत आगे बढ़ गये । अपने मित्रोंमें हम उन चप्पलोंको बेचते भी थे । हमने बढईका काम शुरू किया । हम बैचसे लेकर संदूक तक छोटी-मोटी चीजें खुद ही बना लेते थे । आश्रमके लिए पाठशाला तो होनी ही चाहिए । पर वह काम सबसे कठिन मालूम हुआ और अब तक पूर्णताको नहीं पहुंचा । शिक्षाका भार खास मि० केलनबैक और मुझपर था । पाठशालाका

समय दोपहरके बाद ही रखा जा सकता था। मजूरी करते-करते हम दोनों खूब थक जाते। और मारे नींदके हम भोंके खाते और आँखोंपर पानी लगाकर नींद भगाते। बच्चोंके साथ हंसी-खेल करते और उनका तथा अपना भी आलस्य भगाते; पर कई बार यह सब प्रयत्न निष्फल होता। शरीरको आवश्यक आराम देना ही पड़ता; परन्तु यह तो पहला और सबसे छोटा विघ्न हुआ, क्योंकि ऊँघते रहनेपर भी हम वर्गको तो चालू ही रखते; किंतु सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि तामिल, तेलगू और गुजराती इन तीनों भाषाओंके बोलनेवालोंको एक साथ क्या और किस तरह पढ़ाया जाय ? मातृभाषाके द्वारा शिक्षा देनेका लोभ तो हमें अवश्य ही रहता था। तामिल तो मैं कुछ जानता भी था; पर तेलगू बिलकुल नहीं। इस हालतमें अकेला एक शिक्षक क्या कर सकता था ?

पर यह शिक्षा-प्रयोग व्यर्थ साबित नहीं हुआ। लड़कोंमें कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई दी। एक-दूसरेके धर्म और रीति-नीतिका वे आदर करना सीखे, सभ्यता सीखे और उद्यमी भी बने। आज भी उन बालकोंमेंसे जितनोंको मैं जानता हूँ, उनके कार्योंको देखते हुए मुझे यही मालूम होता है कि टॉल्स्टॉय-आश्रममें उन्होंने जो कुछ सीखा था वह व्यर्थ नहीं गया। अधूरा-सा ही सही; पर था यह विचारमय और धार्मिक प्रयोग। टॉल्स्टॉय-आश्रमकी अत्यंत मधुर स्मृतियोंमेंसे शिक्षाप्रयोगकी स्मृति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है।

अच्छे-बुरेका मेल

टॉल्स्टॉय-आश्रममें मि० केलनबेकने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था। इससे पहले मैंने उसपर कभी विचार नहीं किया था। आश्रममें कितने ही लड़के बड़े ऊधमी और आवारा भी थे। उन्हींके साथ मेरे तीन लड़के रहते थे। दूसरे लड़के भी थे, जिनका कि लालन पालन मेरे लड़कोंकी ही तरह हुआ था। परन्तु मि० केलनबेकका ध्यान तो इसी बातकी तरफ था कि वे आवारा लड़के और मेरे लड़के एक साथ इस तरह नहीं रह सकते। एक दिन उन्होंने कहा—“आपका यह सिलसिला मुझे बिलकुल नहीं जंचता। इन लड़कोंके साथ आपके लड़के रहेंगे तो इसका बुरा नतीजा होगा। उन आवारा लड़कोंकी सोहबतसे ये बिगड़े बिना कैसे रहेंगे ?”

इसको सुनकर मैं सोचमें पड़ा या नहीं, यह तो मुझे इस समय याद नहीं; परन्तु अपना उत्तर मुझे याद है। मैंने जवाब दिया—“अपने लड़कों और इन आवारा लड़कोंमें मैं भेद-भाव कैसे रख सकता हूँ? अभी तो दोनोंकी जिम्मेदारी मुझपर है। ये लड़के मेरे बुलाये यहां आये हैं। यदि मैं रुपये दे दूं तो ये आज ही जोहांसबर्ग जाकर पहलेकी तरह रहने लग जायेंगे। आश्चर्य नहीं यदि उनके माता-पिता यह समझते हों कि उन लड़कोंने यहां

आकर मुझपर बहुत मिहरबानी की है। यहां आकर वे। असुविधा उठाते हैं, यह तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं। सो इस संबंधमें मेरा धर्म मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुझे उन्हें यहीं रखना चाहिए, मेरे लड़के भी उन्हींके साथ रहेंगे। फिर क्या आजसे ही मेरे लड़कोंको यह भेद-भाव सिखावें कि ये औरोंसे ऊंचे दर्जेके हैं? ऐसा विचार उनके दिमागमें डालना उन्हें उल्टे रास्ते ले जाना है। इस स्थितिमें रहनेसे उनका जीवन बनेगा, स्वयं भले-बुरे-की परीक्षा करने लगेंगे। हम यह क्यों न मानें कि उनमें यदि सचमुच कोई गुण होगा तो उसीका असर उनके साथियोंपर होगा? जो कुछ भी हो, पर मैं तो उन्हें नहीं हटा सकता और ऐसा करनेमें यदि कुछ जोखम हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।” इसपर मि० केलनबेक सिर हिला कर रह गये।

नहीं कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हुआ। मैं नहीं मानता कि मेरे लड़कोंको इससे कुछ नुकसान हुआ। हां, लाभ होता हुआ तो अलबत्ता मैंने देखा है। उनमें बड़प्पनका यदि कुछ अंश रहा होगा तो वह चला गया, वे सबके साथ मिल-जुलकर रहना सीखे।

इससे तथा ऐसे दूसरे अनुभवोंपरसे मेरा यह खयाल बना कि यदि मां-बाप ठीक-ठीक निगरानी रख सकें तो उनके भले और बुरे लड़कोंके एक साथ रहने और पढ़नेसे अच्छे लड़कोंका किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता। अपने लड़कोंको घरमें बंद कर रखनेसे वे शुद्ध ही रहते हैं और बाहर निकालनेसे वे विगड़ जाते हैं, यह

कोई नियम नहीं है। हां यह बात जरूर है कि जहां अनेक प्रकारके बालक और बालिकाएं एक साथ रहते और पढ़ते हों, वहां मां-बापकी और शिक्षककी कड़ी जांच हो जाती है। उन्हें बहुत सावधान और जागरूक रहना पड़ता है।

इस तरह लड़के-लड़कियोंके सच्चाई और ईमानदारीके साथ परवरिश करने और पढ़ाने-लिखानेमें कितनी [और कैसी कठिनाइयां हैं, इसका अनुभव दिन-दिन बढ़ता गया। शिक्षक और संरक्षककी हैसियतसे मुझे उनके हृदयोंमें प्रवेश करना था। उनके सुख-दुःखमें हाथ बंटाना था। उनके जीवनकी गुत्थियां सुलभानी थीं, उनकी चढ़ती जवानीकी तरंगोंको सीधे रास्ते ले जाना था।

कितने ही कैदियोंके ब्रूट जानेके बाद टॉल्स्टॉय-आश्रममें थोड़े ही लोग रह गये। ये खास करके फिनिक्सवासी थे। इसलिए मैं आश्रमको फिनिक्स ले गया। फिनिक्समें मेरी कड़ी परीक्षा हुई। इन बचे हुए आश्रम-वासियोंको टॉल्स्टॉय-आश्रमसे फिनिक्स पहुंचाकर मैं जोहांसबर्ग गया। थोड़े ही दिन जोहांसबर्ग रहा होऊंगा कि मुझे दो व्यक्तियोंके पतनके समाचार मिले। सत्याग्रह-जैसे संग्राममें यदि कहीं भी असफलता-जैसी कुछ चीज दिखाई देती तो उससे मेरे दिलको चोट नहीं पहुंचती थी; परन्तु इस घटनाने तो मुझपर वज्र-प्रहार ही कर दिया। मेरे दिलमें घाव हो गया। उसी दिन मैं फिनिक्स रवाना हो गया। मि० केलनबेकने मेरे साथ जानेका आग्रह किया। वह मेरी दैनिक स्थितिको

समझ गये थे; जोर देने लगे मैं आपको अकेला नहीं जाने दूँगा । इस पतनकी खबर मुझे उन्हींके द्वारा मिली थी । रास्ते हमें मैंने सोच लिया, अथवा यों कहूँ कि मैंने मान लिया कि इस अवस्थामें मेरा धर्म क्या है ? मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारे संरक्षणमें हैं उनके पतनके लिए संरक्षक और शिक्षक किसी-न-किसी अंशमें जरूर जिम्मेदार हैं और इस दुर्घटनाके संबंधमें तो मुझे अपनी जिम्मेदारी साफ-साफ दिखाई दी । मेरी पत्नीने मुझे पहले ही चेताया था; पर मैं स्वभावतः विश्वासशील हूँ, इससे मैंने उसकी चेतावनीपर ध्यान नहीं दिया था । फिर मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि ये पतित लोग मेरी व्यथाको तभी समझ सकेंगे जब मैं इस पतनके लिए कुछ प्रायश्चित्त करूँगा । इसीसे उन्हें अपने दोषों-का ज्ञान होगा और उसकी गंभीरताका कुछ अन्दाज मिलेगा । इस कारण मैंने सात दिनके उपवास और साढ़े चार मास तक एक समय भोजन करनेका विचार किया । मि० केलनबेकने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की; पर उनकी न चली । अन्तमें उन्होंने प्रायश्चित्तके औचित्यको माना और अपने लिए भी मेरे साथ ब्रत रखनेपर जोर दिया । उनके प्रेमको मैं न रोक सका । इस निश्चयके बाद ही तुरन्त मेरा हृदय हलका हो गया; मुझे शांति मिली । दोष करनेवालोंपर जो-कुछ गुस्सा आया था वह दूर हुआ और उनपर दया ही आती रही ।

इस तरह ट्रेनमें ही अपने हृदयको हलका करके मैं फिनिक्स पहुंचा । पूछ-ताछकर जो कुछ बातें जाननी थीं, वे जान लीं ।

यद्यपि मेरे इस उपवाससे सबको बहुत कष्ट हुआ; पर उससे वातावरण शुद्ध हुआ। उस पापकी भयंकरताको सबने समझा, और विद्यार्थी-विद्यार्थिनियोंका और मेरा सम्बन्ध अधिक मजबूत और सरल हुआ।

इस दुर्घटनाके सिलसिलेमें ही, कुछ समयके बाद, मुझे फिर चौदह दिनके उपवास करनेकी नौबत आई थी और मैं जानता हूँ कि उसका परिणाम आशासे अधिक अच्छा निकला; परन्तु उन उदाहरणोंसे मैं यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए हमेशा शिक्षकको उपवासादि करना ही चाहिए; पर मैं यह जरूर मानता हूँ कि मौकेपर ऐसे प्रायश्चित्त-रूप उपवासके लिए अवश्य स्थान है; किन्तु उसके लिए विवेक और अधिकारकी आवश्यकता है। जहां शिक्षक और शिष्यमें शुद्ध प्रेम-बन्धन नहीं, जहां शिक्षकको अपने शिष्यके दोषोंसे सच्ची चोट नहीं पहुंचती, जहां शिष्यके मनमें शिक्षकके प्रति आदर नहीं, वहां उपवास निरर्थक है और शायद हानिकारक भी हो; परन्तु ऐसे उपवास या एक समय भोजन करनेके विषयमें भले ही कुछ शंका हो; किन्तु शिष्योंके दोषोंके लिए शिक्षक थोड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं।

३६

बहनोंका हिस्सा—१

१९१२ के जाड़ेमें गोखले दक्षिण अफ्रिका आये। उनके आनेका उद्देश्य था—सरकार और सत्याग्रहियोंके बीच समझौता कराना।

जनरल बोथासे मिलनेके बाद उन्होंने हमें यह आशा दिलाई कि सब मामला ठीक हो जायगा। उन्होंने कहा—“अगले साल काला कानून रद्द हो जायगा और ३ पौंडका टैक्स हटा दिया जायगा।”

दूसरा साल आया; लेकिन हमारी आशा पूरी न हुई और १९१३ में टॉल्स्टॉय-आश्रमके निवासियोंको सत्याग्रहकी तैयारी करनी पड़ी, जिसका उद्देश्य था—३ पौंडके करको हटवाना।

अब तक हमने स्त्रियोंको सत्याग्रहमें जेल जानेसे रोक रखा था—हालांकि वे अपने पतियोंके साथ जेल जानेके लिए उत्सुक रहती थीं; परंतु अब एक ऐसी घटना हुई जिसे देखते हुए यह मालूम होने लगा कि मानो परमात्मा स्वयं अदृश्य रूपसे भारतीयोंकी जीतके लिए कोई सामग्री तैयार कर रहे हों और मानो दक्षिण अफ्रिकाके गोरोंके अन्यायोंको अधिक स्पष्ट रीतिसे बताना देना चाहते हों। एक ऐसा मामला अदालतमें आया, जिसमें न्यायाधीशने यह फैसला दिया कि दक्षिण अफ्रिकाके कानूनमें उसी विवाहके लिए स्थान है जो ईसाई-धर्मके अनुसार होता है—अर्थात् जो विवाह अधिकारीके रजिस्टरमें दर्ज कर लिया जाता है उसके सिवा और किसी विवाहके लिए उसमें स्थान नहीं है। इस भयंकर फैसलेके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, पारसी सभी विवाह रद्द करार दे दिये गये और इसके अनुसार दक्षिण अफ्रिकामें विवाहित कितनी ही भारतीय स्त्रियोंका दर्जा धर्मपत्नीका न रहा। वे सरासर रखेलियां समझी जाने लगीं, स्त्रियोंका ऐसा अपमान होनेपर कैसे धीरज धारण किया जा सकता था? अब स्त्रियोंको सत्याग्रहमें शामिल होनेपर

हम नहीं रोक सकते थे। यह निश्चय हुआ कि उन्हें सत्याग्रह-संग्राममें शामिल होनेके लिए निमंत्रित किया जाय। सबसे पहले टॉल्सटॉय-आश्रममें रहनेवाली बहनों को ही निमंत्रण दिया गया। वे स्वयं भी सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिए तड़प रही थीं। संग्राममें आनेवाली तमाम कठिनाइयों और जोखिमोंका चित्र मैंने उनके सामने रखा। खान-पान, कपड़े-लत्ते, सोना-बैठना आदि सब बातोंमें उन्हें परतंत्रता रहेगी आदि समझाया। जेलमें सख्त मशकत करनी होगी, कपड़े धुलवाये जायंगे, अधिकारी लोग अपमान करेंगे इत्यादि बातोंसे भी उन्हें सावधान कर दिया; पर वे बहनें तो एक बातसे भी नहीं डरीं—सब-की-सब बहादुर थीं। उनमेंसे एक तो गर्भवती थी। कई बहनोंकी गोदमें नन्हें-नन्हें बच्चे थे; पर उन्होंने भी शामिल होनेका आग्रह किया। जिस प्रकार नेटालसे बिना परवाने ट्रांसवाल जाना गुनाह समझा जाता था उसी प्रकार ट्रांसवालसे नेटाल आनेवाला भी गुनाहगार था। इसलिए यह निश्चय किया गया था कि इन लोगोंको सरहद लांघकर “बिना परवानेके ले जाकर” ट्रांसवालमें प्रवेश करनेके गुनाहमें गिरफ्तार करवा दें। इसी बीच जो बहनें गिरफ्तार करके छोड़ दी गई थीं उन्हें वापस नेटाल भेजा जाय। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो ठीक; यदि नहीं तो नेटालकी कोयलेकी खानमें, जिनका केंद्र न्यू-कैसल था, चली जावें और वहांके मजदूरोंको खानें छोड़नेके लिए समझावें। मजदूर प्रायः मद्रास इलाकेके तामिल-तेलगू ही थे।

इसके बाद मैं फिनिक्स पहुंचा। वहां सबके साथ मैंने चर्चा

की । सबसे पहले फिनिक्स रहनेवाली बहनोंसे इस विषयमें बातचीत कर लेना था । मैं जानता था कि बहनोंको जेलमें भेजना एक भयंकर बात है । फिनिक्समें रहनेवाली बहुत-सी बहनें गुजराती थीं । इसलिए उन्हें ट्रांसवालवाली बहनोंके समान मुस्तैद और अनुभवी नहीं कह सकते थे । फिर उनमेंसे कितनी ही तो मेरी रिश्तेदार थीं, इसलिए संभव था कि केवल मेरे लिहाजसे जेल जाना मंजूर करलें और यदि ऐन वक्तपर घबड़ाकर अथवा जेलमें जानेके बाद कष्टोंसे डर कर माफी मांग लें तो मुझे कितना आघात पहुंचेगा । लड़ाई भी एकदम शिथिल हो जायगी, इत्यादि सभी बातोंपर विचार कर लेना जरूरी था । यह तो मैंने निश्चय ही कर लिया था कि अपनी पत्नीको मैं कभी नहीं ललचाऊंगा । एक तो यह ललचाने पर 'ना' कह नहीं सकती थी और यदि 'हां' कर भी ले तो मुझे यह निश्चय नहीं था कि उसकी 'हां' को कितना महत्त्व दिया जाय । ऐसे जोखिमके समय सभी अपने-आप जो काम करें उसीको मंजूर करना हितकर होता है । इसलिए अन्य बहनोंके साथ मैंने बातचीत की । उन्होंने भी ट्रांसवालकी बहनोंकी तरह फौरन वीड़ा उठा लिया और सब जेल-यात्रा करनेको तैयार हो गईं । उन्होंने मुझे यह भी विश्वास दिलाया कि हर प्रकारके कष्ट भेलकर भी वे जेल-यात्रा पूरी करेंगी । इन सब बातोंको मेरी पत्नीने भी सुन लिया और उसने मुझसे कहा—“मुझे दुःख है कि आप मुझसे इस विषयमें कोई बातचीत क्यों नहीं करते ? मुझमें ऐसी कौन कभी है जो मैं जेल न जा सकूंगी ? मैं भी उसी पथपर चलना चाहती हूं जिसके लिए

आप इन बहनोंको सलाह दे रहे हैं।” मैंने जवाब दिया—“तुम्हारे चित्तको मैं दुखी तो कैसे कर सकता हूँ ? न इसमें अविश्वासकी कोई बात है। मैं तो तुम्हारे जवाब से खुश हूँ; पर मुझे इस बातका आभास तक पसंद नहीं कि तुम मेरे कहनेसे जेल गई हो। ऐसे काम सबको अपनी-अपनी हिम्मतपर ही करने चाहिए। यदि मैं तुमसे कहूँ और तुम मेरी आज्ञाका पालन करनेके लिए जेल चली भी जाओ, पर अगर अदालतमें खड़े रहते समय तुम्हारे हाथ-पांव कांपने लगें, हिम्मत हार जाओ, जेलके कष्ट बरदाश्त न कर सको तो मेरा क्या हाल होगा ? संसारमें हम ऊंचा सिर करके कैसे खड़े रह सकेंगे ?” उत्तर मिला—“यदि मैं हिम्मत हारकर छूट आऊं तो मुझे स्वीकार मत करना। आप यह कल्पना भी किस तरह कर सकते हैं कि आप और हमारे बच्चे तो उन कष्टोंको सह सकते हैं और अकेली मैं ही उन्हें नहीं सह सकूंगी ? मुझे तो आपको इस युद्ध में शामिल करना ही होगा।” मैंने उत्तर दिया—“तब तो हमें तुम्हें शामिल करना ही पड़ेगा। तुम मेरी शर्त जानती ही हो। मेरा स्वभाव भी जानती हो। अब भी विचार करना हो तो कर लो। पूरा विचार लेनेपर तुम्हें लगे कि शामिल न होना चाहिए, तो तुम्हें छुट्टी है। आगे कदम बढ़ानेके पहले ही अपना निश्चय बदलनेमें कोई शर्मकी बात नहीं है।” उसने कहा—“मुझे कुछ सोचना-विचारना नहीं है, मैं अपने निश्चयपर दृढ़ हूँ।”

फिनिक्समें और रहनेवाले भी थे। उन्हें भी मैंने इस प्रश्न-पर स्वतंत्र रीतिसे विचार करनेके लिए कहा। 'संग्रामका अंत शीघ्र

हो या देरीसे, फिनिक्स बना रहे या मिट जाय; जानेवाले भले-चंगे रहें या बीमार हो जायं पर किसीको पीछे न हटना चाहिए—इत्यादि शर्तें मैंने बार-बार भली प्रकार समझा दीं। सब तैयार हो गये। फिनिक्सके बाहरवालोंमें केवल रुस्तमजी पारसी थे। उन्हें सब लोग प्रेमसे 'काकाजी' कहते थे। उनसे ये सब बातें मैं छिपा नहीं सकता था और न वे पीछे रह सकते थे। पहले सत्याग्रहमें भी वे जेल जा चुके थे। अब दूसरी बार भी तैयार हो गये।

जैसा हमने सोचा था वैसा ही सब हुआ। जो बहनें ट्रांस-वालमें गिरफ्तार न हो सकीं वे निराश होकर अब नेटाल आई; मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए वे न्यू-कैसल चली गईं और वहां अपना काम शुरू कर दिया। इसका असर विजलीकी तरह हुआ। ३ पौंडके करकी बातका उनपर बहुत प्रभाव पड़ा। बस, मजदूरोंने अपना काम छोड़ दिया।

भला, अब सरकार उन बहादुर बहिनोंको कैसे छोड़ सकती थी? उन्हें पकड़ा और तीन मासकी सजा दी गई।

४०

बहनोंका हिस्सा—२

स्त्रियोंकी बहादुरीका वर्णन करना कठिन है। वे सब नेटालकी राजधानी मेरिट्सबर्गकी जेलमें रखी गईं। वहां उन्हें कष्ट भी खूब दिये गये। उनके खान-पानकी जरा भी चिंता नहीं की जाती थी।

उनको धोबीका काम दिया गया। बाहरसे खाना मंगानेकी मनाही थी, जो आखीर तक कायम रही। कस्तूरबाई (मेरी पत्नी)

का व्रत था कि वह एक खास तरहका भोजन ही कर सकती थी। बड़ी मुश्किलसे उसे वही खुराक देना अधिकारियोंने मंजूर किया; पर चीजें ऐसी मिलती थीं कि खाई नहीं जा सकती थीं। जैतूनके तेलकी खासतौरपर जरूरत थी। पहले तो वह दिया ही नहीं गया और जब मिला तो पुराना और खराब। जब यह प्रार्थना की गई कि हमारे खर्चसे ही खाना मंगवा दिया जाय तो उसपर जवाब दिया गया—“यह होटल नहीं है, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा।” वह जब जेलसे छूटी तो बदनमें हड्डियां भर रह गई थीं, और बड़ी मुश्किलसे वह बची।

एक दूसरी बहन भयंकर बुखार लेकर बाहर निकली, जिसने थोड़े ही दिन बाद उसे परमात्माके घर पहुंचा दिया। उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? वालीअम्मा आर० मनुस्वामी मुदलियार १६ वर्षकी बालिका थी। मैं उसके पास गया, तब वह बिस्तरसे उठ नहीं सकती थी। कद ऊँचा था, इससे उसका लकड़ीके जैसा शरीर बड़ा डरावना मालूम होता था। मैंने पूछा—“वालीअम्मा, जेल जानेपर अफसोस तो नहीं है?”

“अफसोस क्यों हो? अगर मुझे फिर गिरफ्तार करें तो मैं इसी क्षण जेल जाने के लिए तैयार हूं।”

“पर इसमें अगर मौत आजाय तो?”

“भले ही आवे न! देशके लिए मरना किसे अच्छा न लगेगा?”

इस बातचीतके कुछ ही दिन बाद वालीअम्मा चल बसी। उसकी देह चली गई पर वह अपना नाम अमर कर गई। इन

बहनोंका बलिदान विशुद्ध था। उनका जेल जाना उनका आर्तनाद था, शुद्ध यज्ञ था। ऐसी शुद्ध हादक प्रार्थनाको ही प्रभु सुनते हैं। यज्ञकी शुद्धि ही में उसकी सफलता है। भगवान् तो भावनाके भूखे हैं। भक्तिपूर्वक अर्थात् निःस्वार्थ भावसे अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प और जल भी परमात्मा को प्रिय है। उसे वे सप्रेम अंगीकार करके करोड़ों गुना फल देते हैं। सुदामाके मुट्ठी-भर चावलके बदलेमें उसकी बरसोंकी भूख भाग गई। अनेकके जेल जानेसे चाहे कोई फल न निकले; मगर एक शुद्धात्माका भक्तिपूर्ण समर्पण किसी समय निष्फल नहीं हो सकता। कौन कहता है कि दक्षिण अफ्रिकामें किस-किसका यज्ञ सफल हुआ; पर इतना हम जरूर जानते हैं कि वाली-अम्माका बलिदान अवश्य ही सफल हुआ।

स्वदेश-यज्ञमें, जगत्-यज्ञमें असंख्य आत्माओंका बलिदान दिया गया है, दिया जा रहा है, और दिया जायगा। यही ठीक भी है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि पूर्णरूपसे शुद्ध क्या है? पर सत्याग्रही इतना तो जरूर जानते हैं कि उनमेंसे यदि एक भी शुद्ध होगा तो उसका यज्ञ फलोत्पत्तिके लिए काफी है। पृथ्वी सत्यके बल पर टिकी हुई है। 'असत्'—'असत्य'के मानी हैं 'नहीं', 'सत्'—'सत्य' अर्थात् 'है'—जहां असत् अर्थात् अस्तित्व ही नहीं, उसकी सफलता कैसे हो सकती है? और जो सत्—अर्थात्—'है' उसका नाश कौन कर सकता है? वस, इसीमें सत्याग्रहका सिद्धांत समाविष्ट है।

मजदूर भी

बहनोंकी इस गिरफ्तारीका मजदूरोंपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा। न्यू-कैसलके पासकी खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंने अपने औजार फेंक दिये और जत्थे-के-जत्थे नगरमें आने लगे। खबर मिलते ही फिनिक्स छोड़कर मैं न्यू-कैसल पहुंचा।

ऐसे मजदूरोंका अपना घर नहीं होता। मालिक ही उसके लिए घर बनाते हैं, वे ही उनके रास्तों आदिपर दिया-बत्तीके प्रकाशका और पानीका इंतजाम भी करते हैं। मतलब यह कि मजदूर हर तरहसे पराधीन रहते हैं।

ये हड़ताली मजदूरं मेरे पास कई प्रकारकी शिकायतें ले लेकर आने लगे। कोई कहता कि खानोंके मालिकोंने रास्ते परकी बत्तियोंको हटा लिया है। कोई कहता कि उन्होंने पानी बंद कर दिया है। कई कहते कि वे हड़तालियोंका असबाब कमरोंमेंसे बाहर फेंक रहे हैं। एक पठान भाई सैयद इब्राहीम ने मुझे अपनी पीठ दिखाकर कहा—“यह देखिये, मुझे कैसा मारा है, सिर्फ आपकी खातिर मैंने उस बदमाशको छोड़ दिया है, क्योंकि यही आपका हुक्म है। नहीं तो मैं पठान हूं और पठान कभी मार नहीं खाता; बल्कि मारता है।”

मैंने उत्तर दिया—“भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसीको मैं सच्ची बहादुरी कहता हूं। तुम जैसे लोगोंके बलपर ही हम जीतेंगे।”

मजदूर पांच पच्चीस नहीं, सैकड़ों थे। सैकड़ोंसे हजारों होनेमें भी देर नहीं थी। और ऐसा हुआ भी। उनके लिए मैं मकान कहांसे लाऊं ? खाने-पीनेका प्रबंध क्या करूं ? इतने बड़े और प्रतिक्षण बढ़नेवाले जुनसमुदायको एक ही स्थानपर बिना किसी उद्योगके रखना भयानक जरूर था।

मुझे इसका एक उपाय सूझा। इनको भी फिनिक्सके लोगोंकी तरह ट्रांसवास ले जाकर जेलमें क्यों न बैठा दूं ? कोई ५०० आदमी इकट्ठे हो गये होंगे। उन सबको ट्रेनसे नहीं ले जा सकता था। इतने रुपये मैं कहांसे लाता ? फिर इससे लोगोंकी परीक्षा भी नहीं हो सकती थी। न्यू-कैसलसे ट्रांसवालकी सरहद ३६ मील थी। नेटालका सरहदी गांव चार्ल्सटाउन था और ट्रांसवालका वोक्सरस्ट। पैदल ही सफर करनेका निश्चय किया। मजदूरोंसे भी सलाह की। उनमें स्त्रियां बच्चे वगैरा भी थे। कितने ही टाल-मटोल कर गये। हृदयको कठोर करनेके सिवाय मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। मैंने उनको कह दिया कि जो वापस खानोंमें कामपर जाना चाहते हों वे जा सकते हैं; पर लौट जानेको कोई तैयार नहीं था। जो पंगु थे, उन्हें ट्रेनसे भेजनेका निश्चय हुआ, शेष सब चार्ल्सटाउन तक पैदल चलनेको तैयार हो गये। रास्ता दो दिनमें तय करना था। अंतमें सभी प्रसन्न हो गये। न्यू-कैसलके गोरोंको हैजेका भय था इसलिए वे जो-कुछ इंतजाम करनेवाले थे, उससे वे मुक्त हो गये और हम भी उनके इन्तजामके संकटसे मुक्त हो गये।

कूचकी तैयारी कर ही रहे थे कि खानके मालिकोंका निमंत्रण

आया । मैं डरबन पहुंचा । वे इस बातको नहीं मानते थे कि ३ पौंड-के करका खानोंसे कोई संबंध नहीं है । मैं उन्हें इस बातके लिए राजी न कर सका कि वे सरकारके पास इस करको हटानेके लिए दरखास्त करें । तब मैं न्यू-कैसल लौटा । मजदूरोंका प्रवाह चारों तरफसे बहता आ रहा था । मैंने उन्हें सब बातें खोलकर समझा दी थीं । मैंने यह भी कहा था कि अगर आप लौट जाना चाहते हैं तो लौट सकते हैं । मालिकोंकी धौंस-धमकीकी बात भी कही । भावी विपत्तियोंका भी चित्र खींचकर बता दिया और चेता दिया कि लड़ाई कब समाप्त होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं । जेलके कष्ट बताये । सब कुछ समझाया; पर वे अपने निश्चयसे नहीं हटे । “आप जबतक लड़नेके लिए तैयार हैं, तब तक हम भी अपना कदम पीछे नहीं हटावेंगे । हमें कष्टोंका पूरा खयाल है, हमारी चिंता न कीजिए ।” इस तरहका निर्भय उत्तर मुझे मिला ।

अब तो सिर्फ कूच करना बाकी रहा । एक दिन सांभको मैंने मजदूरोंको खबर दी कि दूसरे दिन (२८ अक्टूबर १९१३) बड़े सबेरे कूच करना है । राहमें चलते हुए किन नियमोंका पालन करना चाहिए, वे भी समझा दिये । पांच-छः हजारके भुंडको समझाकर रखना कोई मजाक नहीं था । मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें रास्ते में १॥ पौंड रोटी और आधी छटांक शक्करके अलावा कोई और खुराक मिलनेकी गुंजाइश नहीं है । हां, यदि रास्तेमें भारतीय व्यापारी कुछ देंगे तो ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो उन्हें रोटी और शक्करपर संतोष करना होगा । बोअर-युद्ध

और जुलू-बलवेमें मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ था उसने इस मौके-पर खूब काम दिया। कोई जरूरतसे ब्यादा कपड़े न ले चलें, यह शर्त भी थी। रास्तेमें किसीकी चीजको हाथ न लगाया जाय। रास्तेमें अधिकारी लोग या दूसरे अंग्रेज मिलें, गालियां दें या पीटें तो सब बर्दाश्त कर लिया जाय। पुलिस कैद करना चाहे तो चुपचाप अपने-आपको सौंप दिया जाय। अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो भी लोग उसी तरह कूच करते चले जायें। ये सब बातें उन्हें समझा दी गई थीं। यह भी समझा दिया गया था कि मेरे पीछे क्रमशः कौन-कौन मेरा स्थान लें और कौन काम जारी रखें।

लोग समझ गये। हमारा भुण्ड सही सलामत चार्ल्सटाउन जा पहुंचा। यहां व्यापारियोंने खूब सहायता की। अपने मकान ठहरने के लिए खोल दिये। मस्जिदके अहातेमें रसोई बनानेके लिए सुविधा कर दी। कूचके लिए जो खुराक दी गई थी, वह वहीं तकके लिए थी। चार्ल्सटाउनमें हमें कुछ दिन ठहरना पड़ा, इसलिए हमें रसोईके बर्तनोंकी जरूरत पड़ी। व्यापारियोंने ये भी खुशी-खुशी दे दिये। चावल वगैरा हमारे पास पहले ही काफी थे; पर फिर भी व्यापारियोंने अपनी तरफसे और दिये।

चार्ल्सटाउन एक छोटा-सा गांव था। उस समय उसकी आबादी मुश्किलसे १००० होगी। उसमें इतने हजार मनुष्योंका समा जाना कठिन था। इसलिए बच्चों और स्त्रियोंको ही मकानोंके अंदर रखा, बाकी सब खुले मैदानमें ठहरे।

हमारे मनुष्योंसे स्वच्छताके नियमोंका पालन करवाना बड़ा

कठिन था, लेकिन मेरे साथियोंने मेरे इस कामको आसान कर दिया। यह मेरा हमेशाका अनुभव है कि अगर नेता मुख्य सेवक बन जाय और हुक्म देनेके पहले खुद सेवा करने लग जाय तो बहुत-सा काम हो जाता है। अगर नेता अपने शरीरको जरा भी कष्ट देगा तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लग जायेंगे। कम-से-कम ऐसा मुझे इस मौकेपर तो अनुभव हुआ ही। मैं और मेरे साथी कभी भाड़ना-बुहारना, मैला उठाकर फेंकना आदि काम करते जरा भी नहीं हिचकिचाते थे, इसलिए दूसरे लोग उन्हीं कामोंको उत्साहसे करने लग जाते। अगर हम खुद अपना हाथ नहीं चला सकते तो केवल हुक्म चला देने से कोई फायदा नहीं होता है। सभी सरदार बनकर दूसरोंपर हुक्मत जताने लगें तो कुछ भी काम नहीं हो सकता; लेकिन जहां खुद सरदार ही सेवक बन जाता है वहां दूसरे लोग सरदारीका दावा नहीं कर सकते।

भोजनमें दाल और भात दिया जाता था। सब्जी भी खूब मिल जाती थी; पर उसे अलग-अलग पकानेके लिए एक तो बर्तन नहीं थे, दूसरे उतना बर्तन भी चाहिए। इसलिए सांगदालके साथ मिला दिया जाता था। चौबीसों घंटे खाना पकता रहता, क्योंकि भूखे आदमी दिन-रात आते रहते थे। न्यू-कैसलममें किसी मजदूरके ठहरनेकी जरूरत नहीं थी। रास्ता सभीको मालूम था, इसलिए हरेक आदमी खानसे निकलते ही सीधा चार्ल्सटाउन आ पहुंचता।

जब मैं मनुष्यके धीरज और सहनशीलतापर विचार करता हूं तो मेरे सामने परमात्माकी महिमा खड़ी हो जाती है। खाना पकाने-

वालोंमें मैं मुखिया था। किसी दिन दालमें पानी ज्यादा हो जाता, कभी वह गल ही नहीं पाती। कभी साग कच्चा रहता तो कभी भात बिगड़ जाता। लेकिन मैंने संसारमें ऐसे कम लोग देखे हैं जो ऐसा भोजन निगल लें। इसके विपरीत दक्षिण-अफ्रिकाकी जेलमें मैंने यह देखा कि निश्चित भोजनसे कुछ कम या देरीसे, या कच्चा खाना मिलते ही अच्छे-अच्छे शिक्षित समझे जाने वाले लोगों का मिजाज बिगड़ जाता था।

खाना पकानेसे परोसनेका काम और भी कठिन था। वह तो विलकुल मेरे ही सुपुर्द था। कच्चे-पक्के भोजनका उत्तरदायी मैं रहता था। कभी-कभी खानेवाले बढ़ जाते और सामग्री कम हो जाती तो ऐसे मौकेपर थोड़ा-थोड़ा कम भोजन वांटकर मुझे लोगों-को समझाना भी पड़ता था। कम भोजन मिलनेपर बहनों मेरी ओर उलाहनेकी दृष्टिसे देखने लगतीं। और मेरा हेतु समझते ही हंसती हुई चल देतीं। वह दृश्य मैं अपने जीवनमें कभी नहीं भूल सकता। मैं कह देता—“मैं तो लाचार हूं—मेरे पास पकाया हुआ खाना तो थोड़ा है और लेनेवाले बढ़ गये। इसलिए अब मुझे इसी तरह देना चाहिए जिससे थोड़ा-थोड़ा सभीको पहुंच जाय।” यह सुनते ही वे ‘संतोषम्’ कहकर चली जातीं।

४२

हमारा कूच—१

अब चार्ल्सटाउन छोड़नेका समय आ पहुंचा था। मैंने सरकारको लिख दिया था कि हम ट्रांसवालमें निवास करनेके हेतु

प्रवेश करना नहीं चाहते । हमारा प्रवेश तो वह सक्रिय पुकार है जो हम सरकारके वचन-भंगके उत्तरमें उठाना चाहते हैं । हमारा प्रवेश महज उस दुःखका चिह्न है जो हमारे आत्म-सम्मानकी हानिसे हमारे हृदयमें दोरहा है । यदि आप हमें यहीं चार्ल्सटाउनमें गिरफ्तार कर लेंगे तो हम निश्चित हो जायेंगे । यदि आप ऐसा न करेंगे और हममेंसे कोई चुपचाप शान्तिपूर्वक ट्रांसवालमें प्रवेश कर लेंगे तो इसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं । हमारे संग्राममें छिपाने योग्य कुछ नहीं है । इसमें किसीका व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं है । यदि कोई लुक-छिपकर प्रवेश करेगा तो वह हमें प्रिय न होगा; पर जहां हजारों आदमियोंसे काम लेना है, जहां प्रेमके सिवा अन्य कोई बन्धन नहीं है, वहां हम किसीके कार्यके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते । साथ ही आप इतना भी जान लें कि यदि आप तीन पौंडवाला कर उठा लेंगे तो तमाम गिरमिटिया पुनः अपने कामपर लौट आवेंगे और हड़ताल समाप्त हो जायगी । भारतीयोंके अन्य कष्टोंको दूर करनेके लिए हम उन्हें अपने सत्याग्रहमें शामिल नहीं करेंगे ।

इस पत्रके कारण भी स्थिति बड़ी अनिश्चित हो गई थी । इसका कोई ठिकाना न था कि सरकार कब हमें गिरफ्तार कर लेगी; पर ऐसी अनबनके मौकेपर सरकारके उत्तरकी प्रतीक्षा दिनोंतक नहीं की जा सकती थी । इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि यदि सरकार यहीं हमें गिरफ्तार न करे तो फौरन ट्रांसवालमें प्रवेश कर दिया जाय । यदि रास्तेमें भी वह हमें कहीं नहीं पकड़े तो प्रति-

दिन २० से लेकर २४ मील तकका सफर यह समुदाय ८ दिन तक करता रहे । ८ दिनमें टॉल्सटॉय-आश्रमपर पहुंचनेकी योजना थी । यह भी विचार कर लिया था कि बादमें युद्धकी समाप्ति तक वहीं पर सब रहें और काम करके अपनी आजीविका पैदा करें । मि० केलनबैकने सभी व्यवस्था कर रखी थी । इन्हीं यात्रियोंकी सहायतासे वहां मिट्टीके मकान बनवा लेनेका निश्चय कर लिया था । तब तक छोटे-छोटे ढेरे लगाकर बूढ़े और कमजोर लोगोंको उनमें रखनेका विचार था । हट्टे-कट्टे सभी पुरुष तो बाहर भी पड़े रह सकते थे । कठिनाई सिर्फ यही थी कि बारिशका मौसम शुरू होनेको था, इसलिए बरसातमें तो सबके लिए आसरा होना जरूरी था; पर मि० केलनबैकको विश्वास था कि तब तक यह मामला ठीक हो जायगा ।

कूचकी और तैयारियां भी की गईं । चार्ल्सटाउनके डाक्टर ब्रिस्को बड़े सज्जन थे । वे हमसे बड़ी सहानुभूति रखते थे । उन्होंने ऐसी दवाओंकी छोटी-सी पेटी मुझे दी जो रास्तेमें काम आ सकती थी । आपने ऐसे कई डाक्टरी औजार भी दे दिये थे जिनसे मुझ जैसा आदमी भी काम ले सके । इसे खुद हम ही उठाकर ले भी जाते थे; क्योंकि दलके साथ कोई सवारी वगैरा तो थी नहीं । इसलिए हमने इतनी ही दवाइयां रखीं जो एक साथ सौ आदमियोंके लिए काम दे सकें । इससे हमें कोई कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि प्रतिदिन शामको हमें किसी-न-किसी गांवके नजदीक पड़ाव डालना पड़ता था और किसी दवाईके खतम होते ही फौरन वहांसे नई

ले ली जा सकती थी। दूसरे, हम अपने साथ एक भी मरीज या पंगु आदमीको नहीं रखते थे। उन्हें राहमें ही छोड़ते चले जाते थे।

खानेके लिए डबल रोटी और शक्करके सिवा क्या मिल सकता था ? पर उस रोटीको भी तो आठ दिन तक हम कैसे रख सकते थे ? वह तो प्रतिदिन लोगोंको बांटी जाती थी। इसका उपाय यही हो सकता था कि हर मंजिल पर कोई हमें रोटियां भेज दिया करे; पर करे कौन ? हिन्दुस्तानी बावर्ची तो वहां थे नहीं। फिर हर गांवमें इस तरह डबल रोटी बनानेवाले भी तो नहीं होते। देहातमें तो शहरोंसे रोटियां जाती हैं। यदि बावर्ची रोटी बराबर तैयार कर दिया करें और रेलवाले ठीक समय उसे पहुंचा दिया करें, तभी यह हो सकता था। चार्ल्सटाउनकी अपेक्षा वाक्सरेस्ट लगभग दूना बड़ा गांव था। वहां डबल रोटी पकानेवालेकी एक बड़ी दूकान थी। उसने बड़ी खुशीसे रोटियां पहुंचानेका काम अपने जिम्मे ले लिया। हमारी कठिनाइयोंको देखकर बाजार-भावसे अधिक पैसे लेनेकी कोशिश भी उसने नहीं की। रोटियां भी अच्छे आटेकी देता और रेलपर वह समयपर रोटियां भेज देता और रेलवाले भी, जोकि गोरे ही थे, प्रामाणिकता-पूर्वक हमारे पास पहुंचा देते। यही नहीं, बल्कि इसमें वे विशेष सावधानी और संभाल भी रखते। उन्होंने हमारे लिए कितनी ही सुविधायें भी कर दीं; क्योंकि वे जानते थे कि हमारी किसीसे दुश्मनी नहीं थी और न किसीको हानि पहुंचानेका हमारा उद्देश्य था। हमें तो खुद फट्ट संहकर अपने अन्यायकी पुकार करनी थी। इसलिए

हमारे आसपासका वायु-मंडल भी इसी तरह शुद्ध हो गया और हो रहा था। मनुष्य-जातिका प्रेम भाव प्रकट हुआ। सबने यही अनुभव किया कि हम सब ईसाई, पारसी, मुसलमान, हिंदू, यहूदी इत्यादि भाई-भाई ही हैं।

इस तरह, कूचकी तैयारी होनेपर मैंने एक बार फिर समझौते-की कोशिश की। पत्र, तार वगैरा तो भेज ही चुका था। अब मैंने टेलीफोन पर जनरल स्मट्ससे बातचीत की। आधे मिनटमें जवाब मिला—“जनरल स्मट्स आपसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। आपके जो जीमें आवे कीजिए।” और टेलीफोन बंद। यह अकल्पित बात नहीं थी। हां, मैंने इतने रूखेपन की आशा जरूर नहीं रखी थी। दूसरे दिन (६ नवंबर १९१३ को) निश्चित समयपर ६। बजे सुबह हमने प्रार्थना की और ईश्वर का नाम लेकर कूच शुरू कर दिया। कूच में हमारे साथ २०३७ पुरुष, ११७ स्त्रियां और ५७ बच्चे थे।

४३

हमारा कूच—२

चार्ल्सटाउनसे एक मीलकी दूरीपर वोकसरस्टका भरना था, इसको पार करते ही ट्रांसवालमें पहुंच जाते हैं। इस भरनेके उस पार घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। सबसे पहले मैं उसके पास गया। लोगोंको समझा दिया गया था कि जब मैं उधरसे इशारा करूं तो वे फौरन भरना पार कर जायें; पर अभी मैं पुलिससे बातचीत कर ही रहा था कि लोग आगे घुस गये और भरनेको पारकर चले

आये । घुड़सवार उनके सामने खड़े हो गये; पर वह समुदाय इस तरह रुकनेवाला नहीं था । पुलिस हमें पकड़ना नहीं चाहती थी । मैंने लोगोंको शांत किया और उन्हें समझाया कि वे एक कतारमें होकर चलें । ५-७ मिनटमें सभी शांत होगये और अब ट्रांसवालमें कूच करना आरंभ किया ।

वोकसरस्टके गोरोंने दो दिन पहले ही सभा की थी, उसमें हमें अनेक प्रकारकी धमकियां दी गई थीं । कितनों ही ने तो यहां तक कहा कि यदि भारतीय ट्रांसवालमें प्रवेश करेंगे तो हम उनपर गोलियां चला देंगे । इस सभामें मि० कैलनबैक गोरोंको समझाने गये थे, पर उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था ।

इस सभाकी खबर हमें मिल चुकी थी और हम इस अवसरके लिए तैयार भी थे । काफी पुलिस बुलानेका मतलब यह भी हो सकता था कि गोरोंको उपद्रव करनेसे रोका जाय । जो हो हमारा जुलूस शांतिपूर्वक अपने मुकामपर जा पहुंचा । मुझे तो याद है कि किसी गोरेने जरा भी खुराफात नहीं की । सभी इस नये आश्चर्यको देखनेके लिए बाहर निकल पड़े थे । उनमेंसे कितनों ही की आंखोंमें मित्रता झलकती थी ।

हमारा पहला मुकाम पामफोर्ड था, जो वोकसरस्टसे ८ मील दूर था । शामको कोई पांच बजे हम वहां पहुंच गये । रोटी और शक्कर खाकर सब लोग खुली हवामें लेटे हुए थे । कोई भजन गा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था । कितनी ही स्त्रियां थककर चूर होगई थीं । अपने बच्चोंको गोदमें लेकर चलनेकी हिम्मत तो

उन्होंने की थी; पर अब आगे चलना उनके बसके बाहर था। इस-लिए अपनी चेतावनीके अनुसार मैंने उन्हें एक भारतीय सज्जनकी दुकानपर छोड़ दिया और उन्हें कह दिया कि हम टॉल्स्टॉय-आश्रम पर पहुंच जायं तो वे उन्हें वहां भेज दें और गिरफ्तार हो जायं तो उन्हें अपने घरपर वापस भेज दें।

जैसे-जैसे रात होती गई वैसे-वैसे शांति बढ़ती गई। मैं भी सोनेकी तैयारी कर रहा था कि इतनेमें कुछ आवाज सुनाई दी। लालटेन हाथमें लिये हुए पुलिस-अफसरको मैंने देखा। मैं इसका मतलब समझ गया। मुझे कोई तैयारी तो करनी ही नहीं थी। पुलिस-अफसरने कहा, “मेरे पास आपके नाम वारंट है, आपको मुझे गिरफ्तार करना है।”

मैंने पूछा—“कब ?”

उत्तर मिला—“अभी।”

“मुझे कहां लेजाइएगा ?”

“अभी तो इस नजदीक वाले स्टेशन पर; गाड़ी मिलते ही वोकरसरस्ट।”

मैंने कहा—“तब तो मैं बिना किसी को जगाये ही आपके साथ हो लेता हूं; पर अपने एक साथी को कुछ समझा-बुझा दूं ?”

“शौकसे।”

मैंने पास ही सोये हुए पी० के० नायडूको जगाया, उन्हें अपनी गिरफ्तारीकी बात कही और समझा दिया कि वे लोगोंको सुबह होनेसे पहले न जगावें। प्रातः होते ही नियमानुसार सूर्य उदय

होनेसे पहले कूच कर दें। जहां विश्रांति लेने और रोटी बांटनेका समय हो, वहीं वे मेरी गिरफ्तारीकी खबर उन्हें सुना दें। इस दर्मियान में जो-जो पृच्छें उन्हें बताते जावें। यदि सरकार दलको गिरफ्तार करना चाहे तो वे गिरफ्तार हो जावें। न पकड़े तो दल नियमित रूपसे कूच करता चला जाय। नायडू-को किसी प्रकारका भय तो था नहीं। उन्हें यह भी समझा दिया गया था कि अगर वे खुद गिरफ्तार हो जावें तो उन्हें क्या करना चाहिए। वोक्सर-स्टमें मि० केलनबैंक भी थे ही। मैं पुलिसके साथ-साथ हो लिया। प्रातःकाल हुआ, वोक्सरस्टकी ट्रेनमे बैठे। वोक्सरस्टकी अदालत-में मुकदमा चला। सरकारी वकीलने तारीख बढ़ानेकी दख्खास्त दी; क्योंकि उसके पास कोई सबूत तैयार नहीं था। तारीख बढ़ा दी गई। मैंने जमानतकी दख्खास्त पेश की। कारण बताया—“मेरे पास २००० पुरुष; १२२ स्त्रियां और ५० बच्चोंका दल है। अगली तारीख तक मैं उनको निश्चित स्थानपर पहुंचाकर फिर हाजिर हो सकता हूं।” सरकारी वकीलने इसका विरोध किया। मजिस्ट्रेट लाचार था; क्योंकि मुझपर जो इलजाम लगाया गया था, वह ऐसा नहीं था जिसमें हाजिर जमानत नहीं हो सकती थी। उसने ५० पौंडका मुचलका लेकर मुझे छोड़ दिया। मि० केलनबैंकने मेरे लिए मोटर तैयार रखी थी। मैं फौरन अपने लोगोंमें पहुंच गया। हम पुनः आगे बढ़े; पर मुझे आजाद छोड़कर सरकार कैसे चैन पा सकती थी? इसलिए मैं ८ तारीख हीको दुबारा स्टैंडर्टनमें पकड़ लिया गया। अपेक्षाकृत यह स्थान कुछ बड़ा है। बड़ी अजीब

रीतिसे यहां मेरी गिरफ्तारी हुई। मैं लोगों को रोटी बांट रहा था। यहांके दूकानदारोंने हमें मुरब्बोंके कुछ डिब्बे भेंटमें दिये थे। उसके बांटनेमें उस दिन ज्यादा समय लगा था। इसी बीच मजिस्ट्रेट मेरे पास आकर खड़ा होगया। बांटनेका काम पूरा होते ही उसने मुझे एक तरफ बुलाया। मैं उसे जानता था, इसलिए सोचा कि शायद वह कोई बात कहना चाहता हो; परन्तु उसने तो हंसकर मुझसे कहा—

“आप मेरे कैदी हैं।”

मैंने कहा—“तब तो मेरा दरजा बढ़ गया। पुलिसके बदले आपको मेरी गिरफ्तारीके लिए आना पड़ा; पर मुझपर मुकदमा तो अभी चलाइएगा न ?”

“मेरे साथ ही चले चलिये। अदालत हो ही रही है।” वह बोले।

लोगोंसे कूच जारी रखनेको कहकर मैं उनके साथ चल दिया। मैं अदालतके कमरेमें पहुंचा तो अपने दूसरे कुछ साथियोंको भी गिरफ्तार पाया।

फौरन मुझे कोर्टके सामने खड़ा किया गया। मैंने अपने छूटनेके लिए वे ही कारण पेश किये जो मैंने वोकसरस्टमें पेश किये थे। यहां भी सरकारी वकीलने विरोध किया और ५० पौंडकी जमानत पेश करनेपर मुझे २१ ता० तकके लिए छोड़ दिया गया।

व्यापारी लोगोंने मेरे लिए गाड़ी तैयार ही रखी थी। हमारा दल तीन मील भी नहीं चल पाया था कि मैं फिर उसमें जा मिला।

इस बार हम लोगोंने सोचा कि शायद अब हम सब टॉल्स्टॉय-आश्रम तक जा पहुंचेंगे; पर यह धारणा गलत निकली । लोग मेरी गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह बात कुछ कम थी ? मेरे ५ साथी तो जेल हीमें रहे । अब हम जोहांसवर्गके पास पहुंचते जा रहे थे । पाठकोंको याद होगा कि पूरा रास्ता आठ दिनमें तय करनेका निश्चय किया गया था । अबतक हम अपने निश्चयानुसार प्रति-दिन रास्ता तय करते आरहे थे और अब पूरी चार मंजिलें बच रही थीं; लेकिन ज्यों-ज्यों हमारा उत्साह बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों सरकार ज्यादा-से-ज्यादा परेशान होती जाती थी कि इस भारतीय हमलेको कैसे रोके ? हमें अपनी मंजिल तय करनेपर यदि यह पकड़ती तो उससे उसकी कमजोरी और अकुशलता जाहिर न होती ? इसलिए उसने शायद सोचा कि यदि पकड़ना ही है तो मंजिलपर पहुंचनेके पहले ही क्यों न पकड़ लिया जाय !

इसी समय गोखलेका एक तार मिला कि मि० हैनरी पोलक, जो हमारे साथ फिनिक्समें रहा करते थे, भारतवर्ष जाकर भारतीयों और ब्रिटिश गवर्नमेंटके सामने वहांकी वस्तुस्थिति रखनेमें उनकी मदद करें । इसलिए हमने उनको भारत भेजनेकी तैयारी की । मैंने उन्हें लिखा कि वह जावें; लेकिन वह जानेसे पहले मुझसे मिलकर सारी सूचनाएं ले लेना चाहते थे । इसलिए उन्होंने इस सफरमें ही मुझसे मिल लेनेकी इजाजत मांगी । मैंने तारसे उन्हें उत्तर दिया कि— “गिरफ्तार हो जानेकी जोखिम उठाना चाहें तो चले आवें ।”

जोखिम उठाकर भी मुझसे सलाह लेनेकी इच्छासे मि० पोलक

हमें स्टैंडर्टन और ग्रेलिंगस्टेडके बीच टीकवर्थमें ६ तारीखको मिले। दोपहरके ३ बजे होंगे। हमारी बातचीत अभी हो ही रही थी। मि० पोलक और मैं दोनों दलके आगे-आगे चल रहे थे। कुछ और साथी भी हमारी बातें सुन रहे थे। शामको मि० पोलकको डरबन जानेवाली गाड़ी पकड़नी थी; लेकिन 'मोरे मन कछु और है कर्ताके कछु और।' हमारी बात-चीत हो ही रही थी कि एक घोड़ागाड़ी सामने आकर ठहर गई। उसमें ट्रांसवालके इमिग्रेशन-आफिसके उच्च अधिकारी मि० चमनी और एक पुलिस-अफसर भी थे। दोनों नीचे उतरे। उन्होंने मुझे दूर लेजाकर कहा—“मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ।”

इस तरह चार दिनमें मैं तीन बार पकड़ा गया। मैंने पूछा—
“इस दल को ?”

“हम उसे देख लेंगे”—उन्होंने उत्तर दिया। मैं आगे कुछ न बोला। मैंने मि० पोलकसे कह दिया कि वह दलके साथ जावें। सिर्फ अपने गिरफ्तार होनेकी खबर दलको देनेका समय ही मुझे दिया गया। लोगोंसे शांति रखनेके लिए मैंने कहना शुरू किया ही था कि अधिकारीने बीच हीमें रोककर कहा—“अब आप कैदी हैं, भाषण नहीं दे सकेंगे।”

मैं अपनी स्थितिको समझ गया। बोलना बन्द कराके तुरंत ही अफसरने गाड़ीवानको गाड़ी तेज चलानेकी आज्ञा दी और पल भरमें दल आंखोंसे ओभल हो गया।

पहले मुझे वे ग्रेलिंगस्टेड ले गये और वहांसे बेलफोर होते

हुए हीडलबर्ग । यहां मैंने रात बिताई ।

उधर हमारा दल भी मि० पोलकके नेतृत्वमें बढ़ता गया और रात भर ग्रे लिंगस्टेडमें ठहरा । १० तारीखको सबेरे ६ वजे दल भी वेलफोर पहुँचा जहां तीन स्पेशल रेलगाड़ियां उन्हें नेटाल ले जाकर छोड़नेके लिए तैयार खड़ी थीं । लोग कुछ हठ पकड़ गये—“गांधी-को बुलाओ, वह कहेंगे तब हम गिरफ्तार होंगे और रेल में बैठेंगे ।” मि० पोलक और काछलिया सेठने समझा-बुझाकर और यह कहकर कि आखिर हमारी यात्राका उद्देश्य भी तो जेल जाना है, यात्रियोंको राजी किया और सब-के-सब शांतिपूर्वक रेलमें बैठ गये ।

४४

सत्याग्रहकी विजय

इधर मुझे फिर अदालतमें खड़ा किया गया । इस बार मेरी गिरफ्तारी डंडीसे जारी हुए चारंटके मुताबिक हुई थी, इसलिए मुझे वे उसी दिन डंडी लेगये ।

उधर मि० पोलकको वेल्डोरेमें गिरफ्तार तो किया ही नहीं, उल्टे उनकी सहायताके लिए अधिकारियोंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की; लेकिन जब वह रेलमें बैठनेवाले ही थे कि उन्हें चार्ल्स-टाउनमें गिरफ्तार कर लिया गया । मि० केलनबैंक भी नहीं बच सके और दोनों मित्रोंको बोकसरस्ट जेलमें बंद कर दिया गया ।

११ तारीखको डंडीमें मुझपर मुकदमा चला और नौ महीने सख्त कैदकी सजा मुझे सुना दी गई । अभी तो ट्रांसवालमें प्रवेश करनेके लिए लोगोंको उकसाने और फुसलानेके अपराधपर बोक-

सरस्टमें मुझपर मुकदमा चलाना बाकी था। चुनाचे मुझे १३ तारीख-को वोकसरस्ट ले गये। वहां जेलमें मुझे केलनबेक और पोलक भी मिल गये। मुझे खुशी हुई।

१४ तारीखको हम तीनों वोकसरस्टकी अदालतमें पेश हुए। हम तीनोंको ३-३ महीनेकी कैद हुई। वोकसरस्ट जेलमें आये दिन नये-नये कैदी आते थे और हमें बाहर होनेवाली घटनाओंकी खबरें मिल जाया करती थीं, इसलिए कुछ दिन तो खुशी-खुशी कट गये। इन सत्याग्रही कैदियोंमें हरबतसिंह नामका एक बूढ़ा भी था, अवस्था ७५ वर्षसे भी अधिक होगी। वह खानोंमें नौकर नहीं था। उसने बरसों पहले अपना गिरमिट पूरा कर लिया था, इसलिए वह हड़-ताली भी नहीं था। मेरे गिरफ्तार होते ही लोगोमें जोश बढ़ आया और बहुतसे लोग नेटालसे ट्रांसवालमें प्रवेश करके गिरफ्तार होने लगे। हरबतसिंह भी इन्हींमेंसे एक था।

एक दिन मैंने जेलमें हरबतसिंहसे पूछा, “आप जेलमें क्यों आये; आप-जैसे बूढ़ोंको तो मैंने जेल जानेके लिए नहीं कहा।”

हरबतसिंहने उत्तर दिया—“जब आप, आपकी धर्मपत्नी और आपके बच्चे तक हमारी खातिर जेल गये तो मैं कैसे रह सकता था ?”

“लेकिन आप जेलके कष्टोंको नहीं सह सकेंगे। आप जेल छोड़कर चले जावें तो ठीक होगा। क्या मैं आपको छुड़ानेकी कोशिश करूं ?”

“मैं जेल हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो—एक दिन—आज-कलमें मरना है ही। ऐसे भाग्य कहां जो मैं जेलमें ही मर सकूं ?”

इस निश्चयको मैं कैसे हिला सकता था ? उस अशिक्षित साधुके आगे मेरा मस्तक श्रद्धासे झुक गया । हरबतसिंहकी साथ पूर्ण हुई । वह जेल हीमें ५ जनवरी १९१४को मर गया । सैकड़ों भारतीयोंके समक्ष हिंदू-प्रथाके अनुसार सम्मानपूर्वक उसके शवका अग्नि-संस्कार किया गया । उस युद्धमें हरबतसिंह-जैसे एक नहीं अनेक लोग थे; लेकिन जेलमें मरनेका सौभाग्य पानेवाले हरबतसिंह अकेले ही थे और इसलिए दक्षिण अफ्रिकाके सत्याग्रहके इतिहासमें हरबतसिंहका नाम आदरके साथ लिया जायगा ।

मगर अब कूच करनेवाले लोगोंकी ओर चलें । स्पेशल गाड़ियां उन्हें वापस नेटाल ले गईं और वहां उन्हें जेलमें धर दिया गया । सरकारने खानोंके आसपास घेरे बना दिये । उन्हें डंडी और न्यू-कैसल जेलोंका हिस्सा करार दिया गया और मजदूरोंको उन्हींमें काम करनेकी मशक्कत दी गई । इस गुलामीके खिलाफ हिन्दुस्तानमें तीव्र रोष फैला ।

बीमार होते हुए भी खासतौरसे गोखलेने इस बातके लिए बहुत कोशिश की थी । इसी समय (दिसंबर १९१६) वाइसराय लार्ड हार्डिंजने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसके कारण दक्षिण-अफ्रिका और इंग्लैंडमें भी जहां-तहां खलबली मच गई । कायदा यह था कि वाइसराय साम्राज्यके दूसरे स्थानोंकी टीका-टिप्पणी नहीं करते थे; पर लार्ड हार्डिंजने तो सख्त टीका कर डाली । इतना ही नहीं उन्होंने तो सत्याग्रहियोंका पूरा-पूरा बचाव भी किया । यहांतक कि सविनय अवज्ञाका भी समर्थन कर डाला । उसके

इस साहसका सब तरफ अच्छा असर पड़ा। एक जांच कमीशन बैठा और, यद्यपि कोई भी हिंदुस्तानी इस कमीशनका मेंबर नहीं था, जनरल स्मट्ससे पत्र-व्यवहार कर मुझे विश्वास होगया कि हमारा उद्देश्य सत्याग्रह-आंदोलनको बंद करनेसे भी पूरा हो सकेगा। और निश्चय ही, कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गवर्नमेंटने यूनियनके सरकारी गजटमें 'इंडियन रिलीफ बिल' प्रकाशित किया, जिसके फलस्वरूप, देरसे ही सही, लेकिन कुछ समझौता हुआ। उस बिलके मुताबिक—

(१) तीन पौंडका टैक्स उठा लिया गया।

(२) तमाम ऐसी शादियां, जो हिंदुस्तानमें विधि-विहित मानी जाती थीं, अफ्रिकामें भी विधि-विहित मानी जाने लगीं।

(३) व्यक्तिके अंगूठेके निशानवाला परवाना उसको यूनियनकी सीमामें प्रवेश करनेके लिए इजाजतनामा करार दिया।

इस प्रकार ८ सालके बाद यह महान् सत्याग्रह आंदोलन खत्म हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा कि दक्षिण अफ्रिकाके भारतीयोंको अब कुछ राहत मिली। और मैं १८ जुलाई १९१४ को स्वदेश जाते हुए रास्तेमें इंग्लैंडमें गोखलेसे मिलनेके लिए रवाना हुआ। मेरे हृदयमें उल्लास और दुःख दोनोंकी छाया थी। उल्लास इस बातका कि मैं बरसोंके बाद स्वदेश लौट रहा था और गोखलेके पथ-प्रदर्शनमें स्वदेश सेवा करनेका इच्छुक था। और दुःख इस बातका कि जहां मैंने जीवनके २१ साल बिताये, असंख्य भीठे और कड़वे अनुभव प्राप्त किये, अपने जीवन-कार्यकी नींव डाली,

उस दक्षिण अफ्रिकासे बड़ी व्यथा और वेदनाके साथ मैं विदा हो रहा था ।

४५

गोखलेसे मिलने

ऊपर लिख चुका हूँ कि सत्याग्रह युद्धके समाप्त होनेके बाद गोखलेकी इच्छासे इंग्लैंड होते हुए स्वदेशके लिए रवाना हुआ । साथमें कस्तूरबाई और केलनबेक थे । सत्याग्रह-संग्रामके दिनोंमें मैंने रेलमें तीसरे दर्जेके टिकट खरीदे; परन्तु इस तीसरे दर्जे और हमारे तीसरे दर्जेमें बहुत अंतर है । हमारे यहां तो सोने-बैठनेकी जगह भी मुश्किलसे मिलती है और सफाईकी तो बात ही क्या पूछना । किंतु इसके विपरीत यहांके जहाजोंमें जगह काफी रहती थी और सफाईका भी अच्छा खयाल रखा जाता था । कंपनीने हमारे लिए कुछ और भी सुविधाएं कर दी थीं । कोई हमको तंग न करने पाये, इस खयालसे एक पाखानेमें ताला लगाकर ताली मेरे सुपर्द कर दी थी; और हम फलाहारी थे, इसलिए हमको ताजे और सूखे फल देनेकी आज्ञा भी जहाजके खजांचीको दे दी गई थी । मामूली तौरपर तीसरे दर्जेके यात्रियोंको फल कम ही मिलते हैं और मेवा तो कतई नहीं मिलती । इस सुविधाके कारण हम लोग समुद्रपर बहुत शांतिसे १७ दिन बिता सके ।

इस यात्राके कितने ही संस्मरण जानने योग्य हैं । मि० केलनबेकको दूरबीनोंका बड़ा शौक था । एक-दो कीमती दूरबीनें उन्होंने अपने साथ रखी थीं; पर इसके विषयमें रोज हमारी आपसमें

बहस होती। मैं उन्हें यह जंचानेकी कोशिश करता कि यह हमारे आदर्शके और जिम सादगीको हम पहुंचना चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं है। एक रोज तो हम दोनोंमें इस विषयपर गरमागरम बहस हो गई। उस समय हम दोनों अपनी केबिनकी खिड़कीके पास खड़े थे।

मैंने कहा—“आपके और मेरे बीच ऐसे भगड़े होनेसे तो क्या यह बेहतर नहीं है कि इस दूरबीनको समुद्रमें फेंक दें ?”

मि० केलनने तुरंत उत्तर दिया—“जरूर, इस भगड़ेकी जड़को फेंक ही दीजिए।”

मैंने कहा—“देखो मैं फेंक देता हूं।”

उन्होंने बे-रोक उत्तर दिया—“मैं सचमुच कहता हूं, फेंक दीजिए।”

बस मैंने दूरबीन फेंक दी। उसका दाम कोई सात पौंड था; परंतु उसकी कीमत उसके रुपयेकी अपेक्षा मि० केलनबेकको जो मोह उसके साथ था, उसमें थी। फिर भी मि० केलनबेकने अपने मनमें कभी इस बातका दुःख न होने दिया। उनके मेरे बीच तो ऐसी कितनी ही बातें हुआ करती थीं—यह तो उसका एक नमूना पाठकोंको दिखाया है।

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही चलनेका प्रयत्न करते थे। इसलिए मेरे उनके इस संबंधके फलस्वरूप हम रोज कुछ-न-कुछ नई बात सीखते। सत्यका अनुसरण करते हुए हमारे क्रोध, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही शमन होजाते थे और यदि न होते तो सत्यकी प्राप्ति न होती थी। राग-द्वेषादिसे भरा मनुष्य सरल हो

सकता है, वाचिक सत्य भले ही पाल ले; पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं होसकती। सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।

जिन दिनों हमने यह यात्रा आरंभ की, उससे पहले टॉल्स्टॉय-आश्रमके व्यक्तियोंकी नैतिक कमजोरीके कारण मैंने सात और चौदह दिनोंके उपवास किये थे, यह मैं पहलेके अध्यायमें बता चुका हूँ। इसके कारण अभी बदनमें पूरी ताकत नहीं आ पाई थी। जहाजमें डेकपर खूब घूमकर काफी खाने और उसे पचानेका यत्न करता; पर ज्यों-ज्यों मैं अधिक घूमने लगा, त्यों-त्यों पिंडलियोंमें ज्यादा दर्द होने लगा। विलायत पहुंचनेके बाद तो यह दर्द और बढ़ गया। वहां डाक्टर जीवराज मेहतासे मुलाकात होगई थी। उपवास और इस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होंने कहा—“यदि आप थोड़े समय तक आराम नहीं करेंगे तो आपके पैरोंके सदाके लिए सुन्न पड़ जानेका अंदेशा है।” तब जाकर मुझे पता चला कि बहुत दिनोंके उपवाससे गई ताकत जल्दी लाने या बहुत खानेका लोभ नहीं रखना चाहिए। उपवास करनेकी अपेक्षा छोड़ते समय अधिक सावधान रहना पड़ता है और शायद इसमें अधिक संयम भी होता है।

मदीरामें हमें समाचार मिले कि लड़ाई अब छिड़नेवाली है। इंग्लैंडकी खाड़ीमें पहुंचते-पहुंचते खबर मिली कि लड़ाई शुरू हो गई और हम रोक लिये गये। पानीमें जगह-जगह गुप्त मार्ग बनाये गये थे; उनमेंसे होकर हमें साउदैम्पटन पहुंचते हुए एक-दो दिनोंकी

देर होगई। युद्धकी घोषणा ४ अगस्तको हुई और हम लोग ६ अगस्तको विलायत पहुंचे।

४६

लड़ाईमें भाग

विलायत पहुंचनेपर खबर मिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये हैं। पेरिसके साथ आवागमन संबंध बंद होगया है, और यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब आयेंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य-सुधारके लिए फ्रांस गये थे; किंतु बीचमें युद्ध छिड़ जानेसे वहीं अटक गये। उनसे मिले बिना मुझे देश जाना नहीं था; और वह कब आवेंगे, यह कोई कह नहीं सकता था।

अब सवाल यह पैदा हुआ है कि इस दरमियान करें क्या? इस लड़ाईके संबंधमें मेरा क्या धर्म है? जेलके मेरे साथी और सत्याग्रही सोराबजी अडजणिया विलायतमें बैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे थे। सोराबजीको एक श्रेष्ठ सत्याग्रहीके तौरपर इंग्लैंडमें बैरिस्टरीकी तालीमके लिए भेजा था, कि जिससे दक्षिण अफ्रिका-में आकर वे मेरा स्थान ले लें। उनका खर्च डाक्टर जीवराज मेहता देते थे। उनके और उनकी मार्फत डाक्टर जीवराज मेहता इत्यादिके साथ, जो विलायतमें पढ़ रहे थे, इस विषयपर सलाह-मशविरा किया। विलायतमें उस समय जो हिन्दुस्तानी लोग रहते थे उनकी एक सभा एकत्र की गई और उनके सामने मैंने अपने विचार उपस्थित किये। मेरा यह मत हुआ कि विलायतमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको इस लड़ाईमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए।

अंग्रेज विद्यार्थी लड़ाईमें सेवा करनेका अपना निश्चय प्रकट कर चुके हैं। हम हिन्दुस्तानियोंको भी इससे कम सहयोग न देना चाहिए। मेरी इस बातके विरोधमें इस सभामें बहुतेरी दलीलें पेश की गईं। कहा गया कि हमारी और अंग्रेजोंकी परिस्थितिमें हाथी-घोड़ेका अंतर है—एक गुलाम दूसरा सरदार। ऐसी स्थितिमें गुलाम अपने प्रभुकी विपत्तिमें स्वेच्छापूर्वक कैसे मदद कर सकता है? फिर जो गुलाम अपनी गुलामीसे छूटना चाहता है, उसका धर्म क्या यह नहीं है कि प्रभुकी विपत्तिसे लाभ उठाकर अपना छुटकारा कर लेनेकी कोशिश करे? पर वह दलील मुझे उस समय कैसे जंच सकती थी? यद्यपि मैं दोनोंकी स्थिति का महान् अंतर समझ सका था, फिर भी मुझे हमारी स्थिति बिलकुल गुलामकी-सी नहीं मालूम होती थी। उस समय मैं यह समझे हुए था कि अंग्रेजी शासन-पद्धतिकी अपेक्षा कितने ही अंग्रेज अधिकारियोंका दोष अधिक था और उस दोषको हम प्रेमसे दूर कर सकते हैं! मेरा यह खयाल था कि यदि अंग्रेजोंके द्वारा और उनकी सहायतासे हम अपनी स्थितिका सुधार चाहते हों तो हमें उनकी विपत्तिके समय सहायता पहुंचाकर अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। ब्रिटिश-शासन-पद्धतिको मैं दोषमय तो मानता था; परन्तु आजकी तरह वह उस समय असह्य नहीं मालूम होती थी। अतएव आज जिस प्रकार वर्तमान शासन-पद्धतिपरसे मेरा विश्वास उठ गया है और आज मैं अंग्रेजी राज्यकी सहायता नहीं कर सकता, इसी तरह उस समय जिन लोगोंका विश्वास इस पद्धतिपरसे ही नहीं; बल्कि

अंग्रेजी अधिकारियों परसे भी उठ चुका था, वे मदद करनेके लिए कैसे तैयार हो सकते थे ?

उन्होंने इस समयको प्रजाकी मांगों जोरके साथ पेश करने और शासनमें सुधार करनेकी आवाज उठानेके लिए बहुत अनुकूल पाया । मैंने इसे अंग्रेजोंकी आपत्तिका समय समझकर मांगों पेश करना उचित न समझा और जबतक लड़ाई चल रही है तबतक हक मांगना मुलतवी रखनेके संयममें सभ्यता और दीर्घ-दृष्टि समझी । इसलिए मैं अपनी सलाहपर मजबूत बना रहा और कहा कि जिन्हें स्वयंसेवकोंमें नाम लिखाना हो वे लिखा दें । नाम अच्छी संख्यामें आये । उनमें लगभग सब प्रांतों और सब धर्मोंके लोग थे ।

फिर लार्ड क्रूके नाम एक पत्र भेजा गया । उसमें हम लोगोंने अपनी यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हम हिन्दुस्तानियोंके लिए घायल सिपाहियोंकी सेवा-सुश्रूषा करनेकी तालीमकी यदि आवश्यकता दिखाई दे तो उसके लिए हम तैयार हैं । कुछ सलाह-मशवरा करनेके बाद लार्ड क्रूने हम लोगोंका प्रस्ताव स्वीकार किया और इस बातके लिए हमारा अहसान माना कि हमने ऐसे मौकेपर साम्राज्यकी सहायता करनेकी तैयारी दिखाई ।

जिन-जिन लोगोंने अपने नाम लिखाये थे उन्होंने प्रसिद्ध डाक्टर फ्रेण्टलीकी देख-रेखमें घायलों की सुश्रूषा करनेकी प्राथमिक तालीम शुरू की । छः सप्ताहका छोटा-सा शिक्षा क्रम रखा गया था और इतने समयमें घायलोंको प्राथमिक सहायता करनेकी सब विधियां सिखा दी जाती थीं । हम कोई ८० स्वयंसेवक इस शिक्षा-

क्रममें सम्मिलित हुए । छः सप्ताहके बाद परीक्षा ली गई तो उसमें सिर्फ एक शख्स फेल हुआ । जो लोग पास हो गये उनके लिये सरकारकी ओरसे कवायद वगैरा सिखानेका प्रबंध हुआ । कवायद सिखानेका भार कर्नल बैंकरको सौंपा गया और वह इस टुकड़ीके मुखिया बनाये गये ।

इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था । युद्धसे लोग घबराते नहीं थे; बल्कि सब उसमें यथाशक्ति मदद करनेके लिए जुट पड़े । जिनका शरीर हट्टा-कट्टा था, वे नवयुवक सैनिक-शिक्षा ग्रहण करने लगे; परन्तु अशक्त बूढ़े और स्त्री आदि भी खाली हाथ न बैठे रहे । उनके लिए भी काम तो था ही । वे युद्धमें घायल सैनिकोंके लिये कपड़ा इत्यादि सीने-काटनेका काम करने लगे । वहां स्त्रियोंका 'लाइसियम' नामक एक क्लब है । उसके सभ्योंने सैनिक-विभागके लिए आवश्यक कपड़े यथाशक्ति बनानेका जिम्मा ले लिया । सरोजिनी देवी भी इसकी सभ्य थीं । उन्होंने इसमें खूब दिलचस्पी ली थी । उनके साथ मेरा वह प्रथम ही परिचय था । उन्होंने कपड़े ब्योतकर मेरे सामने उनका एक ढेर रख दिया और कहा कि जितने सिला सको, उतने सिलाकर मुझे दे देना । मैंने उनकी इच्छाका स्वागत करते हुए घायलोंकी शुश्रूषाकी । उस तालीम-के दिनोंमें जितने कपड़े तैयार होसके उतने करके उनको दे दिये ।

इस तरह अपना धर्म समझकर मैं युद्धमें पड़ा तो सही; पर मेरे नसीबमें यह नहीं बदा था कि उसमें मैं सीधा भाग लूं, बल्कि ऐसे नाजुक मौकेपर सत्याग्रह तक करने की नौबत आ गई ।

गोखलेकी उदारता

विलायतमें पसलीके दर्दकी शिकायत हो गई थी। इस बीमारी के वक्त गोखले विलायतमें आ पहुँचे थे। उनके पास केलनबैक और मैं हमेशा जाया करते। उनसे ज्यादातर युद्धकी ही बातें हुआ करतीं। जर्मनीका भूगोल केलनबैककी जबान पर था, और यूरोपकी यात्रा भी उन्होंने बहुत की थी, इसलिए वह नकशा फैलाकर गोखलेको लड़ाईकी छावनियां दिखाते।

जब मैं बीमार हुआ था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चाका एक विषय होगई थी। भोजनके प्रयोग तो उस समय भी मेरे चल ही रहे थे। उस समय मैं मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नीबू, जैतूनका तेल, टमाटर, अंगूर इत्यादि चीजें खाता था। दूध, अनाज, दाल वगैरा चीजें बिल्कुल न लेता था। मेरी देख-भाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होंने मुझे दूध और अनाज लेनेपर बड़ा जोर दिया। इसकी शिकायत ठेठ गोखले तक पहुँची। फ्ला-हार-संबंधी मेरी दलीलोंके वह कायल न थे। तंदुरुस्तीकी हिफाजतके लिए डाक्टर जो-जो बतावें वह लेना चाहिए, यही उनका मत था।

गोखलेके आग्रहको न मानना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। जब उन्होंने बहुत ही जोर दिया तब मैंने उनसे २४ घंटे तक विचार करनेकी इजाजत मांगी। केलनबैक और मैं घर आये। रास्तेमें

मैंने उनके साथ चर्चा की कि इस समय मेरा क्या धर्म है ? मेरे प्रयोगमें वह भी मेरे साथ थे । उन्हें यह प्रयोग पसंद भी था; परंतु उनका रुख इस बातकी तरफ था कि यदि स्वास्थ्यके लिए मैं इस प्रयोगको छोड़ दूं तो ठीक होगा; इसलिए अब अपनी अंतरात्माकी आवाजका फैसला लेना ही बाकी रह गया ।

सारी रात मैं विचारमें डूबा रहा । अब यदि मैं अपना सारा प्रयोग छोड़ दूं तो मेरे सारे विचार और मन्तव्य धूलमें मिल जाते थे । फिर उन विचारोंमें मुझे भूल भी नहीं मालूम होती थी इसलिए प्रश्न यह था कि किस अंश तक गोखलेके प्रेमके आधीन होना मेरा धर्म है, अथवा शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोग किस तरह छोड़ देने चाहिएं । अंतको मैंने यह निश्चय किया कि धार्मिक दृष्टिसे प्रयोगका जितना अंश आवश्यक है उतना रखा जाय और शेष बातोंमें डाक्टरोंकी आज्ञाका पालन किया जाय । मेरे दूध त्यागनेमें धर्म-भावनाकी प्रधानता थी । कलकत्तेमें गाय-भैंसका दूध जिन घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है, उसका दृश्य मेरी आंखोंके सामने था । फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मांसकी तरह पशुका दूधभी मनुष्यकी खुराक नहीं हो सकती । इसलिए दूध-त्याग पर दृढ़ निश्चय करके मैं सुबह उठा । इस निश्चयसे मेरा दिल बहुत हल्का हो गया था; किंतु फिर भी गोखलेका भय तो था ही; किंतु साथ ही मुझे यह भी विश्वास था कि वह मेरे निश्चयको तोड़नेका उद्योग न करेंगे ।

शामको 'नेशनल लिबरल क्लब' में हम उनसे मिलने गये, उन्होंने

तुरंत पूछा—“क्यों, डाक्टरकी सलाहके अनुसार ही चलने का निश्चय किया न ?”

मैंने धीरेसे जवाब दिया—“और सब बातें तो मैं मान लूंगा परंतु आप एक बातपर जोर न दीजिएगा । दूध और दूधकी बनी चीजें और मांस, इतनी चीजें मैं न लूंगा, और इनके न लेनेसे यदि मौत भी आती हो तो मैं समझता हूं उसका स्वागत कर लेना मेरा धर्म है ।”

“तुमने यह अंतिम निर्णय कर लिया है ?” गोखलेने पूछा ।

“मैं समझता हूं कि इसके सिवा मैं आपको दूसरा उत्तर नहीं दे सकता । मैं जानता हूं कि इससे आपको दुःख होगा, परन्तु मुझे क्षमा कीजिएगा ।” मैंने जवाब दिया ।

गोखलेने कुछ दुःखसे, परंतु बड़े ही प्रेमसे कहा—“तुम्हारा यह निश्चय मुझे पसंद नहीं । मुझे इसमें धर्मकी कोई बात नहीं दिखाई देती, पर अब मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा ।” यह कहते हुए जीवराज मेहताकी ओर देखकर उन्होंने कहा—“अब गांधीको ज्यादा दिक न करो । उन्होंने जो मर्यादा बांध ली है उसके अन्दर ये जो-जो चीजें ले सकते हैं वही देनी चाहिए ।”

डाक्टरने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की; पर वह लाचार थे । मुझे मूंगकी दालका पानी लेनेकी सलाह दी, और कहा—“उसमें हींगका बघार दे लेना ।” मैंने इसे मंजूर कर लिया । एक-दो दिन मैंने वह पानी लिया भी; परंतु इससे उलटा मेरा दर्द बढ़ गया । मुझे वह मुआफिक नहीं हुआ, इससे मैं फिर फलाहारपर आगया । उपरके

इलाज डाक्टरने, जो मुनासिब समझे, किये ही । इससे अलबत्ता आराम था; परंतु मेरी इन मर्यादाओंपर वह बहुत बिगड़ते । इसी बीच गोखले भारतवर्षको रवाना हुए; क्योंकि वह लंदनका अक्तूबर-नवंबरका कोहरा सहन नहीं कर सके ।

पसलीका दर्द भोजन-परिवर्तन करनेसे और कुछ बाह्य उपचारोंसे ही मिटा; परंतु बीमारी बिलकुल निर्मूल न हुई । संभाल रखनेकी जरूरत तो अभी थी ही । अभी बिछौनेपर ही पड़ा रहना पड़ता था । डाक्टर मेहता बीच-बीचमें आकर देख जाया करते थे, और जब जाते तभी कहा करते—“अगर मेरा इलाज कराओ तो देखते-देखते आराम हो जाय ।”

यह सब हो रहा था कि एक रोज मि० राबर्ट्स मेरे घर आये और मुझसे जोर देकर कहा कि आप देश चले जाओ । उन्होंने कहा, “ऐसी हालत में आप नेटली^१ हर्गिज नहीं जा सकते । कड़ाके-का जाड़ा तो अभी आगे आनेवाला है । मैं तो आप्रहके साथ कहता हूं कि आप देश चले जायंगे तो वहां जाकर चंगे हो जायंगे । तबतक यदि युद्ध जारी रहा तो उसमें मदद करनेके और भी बहुत अवसर मिल जायंगे, और नहीं तो जो कुछ आपने यहां किया है उसे भी मैं कम नहीं समझता ।”

मुझे उनकी यह सलाह अच्छी मालूम हुई और मैंने देश जानेकी तैयारी की ।

१ यह अस्पतालका नाम है जहां घायलोंकी सुश्रूषा करनेके लिए गांधीजीको अपनी टुकड़ीके साथ जाना था ।

बिदा

मि० केलनबैक देश जानेके निश्चयसे हमारे साथ रवाना हुए थे । विलायतमें हम साथ ही रहते थे । युद्ध शुरू हो जानेके कारण जर्मन लोगोंपर बड़ी सख्त देख-रेख थी और हम सबको इस बात-पर शक था कि केलनबैक हमारे साथ आ सकेंगे या नहीं । उनके लिए पासपोर्ट प्राप्त करनेका बहुत प्रयत्न किया गया । मि० राबर्ट्स खुद उन्हें पास दिला देनेके लिए रजामंद थे । उन्होंने सारा हाल तार द्वारा वाइसरायको लिखा, पर लार्ड हार्डिंजका तुरंत सीधा और सूखा जवाब आया—“हमें अफसोस है; हम इस समय किसी तरह जोखिम उठानेके लिए तैयार नहीं हैं ।” हम सबने इस जवाबके औचित्य को समझा । केलनबैकके वियोगका दुःख तो मुझे हुआ ही; परंतु मैंने देखा कि मेरी अपेक्षा उनको ज्यादा हुआ । यदि वह भारतवर्षमें आ सके होते तो आज एक बढ़िया किसान और बुनकर-का सादा जीवन व्यतीत करते होते । अब वह दक्षिण अफ्रिकामें अपना वही असली जीवन व्यतीत करते हैं और भवन-निर्माण-का कार्य कर रहे हैं ।

हमने तीसरे दर्जेका टिकट लेनेकी कोशिश की; परंतु पी० एंड ओ०के जहाजमें तीसरे दरजेका टिकट नहीं मिलता था, इसलिए दूसरे दरजेका लेना पड़ा । दक्षिण अफ्रिकासे हम कितना ही ऐसा फलाहार साथ बांध लाये थे जो जहाजोंमें नहीं मिलता था । वह

हमने साथ रख लिया । दूसरी चीजें तो जहाजमें मिलती ही थीं ।

डाक्टर मेहताने मेरे शरीरको भीट्स प्लास्टरके पट्टे से बांध दिया था और मुझे कहा था कि पट्टा बंधा रहने देना । दो दिनके बाद वह मुझे सहन न हो सका और बड़ी मुश्किलके बाद मैंने उसे उतार डाला और नहाने-धोने भी लगा । फल और मेवेके सिवाय और कुछ नहीं खाता था, इससे तबियत दिन-दिन सुधरने लगी और स्वेजकी खाड़ीमें पहुंचनेतक तो अच्छी हो गई । यद्यपि इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर भी बीमारीका भय मिट गया था और मैं रोज धीरे-धीरे कसरत बढ़ाता गया । स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवर्तन तो मेरा यह खयाल है कि समशीतोष्ण हवाकी बदौलत ही हुआ ।

पुराने अनुभवसे अथवा और किसी कारणसे अंग्रेज यात्रियोंके और हमारे अंदर यहां जो अंतर मैंने देखा वह दक्षिण अफ्रिकासे आते हुए भी नहीं देखा था । वहां भी अंतर तो था; परन्तु यहां उनसे और ही प्रकार का भेद दिखाई दिया । किसी-किसी अंग्रेजके साथ बातचीत होती; परंतु वह भी 'साहब-सलामत' से आगे नहीं । हार्दिक भेंट नहीं होती थी; किंतु दक्षिण अफ्रिकाके जहाज में और दक्षिण अफ्रिकामें हार्दिक भेंट हो सकती थी । इस भेदका कारण तो मैं यही समझा कि इधरके जहाजोंमें अंग्रेजोंके मनमें यह भाव कि 'हम शासक हैं' और हिंदुस्तानियोंके मनमें यह भाव कि 'हम गुलाम हैं', जानमें या अनजानमें काम कर रहा था ।

ऐसे वातावरणसे जल्दी छूटकर देश पहुंचनेके लिए मैं आतुर

होरहा था। अदन पहुंचनेपर ऐसा भास हुआ मानो थोड़े-बहुत घर आगये हैं। अदनवालों के साथ दक्षिण अफ्रिकामें ही हमारा अच्छा संबंध बंध गया था; क्योंकि भाई कैकोबाद कावसजी दीनशा डरबन आ गये थे और उनके तथा उनकी पत्नीके साथ मेरा अच्छा परिचय हो चुका था। थोड़े ही दिनमें हम बंबई आ पहुंचे। जिस देशमें मैं १९०५में लौटनेकी आशा रखता था वहीं १० वर्ष बाद पहुंचनेसे मेरे मनको बड़ा आनंद हो रहा था। बंबईमें गोखलेने स्वागत बगैराका प्रबंध कर ही डाला था। उनकी तबियत नाजुक थी। फिर भी वह बंबई आ पहुंचे थे। उनसे मिलकर तथा उनके जीवनमें मिलकर अपने सिरका बोझ उतार डालनेकी उमंगसे मैं बंबई पहुंचा था; परंतु विधाताने कुछ और ही रचना रच रखी थी—

‘मोरे मन कछु और है, कर्ताके कछु और।’

४६

गोखलेके साथ पूनामें

मेरे बंबई पहुंचते ही गोखलेने मुझे खबर दी कि बंबईके गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं और पूना आनेसे पहले आप उनसे मिलते आवें तो अच्छा होगा। इसलिए मैं उनसे मिलने गया। मामूली बात-चीत होनेके बाद उन्होंने मुझसे कहा—

“आपसे मैं एक वचन लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकारके संबंधमें यदि आपको कहीं कुछ आंदोलन करना हो तो उसके पहले आप मुझसे मिल लें और बातचीत कर लें।”

मैंने उत्तर दिया कि “यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है; क्योंकि सत्याग्रहीकी हैसियतसे मेरा यह नियम ही है कि किसीके खिलाफ कुछ करनेके पहले उसका दृष्टि-बिंदु खुद उसीसे समझलूं और अपनेसे जहांतक हो सके उसके अनुकूल होनेका यत्न करूं। हमेशा दक्षिण अफ्रिकामें इस नियमका पालन किया है और यहां भी मैं ऐसा ही करनेका विचार करता हूँ।”

लार्ड विलिंगडनने इसपर मुझे धन्यवाद दिया और कहा—

“आप जब कभी मिलना चाहें, मुझसे तुरंत मिल सकेंगे और आप देखेंगे कि सरकार जान-बूझकर कोई बुराई नहीं करना चाहती।”

मैंने जवाब दिया—“इसी विश्वासपर तो मैं जी रहा हूँ।”

अब मैं पूना पहुंचा। वहांके तमाम संस्मरण लिखना मेरी सामर्थ्यके बाहर है। गोखलेने और भारत-सेवक-समितिके सभ्योंने मुझे अपने प्रेमसे नहला दिया। जहांतक मुझे याद है उन्होंने तमाम सभ्योंको पूना बुलाया था। सबके साथ दिल खोलकर मेरी बातें हुईं। गोखलेकी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी समितिका सदस्य बनूं। मेरी इच्छा तो थी ही; परंतु सदस्योंकी यह धारणा हुई कि समिति के आदर्श और उमकी कार्य-प्रणाली मुझसे भिन्न थी। इसलिए वे दुविधामें थे कि मुझे सदस्य होना चाहिए या नहीं! गोखलेकी यह मान्यता थी कि अपने आदर्शपर दृढ़ रहनेकी जितनी प्रवृत्ति मेरी थी उतनी ही दूसरोंके आदर्शकी रक्षा करने और उनके साथ मिल जानेका स्वभाव भी था। उन्होंने कहा—“परंतु हमारे साथी कभी आपके दूसरोंको निभा लेनेके इस गुणको नहीं पहचान

पाये हैं। वे अपने आदर्शपर दृढ़ रहनेवाले स्वतंत्र और निश्चित विचारके लोग हैं। मैं आशा तो यही रखता हूँ कि वे आपको सदस्य बनाना मंजूर कर लेंगे, परंतु यदि न भी करें तो आप इससे यह तो हर्षिज न समझेंगे कि आपके प्रति उनका प्रेम या आदर कम है। अपने इस प्रेमको अखंडित रहने देनेके लिए ही वे किसी तरहकी जखिम उठानेसे डरते हैं; परंतु आप समितिके बाकायदा सदस्य हों या न हों, मैं तो आपको सदस्य मानकर ही चलूंगा।”

समितिका सदस्य बनूँ या न बनूँ एक आश्रमकी स्थापना करके फिनिक्सके साथियोंको उसमें रखकर मैं वहाँ बैठना चाहता था। मैंने अपना यह संकल्प उनपर प्रकट कर दिया था। गुजराती होनेके कारण गुजरातके द्वारा सेवा करनेकी पूंजी मेरे पास अधिक होनी चाहिए, इस विचारसे गुजरातमें भी कहीं स्थिर होनेकी इच्छा थी। गोखलेको यह विचार पसंद आया और उन्होंने कहा—

“जरूर आश्रम स्थापित करो। सदस्योंके साथ जो बातचांत हुई है उसका फल कुछ भी निकलता रहे; परंतु तुम्हारे आश्रमके लिए धनका प्रबंध मैं कर दूंगा। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा।”

यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। चंदा मांगनेके भ्रंशसे बचा। यह समझकर बड़ी खुशी हुई और इस विश्वास से कि अब मुझे अकेले अपनी जिम्मेदारीपर कुछ न करना पड़ेगा; बल्कि हरएक उलझनके समय मेरे लिए एक पथ-प्रदर्शक यहां है, इससे मेरे सिरका बोझ उतर गया।

गोखलेने स्वर्गीय डाक्टर देवको बुलाकर कह दिया—“गांधीका

खाता अपनी समितिमें खोल लो और उनको अपने आश्रमके लिए तथा सार्वजनिक कामोंके लिए जो कुछ रुपया चाहिए वह देते जाना ।”

अब मैं पूना छोड़कर शांति-निकेतन जानेकी तैयारी कर रहा था । अंतिम रातको गोखलेने खास मित्रोंकी एक पार्टी इस विधिसे की जो मुझे रुचिकर होती । उसमें वही चीजें अर्थात् फल और मेवे मंगाये थे, जो मैं खाया करता था । पार्टी उनके कमरेसे कुछ ही दूरीपर थी । उनकी हालत ऐसी न थी कि वह वहांतक भी आ सकते; परंतु उनका प्रेम उन्हें कैसे रुकने देता ? वह जिद करके आये थे; परंतु उन्हें गश आ गया और वापस लौट जाना पड़ा । ऐसा गश उन्हें बार-बार आ जाया करता था, इसलिए उन्होंने कहलवाया कि पार्टीमें किसी प्रकारकी गड़बड़ न होनी चाहिए । पार्टी क्या थी, समितिके आश्रममें अतिथि-घरके पासके मैदानमें जाजम बिछाकर हम लोग बैठ गये थे और मूंगफली, खजूर वगैरा खाते हुए प्रेम-वार्ता करते थे, एवं एक-दूसरेके हृदयको अधिक जाननेका उद्योग करते थे ।

किंतु उनकी यह मूर्च्छा मेरे जीवनके लिए कोई मामूली अनुभव नहीं था ।

५०

धमकी ?

बंबईसे मुझे अपनी विधवा भौजाई और दूसरे कुटुंबियोंसे मिलनेके लिए राजकोट और पोरबंदर जाना था । इसलिए मैं राजकोट गया । दक्षिण अफ्रिकामें सत्याग्रह-आंदोलनके मिलसिलेमें

मैंने अपना पहनावा जितना हो सकता था गिरमिटिया मजदूरकी तरह कर डाला था। मेरे ऐसे कपड़े पहननेवाला आमतौरपर गरीब आदमियोंमें ही गिना जाता है। इस समय वीरमगाम और बढ़वाणमें प्लेगके कारण, तीसरे दर्जे के मुसाफिरोकी जांच-पड़ताल होती थी। मुझे उस समय हलका-सा बुखार था। जांच करनेवाले अफसरने मेरा हाथ देखा तो उसे वह गरम मालूम हुआ, इसलिए उसने हुक्म दिया कि राजकोट जाकर डाक्टरसे मिलो और मेरा नाम लिख दिया।

बंबईसे शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी, इस कारण बढ़वाण स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो वहांके एक प्रसिद्ध प्रजा-सेवक माने जाते थे, मुझसे मिलने आये। उन्होंने मुझसे वीरमगामकी जकातकी जांचका तथा उसके संबंधमें होनेवाली तकलीफोंका जिक्र किया। मुझे बुखार चढ़ रहा था, इसलिए घात करनेकी इच्छा कम ही थी। मैंने उन्हें थोड़ेमें ही उत्तर दिया—

“आप जेल जानेके लिए तैयार हैं ?”

इस समय मैंने मोतीलालको वैसा ही युष्क समझा, जो बिना विचारे उत्साहमें हां कर लेते हैं; परंतु उन्होंने बड़ी दृढ़ताके साथ उत्तर दिया—

“हां, जरूर जेल चले जायंगे; पर आपको हमारा अगुआ बनना पड़ेगा। काठियावाड़की हैसियतसे आपपर हमारा पहला हक है। अभी तो हम आपको नहीं रोक सकते; परंतु वापस लौटते समय आपको बढ़वाण जरूर उररना पड़ेगा। यहांके युष्कोंका

काम और उत्साह देखकर आप खुश होंगे । आप जब चाहें तब अपनी सेनामें हमें भरती कर सकेंगे ।”

राजकोट पहुंचते ही मैं दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्त हुक्मके अनुसार अस्पताल गया । वहां तो मैं किसीके लिए अजनबी नहीं था । डॉक्टर मुझे देखकर शमांये और उस जांच-कारकुनपर गुस्सा होने लगे । मुझे इसमें गुस्सेकी कोई वजह नहीं मालूम होती थी । उसने तो अपना फर्ज अदा किया था । एक तो मुझे पहचानता ही नहीं था और दूसरे पहचाननेपर भी तो उसका फर्ज यही था कि जो हुक्म मिला उसकी तामील करे; परंतु मैं था मशहूर आदमी, इसलिए राजकोटमें मुझे जांच करानेके लिए जानेके एवजमें लोग घर आकर मेरी पूछ-ताछ कराने लगे ।

काठियावाड़में मैं जहां-जहां गया तहां-तहां वीरमगामकी जकातकी जांचसे होनेवाली तकलीफोंकी शिकायतें मैंने सुनीं ।

इसलिए लार्ड विलिंगडनने जो निमंत्रण मुझे दे रखा था उसका मैंने तुरंत उपयोग किया । इस संबंधमें जितने कागज-पत्र मिल सकते थे, सब मैंने पढ़े । मैंने देखा कि इन शिकायतोंमें बहुत तथ्य था । उसको दूर करनेके लिए बंबई-सरकारसे लिखा-पढ़ी की । उसके सेक्रेटरीसे मिला, लार्ड विलिंगडनसे भी मिला । उन्होंने सहानुभूति दिखाई, परंतु कहा कि “दिल्लीकी तरफसे ढील होरही है । यदि यह बात हमारे हाथमें होती तो हम कभीके इस जकातको उठा देते । आप भारत-सरकारके पास अपनी शिकायत ले जाइए ।”

मैंने भारत-सरकारके साथ लिखा-पढ़ी शुरू की; परंतु वहांसे

पहुँचके अलावा कुछ भी जवाब न मिला। जब मुझे लार्ड चेम्स-फोर्डसे मिलनेका अवसर आया, तब अर्थात् दो-तीन वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद सुनवाई हुई। लार्ड चेम्सफोर्डसे मैंने इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसपर आश्चर्य प्रकट किया। वीरमगामके मामलेका उन्हें कुछ पता न था। उन्होंने मेरी बातें गौरके साथ सुनीं और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगामके कागज-पत्र मंगाये और वचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्मचारियोंका कुछ कहना न होगा तो जकात रह कर दी जायगी। इस मुलाकातके थोड़े ही दिन बाद अखबार पढ़ा कि जकात रह हो गई।

इस जीतको मैंने सत्याग्रहकी बुनियाद माना; क्योंकि वीरम-गामके संबंधमें जब बातें हुईं तब बंबई-सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि वक्सरामें इस संबंधमें आपका जो भाषण हुआ था उसकी नकल मेरे पास है और उसमें मैंने जो सत्याग्रहका उल्लेख किया था उसपर उन्होंने अपनी नाराजगी भी बतलाई। उन्होंने मुझसे पूछा—“आप इसे धमकी नहीं कहते? इस प्रकार बलवान सरकार कहीं धमकीकी परवाह कर सकती है?”

मैंने जवाब दिया—“यह धमकी नहीं है। यह तो लोकमतको शिक्षित करनेका उपाय है। लोगोंको अपने कष्ट दूर करनेके लिए तमाम उचित उपाय बताना मुझ जैसेका धर्म है। जो प्रजा स्वतंत्रता चाहती है उसके पास अपनी रक्षाका अंतिम इलाज अवश्य होना चाहिए। आमतौरपर ऐसे इलाज हिंसात्मक होते हैं; परंतु सत्याग्रह शुद्ध अहिंसात्मक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा

बताना मैं अपना धर्म समझता हूँ अंग्रेज सरकार बलवान है, इस बातपर मुझे संदेह नहीं; परंतु सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषयमें भी मुझे कोई संदेह नहीं।”

इसपर उस समझदार सेक्रेटरीने सिर हिलाया और कहा—
“देखेंगे।”

५१

शांति-निकेतनमें

राजकोटसे मैं शांति-निकेतन गया। वहाँके अध्यापकों और विद्यार्थियोंने मुझपर बड़ी प्रेम-वृष्टि की। स्वागतकी विधिमें सादगी, कला और प्रेमका सुन्दर मिश्रण था। वहाँ काका सा० कालेलकरसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई।

शांति-निकेतनमें मेरे मंडलको अलग स्थानमें ठहराया गया था। वहाँ मगनलाल गांधी उस मंडली की देख-भाल कर रहे थे और फिनिक्स-आश्रमके तमाम नियमोंका बारीकीसे पालन कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने शांति-निकेतनमें अपने प्रेम, लगन और उद्योगशीलताके कारण अपनी सुगंध फैला रखी थी। एंड्रूज़ तो वहाँ थे ही। पियर्सन भी थे।

अपने स्वभावके अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकोंमें मिल-जुल गया और शारीरिक श्रम तथा कामके बारेमें चर्चा करने लगा। स्वयं भोजन बनाने तथा बर्तन मांजनेका प्रयोग भी वहाँ भोजन-शालामें शुरू किया। बंगाली भोजनमें कुछ सुधार करानेके इरादेसे एक छोटी-सी पाकशाला अलग कर ली गई थी।

मेरा इरादा शांति-निकेतनमें कुछ दिन रहनेका था; पर विधाता मुझे जबर्दस्ती वहांसे घसीट ले गया। मैं मुश्किलसे वहां एक सप्ताह रहा होऊंगा कि पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला। सारा शांति-निकेतन शोकमें डूब गया। सब लोग मातम-पुरसी करने मेरे पास आये। मैं उसी दिन पूना रवाना हुआ। साथमें पत्नी और मगनलालको लिया। बाकी सब शांति-निकेतन में ही रहे।

एंड्रूज बर्दवान तक मेरे साथ आये थे। उन्होंने मुझसे पूछा—
“क्या आपको प्रतीत होता है कि हिंदुस्तानियोंमें सत्याग्रह करनेका समय आवेगा ? यदि हां, तो कब ?”

मैंने उत्तर दिया—“यह कहना कठिन है। अभी तो एक साल तक मैं कुछ करना नहीं चाहता। गोखलेने मुझसे वचन लिया है कि मैं एक साल तक भ्रमण करूं। किसी भी सार्वजनिक प्रश्नपर अपने विचार प्रकट न करूं। मैं अक्षरशः इस वचनका पालन करना चाहता हूं। इसके बाद भी मैं तबतक कोई बात न कहूंगा, जबतक किसी प्रश्नपर कुछ कहनेकी आवश्यकता न होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगले ५ वर्ष तक सत्याग्रह करनेका कोई अवसर आवेगा।”

यहां इतना कहना आवश्यक है कि ‘हिन्द स्वराज्य’ में मैंने जो विचार प्रदर्शित किये हैं, गोखले उनपर हंसा करते और कहते कि “एक वर्ष तुम हिंदुस्तान में रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार अपने आप ठंडे हो जायंगे।”

तीसरे दर्जेकी मुसीबत

बर्दवान पहुंचकर हम तीसरे दर्जेका टिकट कटाना चाहते थे; पर टिकट लेनेमें बड़ी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुंचा तो जवाब मिला—“तीसरे दर्जेके मुसाफिरके लिए पहलेसे टिकट नहीं दिया जाता ।” तब मैं स्टेशन-मास्टरके पास गया । मुझे भला वहां कौन जाने देता ? किसीने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर वहां है । मैं पहुंचा । उनके पाससे भी यही उत्तर मिला । जब खिड़की खुली तब टिकट लेने गया; परंतु टिकट मिलना आसान नहीं था । हट्टे-कट्टे मुसाफिर मुझ जैसेको पीछे धकेलकर आगे घुस जाते । आखिर टिकट तो किसी तरह मिल गया ।

गाड़ी आई । उसमें भी जो जबरदस्त थे वे घुस गये । उतरने-घालों और चढ़नेवालोंके सिर टकराने लगे और धक्का-मुक्की होने लगी । इसमें भला मैं कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम तीनों एक जगहसे दूसरी जगह जाते । सब जगहसे यही जवाब मिलता—‘यहां जगह नहीं है ।’ तब मैं गार्डके पास गया । उसने जवाब दिया—“जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी गाड़ीसे जाना ।” मैंने नरमीसे उत्तर दिया—“पर मुझे जरूरी काम है ।” गार्डको यह सुननेका वक्त नहीं था । अब मैं सब तरहसे हार गया । मगनलालसे कहा—“जहां जगह मिल जाय बैठ जाओ ।” और मैं

पत्नीको लेकर तीसरे दर्जेके टिकटसे ही ड्योढ़े दर्जेमें घुसा। गार्डने मुझे उसमें जाते हुए देख लिया।

आसनसोल स्टेशनपर गार्ड ड्योढ़े दर्जेका किराया लेने आया। मैंने कहा—“आपका फर्ज था कि आप मुझे जगह बताते। वहां जगह न मिलनेसे मैं यहां बैठ गया। मुझे तीसरे दर्जेमें जगह दिलाइए तो मैं वहां जानेको तैयार हूं।”

गार्ड साहब बोले—मुझसे दलील न करो। मेरे पास जगह नहीं है, किराया न दोगे तो तुमको गाड़ीसे उतर जाना होगा।”

मुझे तो किसी तरह जल्दी पूना पहुंचना था। गार्डसे लड़नेके लिए मेरे पास समय न था, न सुविधा ही थी। लाचार होकर मैंने किराया चुका दिया। उसने ठेठ पूना तकका ड्योढ़े दर्जेका किराया वसूल किया। मुझे यह अन्याय बहुत अखरा।

सुबह हम मुगलसराय पहुंचे। मगनलालको तीसरे दर्जेमें जगह मिल गई थी। वहां मैंने टिकट कलेक्टरको सब हाल सुनाया और इस घटनाका प्रमाण-पत्र मैंने उससे मांगा। उसने इन्कार कर दिया। मैंने रेलवेके बड़े अफसरको अधिक भाड़ा वापस लेनेकी दरखास्त दी। उसका उत्तर इस आशयका मिला—“प्रमाण-पत्रके बिना अधिक भाड़ेका रुपया लौटानेका रिवाज हमारे यहां नहीं है; परंतु यह आपका मामला है, इसलिए आपको लौटा देते हैं। बर्दवानसे मुगलसराय तकका अधिक किराया वापिस नहीं दिया जा सकता।”

इसके बाद तीसरे दर्जेके सफरके इतने अनुभव हुए हैं कि उनकी एक पुस्तक बन सकती है, परंतु प्रसंगोपात्त उनका जिक्र

करनेके उपरांत इन अध्यायोंमें उनका समावेश नहीं हो सकता । शरीर-प्रकृतिकी प्रतिकूलताके कारण मेरी तीसरे दर्जेकी यात्रा बंद हो गई ।^१ यह बात मुझे सदा खटकती रहती है और खटकती रहेगी । तीसरे दर्जेके सफरमें कर्मचारियों की 'जी-हुकमी'की जिल्लत तो उठानी ही पड़ती है; परंतु तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी जहालत-गंदगी, स्वार्थ-भाव और अज्ञानका भी कम अनुभव नहीं होता । खेदकी बात तो यह है कि बहुत बार तो मुसाफिर जानते ही नहीं कि वे उहंडता करते हैं या गंदगी बढ़ाते हैं या स्वार्थ साधते हैं । वे जो कुछ करते हैं वह उन्हें स्वाभाविक मालूम होता है और इधर हम, जो सुधारक कहे जाते हैं, इनकी बिलकुल पर्वाह नहीं करते ।

कल्याण जंक्शनपर हम किसी तरह थके-मांदे पहुंचे : नहानेकी तैयारी की । मगनलाल और मैं स्टेशनके नलसे पानी लेकर नहाये । पत्नीके लिए मैं कुछ तजवीज कर रहा था कि इतनेमें भारत-सेवक-समितिके भाई कौलने हमको पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे । उन्होने मेरी पत्नीकी ओर इशारा करके कहा—“इनको तो नहानेके लिए दूसरे दर्जेके कमरेमें ले जाना चाहिए ।”

उनके इस सौजन्यसे लाभ उठाते हुए मुझे संकोच हुआ । मैं जानता था कि पत्नीको दूसरे दर्जेके कमरेका लाभ उठानेका अधिकार न था; परंतु मैंने इस अनौचित्यकी ओरसे आंखें मूंद लीं । सत्यके पुजारीको सत्यका इतना उल्लंघन भी शोभा नहीं देता । पत्नीका

१. अब फिर बहुत असेसे गांधीजी तीसरे दर्जेमें सफर करने लगे हैं ।

आग्रह नहीं था कि वह उसमें जाकर नहाये; परंतु पतिके मोह-रूपी स्वर्ण-पात्रने सत्यको ढांक लिया था ।

५३

मेरा प्रयत्न

पूना पहुंचकर उत्तर-क्रिया इत्यादिसे निवृत्त हो हम सब लोग इस बातपर विचार करने लगे कि समितिका काम कैसे चलाया जाय और मैं उसका सदस्य बनूं या नहीं । इस समय मुझपर बड़ा बोझ आ पड़ा था । गोखलेके जीते-जी मुझे समितिमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता ही नहीं थी । मैं तो सिर्फ गोखलेकी आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना चाहता था । यह स्थिति मुझे पसंद भी थी; क्योंकि भारतवर्षके जैसे तूफानी समुद्रमें कूदते हुए मुझे एक दत्त कर्णधारकी आवश्यकता थी और गोखले-जैसे कर्णधारके आश्रयमें मैं अपनेको सुरक्षित समझता था ।

अब मेरा मन कहने लगा कि मुझे समितिमें प्रविष्ट होनेके लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए । मैंने सोचा कि गोखलेकी आत्मा यही चाहती होगी । मैंने बिना संकोचके दृढ़ताके साथ प्रयत्न शुरू किया । इस समय समितिके सब सदस्य वहां मौजूद थे । मैंने उनको समझाने और मेरे संबंधमें जो भय उन्हें था उसको दूर करनेकी भरसक कोशिशकी; पर मैंने देखा कि सदस्योंमें इस विषय पर मत-भेद था । कुछ सदस्योंकी राय थी कि मुझे समितिमें ले लेना चाहिए और कुछ दृढ़ता-पूर्वक इसका विरोध करते थे; परंतु दोनोंके मनमें मेरे प्रति प्रेम-भावकी कमी न थी । किंतु हां, मेरे

प्रति प्रेमकी अपेक्षा समितिके प्रति उनकी वफादारी शायद अधिक थी—मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी हालतमें न थी ।

इससे हमारी यह सारी बहस मीठी थी और केवल सिद्धांतपर ही थी । जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उनका यह खयाल हुआ कि कई बातोंमें मेरे और उनके विचारोंमें जमीन-आसमानका अंतर है । इससे भी आगे चलकर उनका यह खयाल हुआ कि जिन ध्येयोंको सामने रखकर गोखलेने समितिकी रचना की थी, मेरे समितिमें आ जानेसे उन्हींके जोखिममें पड़ जानेकी संभावना थी और यह बात उन्हें स्वाभाविक तौरपर ही असह्य मालूम हुई । बहुत कुछ चर्चा होजानेके बाद हम अपने-अपने घर गये । सदस्योंने अंतिम निर्णय सभाकी दूसरी बैठक तक स्थगित रखा ।

घर जाते हुए मैं बड़े विचारके भंवरमें पड़ गया । बहुमतके बलपर मेरा समितिमें दाखिल होना क्या उचित है ? क्या गोखलेके प्रति यह मेरी वफादारी होगी ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ हो जाय तो क्या इससे मैं समितिकी स्थितिको विषम बनानेका निमित्त न बनूंगा ? मुझे यह साफ दिखाई पड़ा कि जबतक समितिके सदस्योंमें मुझे सदस्य बनानेके विषयमें मतभेद हो तबतक मुझे खुद ही उसमें दाखिल होनेका आग्रह छोड़ देना चाहिए, और इस तरह विरोधी पक्षको नाजुक स्थितिमें पड़नेसे बचा लेना चाहिए । इसीमें मुझे समिति और गोखलेके प्रति अपनी वफादारी दिखाई दी । अंतरात्मामें यह निर्णय होते ही तुरंत मैंने श्रीशास्त्रीको पत्र लिखा कि आप मुझे सदस्य बनानेके लिए सभा न बुलावें । विरोधी

पक्षको मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया । वे धर्म-संकटसे बच गये । उनकी मेरे साथ स्नेह-गांठ अधिक मजबूत हो गई, और इस तरह समितिमें दाखिल होनेकी मेरी दरखास्त वापस लेकर मैं समिति-का सच्चा सभ्य बना ।

अब मैं अनुभवसे देखता हूँ कि मेरा बाकायदा समितिका सदस्य न होना ठीक ही हुआ । और सब सदस्योंने मेरे सदस्य बननेका जो विरोध किया था वह वास्तविक था । अनुभवने दिखला दिया है कि उनके और मेरे सिद्धांतोंमें भेद था; परंतु मत-भेद जान लेनेके बाद भी हम लोगोंकी आत्मामें कभी अंतर न पड़ा, न कभी मन मुटाव ही हुआ । मतभेद रहते हुए भी हम बंधु और मित्र बने हुए हैं । समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया । लौकिक दृष्टिसे भले ही मैं उसका सभ्य न बना हूँ; पर आध्यात्मिक दृष्टिसे तो हूँ ही । लौकिक संबंधकी अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध अधिक कीमती है । आध्यात्मिक संबंधसे हीन लौकिक संबंध प्राणहीन शरीरके समान है ।

५४

आश्रमकी स्थापना

सत्याग्रह-आश्रमकी स्थापना २५ मई सन् १९१५ ई० को हुई । स्वामी श्रद्धानंदजीकी राय थी कि मैं हरिद्वारमें बसूँ । कलकत्तेके कुछ मित्रोंकी सलाह थी कि वैद्यनाथधाममें डेरा डालूँ । और कुछ मित्र इस बात पर जोर दे रहे थे कि राजकोटमें रहूँ ।

पर जब मैं अहमदाबादसे गुजरा तो बहुतेरे मित्रोंने कहा कि

आप अहमदाबादको चुनिए। और आश्रमके खर्चका भार भी अपने जिम्मे उन्होंने लिया। मकान खोजनेका भी आश्वासन दिया। इसलिए अहमदाबादपर मेरी नजर ठहर गई। मैं मानता था कि गुजराती होनेके कारण मैं गुजराती भाषाके द्वारा देशकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकूंगा। अहमदाबाद पहले हाथ-बुनाईका बड़ा भारी केन्द्र था, इससे चरखेका काम यहां अच्छी तरहसे हो सकेगा; और गुजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहांके धनाढ्य लोग धनके द्वारा अधिक सहायता दे सकेंगे, यह भी खयाल था।

अहमदाबादके मित्रोंके साथ जब आश्रमके विषयमें बातचीत हुई तो अस्पृश्योंके प्रश्नकी भी चर्चा उनसे हुई थी। मैंने साफतौर पर कहा था कि “यदि कोई योग्य अंत्यज भाई आश्रममें प्रविष्ट होना चाहेंगे तो मैं उन्हें अवश्य आश्रममें रखूंगा।”

“आपकी शर्तोंका पालन कर सकनेवाले अंत्यज ऐसे कहां रास्तोंमें पड़े हुए हैं?” एक वैष्णव मित्र ने ऐसा कहकर अपने मनको संतोष दे लिया और अन्तमें अहमदाबाद बसनेका निश्चय हुआ।

अब हम मकानकी तलाश करने लगे। श्रीजीवनलाल बैरिस्टरका मकान, जो कोचरबमें है, किरायेपर लेना तय पाया। वही मुझे अहमदाबादमें बसानेवालोंमें अग्रणी थे।

इसके बाद आश्रमका नाम रखनेका प्रश्न खड़ा हुआ। मित्रोंसे मैंने मशविरा किया। सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम सुझाये गये। सेवाश्रम नाम हम लोगोंको पसंद आता था; परंतु उससे सेवाकी

पद्धतिका परिचय न होता था। तपोवन नाम तो भला कैसे स्वीकृत हो सकता था ? क्योंकि यद्यपि तपश्चर्या हम लोगोंको प्रिय थी, फिर भी वह नाम हम लोगोंको अपने लिए भारी मालूम हुआ। हम लोगोंका उद्देश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध कराना; उसीका आग्रह रखना। और दक्षिण अफ्रिकामें जिस पद्धतिका उपयोग हम लोगोंने किया था उसीका परिचय भारतवासियोंको कराना; हमें यह भी देखना था कि उसकी शक्ति और प्रभाव कहां तक व्यापक हो सकता है। इसलिए मैंने और साथियोंने 'सत्याग्रह-आश्रम' नाम पसंद किया। उसमें सेवा और सेवा-पद्धति दोनोंका भाव अपने-आप आजाता था।

आश्रमके संचालनके लिए नियमावलीकी आवश्यकता थी। इसलिए नियमावली बनाकर उसपर जगह-जगहसे रायें मंगवाई गईं। बहुतेरी सम्मतियोंमें सर गुरुदास बनर्जीकी राय मुझे याद रह गई है। उन्हें नियमावली पसंद हुई; परंतु उन्होंने सुझाया कि इन व्रतोंमें नम्रताके व्रतको भी स्थान मिलना चाहिए। उनके पत्रकी ध्वनि यह थी कि हमारे युवक-वर्गमें नम्रताकी कमी है। मैं भी जगह-जगह नम्रताके अभावको अनुभव कर रहा था; मगर व्रतमें स्थान देनेसे नम्रता के न रह जानेका आभास होता था, नम्रताका अर्थ तो है शून्यता। शून्यता प्राप्त करनेके लिए दूसरे व्रत हैं ही। शून्यता मोक्षकी स्थिति है। मुमुक्षु या सेवकके प्रत्येक कार्यमें यदि नम्रता—निरभिमानता न हो तो वह मुमुक्षु नहीं, सेवक नहीं; वह स्वार्थी है, अहंकारी है।

आश्रममें इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे। मेरे साथ दक्षिण अफ्रिकासे पांच तामिल बालक आये थे तथा यहां के लगभग २५ पुरुष मिलकर आश्रमका आरंभ हुआ था। सब एक ही भोजनालयमें भोजन करते थे और इस तरह रहनेका प्रयत्न करते थे, मानो सब एक ही कुटुम्बके हों।

५५

कसौटीपर

आश्रमकी स्थापनाको अभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमें हमारी एक ऐसी कसौटी होगई, जिसकी हमने आशा नहीं की थी। एक दिन मुझे भाई अमृतलाल ठक्करका पत्र मिला—“एक गरीब और ईमानदार अंत्यज कुटुम्बकी इच्छा आपके आश्रममें आकर रहनेकी है। क्या आप उसे अपने यहां रख सकेंगे ?”

चिट्ठी पढ़कर मैं चौंका तो; क्योंकि मैंने यह आशा न की थी कि ठक्कर बापा-जैसोंकी सिफारिश लेकर कोई अंत्यज कुटुम्ब इतनी जल्दी आजायगा। मैंने साथियोंको वह चिट्ठी दिखाई। उन लोगोंने उसका स्वागत किया। हमने अमृतलालभाईको चिट्ठी लिखी कि यदि यह कुटुम्ब आश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार हो तो हम उसे लेनेके लिए तैयार हैं।

बस, दूधाभाई, उनकी पत्नी दानीबहन और दुधमुंही लक्ष्मी आश्रममें आगये। दूधाभाई बंबईमें शिक्षक थे। वह आश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार थे। इसलिए वह आश्रममें ले लिये गये।

पर इससे सहायक मित्र-मंडल में बड़ी खलबली मची । जिस कुएंमें बंगलेके मालिकका भाग था उसमेंसे पानी भरनेमें दिक्कत आने लगी । चरस हांकनेवालेको भी यदि हमारे पानी के छींटे लग जाते तो उसे छूत लगती । उसने हमें गालियां देनी शुरू कीं । दूधा-भाईको भी वह सताने लगा । मैंने सबसे कह रखा था कि गालियां सह लेनी चाहिएं और दृढ़ता-पूर्वक पानी भरते रहना चाहिए । हमको चुपचाप गालियां सुनता देखकर चरसवाला शर्मिन्दा हुआ और उसने हमारा पिंड छोड़ दिया; परंतु इससे आर्थिक सहायता मिलना बंद होगई । जिन भाइयोंने पहलेसे ही अछूतोंके प्रवेश पर भी, जो आश्रमके नियमोंका पालन करते हैं, शंका खड़ी की थी उन्हें तो यह आशा ही नहीं थी कि आश्रममें कोई अंत्यज आजायगा । इधर आर्थिक सहायता बंद हुई, उधर हम लोगोंके बहिष्कारकी अफवाह मेरे कानपर आने लगी । मैंने अपने साथियोंके साथ यह विचार कर रखा था कि यदि हमारा बहिष्कार हो जाय और हमें कहींसे सहायता न मिले तो भी हमें अहमदाबाद न छोड़ना चाहिए । हम अछूतोंके मुहल्लोंमें जाकर बस जायेंगे, और जो कुछ मिल जायगा उसपर अथवा मजदूरी करके गुजर कर लेंगे ।

अंतमें एक दिन भगनलालने मुझे एक नोटिस दिया कि अगले महीने आश्रम-खर्चके लिए हमारे पास रुपये न रहेंगे । मैंने धीरजके साथ जवाब दिया —“तो हम लोग अछूतोंके मुहल्लोंमें रहने लगेगे ।

मुझपर यह संकट पहली ही बार नहीं आया था, परन्तु हर बार आखिरमें जाकर उस साँवलियाने कही-न-कहींसे मदद भेज ही दी है ।

मगनलालके इस नोटिसके थोड़े ही दिन बाद एक दिन सुबह किसी बालकने आकर खबर दी कि बाहर एक मोटर खड़ी है। एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटरके पास गया। सेठने मुझसे कहा—“मैं आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हूँ। आप लेंगे ?” मैंने उत्तर दिया—“हां, आप दें तो मैं जरूर ले लूंगा, और इस समय तो मुझे जरूरत भी है।”

“मैं कल इसी समय यहां आऊंगा तो आप आश्रममें ही मिलेंगे न ?” मैंने कहा—“हां !” और सेठ अपने घर गये। दूसरे दिन नियत समयपर मोटरका भोंपू बजा। बालकोंने मुझे खबर की। वह सेठ अंदर नहीं आये। मैं ही उनसे मिलनेके लिए गया। मेरे हाथमें १३०००) रु०के नोट रखकर वह बिदा होगये। इस मददकी मैंने बिलकुल आशा न की थी। मदद देनेका यह तरीका भी नया देखा। उन्होंने आश्रममें इससे पहले कभी पैर न रखा था। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं उनसे एक बार पहले भी मिला था। न तो वह आश्रमके अंदर आये, न कुछ पूछा-ताछा। बाहरसे ही देकर चलते बने। इस तरहका यह पहला अनुभव मुझे था। इस मददसे अछूतोंके मुहल्लेमें जानेका विचार स्थगित रहा, क्योंकि लगभग एक वर्षके खर्चका रुपया मुझे मिल गया था।

परंतु बाहरकी तरह आश्रमके अंदर भी खलबली मची। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकामें अछूत वगैरा मेरे यहां आते रहते और खाते थे; परंतु यहां अछूत कुटुंबका आना और आकर रहना मेरी पत्नीको तथा दूसरी स्त्रियोंको पसंद न हुआ। दानीबहनके प्रति उनका

तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सूक्ष्म आंखें और तीक्ष्ण कान, जो ऐसे विषयमें खासतौरपर सतर्क रहते हैं, देखते और सुनते थे। आर्थिक सहायताके अभावसे न तो मैं भयभीत हुआ, न चिंताग्रस्त ही; परंतु यह भीतरी क्षोभ कठिन थी। दानीबहन मामूली स्त्री थी। दूधाभाईकी पढ़ाई भी मामूली थी, पर वह ज्यादा समझदार थे। उनका जीवन मुझे पसंद आया। कभी-कभी उन्हें गुस्सा आजाता; परंतु आमतौरपर उनकी सहन-शीलताकी अच्छी ही छाप मुझपर पड़ी है। मैं दूधाभाईको समझाता कि छोटे-छोटे अपमानोंको हमें पी जाना चाहिए। वह समझ जाते और दानीबहनको भी सहन करनेकी प्रेरणा करते।

इस कुटुंबको आश्रममें रखकर आश्रमने बहुत सबक सीखे हैं और आरंभ-कालमें ही यह बात साफतौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृश्यताके लिए जगह नहीं है, आश्रमकी मर्यादा बंध गई तथा इस दिशामें उसका काम बहुत सरल हो गया। इतना होते हुए भी, आश्रमका खर्च बढ़ते जाते हुए भी, ज्यादातर सहायता उन्हीं हिंदुओंकी तरफसे मिलती आरही है, यह बात स्पष्ट रूपसे शायद इसी बातको सूचित करती है कि अस्पृश्यताकी जड़ अच्छी तरह हिल गई है।

५६

गिरमिट-प्रथा

अब इस नये बसे हुए आश्रमको छोड़कर, जो कि अब भीतरी और बाहरी तूफानोंसे निकल चुका था, गिरमिट-प्रथा या कुली-प्रथा

पर थोड़ा-सा विचार कर लेनेका समय आगया है। गिरमिटिया उस कुली या मजूरको कहते हैं जो पांच या उससे कम वर्षके लिए मजूरी करनेका लेखी इकरार करके भारतके बाहर चला जाता है। नेटालके ऐसे गिरमिटियोंपरसे तीन पौंडका वार्षिक कर १९१४ ई०में उठा लिया गया था, परंतु यह प्रथा अभी बंद नहीं हुई थी। १९१६ ई०में भारतभूषण पंडित मालवीयजीने इस सवालको धारा-सभामें उठाया था और लार्ड हार्डिंजने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके यह घोषणा की थी कि यह प्रथा 'समय आते ही' उठा देनेका वचन मुझे सम्राटकी ओरसे मिला है; परंतु मेरा तो यह स्पष्ट मत हुआ था कि इस प्रथाको तत्काल बंद कर देनेका निर्णय होजाना चाहिए। हिंदुस्तान अपनी लापरवाहीसे इस प्रथाको बहुत वर्षों तक दरगुजर करता रहा; पर अब मैंने यह देखा कि लोगोंमें इतनी जागृति आ गई है कि अब यह बंद की जा सकती है; इसलिए मैं कितने ही नेताओंसे इस विषयमें मिला, कुछ अखबारोंमें इस संबंधमें लिखा और मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथाका उच्छेद कर देनेके पक्षमें था। मेरे मनमें प्रश्न उठा कि क्या इसमें सत्याग्रहका कुछ उपयोग हो सकता है? मुझे उपयोगके विषयमें तो कुछ संदेह नहीं था; परंतु यह बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती थी कि उपयोग किया कैसे जाय।

इस बीच वाइसरायने 'समय आने पर' इन शब्दोंका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने प्रकट किया कि दूसरी व्यवस्था करनेमें जितना समय लगेगा उतने समयमें यह प्रथा निर्मूल करदी जायगी।

इसपरसे फरवरी १९१७में भारत-भूषण मालवीयजीने गिरमिट-प्रथाको कटई उठा देनेका कानून पेश करनेकी इजाजत बड़ी धारा-सभामें मांगी तो वाइसरायने उसे नामंजूर कर दिया । तब इस मामलेको लेकर मैंने हिंदुस्तानमें भ्रमण शुरू किया ।

भ्रमणका आरंभ मैंने बंबईसे किया । 'इम्पीरियल सिटीजन-शिप एसोसिएशन' के नामपर सभा हुई । उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जाने वाले थे उनका मसविदा बनानेके लिए एक समिति बनाई गई । प्रस्तावमें यह प्रार्थना की गई थी कि गिरमिट-प्रथा बंद कर दी जाय । पर यह सवाल था कि कब बंद की जाय ? इसके सम्बन्धमें तीन सूचनाएं पेश हुई—(१) 'जितनी जल्दी हो सके' (२) '३१ जुलाई' और (३) 'तुरंत' । '३१ जुलाई' वाली सूचना मेरी थी । मुझे तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस मियाद तक यदि कुछ न हो तो इस बातकी सूझ पड़ सके कि आगे क्या किया जाय और क्या किया जा सकता है । सर लल्लू-भाईकी राय थी कि 'तुरंत' शब्द रखा जाय । उन्होंने कहा कि '३१ जुलाई'से तो 'तुरंत' शब्दमें अधिक जल्दीका भाव आता है । इसपर मैंने यह समझानेकी कोशिशकी कि लोग 'तुरंत' शब्दका तात्पर्य न समझ सकेंगे । लोगोंसे यदि कुछ काम लेना हो तो उनके सामने निश्चयात्मक शब्द रखना चाहिए । 'तुरंत'का अर्थ सब अपनी मर्जीके अनुसार कर सकते हैं । सरकार एक कर सकती है, लोग दूसरा कर सकते हैं; परन्तु '३१ जुलाई'का अर्थ सब एक ही करेंगे और उस तारीख तक यदि कोई और फैसला न हो तो हम यह

विचार कर सकते हैं कि अब हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए । यह दलील डा० रीडको तुरंत जंच गई । अंतमें सर लल्लूभाईको भी '३१ जुलाई' रुची और प्रस्तावमें वही तारीख रखी गई । सभामें यह प्रस्ताव रखा गया और सब जगह '३१ जुलाई'की मर्यादा घोषित हुई ।

इस समय मैं अकेला ही सफर करता, इससे सफरमें अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे । खुफिया पुलिस तो पीछे लगी ही रहती थी; पर इनके साथ भगड़नेकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी । मेरे पास कुछ भी छिपी बात नहीं थी । इसलिए वे न मुझे सताते और न मैं उन्हें सताता था । सौभाग्यसे उस समय मुझपर 'महात्मा'की छाप नहीं लगी थी, हालांकि जहां लोग मुझे पहचान लेते वहां इस नामका घोष होने लगता था । एक दफा रेलमें जाते हुए बहुतसे स्टेशनोंपर खुफिया मेरा टिकट देखने आते और नंबर वगैरा लेते । मैं तो, वे जो सवाल पृच्छते, उनका जवाब तुरंत दे देता । इससे साथी मुसाफिरोने समझा कि मैं कोई सीधा-सादा साधु या फकीर हूं । जब दो-चार स्टेशनोंपर खुफिया आये तो वे मुसाफिर बिगड़े और उस खुफियाको गाली देकर डांटने लगे—“इस बेचारे साधुको नाहक क्यों सताते हो ?” और मेरी तरफ देखकर कहने लगे—“इन बदमाशोंको टिकट मत दिखाओ ।”

मैंने शांतिसे इन यात्रियोंसे कहा—“उनको टिकट दिखानेसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता । वे अपना फर्ज अदा करते हैं, इससे मुझे किसी तरहका दुःख नहीं है ।”

उन मुसाफिरोँको यह बात जंची नहीं। वे मुझपर अधिक तरस खाने लगे और आपसमें बातें करने लगे कि देखो निरपराध लोगोंको भी ये लोग कैसे हैरान करते हैं।

लाहौरसे लेकर देहली तक मुझे रेलकी भीड़ और तकलीफका बहुत ही कड़ा-अनुभव हुआ। कराचीसे लाहौर होकर मुझे कलकत्ता जाना था। लाहौरमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। यहां गाड़ी-पर चढ़नेमें मेरी कहीं दाल नहीं गलती थी। मुसाफिर जबरदस्ती घुस पड़ते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़कीमेंसे अंदर घुस जाते थे। इधर मुझे नियत तिथिको कलकत्ता पहुंचना जरूरी था। यदि यह ट्रेन छूट जाती तो मैं कलकत्ता समयपर नहीं पहुंच सकता था। मैं जगह मिलनेकी आशा मनमें छोड़ रहा था। कोई मुझे अपने डब्बेमें नहीं लेता था। आखिरको मुझे जगह खोजता हुआ देखकर एक मजदूरने कहा—“मुझे बारह आने दो तो मैं जगह दिला दूं।” मैंने कहा—“जगह दिला दो तो मैं जरूर बारह आने दूंगा।” बेचारा मजदूर मुसाफिरोँके हाथ-पांव जोड़ने लगा, पर कोई मुझे जगह देनेको तैयार नहीं होता था। गाड़ी छूटनेकी तैयारी थी। इतनेमें एक डब्बेके मुसाफिर बोले—“यहां जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो। खड़ा रहना होगा!” मजदूरने मुझसे पृच्छा—“क्योंजी?” मैंने कहा—“हां, घुसा दो।” तब उसने मुझे उठाकर खिड़कीमेंसे अंदर फेंक दिया। मैं अंदर घुसा और मजदूरने बारह आने कमाये।

मेरी यह रात बड़ी मुश्किलोंसे बीती। दूसरे मुसाफिर तो

किसी तरह ज्यों-त्यों करके बैठ गये, परंतु मैं ऊपरकी बैठककी जंजीर पकड़कर खड़ा ही रहा। बीच-बीचमें यात्री लोग मुझे डांटते जाते—“अरे, खड़ा क्यों है, बैठ क्यों नहीं जाता ?” मैंने उन्हें बहुतेरा समझाया कि बैठनेकी जगह नहीं है; परंतु उन्हें मेरा खड़ा रहना भी बरदाश्त नहीं होता था। हालांकि वे खुद ऊपरकी बैठकमें आरामसे पैर ताने पड़े हुए थे; पर मुझे बार-बार दिक् करते थे। ज्यों-ज्यों वे मुझे दिक् करते, त्यों-त्यों मैं उन्हें शांतिसे जवाब देता। इससे वे कुछ शांत हुए। मेरा नाम-ठाम पूछने लगे। जब मैंने अपना नाम बताया तब वे बड़े ही शर्मिन्दा हुए। मुझसे माफी मांगने लगे और तुरंत अपने पास जगह कर दी। ‘सब्रका फल मीठा होता है’—यह कहावत मुझे याद आई। इस समय मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब बैठनेकी जगहकी सचमुच जरूरत थी तब ईश्वरने उसकी सुविधा कर दी।

इस तरह धक्के खाता हुआ आखिर समयपर कलकत्ता पहुंच गया। कासिम बाजारके महाराजने अपने यहां ठहरनेका मुझे निमन्त्रण दे रखा था। कलकत्ताकी सभाके सभापति भी वही थे। कराचीकी तरह कलकत्तामें भी लोगोंका उत्साह उमड़ रहा था; कुछ अप्रैज लोग भी आये थे।

३१ जुलाईके पहले कुली-प्रथा बंद होनेकी घोषणा प्रकाशित हुई। १८६४ ई० में इस प्रथाका विरोध करनेके लिए पहली दर-खास्त मैंने बनाई थी और यह आशा रखी थी कि किसी दिन यह ‘अर्ध-गुलामी’ जरूर रद्द हो जायगी। १८६४ में शुरू हुए इस

कार्यमें यद्यपि बहुतेरे लोगोंकी सहायता थी, परंतु यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस बांरके प्रयत्नके साथ शुद्ध सत्याग्रह भी सम्मिलित था ।

५७

नीलका दाग

चंपारन राजा जनककी भूमि है । चंपारनमें आमके बन हैं, उसी तरह १६१७ में नीलके खेत थे, चंपारनके किसान अपनी ही जमीनके ३/२० हिस्सेमें जमीनके असली मालिकके लिए नीलकी खेती करनेपर कानूनन बाध्य थे । इसे वहां 'तीन कठिया' कहते थे । २० कठेका वहां एक एकड़ था और उसमेंसे तीन कठे नील बोना पड़ता था । इसलिए उस प्रथाका नाम था 'तीन कठिया'।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि चंपारनमें जानेके पहले मैं उसका नाम-निशान तक नहीं जानता था । यह खयाल भी प्रायः नहीं के बराबर था कि वहां नीलकी खेती होती है । नीलकी गोटियां देखी थीं; परंतु मुझे यह विलकुल पता न था कि वे चंपारनमें बनती थीं और उनके लिए हजारों किसानोंको दुःख उठाना पड़ता था ।

राजकुमार शुक्ल नामके एक किसान चंपारनमें रहते थे । उनपर नीलकी खेतीके सिलसिलेमें बड़ी बुरी बीती थी । वह दुःख उन्हें खल रहा था और उसीके फल-स्वरूप सबके लिए इन नीलके दाग को धो डालनेका उत्साह पैदा हुआ ।

जब मैं लखनऊ कांग्रेसमें गया, तब इस किसानने मेरा पल्ला

पकड़ा। 'वकील बाबू आपको सब हाल बतावेंगे'—यह कहते हुए चंपारन चलनेका निमन्त्रण मुझे देते जाते थे।

वह वकील बाबू और कोई नहीं, मेरे चंपारनके प्रिय साथी, बिहारके सेवा-जीवनके प्राण, ब्रजकिशोर बाबू ही थे। उन्हें राजकुमार शुक्ल मेरे डेरेपर लाये। वह काले अलपकेका अचकन, पतलून वगैरा पहने हुए थे। मेरे दिलपर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी। मैंने समझा कि इस भोले किसानको लूटनेवाले यह कोई वकील साहब ही होंगे।

मैंने उनसे चंपारनकी थोड़ी-सी कथा सुन ली और अपने रिवाजके मुताबिक जवाब दिया—“जबतक मैं खुद जाकर सब हाल देख न लूं तबतक मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप कांग्रेसमें इस विषय पर बोलें; किन्तु मुझे तो अभी छोड़ ही दीजिए।” राजकुमार शुक्ल तो चाहते ही थे कि कांग्रेसकी मदद मिले। चंपारनके विषयमें कांग्रेसमें ब्रजकिशोर बाबू बोले और सहानुभूतिका एक प्रस्ताव पास हुआ।

राजकुमार शुक्लको इससे खुशी हुई; परंतु इतने ही से उन्हें संतोष न हुआ। वह तो खुद चंपारनके किसानोंके दुःख दिखाना चाहते थे। मैंने कहा—“मैं अपने भ्रमणमें चंपारनको भी ले लूंगा, और एक-दो दिन वहांके लिए दे दूंगा।” उन्होंने कहा—“एक दिन काफी होगा पर अपनी नजरों देखिये तो सही।”

लखनऊसे मैं कानपुर गया था। वहां भी देखा तो राजकुमार शुक्ल मौजूद।

“यहांसे चंपारन बहुत नजदीक है। एक दिन दे दीजिएगा।”

“अभी तो मुझे माफ कीजिए; पर मैं यह वचन देता हूं कि मैं आऊंगा जरूर।” यह कहकर वहां जानेके लिए मैं और भी बंध गया।

आश्रम पहुंचा तो वहां भी राजकुमार शुक्ल मेरे पीछे-पीछे मौजूद।

“अब तो दिन मुकर्रर कर दीजिए।”

मैंने कहा—“अच्छा, अमुक तारीख को मुझे कलकत्ते जाना है, वहां आकर मुझे ले जाना।”

कहां जाना, क्या करना, क्या देखना, मुझे इसका कुछ पता न था। कलकत्तामें भूपेन बाबूके यहां मेरे पहुंचनेके पहले ही राजकुमार शुक्लका पड़ाव पड़ चुका था। अब तो इस अपढ़-अनगढ़ परंतु निश्चयी किसानने मुझे जीत लिया।

१६१७के आरंभमें कलकत्तासे हम दोनों रवाना हुए। हम दोनोंकी एक-सी जोड़ी—दोनों किसान-से दीखते थे। राजकुमार शुक्ल और मैं—हम दोनों एक ही गाड़ीमें बैठे। सुबह पटना उतरे।

पटनेकी यह मेरी पहली यात्रा थी। वहां मेरी किसीसे इतनी पहचान नहीं थी कि कहीं ठहर सकूं।

मैंने मनमें सोचा कि राजकुमार शुक्ल हैं तो अनपढ़ किसान, परंतु यहां उनका कुछ-न-कुछ जरिया जरूर होगा। ट्रेनमें उनका मुझे अधिक हाल मालूम हुआ। पटनेमें जाकर उनकी कलाई खुल गई। राजकुमार शुक्लका भाव तो निर्दोष था; परंतु जिन वकीलों-

को उन्होंने मित्र माना था वे मित्र न थे; बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रितकी तरह थे। इस किसान मवकिल और उन वकीलों-के बीच उतना ही अंतर था, जितना कि बरसातमें गंगाजीका चौड़ा पाट हो जाता है।

वह मुझे राजेन्द्रबाबूके यहां ले गये। राजेन्द्रबाबू पुरी या कहीं और गये थे। बंगलेपर एक-दो नौकर थे। खानेके लिए कुछ तो मेरे साथ था; परन्तु मुझे खजूरकी जरूरत थी, सो बेचारे राजकुमार शुक्लने बाजारसे ला दी।

परंतु बिहारमें छुआछूतका बड़ा सख्त रिवाज था। मेरे डोलके पानीके छींटेसे नौकरको छूत लगती थी। नौकर बेचारा क्या जानता कि मैं किस जातिका था? अंदरके पाखानेका उपयोग करनेके लिए राजकुमारने कहा तो नौकरने बाहरके पाखानेकी तरफ अंगुली बताई। मेरे लिए इसमें अचरजकी या रोषकी कोई बात न थी; क्योंकि ऐसे अनुभवोंसे मैं पक्का हो गया था। नौकर तो बेचारा अपने धर्मका पालन कर रहा था, और राजेन्द्रबाबूके प्रति अपना फर्ज अदा करता था। इन मजेदार अनुभवोंसे राजकुमार शुक्लके प्रति जहां एक ओर मेरा मान बढ़ा तहाँ उनके संबंधमें मेरा ज्ञान भी बढ़ा। अब पटनासे लगाम मैंने अपने हाथमें ले ली।

५८

बिहारकी सरलता

मौलाना मजरुलहक और मैं एक साथ लंदनमें पढ़ते थे। उसके बाद हम बंबईमें १९१५ की कांग्रेसमें मिले थे, उस साल

वह मुसलिम-लीगके सभापति थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकाल-कर जब कभी पटना आऊं तो अपने यहां ठहरनेका निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रणके आधारपर मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और अपने कामका भी परिचय दिया। वह तुरंत अपनी मोटर लेकर आये और मुझे अपने यहां चलनेका इसरार करने लगे। इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि “मुझे अपने गंतव्य स्थानपर पहली ट्रेनसे रवाना कर दीजिए! रेलवे गाइडसे मुकामका मुझे कुछ पता नहीं लग सकता।” उन्होंने राजकुमार शुक्लके साथ बात की और कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। उसी दिन शामको मुजफ्फरपुर गाड़ी जाती थी। उसमें उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। मुजफ्फरपुरमें उस समय आचार्य कृपलानी रहते थे। उन्हें मैं पहचानता था। जब मैं हैदराबाद गया था तब उनके महात्यागकी, उनके जीवनकी, और उनके द्रव्यसे चलनेवाले आश्रमकी बात डाक्टर चोइथरामसे सुनी थी। वह मुजफ्फरपुर-कालेज में प्रोफेसर थे; पर उस समय वहांसे मुक्त हो गये थे। मैंने उन्हें तार दिया। ट्रेन आधी रातको मुजफ्फरपुर पहुंचती थी। वह अपने शिष्य-मंडलको लेकर स्टेशनपर आ पहुंचे। परंतु उनके घर-बार कुछ नहीं था। वह अध्यापक मलकानीके यहां रहते थे। मुझे उनके यहां ले गये। मलकानी भी वहांके कालेजमें प्रोफेसर थे; और उस जमानेमें सरकारी कालेजके प्रोफेसरका मुझे अपने यहां ठहराना एक असाधारण बात थी।

कृपलानीजीने बिहारकी और खासकर तिरहुत विभागकी दीन-

दशाका वर्णन किया और मुझे अपने कामकी कठिनाईका अंदाज बताया । कृपलानीजीने विहारियोंके साथ गाढ़ा संबंध कर लिया था । उन्होंने मेरे कामकी बात वहाँके लोगोंसे कर रखी थी । सुबह होते ही कुछ वकील मेरे पास आये ।

ब्रजकिशोरबाबू दरभंगासे और राजेन्द्रबाबू पुरीसे आये । यहाँ जो मैंने देखा तो यह लखनऊवाले ब्रजकिशोरप्रसाद नहीं थे । उनके अंदर एक विहारीकी नम्रता, सादगी, भलमनसी और असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हर्षसे फूल उठा । उनके प्रति विहारी वकील-मंडलका आदर-भाव देखकर मुझे आनंद और आश्चर्य दोनों हुए ।

तबसे इस वकील-मंडलके और मेरे बीच जन्म-भरके लिए स्नेह-गांठ बंध गई । ब्रजकिशोरबाबूने मुझे सब बातोंसे वाकिफ कर दिया । वह गरीब किसानोंकी तरफसे मुकदमे लड़ते थे । ऐसे मुकदमे उस समय भी चल रहे थे । ऐसा करके वह कुछ व्यक्तियोंको राहत दिलाते थे; पर कभी-कभी इसमें भी असफल हो जाते थे । इन भोले-भाले किसानोंसे वह फीस लिया करते थे । त्यागी होते हुए भी ब्रजकिशोरबाबू या राजेन्द्रबाबू फीस लेनेमें संकोच न करते थे । “पेशेके काममें अगर फीस न लें तो हमारा घर-खर्च नहीं चल सकता और हम लोगोंकी मदद भी नहीं कर सकते ।” यह उनकी दलील थी । उनकी तथा बंगाल विहारके बैरिस्टरोंकी फीसके कल्पनानीत अंक सुनकर मैं तो चकित रह गया । “...को हमने ‘ओपीनियन’ के लिए दस हजार रुपये दिये ।” हजारोंके

सिवाय तो मैंने बात ही नहीं सुनी ।

इस मित्र-मंडलने इस विषयमें मेरा मीठा उलहना प्रेमके साथ सुना । उन्होंने उसका उलटा अर्थ नहीं लगाया ।

मैंने कहा—“इन मुकदमोंकी मिसलें देखनेके बाद मेरी तो यह राय होती है कि हम यह मुकदमेवाजी अब छोड़ दें । ऐसे मुकदमोंसे बहुत कम लाभ होता है । जहां प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहां सब लोग इतने भयभीत रहते हैं, वहां अदालतोंके द्वारा बहुत कम राहत मिल सकती है । इसका सच्चा इलाज तो है लोगोंके दिलसे डरको निकाल देना । इसलिए अब जबतक यह ‘तीन कठिया’ प्रथा मिट नहीं जाती तबतक हम आरामसे नहीं बैठ सकते । मैं तो अभी दो दिनमें जितना देख सकूं देखनेके लिए आया हूं; परंतु मैं देखता हूं कि इस काममें दो वर्ष भी लग सकते हैं; परंतु इतने समयकी भी जरूरत हो तो मैं देनेके लिए तैयार हूं । मुझे यह तो सूझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए; परंतु आपकी मददकी जरूरत है ।”

मैंने देखा कि ब्रजकिशोरबाबू निश्चित विचारके आदमी हैं । उन्होंने शांतिके साथ उत्तर दिया—“हमसे जो-कुछ बन पड़ेगी वह मदद हम जरूर करेंगे ।”

“हम इतने लोग तो, आप जो काम सौंपेंगे, करनेके लिए तैयार रहेंगे । इनमेंसे जितनोंको आप जिस समय चाहेंगे, उसके पास हाजिर रहेंगे । जेल जानेकी बात अलबत्ता हमारे लिए नहीं है; पर उसकी भी हिम्मत करनेकी हम कोशिश करेंगे ।”

अहिंसादेवीका साक्षात्कार

मुझे तो किसानोंकी जांच करनी थी। यह देखना था कि नील-के मालिकोंकी जो शिकायत किसानोंको थी उसमें कितनी सचाई है। इसमें हज़ारों किसानोंसे मिलनेकी जरूरत थी; परन्तु इस तरह आमतौर पर उनसे मिलने-जुलनेके पहले, निलहे मालिकोंकी बात सुन लेने और कमिश्नरसे मिलनेकी आवश्यकता मुझे दिखाई दी। मैंने दोनोंको चिट्ठी लिखी।

मालिकोंके मंडलके मंत्रीसे मिला तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया—“आप तो बाहरी आदमी हैं। आपको हमारे और किसानोंके झगड़ेमें न पड़ना चाहिए। फिर भी यदि आपको कुछ कहना हो तो लिखकर भेज दीजिएगा।” मैंने मंत्रीसे सौजन्यके साथ कहा “मैं अपनेको बाहरी आदमी नहीं समझता और किसान यदि चाहते हों तो उनकी स्थितिकी जांच करनेका मुझे पूरा अधिकार है।” कमिश्नर साहबसे मिला तो उन्होंने तो मुझे धमकानेसे ही शुरुआत की और आगे कोई कार्रवाई न कर मुझे तिरहुत छोड़नेकी सलाह दी।

मैंने साथियोंसे सब बातें करके कहा कि संभव है सरकार जांच करनेसे मुझे रोके और जेल-यात्राका समय शायद मेरे अंदाजसे पहले ही आ जाय। यदि पकड़े जानेका ही मौका आवे तो मुझे मोतीहारी, और हौ सके तो, बेतियामें गिरफ्तार होना चाहिए।

इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए ।

हम आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि पुलिससुपरिंटेंडेंटका सिपाही आ पहुंचा और उसने मुझसे कहा—“सुपरिंटेंडेंट साहबने आपको सलाम भेजा है ।” मैं उसका मतलब समझ गया । धरणीधर बाबूसे मैंने कहा—आप आगे चलिए और मैं उस जासूसके साथ गाड़ीमें बैठा जो वह किरायेपर लाया था । उसने मुझे चंपारन छोड़ देनेका नोटिस दिया । घर ले जाकर उसपर मेरे दस्तखत मांगे । मैंने जवाब लिख दिया कि “मैं चंपारन छोड़ना नहीं चाहता । आज मुफस्सिलमें जाकर जांच करनी है ।” इस हुक्मका अनादर करनेके अपराधमें दूसरे ही दिन मुझे अदालतमें हजरि होनेका समन मिला ।

सारी रात जागकर मैंने जगह-जगह आवश्यक चिट्ठियां लिखीं और जो-जो आवश्यक बातें थीं वे ब्रजकिशोरबाबूको समझा दीं ।

साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मैंने यह निश्चय किया था कि कांग्रेसके नामपर कुछ भी काम यहां न किया जाय । नामसे नहीं; बल्कि हमको कामसे मतलब है । कथनीकी नहीं, करनीकी जरूरत है । कांग्रेसका नाम यहां लोगोंको खलता है ।

इसलिए कांग्रेसकी तरफसे किसी झिपे या प्रगट दूतों द्वारा कोई जमीन तैयार नहीं कराई गई थी; कोई पेशबंदी नहीं की गई थी । राजकुमार शुक्लमें हजारों लोगोंमें प्रवेश करनेका सामर्थ्य न था । यहां लोगोंके अन्दर किसीने भी आज तक कोई राजनैतिक काम नहीं किया था । चंपारनके सिवा बाहरकी दुनियाको वे जानते ही न थे । फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके

मिलाप-सा था। अतएव यह कहनेमें मुझे कोई अत्युक्ति नहीं मालूम होती, बल्कि यह अक्षरशः सत्य है कि मैंने वहां ईश्वरका, अहिंसाका और सत्यका साक्षात्कार किया। जब साक्षात्कार-विषयक अपने इस अधिकारपर विचार करता हूं तो मुझे उसमें प्रेमके सिवा और कोई बात नहीं दिखाई पड़ती और यह प्रेम अथवा अहिंसाके प्रति मेरी अचल श्रद्धाके सिवा और कुछ नहीं है।

चंपारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह मेरे तथा किसानोंके लिए उत्सवका दिन था; मुझपर सरकारी कानूनके मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था; परन्तु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकारपर चल रहा था। कमिश्नरने जो जाल मेरे लिए फैलाया था उसमें उसने सरकारको ही फंसा मारा था।

मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट वगैरा चिंतित हो रहे थे। उन्हें सूझ नहीं पड़ता था कि क्या करें। सरकारी वकील तारीख बढ़ानेकी कोशिश कर रहा था। मैं बीचमें पड़ा और मैंने अर्ज किया कि “तारीख बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं है; क्योंकि मैं अपना यह अपराध कबूल करना चाहता हूं कि मैंने चंपारन छोड़नेके नोटिसका अनादर किया है।” यह कहकर मैंने जो अपना छोटासा वक्तव्य तैयार किया था वह पढ़ सुनाया। वह इस प्रकार था—

“अदालतकी आज्ञा लेकर मैं संक्षेपमें यह बतलाना चाहता हूं कि नोटिस द्वारा मुझे जो आज्ञा दी गई है उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझमें यह स्थानीय अधिकारियों और मेरे बीच मत-

भेदका प्रश्न है। मैं इस प्रदेशमें राष्ट्रीय तथा मानव-सेवा करनेके विचारसे आया हूं। यहां आकर उन नैयतोंकी सहायता करनेके लिए मुझसे बहुत आग्रह किया गया था, जिनके साथ कहा जाता है कि निलहे साहब अच्छा व्यवहार नहीं करते; पर जबतक मैं सब बातें अच्छी तरह जान न लेता, तबतक उन लोगोंकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए यदि हो सके तो अधिकारियों और निलहे साहबोंकी सहायतासे मैं सब बातें जाननेके लिए आया हूं। मैं किसी दूसरे उद्देश्यसे यहां नहीं आया हूं। मुझे यह विश्वास नहीं होना कि मेरे यहां आनेसे किसी प्रकार शांतिभंग या प्राणहानि होसकती है। मैं कह सकता हूं कि मुझे ऐसी बातोंका बहुत अनुभव है। अधिकारियोंको जो कठिनाइयां होती हैं, उनको मैं समझता हूं; और मैं यह भी मानता हूं कि उन्हें जो सूचना मिलती है, वे केवल उसीके अनुसार काम कर सकते हैं। कानून माननेवाले व्यक्तिकी तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी, और ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि मैं इस आज्ञाका पालन करूं; पर मैं उन लोगोंके प्रति, जिनके लिए मैं यहां आया हूं, अपने कर्त्तव्यका उल्लंघन नहीं कर सकता था। मैं समझता हूं कि मैं उन लोगोंके बीच रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूं। इस कारण मैं स्वेच्छासे इस स्थानसे नहीं जा सकता था। दो कर्त्तव्योंके परस्पर विरोधकी दशामें मैं केवल यही कर सकता था कि अपनेको हटानेकी सारी जिम्मेवारी शासकों पर छोड़ दूं। मैं भली-भांति जानता हूं कि भारतके सार्वजनिक जीवनमें मेरी जैसी स्थितिवाले लोगोंको

आदर्श उपस्थित करनेमें बहुतही सचेत रहना पड़ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस स्थितिमें मैं हूँ उस स्थितिमें प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तिको वही काम करना सबसे अच्छा है जो इस समय मैंने करना निश्चित किया है; और वह यह है कि बिना किसी प्रकारका विरोध किये सरकारी आज्ञा नमाननेका दंड सहनेके लिए तैयार हो जाऊँ। मैंने जो वयान दिया है वह इसलिए नहीं है कि जो दंड मुझे मिलनेवाला है वह कम किया जाय; बल्कि इस बातको दिखलानेके लिए कि मैंने सरकारी आज्ञाकी अवज्ञा इस कारण से नहीं की कि मुझे सरकारके प्रति विश्वास नहीं है; बल्कि इस कारणसे कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा—अपनी विवेक-बुद्धिकी आज्ञा—का पालन करना उचित समझा है।”

अब मुकदमेकी सुनवाई मुलतवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं रह गया था; परन्तु मजिस्ट्रेट या सरकारी वकील इस परिणामकी आशा नहीं रखते थे। अतएव सजाके लिए अदालतने फैसला मुलतवी रखा। मैंने वाइसरायको तार द्वारा सब हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारत-भूषण पंडित मालवीयजी वगैराको भी तार द्वारा समाचार भेज दिया था। अब सजा सुननेके लिए अदालतमें जानेका समय आनेके पहले ही मुझे मजिस्ट्रेटका हुक्म मिला कि लाट साहबके हुक्मसे मुकदमा उठा लिया गया है और कलक्टर की चिट्ठी मिली कि आप जो-कुछ जांच करना चाहें, शौकसे करें और उसमें जो-कुछ-मदद सरकारी कर्मचारियोंकी ओरसे लेना चाहें, लें। ऐसे तत्काल और शुभ परिणामकी आशा हममेंसे किसीको नहीं थी।

कार्य-पद्धति

चंपारनकी जांचका विवरण देना मानो चंपारनके किसानोंका इतिहास देना है। यह सारा इतिहास इन अध्यायोंमें नहीं दिया जा सकता^१। फिर चंपारनकी जांच क्या थी, अहिंसा और सत्यका बड़ा प्रयोग ही था।

सार्वजनिक कामके लिए लोगोंसे रुपया मांगनेकी प्रथा आज तक न थी। ब्रजकिशोर बाबूका यह मंडल मुख्यतः वकील-मंडल था। इसलिए जब कभी आवश्यकता होती तो या तो वह अपनी जेबसे रुपया देते या कुछ मित्रोंसे मांग लेते। उनका खयाल यह था कि जो लोग खुद रुपये-पैसेसे सुखी हैं वे सर्वसाधारणसे धनकी भिन्ना कैसे मांग सकते हैं? और मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चंपारनकी रैयतसे एक कौड़ी न लेनी चाहिए। यदि ऐसा करते तो उसका उलटा अर्थ होता। यह भी निश्चय था कि इस जांचके लिए भारतवर्षमें भी आम लोगोंसे चंदा न करना चाहिए। ऐसा करनेसे इस जांचको राष्ट्रीय और राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंबईके मित्रोंने (१५०००) सहायता भेजनेका तार दिया; मगर गरीबीके साथ भरसक कम खर्च करके यह आंदोलन चलाना था। इसलिए बहुत रुपयेकी तो आवश्यकता भी नहीं थी; और दर-

१. अधिक विवरण जाननेके लिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद-लिखित 'चंपारनमें महात्मा गांधी' नामक पुस्तक देखिए। —सम्पादक

हकीकत जरूरत पड़ी भी नहीं। मेरा खयाल है कि सब मिलकर दो-तीन हजारसे ज्यादा खर्च न हुआ होगा। और मुझे याद है कि जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमेंसे भी पांच सौ या हजार बच गया था।

शुरूमें वहां हमारा रहन-सहन बड़ा विचित्र था। और मेरे लिए तो वह रोज हंसी-मजाकका विषय होगया था। इस वकील-मंडलमें हरेकके पास एक नौकर रसोइया होता। हरेककी अलग रसोई बनती। रातके बारह बजे तक भी वे लोग खाना खाते। ये लोग खर्च वगैरा तो सब अपना ही करते थे; फिर भी मेरे लिए रहन-सहन एक आफत थी। अपने इन साथियोंके साथ मेरी स्नेह-गांठ ऐसी मजबूत हो गई थी कि हमारे दरमियान कभी गलत-फहमी न होने पाती थी। मेरे शब्द-बाणोंको वे प्रेमसे झेलते। अंतमें यह तय पाया कि नौकरोंको छुट्टी दे दी जाय, सब एक साथ खाना खावें और भोजनके नियमोंका पालन करें। उसमें सभी निरामिषाहारी न थे और तरह-तरहकी अलग-अलग रसोई बनानेका इंतजाम करनेसे खर्च बढ़ता था। इससे यही निश्चय किया गया कि निरामिष भोजन ही पकाया जाय और एक ही जगह सबकी रसोई बनाई जाय। भोजन भी सादा ही रखनेपर जोर दिया जाता था। इससे खर्च बहुत कम पड़ा, हम लोगोंके काम करनेकी सामर्थ्य बढ़ी और समय बच गया।

हमें अधिक शक्तिकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि किसानोंके भुंड-के-भुंड अपनी कहानी लिखानेके लिए आने लगे थे। कहानी-

लेखक हमेशा पांच-सात रहते थे। फिर भी शाम तक सबके बयान पूरे न हो पाते थे। कहानी-लेखकोंको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे। वे ये थे—“प्रत्येक किसानसे जिरह करनी चाहिए। जिरहमें जो गिर जाय उसका बयान न लिखा जाय। जिसकी बात शुरूसे ही कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय।” इन नियमोंके पालनसे यद्यपि कुछ समय अधिक जाता था फिर भी उससे सच्चे और साबित होने लायक बयान ही लिखे जाते थे।

जब ये बयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिसके कोई-न-कोई कर्मचारी वहां मौजूद रहते। इन कर्मचारियोंको हम रोक सकते थे; परंतु हमने शुरूसे यह निश्चय किया था कि उन्हें न रोका जाय। यही नहीं, बल्कि उनके प्रति सौजन्य रखा जाय और जो खबरें उन्हें दी जासकती हों, दी जायं। जो बयान लिखे जाते उनको वे देखते और सुनते थे। इससे लाभ यह हुआ कि लोगोंमें अधिक निर्भयता आ गई। और बयान उनके सामने लिये जानेसे अत्युक्तिका भय कम रहता था। इस डरसे कि भूठ बोलेंगे तो पुलिसवाले फंसा देंगे, उन्हें सोच-समझकर बोलना पड़ता था।

मैं निलहे मालिकोंको चिढ़ाना नहीं चाहता था; बल्कि अपने सौजन्यसे उन्हें जीतनेका प्रयत्न करता था। इसलिए जिनके बारे में विशेष शिकायतें होतीं उन्हें मैं चिट्ठी लिखता और मिलनेकी कोशिश भी करता। उनके मण्डलसे भी मैं मिला था और रैयतकी शिकायतें उनके सामने पेश की थीं और उनका कहना भी सुन लिया था। उनमेंसे कितने तो मेरा तिरस्कार करते थे, कितने ही

उदासीन थे; और बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे ।

एक तरफ तो समाज-सेवाके काम चल रहे थे और दूसरा ओर लोगोंके दुःखकी कथाएं लिखते रहनेका काम दिन-दिन बढ़ रहा था । जब हजारों लोगोंकी कहानियां लिखी गईं, तो भला इसका असर हुए बिना कैसे रह सकता था ? मेरे मुकामपर लोगोंकी ब्यों-ज्यों आमदरपत बढ़ती गई त्यों-त्यों निलहे साहबोंका क्रोध भी बढ़ता चला । मेरी जांच बंद करानेकी उनकी काशिशें उनकी ओरसे दिन-दिन अधिकाधिक होने लगीं । एक दिन मुझे बिहार-सरकारका पत्र मिला, जिसका भावार्थ यह था, “आपकी जांचमें काफी दिन लग गये हैं । आपको अब अपना काम खतम करके बिहार छोड़ देना चाहिए ।” पत्र यद्यपि सौजन्यसे युक्त था, परंतु उसका अर्थ स्पष्ट था । मैंने लिखा, “जांचमें तो अभी और दिन लगेंगे और जांचके बाद भी जबतक लोगोंका दुःख दूर न होगा मेरा इरादा बिहार छोड़नेका नहीं है ।”

मेरी जांच बंद करनेका एक ही अच्छा इलाज सरकारके पास था । लोगोंकी शिकायतोंको सच मानकर उन्हें दूर करना अथवा उनकी शिकायतों पर ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जांच-समिति नियुक्त कर देना । गवर्नर सर एडवर्ड गेटने मुझे बुलाया और कहा कि मैं जांच-समिति नियुक्त करनेके लिए तैयार हूं, और उसका सदस्य बननेके लिए मुझे निमन्त्रण दिया । दूसरे सदस्योंके नाम देखकर और अपने साथियोंसे सलाह करके इस शर्तपर मैंने सदस्य होना स्वीकार किया कि मुझे अपने साथियोंके साथ सलाह-मशवरा

करनेकी छुट्टी रहनी चाहिए और सरकारको समझ लेना चाहिए कि सदस्य बन जानेसे किसानोंका हिमायती रहनेका मेरा अधिकार नहीं जाता रहेगा, एवं जांच होनेके बाद यदि मुझे संतोष न हो तो किसानोंकी रहनुमाई करनेकी मेरी स्वतन्त्रता जाती न रहेगी ।

सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोंको वांछित समझकर मंजूर किया । स्वर्गीय सर फ्रॉक स्लाई उनके अध्यक्ष बनाये गये । जांच-समितिये किसानोंकी तमाम शिकायतोंको सच्चा बताया और यह सिफारिश की कि निलहे लोग अनुचित रीतिसे प्राप्त किये रुपयोंका कुछ भाग वापिस कर दें और 'तीन-कठियाका' कायदा रद्द कर दिया जाय ।

इस रिपोर्टके सांगोपांग होनेमें सर एडवर्ड गेटका बड़ा हाथ था । वह यदि मजबूत न रहे होते और पूरी-पूरी कुशलतासे काम न लिया होता तो जो रिपोर्ट एकमतसे लिखी गई वह नहीं लिखी जा सकती थी और अंतमें जो कानून बना वह न बन पाता । निलहोंकी सत्ता बहुत प्रबल थी । रिपोर्ट पास हो जाने के बाद भी कितनों ही ने बिलका घोर विरोध किया था; परन्तु सर एडवर्ड गेट अंत तक दृढ़ रहे और समितिकी तमाम सिफारिशोंका पूरा-पूरा पालन उन्होंने कराया ।

इस तरह सौ वर्षका पुराना यह तीन-कठिया कानून रद्द हुआ और उसके साथ-ही-साथ निलहोंका राज्य भी अस्त हो गया । रैयतने, जो दबी हुई थी, अपने बलको कुछ पहचाना और उसका यह वहम दूर हो गया कि नीलका दाग तो धोया नहीं धुलता ।

मजदूरोंसे संबंध

चंपारन जांच-समितिके कामसे जरा फुरसत मिली ही थी कि अहमदाबादसे श्रीमती अनसूयाबहनकी चिट्ठी उनके 'मजदूर-संघ'के संबंधमें मिली। मजदूरोंका वेतन कम था। बहुत दिनोंसे उनकी मांग थी कि वेतन बढ़ाया जाय। इस संबंधमें उनका पथ-प्रदर्शन करनेका उत्साह मुझे था। यह काम यों तो छोटा-सा था, परंतु मैं उसे दूर बैठकर नहीं कर सकता था। इससे मैं तुरंत अहमदाबाद पहुंचा।

इनमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी। मजदूरोंका पक्ष मुझे मजबूत मालूम हुआ। श्रीमती अनसूयाबहनको अपने सगे भाईके साथ लड़नेका प्रसंग आगया था। मजदूरों और मालिकोंके इस दारुण युद्ध में श्री अंबालाल साराभाईने मुख्य भाग लिया था। मिल मालिकोंके साथ मेरा मधुर संबंध था। उनके साथ लड़ना मेरे लिए विषम काम था। मैंने उनसे आपसमें बातचीत करके अनुरोध किया कि पंच बनाकर मजदूरोंकी मांगका फैसला कर लीजिए; परंतु मालिकोंने अपने और मजदूरोंके बीचमें पंचकी मध्यस्थताको पसंद न किया।

तब मजदूरोंको मैंने हड़ताल कर देनेकी सलाह दी। यह सलाह देनेके पहले मैंने मजदूरों और उनके नेताओंसे काफी पहचान

और बातचीत कर ली थी। उन्हें मैंने हड़तालकी नीचे लिखी शर्तें समझाई—

(१) किसी हालतमें शांति भंग न करना।

(२) जो कामपर जाना चाहें उनके साथ किसी किस्मकी ज्यादाती या जबरदस्ती न करना।

(३) मजदूर भिन्नान्न न खावें।

(४) हड़ताल चाहे जबतक करनी पड़े; वे टढ़ रहें और जब रुपया न रहे तो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें।

अगुआ लोग इन शर्तोंको समझ गये और उन्हें ये पसंद भी आई। अब मजदूरोंने एक आम सभा की और उसमें प्रस्ताव पास पास किया कि जबतक हमारी मांग न स्वीकार की जाय अथवा उसपर विचार करनेके लिए पंच मुफर्रर न हों तबतक हम कामपर न जायंगे।

इस हड़तालमें मेरा परिचय श्रीवल्लभभाई और श्रीशंकरलाल बैकरसे बहुत अच्छी तरह हो गया। श्रीमती अनुसूयाबहनसे तो मेरा परिचय पहले ही खूब हो चुका था।

हड़तालियोंकी सभा रोज साबरमतीके किनारे एक पेड़के नीचे होने लगी। वे सैकड़ोंकी संख्यामें आते। मैं रोज उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराता, शांति रखने और स्व-मानकी रक्षा करने की आवश्यकता उन्हें समझाता था। वे अपना 'एकटेक'का झण्डा लेकर रोज शहरमें जुलूस निकालते और सभामें आते।

यह हड़ताल २१ दिन तक चली। इस बीचमें समय-समयपर

मालिकोंसे बातचीत करता और उन्हें इन्साफ करनेके लिए समझता। “हमें भी तो अपनी टेक रखनी है। हमारा और मजदूरोका बाप-बेटोंका संबंध है...उसके बीचमें यदि कोई पड़ना चाहे तो इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं? बाप-बेटोंमें पंचकी क्या जरूरत है?” यह जवाब मुझे मिलता।

मजदूरोने पहले दो हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलाई। शांति भी खूब रखी। रोजकी सभाओंमें भी वे बड़ी संख्यामें आते थे। मैं उन्हें रोज ही प्रतिज्ञाका स्मरण कराता था। वे रोज पुकार-पकार कर कहते थे, “हम मर जायंगे पर अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे।”

किंतु अंतमें वे ढीले पड़ने लगे। और जैसे कि निर्बल आदमी हिंसक होता है, वैसे ही, निर्बल पड़ते ही मिलमें जाने वाले मजदूरोसे द्वेष करने लगे और मुझे डर लगा कि शायद कहीं उनपर ये वलात्कार न कर बैठें। रोजकी सभामें आदमियोंकी हाजिरी कम हुई। जो आये भी उनके चेहरोंपर उदासी छाई हुई थी। मुझे खबर मिली कि मजदूर डिगने लगे हैं। मैं तरद्दुदमें पड़ा। सोचने लगा कि ऐसे समयमें मेरा क्या कर्त्तव्य हो सकता है। दक्षिण अफ्रिकाके मजदूरोकी हड़तालका अनुभव मुझे था; मगर यह अनुभव मेरे लिए नया था। जिस प्रतिज्ञाके करानेमें मेरी प्रेरणा थी, जिसका साक्षी मैं रोज ही बनता था, वह प्रतिज्ञा कैसे टूटे? यह विचार अभिमान कहा जायगा या मजदूरोके और सत्यके प्रति प्रेम समझा जायगा।

सबेरेका समय था। मैं सभामें था। मुझे कुछ पता नहीं था

कि क्या करना है; मगर सभामें ही मेरे मुंहसे निकल गया—
 ‘अगर मजदूर फिरसे तैयार न हो जायं और जबतक कोई फैसला
 न हो जाय जबतक हड़ताल न निभा सकें तो मैं तबतक उपवास
 करूंगा। यहांपर जो मजदूर थे वे हैरतमें आगये। अनुसूयाबहन-
 की आंखोंसे आंसू निकल पड़े। मजदूर बोल उठे, “आप नहीं
 हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करने देंगे। हमें माफ
 कीजिए। हम अपनी प्रतिज्ञा पालेंगे।”

मैंने कहा, “तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं है।
 तुम अपनी प्रतिज्ञाका ही पालन करो तो बस है। हमारे पास द्रव्य
 नहीं है। मजदूरोंको भिक्षात्र खिलाकर हमें हड़ताल नहीं करनी है।
 तुम कहीं कुछ मजदूरी करके अपना पेट भरने लायक कमा लो, तो
 चाहे हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों न हो, तुम निश्चित रह सकते
 हो। और मेरा उपवास तो कुछ-न-कुछ फैसला करनेके पहले टूटने
 वाला नहीं है।”

वल्लभभाई मजदूरोंके लिए म्युनिसिपैलिटीमें कार्य ढूंढते थे;
 मगर वहांपर कुछ मिलने लायक नहीं था। आश्रमके बुनाई-घरमें
 बालू भरनी थी। मगनलालने सूचना दी कि उसमें बहुत-से मज-
 दूरोंको काम दिया जा सकता है। मजदूर काम करनेको तैयार हुए।
 अनुसूयाबहनने पहली टोकरी उठाई और नदीमेंसे बालूकी टोक-
 रियां उठाकर लानेवाले मजदूरोंका ठठ लग गया। वह दृश्य देखने
 लायक था। मजदूरोंमें नया जोश आया; उन्हें पैसा चुकानेवाले
 चुकाते-चुकाते थक जाते।

इस उपवासमें एक दोष का। मैं यह लिख चुका हूँ कि मिल-मालिकोंके साथ मेरा मधुर संबंध था। इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये बिना रह नहीं सकता था। मैं जानता था कि बतौर सत्याग्रहीके उनके विरुद्ध मैं उपवास नहीं कर सकता। उनके ऊपर जो-कुछ असर पड़े वह मजदूरोंकी हड़तालका ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित्त उनके दोषके लिए न था किंतु मजदूरोंके दोषके लिए था। मैं मजदूरोंका प्रतिनिधि था, इसलिए इनके दोषसे दूषित होता था। मालिकोंसे तो मैं सिर्फ विनय ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना तो बलात्कार गिना जायगा। तो भी मैं जानता था कि मेरे उपवासका असर उनपर पड़े बिना नहीं रह सकता। पड़ा भी सही; किंतु मैं अपनेको रोक नहीं सकता था। मैंने ऐसा दोषमय उपवास करनेका अपना धर्म प्रत्यक्ष देखा।

मालिकोंको मैंने समझाया, “मेरे उपवाससे आपको अपना मार्ग जरा भी छोड़नेकी जरूरत नहीं।” उन्होंने मुझपर कड़ुवे-भीठे ताने भी मारे। उन्हें इसका अधिकार था; परंतु वे केवल दयाकी ही खातिर समझौता करनेके रास्ते ढूँढने लगे। अनुसूयाबहनके यहां उनकी सभाएं होने लगी। श्री आनंदशंकर ध्रुव भी बीचमें पड़े। अंतमें वह पंच चुने गये और हड़ताल छूटी। मुझे तीन ही दिन उपवास करना पड़ा। मालिकोंने मजदूरोंको मिठाई बांटी। इक्कीसवें दिन समझौता हुआ, और समझौतेका सम्मेलन हुआ। उसमें मिल-मालिक और कमिश्नर हाजिर थे। कमिश्नरने मजदूरोंको सलाह दी थी कि “तुम्हें हमेशा मि० गांधीकी बात माननी

चाहिए।” इन्हीं कमिश्नर साहबसे इस घटनाके कुछ दिनों बाद, तुरंत ही मुझे एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। समय बदला, इसलिए वह भी बदले और खेड़ाके पाटीदारोंको मेरी सलाह न माननेको कहने लगे।

६२

रौलट-एक्ट और मेरा धर्म-संकट

खेड़ा जिलेके किसानोंके सत्याग्रहकी बात यहां छोड़ दी जाती है। जिस सरकारने इच्छा या अनिच्छासे भी किसानोंकी मांग कबूल कर ली, उसी सरकारकी अब मदद करनेका मौका आगया। युरोपमें महायुद्ध चल रहा था। दिल्लीमें होनेवाली युद्ध-परिषदमें मुझे बुलाया गया। मेरे सामने धर्म-संकट था। इंग्लैंडके दूसरे राज्योंके साथ की हुई गुप्त संधियां बड़ी चर्चाका विषय हो रही थीं। मैंने अपना ऐतराज पेश किया। वाइसराय चेम्सफोर्ड साहबने मुझे चर्चाके लिए बुलाया। चर्चाके बाद मैंने शरीक होना मंजूर किया और पत्र लिखकर अपना मंतव्य प्रगट किया। लोकमान्य तिलक और अलीभाई आदि नेताओंकी गैरहाजिरीके बारेमें अपना खेद प्रगट किया, और लोगोंकी राजनैतिक मांगों और लड़ाईसे उत्पन्न होनेवाली मुसलमानोंकी मांगोंका उल्लेख किया।

इसके बाद रंगरूट भरती करनेका काम था। खेड़ाके किसानोंने यह बात कुछ पसंद नहीं की। फिर भी हमको काफी नाम मिलने लगे। मेरे इस कार्यकी काफी टीका हुई है, परंतु उसको शांतिसे

सुनना मैंने अपना धर्म माना । जिस सल्तनतमें हम भविष्यमें संपूर्ण हिस्सेदार बननेकी आशा करते थे, उसके आपत्तिकालमें मदद करना हमारा धर्म ही था । मेरे लिए यह वफादारीका भी प्रश्न था । मैं तो अंग्रेजोंके जैसी वफादारी प्रत्येक भारतवासीमें प्रकट करना चाहता था ।

परंतु मेरी लंबी बीमारीने और थोड़े ही दिनोंमें समाप्त होनेवाले युद्धने मेरे मनोरथको अधूरा ही रहने दिया । मैं स्वास्थ्य-लाभके लिए माथेरान गया ।

मित्रोंसे ऐसी सलाह पाकर कि माथेरान जानेसे शरीर जल्दी ही स्वस्थ हो जायगा, मैं माथेरान गया; परंतु वहांका पानी भारी था, इसलिए मेरे-जैसे बीमारका वहां रहना मुश्किल हो गया । पेचिशके कारण गुदा-द्वार बहुत ही नाजुक पड़ गया था और वहां घाव हो जानेसे मल-त्यागके समय बड़ा दर्द होता था । इसलिए कुछ भी खानेमें डर लगता था । एक सप्ताहमें माथेरानसे लौटा । मेरे स्वास्थ्यकी रखवाली करनेका काम श्रीशंकरलालने अपने हाथमें ले लिया । उन्होंने डा० दलालसे सलाह लेनेका मुझे बहुत आग्रह किया । डा० दलाल आये । उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शक्तिने मुझे मोह लिया । उन्होंने कहा—“जबतक आप दूध न लेंगे तबतक आपका शरीर नहीं सुधरेगा । शरीर सुधारनेके लिए तो आपको दूध लेना चाहिए । और लोहे व संखियाकी पिचकारी (इंजेक्शन) लेनी चाहिए । आप इतना करें तो मैं आपका शरीर फिरसे पुष्ट करनेकी ‘गारंटी’ देता हूं ।”

“आप पिचकारी दें; लेकिन मैं दूध नहीं लूंगा।” मैंने जवाब दिया।

“आपकी दूधवाली प्रतिज्ञा क्या है ?” डाक्टरने पूछा।

“गाय भैंसके फूँका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जाती है। यह जाननेपर मुझे दूधके प्रति तिरस्कार हो आया, और यह तो मैं सदा मानता ही था कि वह मनुष्यकी खुराक नहीं है इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है।” मैंने कहा।

“तब तो बकरीका दूध लिया जा सकता है।” कस्तूरबाई, जो मेरी खाटके पास ही खड़ी थी, बोल उठी।

“बकरीका दूध लो तो मेरा काम चल जायगा।” डाक्टर दलाल बीचमें ही बोल उठे।

मैं झुका। सत्याग्रहकी लड़ाईके मोहने मुझमें जीवनका लोभ पैदा किया और मैंने प्रतिज्ञाके अक्षरोंके पालनसे संतोष मानकर उसकी आत्माका हनन किया। दूध-घीकी प्रतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टिके सामने गाय-भैंसका ही विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध-मात्रके लिए गिनी जानी चाहिए, और जबतक मैं पशुके दूध-मात्रको मनुष्यकी खुराकके लिए निषिद्ध मानता हूँ तबतक मुझे खानेमें उसके उपयोग करनेका अधिकार नहीं है। यह जानते हुए भी बकरीका दूध लेनेको मैं तैयार हो गया। सत्यके पुजारीने सत्याग्रहकी लड़ाईके लिए जीवित रहनेकी इच्छा रखकर अपने सत्यको कलंक लगाया।

मेरे इस कार्यका डंक अबतक नहीं मिटा है और बकरीका दूध

छोड़नेके लिए सदा विचार करता रहा हूँ। बकरीका दूध पीते वक्त रोज मैं कष्ट अनुभव करता हूँ; परंतु सेवा करनेका महासूक्ष्म मोह जो मेरे पीछे लगा है; मुझे छोड़ता ही नहीं। अहिंसाकी दृष्टिसे खुराकके अपने प्रयोग मुझे बड़े प्रिय हैं। उनमें आनन्द आता है और यही मेरा विनोद भी है; परंतु बकरीका दूध मुझे इस दृष्टिकोणके कारण नहीं अखरता, यह मुझे सत्यकी दृष्टिके कारण अखरता है। अहिंसाको जितना मैं पहचान सका हूँ उसकी बनिस्बत मैं सत्यको अधिक पहचानता हूँ, ऐसा मेरा खयाल है। और यदि मैं सत्यको छोड़ दूँ तो अहिंसाकी बड़ी उलझनों में कभी न सुलभा सकूंगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सत्यका पालन है—लिये गए व्रतोंके शरीर और आत्माकी रक्षा शब्दार्थ और भावार्थका पालन। यहां-पर मैंने आत्माका-भावार्थका नाश किया है। यह मुझे सदा ही अखरता है। यह जाननेपर भी व्रतके संबंधमें मेरा क्या धर्म है, यह मैं नहीं जान सका हूँ; अथवा यों कहो कि मुझमें उसका पालन करनेकी हिम्मत नहीं है। दोनों एक ही बात हैं; क्योंकि शंकाके मूलमें श्रद्धाका अभाव होता है। ईश्वर मुझे श्रद्धा दे !

बकरीका दूध शुरू करनेके थोड़े दिन बाद डा० दलालने गुदा-द्वारमें नशतर लगाया जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हुई।

अभी यों मैं बीमारीसे उठनेकी आशा बांध ही रहा था और अखबार पढ़ना शुरू किया ही था कि इतनेमें रौलट-कमेटीकी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उसमें जो सिफारिशों की गई थीं उन्हें देखकर मैं चौंक उठा। भाई उमर और शंकरलालने कहा कि इसके लिए कुछ

करना चाहिए। एकाध महीनेमें मैं अहमदाबाद गया। श्रीवल्लभ-भाई मेरे स्वास्थ्यके हाल चाल पूछनेको करीब-करीब रोज आते थे। मैंने इस बारेमें उनसे बातचीत की और यह सूचित भी किया कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने पूछा—“क्या किया जा सकता है?” जवाबमें मैंने कहा—“अगर कमेटीकी सिफारिशोंके अनुसार कानून बनाया जाय तो इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोड़ेसे मनुष्योंके मिल जानेपर हमें सत्याग्रह करना चाहिए। अगर मैं बीमार न होता तो मैं अकेला ही लड़ता और यह आशा रखता कि पीछेसे और लोग भी इसमें आ मिलेंगे। मेरी इस लाचारीकी हालतमें अकेले लड़नेकी मुझमें बिलकुल शक्ति नहीं है।”

इस बातचीतके फलस्वरूप ऐसे लोगोंकी एक छोटी-सी सभा करनेका निश्चय हुआ, जो मेरे संपर्कमें ठीक-ठीक आये थे। रौलट-कमेटीको मिली गवाहीसे मुझे वह तो स्पष्ट लगता था कि उसने जैसी सिफारिशें की हैं, वैसे कानूनकी जरूरत नहीं है; और मेरे नजदीक यह बात भी उतनी स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनको कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र या जनता स्वीकार नहीं कर सकती है।

सभा हुई। उसमें कोई लगभग बीस मनुष्योंको निमंत्रण दिया गया होगा। मुझे जहांतक स्मरण है, उसमें वल्लभभाईके अलावा श्रीमती सरोजिनी नायडू, मि० हार्निमेन, स्व० उमर सुभानी, श्री शंकरलाल बैंकर, श्रीमती अनुसूयावहन इत्यादि थे।

प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया और मुझे ऐसा स्मरण है कि जितने लोग वहां मौजूद थे सभीने उसपर दस्तखत किये। इस समय मैं

कोई अखबार नहीं चलाता था; परंतु समय-समयपर जैसे अखबारोंमें लिखता था वैसे ही इस समय भी मैंने लिखना शुरू किया और शंकरलाल बैकरने अच्छी हलचल शुरू कर दी। उनकी काम करने-की और संगठन करनेकी शक्तिका उस समय मुझे अच्छा अनुभव हुआ।

मुझे यह असंभव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा संस्था सत्याग्रह जैसे शस्त्रको उठा सके, इसलिए सत्याग्रह-सभाकी स्थापना की गई। उसमें मुख्यतः बंबईसे नाम मिले और उसका केंद्र भी बंबईमें ही रखा गया। प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे और जैसा कि खेड़ाकी लड़ाईमें हुआ था इसमें भी पत्रिकाएं निकलीं और जगह-जगह सभाएं हुईं।

इस सभाका अध्यक्ष मैं बना था। मैंने देखा कि शिक्षित-वर्ग और मेरे बीच अधिक मेल न हो सकेगा। सभामें गुजराती भाषाका ही उपयोग करनेका मेरा आग्रह और मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे विस्मित हुए; मगर मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोंने मेरी कार्य-पद्धतिको निभा लेनेकी उदारता दिखाई; परंतु आरम्भ ही में मैंने यह देख लिया कि यह सभा दीर्घकाल तक नहीं चलेगी। फिर सत्य और अहिंसापर जो मैं जोर देता था वह भी कुछ लोगोंको अप्रिय लगता था। फिर भी शुरुआतमें तो यह काम बड़े जोरोंसे चल निकला।

एक अद्भुत दृश्य

रौलट-कमेटीकी रिपोर्टके विरुद्ध एक और आंदोलन बढ़ता चला और दूसरी ओर सरकार उसकी सिफारिशोंको अमलमें लानेके लिए कमर कसती गई। रौलट-बिल प्रकाशित हुआ। मैं धारासभाकी बैठकमें एक ही बार गया हूं। रौलट-बिलकी चर्चा सुनने गया था। शास्त्रीजीने अपना बहुत ही जोरदार भाषण दिया और सरकारको चेतावनी दी। जब शास्त्रीजीकी वाग्धारा चल रही थी उस समय वाइसराय शास्त्रीजीकी ओर ताक रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके भाषणका असर उनके मनपर पड़ा होगा। शास्त्रीजीमें जोश उमड़ा पड़ता था।

किंतु सोये हुएको जगाया जा सकता है, जागता हुआ सोनेका ढोंग करे तो उसके कानमें ढोल बजानेसे भी क्या होगा? धारासभामें बिलोंकी चर्चा करनेका प्रहसन करना ही चाहिए, इसलिए सरकारने वह प्रहसन खेला; किंतु उसे जो काम करना था उसका निश्चय तो हो ही चुका था, इसलिए शास्त्रीजीकी चेतावनी बेकार साबित हुई।

मेरी तूतीकी आवाज तो सुनता ही कौन? मैंने वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखे, खुली चिट्ठियां लिखीं। उनमें यह स्पष्ट बतलाया कि सत्याग्रहके सिवा, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है; किंतु सब बेकार गया।

अभी बिल गजटमें प्रकाशित नहीं हुआ था। मेरा शरीर निर्बल था; किंतु मैंने लंबे सफरकी जोखिम उठाई। मुझमें ऊंची आवाजसे बोलनेकी शक्ति अभी नहीं आई थी। खड़े होकर बोलनेकी शक्ति जो गई सो अबतक नहीं आई है। खड़े होकर बोलते ही थोड़ी देरमें सारा शरीर कांपने लगता और छातीमें और पेटमें दर्द होने लगता था; किंतु मुझे ऐसा लगा कि मद्राससे आये हुए निमंत्रणको स्वीकार करना ही चाहिए। दक्षिण अफ्रिकाके संबंधके कारण मैं मानता आया हूं कि तामिल, तेलगू आदि दक्षिण प्रांतके लोगोंपर मेरा कुछ हक है, और अबतक ऐसा नहीं लगा है कि मैंने इस मान्यतामें जरा भी भूल की है। आमंत्रण स्वर्गीय श्री कस्तूरीरंगा आयंगरकी ओरसे आया था। मद्रास जाते ही मुझे जान पड़ा कि इस आमंत्रणके पीछे श्रीराजगोपालाचार्य थे। श्रीराजगोपालाचार्यके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है। इस बार सिर्फ इतना परिचय हुआ कि मैं उन्हें देखते ही पहचान सकूँ।

सार्वजनिक काममें ज्यादा भाग लेनेके इरादे और श्री कस्तूरीरंगा आयंगर आदि मित्रोंकी इच्छासे वह सेलम छोड़कर मद्रासमें वकालत करनेवाले थे। मुझे उन्हींके यहां ठहरानेकी व्यवस्था की गई थी। मुझे तो दो-एक दिन बाद मालूम हुआ कि मैं उन्हींके घर ठहरा हूं। वह बंगला श्री कस्तूरीरंगा आयंगरका होनेके कारण मैंने यही मान लिया था कि मैं उन्हींका अतिथि हूं। महादेव देसाईने मेरी भूल सुधारी। राजगोपालाचार्य दूर-ही-दूर रहते थे; किंतु महा-

देवने उनसे भली-भांति परिचय कर लिया था। महादेवने मुझे चेताया, “आपको श्री राजगोपालाचार्यसे परिचय कर लेना चाहिए।”

मैंने परिचय किया। उनके साथ रोज ही लड़ाईकी व्यवस्था करनेकी सलाह किया करता था। सभाओंके सिवा मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था। रौलट-बिल अगर कानून बन जाय तो उसका सविनय भंग कैसे हो? उसका सविनय भंग करनेका अवसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती। दूसरे जिन कानूनोंका सविनय भंग हो सकता है उसकी मर्यादा कहां निश्चित हो? ऐसी ही चर्चाएं होती थीं।

श्री कस्तूरीरंगा आयंगरने नेताओंकी एक छोटी-सी सभा भी की। उसमें भी खूब चर्चा हुई। उसमें श्री राघवाचार्य खूब हाथ बंटाते थे। उन्होंने यह सूचना दी कि वारीक-से-वारीक सूचनाएं लिखकर मुझे सत्याग्रहका शास्त्र प्रकाशित करना चाहिए। मैंने कहा कि यह काम मेरी शक्तिके बाहर है।

यों सलाह-मशवरा हो रहा था। इसी बीच खबर आई कि बिल कानूनके रूपमें गजटमें प्रकाशित हुआ है। जिस दिन यह खबर मिली उस रातको मैं विचार करता हुआ सो गया। दूसरे दिन सुबह मैं बहुत सबेरे उठ खड़ा हुआ। अर्धनिद्रा होगी और मुझे स्वप्नमें विचार सूझा। सबेरे ही मैंने श्री राजगोपालाचार्यको बुलाया और बात की—

“मुझे रातको स्वप्नमें विचार आया कि इस कानूनके जवाबमें हमें सारे देशको हड़ताल करनेके लिए कहना चाहिए। सत्याग्रह

आत्म-शुद्धि की लड़ाई है, यह धार्मिक लड़ाई है। धर्म-कार्य शुद्धि से शुरू करना ठीक लगता है। एक दिन सभी कोई उपवास करें और काम-धंधा बंद रखें। मुसलमान भाई रोजेके अलावा और उपवास नहीं रखते, इसलिए चौबीस घंटेका उपवास रखनेकी सलाह देनी चाहिए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी प्रांत शामिल होंगे या नहीं। बंबई, मद्रास, बिहार और सिंधकी आशा तो मुझे है ही। इतनी जगहोंमें अगर ठीक हड़ताल हो तो हमें संतोष मानना चाहिए।”

यह सूचना श्री राजगोपालाचार्यको पसंद आई। पीछे तुरंत दूसरे मित्रोंसे कहा। सबने इसे खुशीसे स्वीकार कर लिया। मैंने एक छोटा-सा नोटिस तैयार करके प्रकाशित किया। पहले सन् १९१६ मार्चकी ३० तारीख रखी गई थी; किंतु बादमें ६ अप्रैल की गई। लोगोंको बहुत थोड़े दिनोंका नोटिस मिला। कार्य तुरंत करनेकी आवश्यकता थी, इसलिए लंबी मुद्दत देनेका समय न था।

पर कौन जाने कैसे सारा संगठन होगया। सारे हिंदुस्तानमें—शहरोंमें और गांवोंमें—हड़ताल हुई। यह दृश्य भव्य था।

६४

वह सप्ताह !—१

दक्षिणमें थोड़ा भ्रमण करते हुए बहुत करके मैं चौथी अप्रैल-को बंबई पहुंचा। श्री शंकरलाल बैंकरका ऐसा तार था कि छठी तारीखका कार्यक्रम पूरा करनेके लिए मुझे बंबईमें रहना चाहिए।

किंतु उससे पहले दिल्लीमें तो ३० तारीखको ही हड़ताल मनाई

जा चुकी थी। उन दिनों दिल्लीमें स्व० स्वामी श्रद्धानंदजी तथा मरहूम हकीम अजमलखां साहबकी हुकूमत चलती थी। हड़ताल छठी तारीखके लिए स्थगित कर दी जानेकी खबर दिल्लीमें देरसे पहुंची थी। दिल्लीमें उस दिन जैसी हड़ताल हुई वैसी पहले कभी न हुई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों एकदिल हुए-से जान पड़े। श्रद्धानंदजीको जुमा मस्जिदमें निमंत्रण दिया गया था और वहां उन्हें भाषण करने दिया गया था। ये सब बातें सरकारी अफसर सहन नहीं कर सकते थे। जुलूस स्टेशनकी ओर चला जा रहा था। उसे पुलिसने रोका। पुलिसने गोली चलाई। कितने ही आदमी जख्मी हुए और कई खून हुए। दिल्लीमें दमन-नीति शुरू हुई। श्रद्धानंदजीने मुझे दिल्ली बुलाया। मैंने तार दिया कि बंबईमें छठी तारीख बिताकर मैं तुरंत दिल्ली रवाना होऊंगा।

जैसा दिल्लीमें हुआ वैसा ही लाहौर और अमृतसरमें भी हुआ था। अमृतसरसे डा० सत्यपाल और किचलूके तार मुझे तुरंत ही बुला रहे थे। उस समय मैं इन दो भाइयोंको जरा भी नहीं पहचानता था। दिल्लीसे होकर अमृतसर जानेका निश्चय मैंने उन्हें बतलाया था।

छठीको सवेरे बंबईमें हजारों आदमी चौपाटीमें स्नान करने गये और वहांसे ठाकुरद्वार जानेके लिए जुलूस निकला। उसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। जुलूसमें मुसलमान भी अच्छी तादादमें शामिल हुए थे। इस जुलूसमेंसे हमें मुसलमान भाई एक मस्जिदमें ले गये। वहां श्रीमती सरोजिनीदेवीसे तथा मुझसे भाषण

कराये । यहां श्री विट्ठलदास जेराजनीने स्वदेशीकी तथा हिंदू-मुसलमान-ऐक्यकी प्रतिज्ञा लिवानेकी सूचनाकी । मैंने ऐसी उतावलीमें प्रतिज्ञा लिवानेसे इन्कार किया । जितना हो रहा था उतनेसे ही संतोष माननेकी सलाह दी । प्रतिज्ञा लेनेके बाद वह टूट नहीं सकती । हमें स्वदेशीका अर्थ समझना चाहिए । हिंदू-मुसलमान-ऐक्यकी जिम्मेदारी वगैरापर भी कहा और सुझाया कि जिन्हें प्रतिज्ञा लेनेका विचार हो वे कल सवेरे भले ही चौपाटीके मैदानमें आ जावें ।

बंबईकी हड़ताल पूरी-पूरी रही ।

यह कानूनके सविनय-भंगकी तैयारी कर डाली थी । भंग हो सकने लायक दो-तीन वस्तुएं थीं । ये कानून ऐसे थे जो रद्द होने लायक थे और इनको कोई सहज ही भंग कर सकते थे । इनमेंसे एकका ही उपयोग करनेका निश्चय हुआ था । नमकपर लगानेवाला कर बहुत ही अखरता था । उस करको उठवानेके लिए बहुत आदमी प्रयत्न कर रहे थे । इसीलिए एक सुझाव मैंने यह रखा था कि सब कोई अपने घरमें बिना परवानेके नमक बनावें । दूसरा कानून सरकारकी जब्त की हुई पुस्तकें बेचनेके संबंधमें था । ऐसी दो पुस्तकें मेरी ही थीं । वे थीं 'हिन्दस्वराज्य' और 'सर्वोदय' । इन पुस्तकोंको छपाना और बेचना सबसे सहज सविनय-भंग जान पड़ा । इसलिए इन्हें छपाया और सांभका उपवास टूटनेपर और चौपाटीकी विराट सभा विसर्जित होनेके बाद इन्हें बेचनेका प्रबंध हुआ ।

सांभको बहुत-से स्वयंसेवक ये पुस्तकें बेचनेको निकल पड़े । एक मोटरमें मैं निकला और एकमें श्रीमती सरोजिनी नायडू निकली थीं । जितनी प्रतियां छपाई थीं सब बिक गईं । इनकी जो कीमत वसूल हो वह लड़ाईके खर्चमें ही डाली जानेवाली थी । एक प्रतिकी कीमत चार आने रखी गई थी; किंतु मेरे या सरोजिनी-देवीके हाथमें शायद ही किसीने चार आने रखे हों । अपनी जेब-मेंसे जो कुछ निकल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत आदमी निकल पड़े । कोई दस रुपयेका तो कोई पांच रुपयेका नोट भी देते थे । मुझे याद है कि एक प्रतिके लिए तो ५०) रुपयेका भी एक नोट मिला था । लोगोंको समझाया गया था कि लेनेवालोंको भी जेलकी जोखिम है; किंतु घड़ी-भरके लिए लोगोंने जेलका भय छोड़ दिया ।

सातवीं तारीखको मालूम हुआ कि जो किताबें बेचनेकी मनाही सरकारने की थी, सरकारकी दृष्टिसे वे बिकी हुई नहीं मानी जा सकतीं । जो बिकीं वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति गिनी जायंगी । जल्त की गई किताबोंमेंसे नहीं । इसलिए यह नई आवृत्ति छापने, और खरीदनेमें कोई गुनाह नहीं माना जायगा । लोग यह खबर सुनकर निराश हुए ।

इस दिन सबेरे चौपाटीपर लोगोंको स्वदेशी व्रत तथा हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यके व्रतके लिए इकट्ठा होना था । विट्ठलदास जेराजनी को यह पहला अनुभव हुआ कि उजला रंग होनेसे ही सब-कुछ दूध नहीं हो जाता । लोग बहुत कम इकट्ठे हुए थे । इनमें दो-चार

हनोंका नाम मुझे याद आता है। पुरुष भी थोड़े थे। मैंने व्रत बना रखे थे। उनका अर्थ उपस्थित लोगोंको खूब समझाकर उन्हें प्रतिज्ञा लिवाई। थोड़ी हाजिरीसे मुझे आश्चर्य न हुआ, दुःख भी न हुआ; किंतु धांधलीके काम और धीमे रचनात्मक कामके बीचका भेद और लोगोंमें पहलेका पक्षपात तथा दूसरेकी अरुचिका अनुभव मैं तबसे बराबर करता आया हूँ।

सातवींकी रातको मैं दिल्ली, अमृतसर जानेको निकला। आठवींको मथुरा पहुंचते ही कुछ भनक मिली कि शायद मुझे पकड़ेंगे। मथुराके बाद एक स्टेशनपर गाड़ी खड़ी थी। वहींपर मुझे आचार्य गिडवानी मिले। उन्होंने विश्वस्त खबर दी कि “आपको जरूर पकड़ेंगे और मेरी सेवाकी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ।” मैंने उनका उपकार माना और कहा कि जरूरत पड़नेपर सेवा लेना नहीं भूलूंगा।

पलवल स्टेशन आनेके पहलेकी पुलिस-अफसरने मेरे हाथमें हुक्म रखा—“तुम्हारे पंजाबमें प्रवेश करनेसे अशांति बढ़नेका भय है, इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि पंजाबकी सीमामें दाखिल मत होओ।” हुक्म इस प्रकारका था। पुलिसने हुक्म देकर मुझे उतर जानेको कहा। मैंने उतरनेसे इन्कार किया और कहा, “मैं अशांति बढ़ाने नहीं, किंतु आभन्त्रण मिलनेसे अशांति घटानेके लिए जाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खेद है कि मैं इस हुक्मको नहीं मान सकता।”

महादेव देसाई मेरे साथ थे। उन्हें दिल्ली जाकर श्रद्धानंदजीको खबर देने और लोगोंको शांत रहनेको कहनेके लिए कहा। हुक्म-

का अनादर करनेसे जो सजा हो उसे सहनका मैंने निश्चय किया है । तथा सजा होनेपर भी शांत रहनेमें ही हमारी जीत है, यह समझानेको भी कहा ।

पलवल आया । स्टेशनपर मुझे उतारकर पुलिसके हवाले किया गया । दिल्लीसे आनेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डिब्बेमें मुझे बैठाया । साथ पुलिसकी पार्टी वैठी । मथुरा पहुंचनेपर मुझे पुलिस-बैरकमें ले गये । कोई अफसर यह न बता सका कि मेरा क्या होगा और मुझे कहां ले जाना है । सवेरे ४ बजे मुझे उठाया और एक मालगाड़ीमें ले गये । दोपहरको सवाई माधोपुरमें उतार दिया । यहां बंबई मेलट्रेनमें लाहौरसे इंस्पेक्टर बोरिंग आये । उन्होंने मेरा कब्जा लिया और बंबईमें ले जाकर छोड़ दिया ।

मेरे घर पहुंचते ही उमर सुभानी और अनुसूयाबहन मोटरसे आये और मुझे पायधुनी चलनेको कहा—लोग अधीर हो गये हैं और उत्तेजित हो रहे हैं । हममेंसे किसीके किये वे शांत नहीं रह सकते । आपको ही देखने पर शांत होंगे ।”

मैं मोटरमें बैठ गया । पायधुनी पहुंचते ही रास्तेमें बहुत बड़ी भीड़ दीखी । मुझे देखकर लोग हर्षोन्मत्त हो गये । अब जुलूस बना । ‘वंदेमातरम्’, ‘अल्लाहो अकबर’की आवाजसे आसमान फटने लगा । पायधुनीपर घुड़सवारोंको देखा । ऊपरसे ईंटोंकी वर्षा होती थी । मैं लोगोंको शांत होनेके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था । ऐसा जान पड़ा कि हम भी ईंटोंकी इस वर्षासे न बच सकेंगे ।

अबदुलरहमान गलीमेंसे क्रॉफर्ड मार्केटकी ओर जाते हुए जुलूसको रोकनेके लिए घुड़सवारोंकी एक टुकड़ी सामने आ खड़ी हुई । जुलूसको फोर्डकी ओर जानेसे रोकनेके लिए वे महाप्रयत्न कर रहे थे । लोग समाते न थे । लोगोंने पुलिसकी लाइनको चीरकर आगे बढ़ना शुरू किया । हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज सुनाई पड़े । इसपर घुड़सवारोंकी टुकड़ीके अफसरने भीड़को तितर-बितर करनेका हुक्म दिया और इस टुकड़ीने भाले तानकर घोड़ोंको एकदम छोड़ दिया । मुझे भय हुआ कि उनमेंसे कोई भाला हममेंसे भी किसीका काम तमाम कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं; किंतु इस भयके लिए कोई आधार नहीं था । बगलसे होकर सभी भाले रेलगाड़ीकी चालसे चले जाते थे । लोगोंके भुंड टूट गये । भगदड़ मच गई, कोई दब गये, कोई घायल हुए । घुड़-सवारोंके निकलनेके लिए रास्ता न था । लोगोंके आस पास हटनेकी जगह न थी । वे अगर पीछे भी फिरे तो उधर भी हजारोंकी जबरदस्त भीड़ थी । सारा दृश्य भयंकर लगा । घुड़-सवार और लोग दोनों ही उन्मत्त-जैसे लगे । घुड़-सवार न कुछ देखते और न कुछ देख ही सकते थे । वे तो आंखें मूंदकर घोड़ोंको सरपट दौड़ा रहे थे । जितने क्षण इस हजारोंके भुंडको चीरनेमें लगे उतने क्षण तक मैंने देखा कि वे कुछ देख ही नहीं सकते थे ।

लोगोको यों बिखेरा और रोका । हमारी मोटरको आगे जाने दिया । मैंने कमिश्नरके दफ्तरके आगे मोटर रुकवाई और उनके पास पुलिसके व्यवहारके लिए फरियाद करने उतरा ।

वह सप्ताह !—२

मैं कमिश्नर ग्रिफिथके दफ्तरमें गया। उनकी सीढ़ीके पास जाते ही देखा कि हथियार-बंद सैनिक तैयार बैठे थे, मानो किसी लड़ाईके लिए ही न तैयार हो रहे हों। वरामदेमें भी हलचल मच रही थी। मैं खबर भेजकर दफ्तरमें घुसा तो कमिश्नरके पास मि० बोरिंगको बैठे हुए देखा।

मैंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन कमिश्नरसे किया। उसने संक्षेपमें जवाब दिया—“जुलूसको हम फोर्टकी ओर जाने देना नहीं चाहते थे। वह जुलूस जाता तो हुल्लड़ हुए बिना नहीं रह सकता था। मैंने देखा कि लोग केवल कहनेसे लौटनेवाले नहीं थे। इसलिए हमला करनेके सिवा और रास्ता नहीं था।”

मैं बोला—“मगर उसका परिणाम तो आप जानते थे न? लोग घोड़ोंके नीचे जरूर ही कुचलते। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि घुड़सवारोंकी टुकड़ीको भेजनेकी ही जरूरत न थी।”

साहबने जवाब दिया—“इसका पता आपको नहीं चल सकता। आपसे कहीं अधिक हम पुलिसवालोंको इसका पता रहता है। लोगोंके ऊपर आपके शिक्षणका कैसा असर पड़ा है। हम अगर पहलेसे ही सख्त कार्रवाई न करें तो अधिक नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि लोग तो आपके कहनेमें रहनेवाले नहीं हैं। कानून-भंगकी बात वे भट्ट समझेंगे, मगर शांतिकी बात

समझना उनके बूतेके बाहर है। आपका हेतु अच्छा है मगर लोग आपका हेतु नहीं समझते; वे तो अपने ही स्वभावके अनुसार काम करेंगे।”

मैं बोला—“यही तो आपके और मेरे बीच मतभेद है। लोग स्वभावसे ही लड़ाके नहीं हैं; किंतु शांतिप्रिय हैं।”

हम दलीलमें उतरे।

अंतमें साहब बोले, “खैर, अगर आपको विश्वास हो जाय कि लोगोंने आपको नहीं समझा, तो आप क्या करेंगे ?”

मैंने जवाब दिया—“अगर मुझे विश्वास होजाय तो यह लड़ाई मुलतवी रखूंगा।”

“मुलतवी रखनेके क्या मानी ? आपने तो मि० बोरिंगसे कहा है कि मैं झूटते ही तुरंत पंजाब लौटना चाहता हूं।”

“हां, मेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रेनसे लौटनेका था; किंतु यह तो आज नहीं हो सकता।”

“आप धीरज रखेंगे तो आपको अधिक बातें मालूम होंगी। क्या आपको कुछ पता है कि अभी अहमदाबादमें क्या चल रहा है ? अमृतसरमें क्या हुआ है ? लोग तो सभी जगह पागलसे हो-गये हैं। मुझे भी पूरी खबर नहीं है। कितनी जगह तो तार भी टूटे हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि इन सब दंगोंकी जिम्मेदारी आपके सिर है।”

मैं बोला—“मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, वहां उसे मैं अपने सिर ओटे बिना न रहूंगा। अहमदाबादमें लोग अगर कुछ करें तो

मुझे आश्चर्य और दुःख होगा। अमृतसरके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता। वहाँ तो कभी नहीं गया हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है; किंतु मैं इतना जानता हूँ कि पंजाबकी सरकारने मुझे वहाँ जानेसे रोका न होता तो मैं शांति बनाये रखनेमें बहुत हिस्सा ले सकता था। मुझे रोककर सरकारने लोगोंको उत्तेजित कर दिया है।”

इस तरह हमारी बातें चलीं। हमारे मतमें मेल मिलनेकी संभावना नहीं थी।

चौपाटीपर सभा करने और लोगोंको शांति-पालन करनेके लिए समझानेका अपना इरादा जाहिर करके मैंने उनसे छुट्टी ली।

चौपाटीपर सभा हुई। मैंने लोगोंको शांति और सत्याग्रहकी भर्यादाके बारेमें समझाया और कहा—“सत्याग्रह सच्चेका खेल है। लोग अगर शांतिका पालन न करें तो मुझसे सत्याग्रहकी लड़ाई पार नहीं लगेगी।”

अहमदाबादसे श्रीअनुसूयाबहनको भी खबर मिल चुकी थी कि वहाँ हुल्लड़ हुआ है। किसीने अफवाह उड़ा दी थी कि वह भी पकड़ी गई हैं। इससे मजदूर पागल-से बन गये। उन्होंने हड़ताल की और हुल्लड़ भी किया। एक सिपाहीका खून भी हुआ।

मैं अहमदाबाद गया। नड़ियादके पास रेलकी पटरी उखाड़ डालनेका भी प्रयत्न हुआ था। वीरमगाममें खून हुआ था। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा, तब तो वहाँ मार्शल-लाँ जारी था। लोग भयभीत हो रहे थे। लोगोंने जैसा किया वैसा भोगा और सो भी ब्याज सहित।

कमिश्नर मि० प्रैटके पास मुझे ले जानेके लिए स्टेनशपर आदमी खड़ा था। मैं उनके पास गया। वह खूब गुस्सेमें थे। मैंने उन्हें शांतिसे उत्तर दिया। जो खून हुआ था उसके लिए अपना खेद प्रकट किया। मार्शल-लॉकी अनावश्यकता भी बतलाई और जिन उपायोंसे फिरसे शांति स्थापित हो, उन्हें करनेकी अपनी तैयारी बतलाई। मैंने सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत मांगी और वह सभा आश्रमकी जमीनपर करनेकी अपनी इच्छा बतलाई। यह बात उन्हें पसंद आई। मुझे याद है कि इसके अनुसार १३वीं मई-को रविवारके दिन सभा हुई थी। मार्शल-लॉ भी उसी दिन या उसके दूसरे दिन रह हुआ था। इस सभामें मैंने लोगोंको उनके दोष बतानेका प्रयत्न किया। मैंने प्रायश्चित्तके रूपमें तीन दिनका उपवास भी किया और लोगोंको एक दिनका उपवास करनेकी सलाह दी। जो खून वगैरामें शामिल हुए हों, उन्हें अपना गुनाह कबूल कर लेनेकी सलाह दी।

अपना धर्म मैंने स्पष्ट देखा। जिन मजदूरों वगैराके बीच मैंने इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की, और जिनसे मैं भलेकी ही आशा रखता था, उनका हुल्लड़में शामिल होना मुझे असह्य लगा और मैंने अपने आपको उनके दोषमें हिस्सेदार माना। सत्याग्रह तुरंत ही मुलतवी रखनेका निश्चय मैंने प्रकट किया।

६६

‘हिमालय-जैसी भूल’

अहमदाबादकी सभाके बाद मैं नड़ियाद गया। ‘हिमालय-जैसी

भूल' के नामका जो शब्द-प्रयोग प्रचलित हुआ है उसका प्रयोग मैंने पहले-पहल नड़ियादमें किया था। अहमदाबादमें ही मुझे अपनी भूल जान पड़ने लगी थी; किंतु नड़ियादमें वहांकी स्थितिका विचार करते हुए, खेड़ा जिलेके बहुत-से आदमियोंके गिरफ्तार होनेकी बात सुनते हुए, जिस सभामें मैं इन घटनाओंपर भाषण कर रहा था, वहींपर मुझे एकाएक खयाल हुआ कि खेड़ा जिलेके तथा ऐसे ही दूसरे लोगोंको सविनय भंग करनेके लिए निमंत्रण देनेमें उतावली करनेकी मैंने भूल की थी, और वह भूल मुझे हिमालय-जैसी जान पड़ी।

मैंने इसे स्वीकार किया। इसलिए मेरी खूब ही हंसी उड़ी थी। तो भी मुझे यह स्वीकार करनेके लिए पश्चात्ताप नहीं हुआ है। मैंने यह हमेशा माना है कि जब हम दूसरेके गज-बराबर दोषको रज-समान देखेंगे और अपने राई-जैसे जान पड़नेवाले दोषको पर्वत-जैसा देखना सीखेंगे, तभी हमें अपने और दूसरेके दोषोंका ठीक-ठीक परिमाण मिल सकेगा। मैंने यह भी माना है कि सत्याग्रही बननेके इच्छुकको तो इस सामान्य नियमका पालन बहुत ही सूक्ष्मतासे करना चाहिए।

अब यह देखेंगे कि यह हिमालय-जैसी दिखाई पड़नेवाली भूल थी क्या? कानूनका सविनय भंग उन्हीं लोगोंसे हो सकता है जिन्होंने कानूनको विनयपूर्वक स्वेच्छासे मान लिया हो, उसका पालन किया हो। बहुतांशमें हम कानूनके भंगसे होनेवाली सजाक डरसे उसका पालन करते हैं। इसके अलावा यह बात विशेषकर

उन कानूनों पर लागू होती है जिनमें कि नीति-अनीतिका सवाल नहीं होता। कानून हो या न हो, सज्जन माने जानेवाले लोग एकाएक चोरी नहीं करेंगे, मगर तो भी रातमें बाइसिकलकी बत्ती जलानेके नियमोंमेंसे छटक जानेमें भले आदमीको भी चोभ नहीं होता। और ऐसे नियम पालनेकी कोई सलाह भी दे तो भलेमानस उसका पालन करनेको भट तैयार नहीं होते; किंतु जब यह कानून बन जाता है, उसका भंग करनेसे जुर्मानेका डर लगता है, तब जुर्माना देनेसे बचनेके लिए ही वह बत्ती जलावेगा। नियमका यह पालन नहीं गिना जायगा।

किंतु सत्याग्रही तो समाजके कानूनोंका पालन समझ-बूझकर स्वेच्छासे, और धर्म समझकर करेगा। इस प्रकार जिसने समाजके नियमोंका जान-बूझकर पालन किया है, उसीमें समाजके नियमोंकी नीति-अनीतिको भंग करनेकी शक्ति आती है, और उसे मर्यादित परिस्थितिमें अमुक नियमोंके भंग करनेका अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा अधिकार प्राप्त करनेके पहले ही सविनय-भंगके लिए न्यौता देनेकी भूल मुझे हिमालय-जैसी लगी और खेड़ा जिलेमें प्रवेश करते ही मुझे वहांकी लड़ाई याद हो आई। मुझे जान पड़ा कि मैंने सामनेकी दीवारको देखे बिना ही, आंख मूंदकर, सरपट दौड़ लगाई। मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले कि लोग सविनय-भंग करनेके लायक बनें, उन्हें उसके गंभीर रहस्यका भान होना चाहिए। जिन्होंने रोज ही इच्छासे कानूनको तोड़ा हो, जो छिपकर अनेक बार कानूनका भंग करते हों, वे भला एकाएक कैसे सविनय-भंगको

पहचान सकते हैं ? उसकी मर्यादाका पालन कैसे कर सकते हैं ?

यह बात सहज ही समझमें आसकती है कि इस आदर्शका पालन हजारों-लाखों आदमी नहीं कर सकते; किंतु बात अगर ऐसी ही हो तो सविनय-भंग करानेके पहले लोगोंको समझानेवाले और प्रतिक्षण उन्हें रास्ता बतलानेवाले शुद्ध स्वयंसेवकोंका दल खड़ा होना चाहिए, और ऐसे दलको सविनय-भंग और उसकी मर्यादाकी पूरी-पूरी समझ होनी चाहिए ।

ऐसे विचारोंसे भरा हुआ मैं बंबई पहुंचा और सत्याग्रह-सभाके द्वारा मैंने सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका दल खड़ा किया । उनके जरिये लोगोंको सविनय-भंगकी तालीम देनी शुरू की और सत्याग्रहका रहस्य बतलानेवाली पत्रिकाएं निकालीं ।

यह काम चला तो सही, मगर मैंने देखा कि मैं इसमें लोगोंकी बहुत दिलचस्पी पैदा न कर सका । स्वयं-सेवक काफी नहीं मिले । यह नहीं कहा जा सकता कि जो भर्ती हुए उन सभीने तालीम भी पूरी ली । भर्तीमें नाम लिखानेवाले भी जैसे-जैसे दिन बीतने लगे वैसे-वैसे हट्ट होनेके बदले खिसकने लगे । मैंने समझा कि सविनय-भंगकी गाड़ीके जिस चालसे चलनेकी मैं आशा रखता था वह उनसे कहीं धीमी चलेगी ।

६७

पंजाबमें

पंजाबमें जो-कुछ हुआ, उसके लिए सर माइकेल ओड्वायरने मुझे गुनहगार ठहराया था इधर वहांके कई नौजवान फौजी कानून-

के लिए भी मुझे गुनहगार ठहरानेमें हिचकते न थे। क्रोधके आवेशमें वे यह दलील देते थे कि यदि मैंने सविनय कानून-भंग मुलतवी न किया होता तो जलियांवाला बागमें यह कत्ल न हुआ होता और न फौजी कानून ही जारी हो पाता। कुछ लोगोंने तो धमकियां भी दी थीं कि अब आपने पंजाबमें पैर रखा तो आपका खून कर डाला जायगा।

पर मैं तो मान रहा था कि मैंने जो कुछ किया है वह इतना उचित और ठीक था कि उसमें समझदार आदमियोंको गलतफहमी होनेकी संभावना ही न थी। मैं पंजाब जानेके लिए अधीर हो रहा था। इससे पहले मैंने पंजाब नहीं देखा था; पर अपनी आंखोंसे जो-कुछ देख सकूँ; देखनेकी तीव्र इच्छा थी और मुझे बुलानेवाले डा० सत्यपाल, डा० किचलू, पं० रामभजदत्त चौधरी आदिसे मिलनेकी अभिलाषा हो रही थी। वे थे तो जेलमें, पर मुझे पूरा विश्वास था कि उन्हें सरकार अधिक दिनोंतक जेलमें नहीं रख सकेगी। जब-जब मैं बंबई जाता तब-तब कितने ही पंजाबी मिलने आ जाते थे। उन्हें मैं प्रोत्साहन देता और वे प्रसन्न होकर जाते। उस समय मेरा आत्म-विश्वास बहुत था।

पर मेरे पंजाब जानेका दिन दूर-ही-दूर होता जाता था। वाइस-राय भी यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि अभी समय नहीं है।

इस बीच हंटर-कमेटी आई। वह फौजी कानूनकी जांच करनेके लिए नियुक्त हुई थी। दीनबंधु एंडरूज वहां पहुंच गये थे। उनकी

चिट्टियोंमें वहांका हृदय द्रावक वर्णन होता था। उनके पत्रोंसे यह ध्वनि निकलती थी कि अखबारोंमें जो-कुछ बातें प्रकाशित होचुकी हैं, उनसे भी अधिक जुल्म फौजी कानूनका था। वह भी पंजाब आनेका आग्रह कर रहे थे। दूसरी ओर मालवीयजी आदिके तार आरहे थे कि आपको पंजाब अवश्य पहुंच जाना चाहिए। तब मैंने फिर वाइसरायको तार दिया। उनका जवाब आया कि फलां तारीख-को आप जा सकते हैं। अब तारीख ठीक-ठीक याद नहीं पड़ती; पर बहुत करके वह १७ अक्टूबर थी।

लाहौर पहुंचनेपर मैंने जो दृश्य देखा वह भुलाया नहीं जा सकता—स्टेशनपर मुझे लिवानेके लिए ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई थी, मानो किसी बहुत दिनके बिछुड़े प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके सगे-संबंधी आये हों। लोग हर्षसे पागल हो रहे थे। पंडित राम-भजदत्त चौधरीके यहां मैं ठहराया गया था। श्रीमती सरलादेवी चौधरीसे मेरा पहलेका परिचय था। मेरे आतिथ्यका भार उनपर आपड़ा था। 'आतिथ्यका भार' शब्दका प्रयोग मैं जान बूझकर कर रहा हूं; क्योंकि आजकी तरह तब भी मैं जहां ठहरता वह घर एक धर्मशाला ही होजाता था।

पंजाबमें मैंने देखा कि वहांके पंजाबी नेताओंके जेलमें होनेके कारण पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलाल और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजीने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। मालवीयजी और श्रद्धानंदजीके संपर्कमें तो मैं अच्छी तरह आ जुका था; पर पंडित मोतीलालजी के निकट संपर्कमें तो मैं लाहौरमें ही आया। इन तथा

दूसरे स्थानीय नेताओंने, जिन्हें जेलमें जानेका गौरव नहीं प्राप्त हुआ था, तुरंत मुझे अपना बना लिया। कहीं भी मुझे यह न मालूम हुआ कि मैं कोई अजनबी हूँ।

हम सब लोगोंने एकमत होकर हंटर-कमेटीके सामने गवाही न देनेका निश्चय किया। इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये गये थे। अतएव यहां इनका उल्लेख छोड़ देता हूँ। वे कारण सीधे थे और आज भी मेरा यही मत है कि कमेटी का बहिष्कार जो हमने किया वह उचित ही था।

पर यदि हंटर-कमेटीका बहिष्कार किया जाय तो फिर लोगोंकी तरफसे अर्थात् कांग्रेसकी ओरसे कोई जांच-कमेटी नियुक्त होनी चाहिए, इस निर्णयपर हम लोग पहुँचे। पंडित मोतीलाल नेहरू, स्व० चित्तरंजनदास, श्री अच्वास तैयबजी, श्रीजयकर और मैं इतने सदस्य नियुक्त हुए। हम जांचके लिए अलग-अलग स्थानोंमें बंट गये। इस कमेटीकी व्यवस्थाका बोझ सहज ही मुझपर आपड़ा था और मेरे हिस्सेमें अधिक-से-अधिक गांवोंकी जांचका काम आजानेके कारण मुझे पंजाबको और पंजाबके देहातको देखने का अलभ्य लाभ मिला।

इन जांचके दिनोंमें पंजाबकी स्त्रियां तो मुझे ऐसी मालूम हुईं, मानो मैं उन्हें युगोंसे पहचानता होऊँ। मैं जहां जाता वहां भुंडकी-भुंड स्त्रियां आजातीं और अपने कते सूतका ढेर मेरे सामने कर देतीं। इस जांचके साथ ही मैं अनायास इस बातको भी देख सका कि पंजाब खादीका एक महान् क्षेत्र हो सकता है।

ज्यों-ज्यों मैं लोगोंपर हुए जुल्मोंकी जांच अधिकाधिक गहराईसे करने लगा त्यों-त्यों मेरे अनुमानसे परे सरकारी अराजकता, हाकिमोंकी नादरशाही और उनकी मनमानी अंधाधुंधीकी बातें सुन-सुनकर आश्चर्य और दुःख हुआ करता। वह पंजाब कि जहांसे सरकारको ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक मिलते हैं, वहां लोग क्यों इतना बड़ा जुल्म सहन कर सके, इस बातसे मुझे विस्मय हुआ और आज भी होता है।

इस कमेटीकी रिपोर्ट तैयार करनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया था। जो यह जानना चाहते हैं कि पंजाबमें कैसे-कैसे अत्याचार हुए, उन्हें यह रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्टके बारेमें मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इसमें जान-बूझकर कहीं भी अत्युक्तिसे काम नहीं लिया गया है। जितनी बातें लिखी गई हैं, सबके लिए रिपोर्टमें प्रमाण मौजूद हैं। रिपोर्टमें जो प्रमाण पेश किये गए हैं उससे बहुत अधिक प्रमाण कमेटीके पास थे। ऐसी एक भी बात रिपोर्टमें दर्ज नहीं की है जिसके बारेमें थोड़ा भी शक था। इस प्रकार बिलकुल सत्यको ही सामने रखकर लिखी गई रिपोर्टमें पाठक देख सकेंगे कि ब्रिटिश राज्य अपनी सत्ता कायम रखनेके लिए किस हद तक जा सकता है और कैसे अमानुषिक कार्य कर सकता है। जहांतक मुझे पता है इस रिपोर्टकी एक भी बात आज तक असत्य साबित नहीं हुई है।

कांग्रेसमें प्रवेश

कांग्रेसमें जो मुझे भाग लेना पड़ा, इसे मैं कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं मानता । इसके पहलेकी कांग्रेसकी बैठकोंमें जो मैं गया सो तो केवल वफादारीकी निशानीके तौरपर । छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा वहां मेरा दूसरा कुछ काम होगा, ऐसा आभास भी मुझे दूसरी पिछली सभाओंके संबंधमें नहीं हुआ और न ऐसी इच्छा ही हुई ।

अमृतसरके अनुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग कांग्रेसके लिए है । पंजाब-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी, देशबंधु इत्यादि खुश हुये थे, यह मैं देख सका था । इस कारण उन्होंने मुझे अपनी बैठकों और सलाह-मशवरेमें बुलाया । इतना तो मैंने देखा था कि विषय-समितिका असली काम ऐसी बैठकोंमें होता था और ऐसे मशवरोमें खासकर वे लोग होते, जिनपर नेताओंका खास विश्वास या आधार होता; पर दूसरे लोग भी किसी-न-किसी बहाने घुस जाते थे ।

आगामी वर्षमें किये जानेवाले दो कामोंमें मेरी दिलचस्पी थी; क्योंकि उसमें मेरा चंचुपात हो चुका था ।

एक था जलियांवाला बागके कत्लका स्मारक । इसके लिए कांग्रेसने बड़ी धूमके साथ प्रस्ताव पास किया था । उसके लिए कोई

पांच लाख रुपये की रकम एकत्र करनी थी। उसके रत्नोंमें मेरा भी नाम था। देशके सार्वजनिक कार्योंके लिए भिक्षा मांगने की भारी सामर्थ्य जिन लोगोंमें है- उनमें मालवीयजी का नम्बर पहला था और है। मैं जानता था कि मेरा दरजा उनसे बहुत घटकर न होगा। अपनी इस शक्ति का आभास मुझे दक्षिण अफ्रिकामें मिला था। राजा-महाराजाओं पर जादू फेर कर लाखों रुपये पानेका सामर्थ्य मुझमें न था। आज भी नहीं है। इस बातमें मालवीय-जीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवाला मैंने किसीको नहीं देखा; पर जलियांवाला-बागके काममें उन लोगोंसे द्रव्य नहीं लिया जा सका, यह मैं जानता था। अतएव इस स्मारकके लिए धन जुटानेका भार मुझपर पड़ेगा, यह बात मैं रत्नकका पद स्वीकार करते समय समझ गया था। और हुआ भी ऐसा ही। इस स्मारकके लिए बम्बईके उदार नागरिकोंने पेट-भरकर द्रव्य दिया और आज भी लोगोंके पास, उनके लिए जितना चाहिए, द्रव्य है; परन्तु इस हिंदू, मुसलमान और सिखोंके मिश्रित खूनसे पवित्र हुई भूमिपर किस तरहका स्मारक बनाया जाय, यह विकट प्रश्न होगया है; क्योंकि तीनोंके बीच दोस्तीके बदले आज दुश्मनीका आभास हो रहा है।

मेरी दूसरी शक्ति मंत्रीका काम करनेकी थी, जिसका उपयोग कांग्रेसके लिए हो सकता था। बहुत दिनोंके अनुभवसे कहां, कैसे और कितने कम शब्दोंमें अविनय-रहित भाषामें लिखना मैं जान सका हूं—यह बात नेता लोग समझ गये थे। उस समय कांग्रेसका जो विधान था, वह गोखलेकी रखी हुई पूंजी थी। उन्होंने कितने

ही नियम बना रखे थे, उनके आधारपर कांग्रेसका काम चलता था वे नियम किस प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मैंने उन्हींके मुखसे सुना था; पर अब सब मानते थे कि केवल उन्हीं नियमोंके बलपर काम नहीं चल सकता। विधान बनानेकी चर्चा भी प्रतिवर्ष चला करती। कांग्रेसके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि जिससे सारे वर्ष-भर उसका काम चलता रहे अथवा कोई भविष्य के विषयमें विचार करे। मंत्री उसके तीन रहते; पर वास्तव में तो मंत्री एक ही रहता। वह भी ऐसा नहीं कि चौबीसों घंटे उसके लिए दे सके। मंत्री दफ्तरका काम करता या भविष्यका विचार करता, या भूत-कालमें ली हुई जिम्मेदारियां चालू वर्षमें पूरी करता। इसलिए यह प्रश्न इस वर्ष सबकी दृष्टिमें अधिक आवश्यक हो गया। कांग्रेसमें तो हजारोंकी भीड़ होती है, उसमें प्रजाका कार्य कैसे चलता? प्रतिनिधियोंकी संख्याकी हद्द नहीं थी। हर किसी प्रांतसे चाहे जितने प्रतिनिधि आ सकते थे। हर कोई प्रतिनिधि हो सकता था, इसलिए इसका कुछ प्रबंध होनेकी आवश्यकता सबको मालूम हुई। कांग्रेसका नया विधान बनानेका भार मैंने अपने सिरपर लिया। मेरा एक शर्त थी। जनतापर मैं दो नेताओं का अधिकार देख रहा था। इसलिए मैंने उनके प्रतिनिधियोंकी मांग अपने साथ की। मैं जानता था कि नेता लोग खुद शांतिक साथ बैठकर विधानकी रचना नहीं कर सकते थे। अतएव लोकमान्य तथा देशबन्धुके पाससे उनके दो विश्वासपात्र नाम मैंने मांगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधान-समितिमें न होना चाहिए, यह मैंने सुझाया।

यह सूचना स्वीकृत हुई। लोकमान्यने श्री केलकरका और देशबंधुने श्री आई० बी० सेनका नाम दिया। यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठी। फिर भी हमने अपना काम चला लिया। इस विधानके संबंधमें मुझे कुछ अभिमान है। मैं मानता हूँ कि इसके अनुसार काम लिया जा सके तो आज हमारा बेड़ा पार हो सकता है। यह तो जब कभी हो; परन्तु यह जवाबदेही लेनेके बाद ही मैंने कांग्रेसमें सचमुच प्रवेश किया, यह मेरी मान्यता है।

सत्याग्रह स्थगित करते ही शांति-स्थापक कार्य करनेका मैंने निश्चय किया। हाथ करघेके कपड़ेका तो मैं १९०८ से हिमायती था; परन्तु चर्खा मुझे हाथ नहीं लगा था। १९१५ में आश्रम-स्थापनाके बाद हाथ-कते सूतका विचार होने लगा; क्योंकि मैंने देखा कि मिलके कते हुए सूतके कपड़ेका उपयोग हमको सूत कातनेवाली मिलका बिना तनखाहका एजेंट बना रहा है। इस बंधनसे मुक्ति तब ही मिल सकती है जब कि हम अपने पुराने चर्खेका पुनरुद्धार कर सकें। इस पुनरुद्धारके काममें मैं लग गया स्व० गंगावहन मजूमदार नै, जिनसे मेरा परिचय भड़ोचमें हुआ था, चर्खेकी खोजमें घूमने की प्रतिज्ञा की—जिस तरह दमयंती नलकी खोजमें घूमी थी। खूब खोज करनेके बाद गंगावहनको गायकवाड़के बीजापुर गांवमें चर्खा मिल गया। इसके बाद मैंने गंगावहनको सुझाया कि वह पूनियां बनानेवाले को ढूंढें। उन्होंने यह काम अपने सिर लिया, धुनियेको ढूंढ निकाला। उसे हर महीने ३५) या इससे भी अधिक वेतनपर नियुक्त किया। उसने बालकोंको पूनी बनाना सिखलाया। मैंने

रुईकी भीख मांगी ।

अब आश्रम में भी चर्खें दाखिल करनेमें देर न लगी । मगन-लाल गांधीने अपनी अन्वेषण शक्तिसे चर्खेंमें सुधार किये और चर्खें तथा तकुवे आश्रममें तैयार हुए । आश्रमकी खादीके पहले थानपर फी गज १- खर्च आया । मैंने मित्रोंके पाससे मोटी, कच्छे सूतकी खादीके एक गज टुकड़ेके १- वसूल किये, जो उन्होंने खुशी-खुशी दिये ।

अब मैं एकदम खादीमय होनेके लिए अधीर हो उठा । मेरी धोती देशी मिलके कपड़ेकी थी । बीजापुरमें और आश्रममें जो खादी बनती थी वह बहुत मोटी और ३० इञ्च अर्जकी होती थी । मैंने गंगाबहनको चेताया कि अगर वह ४५ इञ्च अर्जकी धोती एक महीनेके भीतर न दे सकेंगी तो मुझे मोटी खादीका टुकड़ा पहनकर काम चलाना पड़ेगा । गंगाबहन घबराई, उन्हें अवधि कम मालूम हुई; लेकिन हिम्मत नहीं हारी । उन्होंने एक महीनेके भीतर ही मुझे ५० इञ्च अर्जका धोती-जोड़ा ला दिया और मेरी दरिद्रता दूर की ।

इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गांवसे एक अन्य भाई रामजी और उनकी पत्नी गंगाबहनको आश्रममें लाये और उनके द्वारा लम्बे अर्जकी खादी बुनवाई । खादीके प्रचारमें इस दम्पतिका हिस्सा ऐसा-वैसा नहीं कहा जा सकता । इन्होंने गुजरातमें और गुजरातके बाहर हाथक्रे सूतको बुननेकी कला दूसरोंको सिखाई है । यह निरक्षर लेकिन सुसंस्कृत बहन जब करघा चलाने बैठती तो

उसमें तल्लीन हो जाती कि इधर-उधर देखनेकी या किसीके साथ बात करनेकी आवश्यकता तक अपने लिए महसूस नहीं करती थी।

६६

एक संवाद

जिस समय स्वदेशीके नामपर यह प्रवृत्ति शुरू हुई उस समय मिल-मालिकोंकी ओर से मेरी खूब टीका होने लगी। भाई उमर सुभानी स्वयं होशियार और सावधान मिल-मालिक थे, इसलिए वह अपने ज्ञानसे तो मुझे फायदा पहुँचाते ही थे; लेकिन साथ ही वह दूसरोंके मत भी मुझे सुनाते थे। उनमेंसे एक मिल-मालिककी दलीलोंका असर भाई उमर सुभानीपर भी पड़ा और उन्होंने मुझे उनके पास ले चलनेकी बात कही। मैंने उनकी इस बातका स्वागत किया और हम उन मिल-मालिकके पास गये। वह कहने लगे—

“यह तो आप जानते हैं न कि आपका स्वदेशी-आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं है ?”

मैंने जवाब दिया—“जी हां।”

“आप यह भी जानते हैं कि बंग-भंगके दिनोंमें स्वदेशी आंदोलनने खूब जोर पकड़ा था। इस आंदोलनसे हमारी मिलोंने खूब लाभ उठाया था और कपड़ेकी कीमत बढ़ा दी थी; जो काम नहीं करना चाहिए, वह भी किया था ?”

“मैंने यह सब सुना है, और सुनकर दुःखी हुआ हूँ।”

“मैं आपके दुःखको समझता हूँ, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। हम परोपकारके लिए अपना व्यापार नहीं करते हैं। हमें

तो नफा कमाना है। अपने मिलके हिस्सेदारों (शेयर-होल्डरों) को जवाब देना है। कोमतका आधार तो किसी चीजकी मांग है। इस नियमके खिलाफ कोई क्या कह सकता है ? बंगालियोंको यह अवश्य ही जान लेना चाहिए था कि उनके आंदोलनसे स्वदेशी कपड़ेकी कीमत जरूर ही बढ़ेगी।”

“वे तो बेचारे मेरे समान शीघ्र ही विश्वास कर लेनेवाले ठहरे, इसलिए उन्होंने यह मान लिया था कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी नहीं बन जायेंगे; दगा तो कभी देंगे ही नहीं, और न कभी स्वदेशी-के नामपर विदेशी वस्त्र ही बेचेंगे।”

“मुझे यह मालूम था कि आप इस तरहका विश्वास रखते हैं। यही कारण था कि मैंने आपको सावधान कर देनेका विचार किया और यहांतक आनेका कष्ट दिया, जिससे भोले-भाले बंगालियोंकी भांति आप भी भूलमें न रह जायं।”

इतना कह चुकनेपर सेठने अपने एक गुमाशतेको नमूने लानेके लिए इशारा किया। नमूने रद्दी सूतके बने हुए कंबलके थे। उन्हें लेकर उन्होंने कहा—

“देखिए, यह नया माल हमने तैयार किया है। इसकी बाजार-में अच्छी खपत है; रद्दी-सा बना है, इस कारण सस्ता तो पड़ता ही है। इस मालको हम ठेठ उत्तर तक पहुंचाते हैं। हमारे एजेंट चारों ओर फैले हुए हैं। इससे आप यह तो समझ सकते हैं कि हमें आप-सरीखे एजेंटोंकी जरूरत नहीं रहती। सच बात तो यह है कि जहां आप-जैसे लोगोंकी आवाज तक नहीं पहुंचती वहां

हमारे एजेंट और हमारा माल पहुंच जाता है। हां, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारतको जितने मालकी जरूरत रहती है उतना तो हम बनाते भी नहीं। इसलिए स्वदेशीका सवाल तो खासकर उत्पत्तिका सवाल है। जब हम आवश्यक परिमाणमें कपड़ा तैयार कर सकेंगे और जब उसकी किस्ममें सुधार कर सकेंगे, तब परदेशी कपड़ा अपने-आप आना बंद हो जायगा। इसलिए मेरी तो यह सलाह है कि आप जिस ढंगसे स्वदेशी-आंदोलनका काम कर रहे हैं उस ढंगसे मत कीजिए और नई मिलें खड़ी करनेकी तरफ अपना ध्यान लगाइये। हमारे यहां स्वदेशी मालको खपाने-का आंदोलन आवश्यक नहीं है, आवश्यकता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करनेकी है।”

“अगर मैं यही काम करता होऊं तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे न ?” मैंने कहा।

“यह कैसे ? अगर आप मिल खड़ी करनेकी कोशिश करते हों तो आप धन्यवादके पात्र हैं।”

“मैं यह तो नहीं करता हूं। हां, चर्खेके उद्धार-कार्यमें अवश्य लगा हुआ हूं।”

“यह कौन-सा काम है ?”

मैंने चर्खेकी बात सुनाई और कहा—

“मैं आपके विचारोंसे सहमत होता जा रहा हूं। मुझे मिलोंकी एजेंसी नहीं लेनी चाहिए। उससे तो लाभके बदले हानि ही है। मिलोंका माल यों ही पड़ा नहीं रहता। मुझे तो कपड़ा उत्पन्न करने

में और तैयार कपड़ेको खपानेमें लगना चाहिए। अभी तो मैं केवल उत्पत्तिके काममें ही लगा हूँ। मैं स्वदेशीमें विश्वास रखता हूँ; क्योंकि उसके द्वारा भारतकी भूखों मरनेवाली आधी बेकार स्त्रियोंको काम दिया जा सकता है। वे जो सूत कातें उसे बुनवाना और इस तरह तैयार खादी लोगोंको पहनाना ही मेरी प्रवृत्ति है और यही मेरा आंदोलन है। चर्खा-आंदोलन कितना सफल होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता। अभी तो उसका श्रीगणेश-भात्र हुआ है; लेकिन मुझे उसमें पूरा विश्वास है। चाहे जो हो, यह तो निर्विवाद है कि इस आंदोलनसे कोई हानि नहीं होगी। इस आंदोलनके कारण हिंदुस्तानमें तैयार होनेवाले कपड़ेमें जितनी वृद्धि होगी उतना ही लाभ होगा। इसलिए इस कोशिशमें आपका बतलाया हुआ दोष तो नहीं ही है।”

“अगर आप इस तरह इस आंदोलनका संचालन करते हों तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। यह एक जुदी बात है कि इस यंत्र-युगमें चर्खा टिकेगा या नहीं। फिर भी मैं तो आपकी सफलता चाहता हूँ।”

७०

पूर्णाहुति

अब इन अध्यायोंको बंद करनेका समय आ पहुंचा है। इससे आगेका मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि जनता उसके विषयमें कुछ भी न जानती हो, यह संभव नहीं। असहयोग-आंदोलनका जन्म और नागपुर-कांग्रेसमें खिलाफतके सवालको

लेकर असहयोग प्रयोगका और हिंदू-मुस्लिम एकता साधनेका प्रयत्न—इन सब बातोंका यहां निर्देश-मात्र किये देता हूं और सन् १९२१ के सालसे तो मैं कांग्रेसके नेताओंके साथ इतना हिल-मिलकर रहा हूं कि कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसका यथार्थ वर्णन मैं उनका जिक्र किये बिना कर सकूं। इन बातोंके स्मरण अभी ताजे ही हैं। श्रद्धानंदजी, देशबंधु, लालाजी और हकीम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी सौभाग्यसे दूसरे बहुत-से नेता अभी मौजूद हैं। कांग्रेसके महापरिवर्तनके बादका इतिहास तो अभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेसके द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उन प्रयोगोंका वर्णन करते समय नेताओंका उल्लेख करना अनिवार्य है। औचित्यकी दृष्टिसे भी इन बातोंका वर्णन मुझे अभी नहीं करना चाहिए। और जो प्रयोग अभी हो रहे हैं उनके संबंधमें मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं कहे जा सकते, इसलिए भी इन अध्यायोंको फिलहाल बंद कर देना ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर यह कहूँ कि मेरी लेखनी ही आगे बढ़नेसे इन्कार करती है, तो भी अत्युक्ति न होगी।

पाठकोंसे विदा मांगते हुए मुझे दुःख होता है। मेरी दृष्टिमें मेरे प्रयोग अभी बहुत कीमती हैं। मुझे पता नहीं, मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूँ या नहीं। मैंने अपनी ओरसे तो ठीक-ठीक वर्णन करनेमें कुछ उठा नहीं रखा है। मैंने सत्यको जिस रूपमें देखा है और जिस राहसे देखा है उसे उसी रूपमें, उसी राहसे, बतानेकी हमेशा कोशिश की है और साथ ही पाठकोंके सम्मुख

उन वर्णानोंको रखकर मैंने अपने चित्तमें शांतिका अनुभव किया है; क्योंकि मुझे उनसे यह आशा रही है कि उनके पढ़नेसे पाठकोंके हृदयमें सत्य और अहिंसाके प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी।

मैं सत्यको ही परमेश्वर मानता आया हूँ। अगर पाठकोंको इन अध्यायोंके पन्ने-पन्नेमें यह प्रतीति न हुई हो कि सत्यमय बननेके लिए अहिंसा ही एक राजमार्ग है, तो मैं अपने इस प्रयत्नको व्यर्थ समझूँगा। प्रयत्न भले ही व्यर्थ हो; लेकिन सिद्धांत तो निरर्थक नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होते हुए भी कच्ची है, अपूर्ण है। इसलिए मेरी सत्यकी झलक उस सत्य-रूपी सूर्यके तेजकी एक किरण-मात्रके दर्शनके समान है, जिसके तेजका माप हजारों साधारण सूर्योंको इकट्ठा करनेपर भी नहीं हो सकता। अतः अबतकके अपने प्रयोगोंके आधारपर इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इस सत्यका संपूर्ण दर्शन, अहिंसाके अभावमें अशक्य है।

ऐसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिए प्राणिमात्रके प्रति आत्मवत् (अपने समान) प्रेमकी बड़ी भारी जरूरत है। इस सत्यको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवनके एक भी क्षेत्रसे बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनैतिक क्षेत्रमें घसीट ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीतिसे धर्मका कोई संबंध नहीं है, मैं निःसंकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्मको नहीं जानते—और मेरा विश्वास है कि यह बात कहकर मैं किसी तरह विनयकी सीमाको लांघ नहीं रहा हूँ।

विना आत्म-शुद्धिके प्राणि-मात्रके साथ एकताका अनुभव नहीं

किया जा सकता। और आत्म-शुद्धिके अभावसे अहिंसा-धर्मका पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है; चूंकि अशुद्धात्मा परमात्माके दर्शन करनेमें असमर्थ रहता है, इसलिए जीवन-पथके सारे क्षेत्रोंमें शुद्धिकी जरूरत रहती है। इस तरहकी शुद्धि साध्य है; क्योंकि व्यष्टि और समष्टिके बीच इतना निकटका संबंध है कि एककी शुद्धि अनेककी शुद्धिका कारण बन जाती है। और व्यक्तिगत कोशिश करनेकी ताकत तो सत्यनारायणने सब किसीको जन्म ही से दी है।

लेकिन मैं तो पल-पलपर इस बातका अनुभव करता हूं कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है। शुद्ध होनेका मतलब तो मनसे, वचनसे और कायासे निर्विकार होना, राग-द्वेषादिसे रहित होना है। इस निर्विकार स्थिति तक पहुंचनेके लिए प्रतिपल प्रयत्न करनेपर भी मैं उसतक पहुंच नहीं सका हूं। इस कारण लोगोंकी प्रशंसा मुझे भुला नहीं सकती, उलटे बहुधा वह मेरे दुःखका कारण बन जाती है। मैं तो मनके विकारोंको जीतना सारे संसारको शस्त्र-युद्ध करके जीतनेसे भी कठिन समझता हूं। भारतमें आनेके बाद भी मैंने अपनेमें छिपे हुए विकारोंको देखा है, देखकर शर्मिन्दा हुआ हूं; लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। सत्यके प्रयोग करते हुए मैंने सुखका अनुभव किया है, आज भी उनका अनुभव कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी मुझे बीहड़ रास्ता तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत् बनना पड़ेगा। जबतक मनुष्य स्वतः अपने-आपको सबसे छोटा नहीं मानता है तबतक मुक्ति उससे दूर रहती है। अहिंसा नम्रताकी पराकाष्ठा है, उसकी हृद है। और यह अनुभव-सिद्ध बात है कि इस तरहकी नम्रताके बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए अभी तो ऐसी अहिंसक नम्रता पानेकी प्रार्थना करते हुए और उसमें संसारकी सहायताकी याचना करते हुए मैं इन अभ्यायोंको समाप्त करता हूं।

